इक्कीस माला, खंड 12, अंक 41

बुधवार, 29 अप्रैल, 1992
9 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'



(खंड 12 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : आठ रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा]।

विषय-सूची

तीसरा सत्र, 1992 /1914 (शक)

बुधवार, 29 अप्रैल, 1992/9 वैशाख, 1914 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			
तारांकित प्रश्न संख्या :	801 से 803, 806 और 808 से 810		1–21
उनके लिखित उत्तर :			1–21
तारांकित प्रश्न संख्या	800, 804, 805, 807, 811 और 813 से 819		21–31
अतारांकित प्रश्न संख्या :	8337 से 8342, 8344, 8346 से 8387, 8389 से 8415, 8417 से 8436, 8438 से 8490, 8492 से 8512, 8514 से 8536, 8538 से 8551, 8553 से 8560 और 8562 से 8568		31–225
सभा पटल पर रखे गए पत्र			226–228
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति			
दसवां प्रतिवेदन	—	प्रस्तुत	228
लोक लेखा समिति			229
उन्नीसवां इक्कीसवां, तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन		प्रस्तुत	
प्राक्कलन समिति			229
विवरण—सभा पटल पर रखा गया			
याचिका समिति			229
तीसरा प्रतिवेदन	—	प्रस्तुत	
कार्य मंत्रणा समिति			230
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	—	स्वीकृत	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले 230

(एक) जालना में 2000 लाइनों का नया इलैक्ट्रॉनिक टेलीफ़ोन एक्सचेंज तुरन्त आरम्भ किए जाने की आवश्यकता
श्री अंकुशराव टोपे . 230

(दो) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के किसानों और युवकों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों का समय से वितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता
श्री बीरबल . . 230

(तीन) आंध्र प्रदेश के राजमपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाना पकाने की गैस की और अधिक एजेंसियां दिए जाने की आवश्यकता
श्री ए० प्रताप साय . . . 231

(चार) कुछ रेलगाडियों को गुजरात में पोरबन्दर तथा ओखा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता
श्री चन्द्रेश पटेल . 232

(पांच) खेलों के लिए धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता
श्री बृज भूषण शरण सिंह . 232

(छः) उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता
श्री हरि केवल प्रसाद . 232

(सात) आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में भारतीय कपास निगम के और अधिक खरीद केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता
श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी 233

(आठ) वानिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की आवश्यकता
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 233

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93 . . 234

(एक) श्रम मंत्रालय :
श्री पी० ए० संगमा . . 234–254

(दो) वाणिज्य मंत्रालय . 255
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 256–261
श्री बी० अकबर पाशा . . . 261–264
श्री हन्नान मोल्लाह . . . 264–270

श्री सैयद शाहाबुद्दीन . 270–274
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण 274–279
श्री भोगेन्द्र झा . . 279–282
श्री काशीराम राणा . . . 282–284
श्री ई० अहमद 284–285
श्री पी० चिदम्बरम . . 285–293

(तीन) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय आदि . 294–300

विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 1992 . 300

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव :
श्री मनमोहन सिंह . . 300

विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री मनमोहन सिंह 300
श्री राम नाईक . . . 301
श्री अन्बारासु इरा 303
श्री जार्ज फर्नान्डीज 304
श्री छेदी पासवान . . . 306
श्री एस० बी० चव्हाण . . 307
श्री अजित कुमार पांजा 307
श्री श्रीकान्त जेना . 308
श्री एच० आर० भारद्वाज . . 308

खंडवार विचार . 310

पारित करने के लिए प्रस्ताव . . . 310
श्री मनमोहन सिंह . . 320

लोक सभा

बुधवार 29 अप्रैल, 1992/9 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष जी, आज अखबार में बोफर्स के बारे में फिर आया है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही—वृत्तांत में नहीं सम्मिलित किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने सीट पर बैठें। अब तो यह प्रश्न-काल का समय। प्रत्येक दिन अगर प्रश्न-काल को स्थगित कर दें तो इससे आप ही अपने अधिकार से वंचित होंगे। आप सरकार के समक्ष प्रश्न रखकर उसका जवाब जानना चाहते हैं। यह तो आपका अधिकार है। इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए।

दूसरे इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है। आपके लाभ के लिए मैं सिर्फ एक पैरा पढ़ता हूं जिसे समझकर आप इसमें छिपी गंभीरता को समझ पाएंगे। अध्यक्षपीठ ने कई अवसरों पर सदस्यों को आगाह किया है कि अगर कोई सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगता है तो उसे उसकी सत्यता हाथोंहाथ सुनिश्चित करनी होगी और एक संसद सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जहां किसी सदस्य पर यह आरोप लगता है कि उसका आचरण सदन की गरिमा या एक संसद सदस्य से जिस स्तर की व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, उसके अनुरूप नहीं है तो उसके आचरण पर प्रस्ताव को सदन में बहस के लिए अनुमति दी जा सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने जो पढ़ा उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सदन की गरिमा ही नहीं, देश की गरिमा के भी विरुद्ध है। यह रोज-रोज आता है हम लोग भी परेशान हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया'।

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आप इस सर्वश्रेष्ठ सदन के सदस्य हैं और आप सम्माननीय सदस्य भी हैं। आप जो भी कहते हैं, आपके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द महत्व का होता है। हम चाहते हैं कि आपके मुंह से ऐसा कोई शब्द न निकले जिसकी वजह से लोग यह समझें कि आप पूरी तरह से समझकर नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि आप इतने बड़े होने की वजह से, आपकी गरिमा इतनी बड़ी होने की वजह से

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कृपया किसी भी चीज को इतने हल्के ढंग से न लें ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : आपके विचारों के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हम यह चाहते हैं कि शून्यकाल के दौरान या प्रश्नकाल के तुरन्त प्रधान मंत्री इस सदन में आयें . . .

अध्यक्ष महोदय : इसकी आज भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हम तो निश्चय ही उम्मीद करते हैं कि प्रधान मंत्री सदन में आएं और स्थिति को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : हम उसी समय देखेंगे कि क्या हो सकता है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी क्षेत्र के एककों में पूंजी का विनिवेश

*801. श्री सनत कुमार मंडल
श्री चित बसु : } क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों में विनिवेश सम्बन्धी कृष्ण मूर्ति समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार की इक्विटी पूंजी में अधिकतम एकमुश्त विनिवेश किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट की अन्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में से पूंजी निकालने तथा ऐसा करने के लिये अपनाई जाने वाली कार्य-प्रणाली के बारे में सिफारिशें करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी, 1992 को कृष्णमूर्ति समिति गठित की गई थी । इसकी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री सनत कुमार मंडल : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र इकाई से एक बार निवेश में कटौती करने से प्राप्त राशि का उपयोग किस तरह करेगी—

क्या इसका उपयोग नए निवेश और पूंजी तैयार करने या वित्तीय घाटे का पूरा करने के लिए ब्याज देने में उपयोग किया जाएगा और कृष्णमूर्ति समिति की रिपोर्ट को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ही यह बता दिया है कि निवेश में कटौती से प्राप्त राशि का किस तरह उपयोग किया जाएगा । सर्वप्रथम, वित्तीय राजस्व को पूरा करने के लिये मुद्रास्फीति-कारी तरीकों पर निर्भर करने के बदले इससे किया जाना इसका एक भाग है । दूसरे, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि के द्वारा रुग्ण उद्योगों के पुनर्गठन तथा प्रभावित कामगारों के पुनर्नियुक्ति और पुनर्प्रशिक्षण के लिए एक हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और असंगठित क्षेत्र में नए रोजगार उत्पन्न करने के लिये 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

श्री सनत कुमार मंडल : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र इकाई इक्विटी को बेचकर सरकार अनुमानतः कितनी राशि एकत्र करेगी और 1992-93 के दौरान निवेश में कटौती के लिये क्या तरीका अपनाया जाएगा?

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह पहले ही बताया जा चुका है कि वर्ष 1992-93 में 3,500 करोड़ रुपया निवेश में कटौती से प्राप्त होगा । और जहां तक तरीकों का संबंध है, सरकार ने पहले ही कृष्णमूर्ति समिति नियुक्त कर दिया है, इस समिति द्वारा इस माह के अंत तक रिपोर्ट दे दिए जाने की संभावना है ? समिति द्वारा इस बात पर भी गौर किए जाने की संभावना है कि हम कितने अच्छी तरह निवेश में कटौती कर सकते हैं और इसके लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का चयन साथ ही निवेश में कटौती के तरीकों पर भी गौर किया जाएगा ।

श्री चित्त बसु : मेरे विचार में, माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि विगत वर्ष निगम शेयरों की बिक्री वास्तव में घबराहट में कर दी गई थी जिससे तीन हजार तथा कुछ और करोड़ रुपए प्राप्त किए गए जबकि वास्तव में बेचे गए शेयरों की कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी । उसे ध्यान में रखते हुए, मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार भी कुछ शेयरों को चालू वर्ष 1992-93 के दौरान बेचेगी। इस संदर्भ में क्या मैं माननीय मंत्री से विशेषरूप से यह जान सकता हूं कि क्या वर्ष 1992-93 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है मैं यह जानना चाहता हूं कि निवेश में कटौती करने के संबंध में कोई मानदण्ड तैयार कर ली गई है, क्या इक्विटी को कम करने का प्रतिशत निर्धारित कर लिया गया है; क्या शेयरों के मूल्यांकन का तरीका निर्धारित कर लिया है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि निवेश में कटौती के तरीकों को निर्धारित कर लिया गया विशेषकर किन-किन उद्योगों के कितने शेयर किसे बेचे जाएंगे—बैंकों, म्यूच्यूवल फंडों, अप्रवासी भारतीय लोगों, जनता, कर्मचारियों या विदेशी कंपनियों को ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : माननीय सदस्य के इस विचार से असहमत होते हुए मुझे खेद है कि सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के शेयरों की बिक्री अफरातफरी में की गई है । ऐसा इसलिए कि यह मतभेद इस तथ्य से जाहिर नहीं है । केवल माननीय सदस्य को बताने के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रति इकाई शेयरों का कुल प्राप्त मूल्य जिसका अंकित मूल्य 10.00 रुपया है वह प्रथम चरण के बिक्री में उसका मूल्य 27.65 रुपए था और दूसरे चरण में बिक्री मूल्य 45.25 रुपए हो गया था । वास्तव में हमने चुने हुए 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मात्र 8 प्रतिशत शेयर बेचा है । जबकि हमने 20 प्रतिशत तक शेयरों को बेचने की सीमा

निर्धारित की थी। हमने यह कहा था कि हम 20 प्रतिशत तक बेचेंगे और इससे 2,500 करोड़ रुपया उगाहने का लक्ष्य था। आठ प्रतिशत की बिक्री से हमने 3,038 करोड़ रुपए प्राप्त किए जिससे जाहिर है कि हमने जल्दबाजी में बिक्री नहीं की थी। इसके बदले हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे कहीं अधिक प्राप्त किया और हमने केवल आठ प्रतिशत शेयर बेचे। बेचे गए शेयरों का वास्तविक अंकित मूल्य 872 करोड़ रुपए है और जबकि उससे 3,038 करोड़ रुपया मात्र आठ प्रतिशत से प्राप्त हो गया।

प्रश्न का दूसरा भाग तरीकों के बारे में है। इन सभी प्रश्नों को कृष्णमूर्ति समिति को सौंप दिया गया है और हम कृष्णमूर्ति समिति के रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं।

डा. बंधो प्रसाद पाल : महोदय, केन्द्र सरकार के पास सार्वजनिक उपक्रमों के इक्विटी शेयरों के निवेशों में कटौती ही मूल्य साधन है धन एकत्र करने का। लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सार्वजनिक इक्विटी शेयरों के निवेश में कटौती यदि बैंक, म्युच्युअल फण्ड या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं की मध्यस्थता से किया जाता तो ये बैंक उस मूल्य का दुगुना प्राप्त कर सकते थे जिस पर यह बैंकों या 'म्युच्युअल फण्डों' को दिया जाता है। सरकार आसानी से इन बढ़े हुए कोषों को प्राप्त कर सकती यदि इन शेयरों का उचित मूल्यांकन स्टाफ एक्सचेन्ज पर या किसी अन्य उचित आधार पर हो। जनता को बेचे जाने के बजाय बैंकों या 'म्युच्युअल फण्डों' की मध्यस्थता से करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह प्रश्न पूछता हूं : क्या कारण है कि इस तरह के मध्यस्थता के द्वारा इक्विटी शेयरों का सार्वजनिक निवेश किया जा रहा है जिससे सरकार इतने बड़ी राशि के घाटा होने से बच गया ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह बहुत ही संगत और अच्छा प्रश्न है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह कल्पना कर सकते है यदि एक ही समय में सभी शेयरों को शेयर बाजार में कम कर दिया जाए तो क्या होगा। यह सोचना बड़ा आसान है और उसके लिये किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। पूरा शेयर बाजार बर्बाद और टूट जाएगा और मूल्य गीरे जाएगा और हम उसका मूल्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः यह पूंजी बाजार को बनाए रखने के हित में है साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें उचित राशि मिले ताकि यह 'म्युच्युअल फं' और अन्य वित्तीय संस्थाओं को मिले जो बदले में इन शेयरों को जनता तथा पूंजी बाजार को दे देंगी। अतः इन शेयरों को देने का प्रभाव महसूस नहीं होगा और इस प्रकार पूंजी बाजार बर्बाद नहीं होगा। यदि सभी शेयरों को सीधे जनता को बेचा जाता तो इतने कम समय में 3,000 करोड़ रुपया प्राप्त करना मुश्किल होता। साथ ही प्रत्येक का भाव कम हो जाता। यह न तो सार्वजनिक क्षेत्र इकाई और न सरकार के हित में है कि इन सभी शेयरों को एक साथ जनता को दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे मंत्री जी के दोनों उत्तरों से कोई समाधान नहीं है। आपने यह बताया कि फर्स्ट राउण्ड में 10 रुपये का शेयर 27 रु. 65 पैसे शेयर में और सैकेण्ड राउण्ड में 45 रु. 25 पैसे में आपने बेच दिया जब कि अधिकांश शेयर इस वक्त मार्केट में 10 गुने से 30 गुने तक इनकी मांग है। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि मार्केट में 10 गुने से 30 गुने तक इन शेयरों की मांग है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपने ज्यादातर शेयर्स म्यूचुअल फण्ड और फाइनैन्शियल इंसटीट्यूशन्स के पास रखे हैं, क्या आप आज उन्हें ऐसे आदेश देने के लिए तैयार हैं, ऐसा सुझाव देने के लिए तैयार हैं कि वे इन शेयर्स को आफ-लोड न करें और उन शेयर्स से जो भी अधिकतम पैसा मिलना संभव है,

शेयर मार्केट से, यह पैसा सरकार की तिजोरी में आ जाए और बीच में, बिचौलियों, सब-ब्रोकर्स के जरिए, स्पेकुलेटर्स की जेबों में न जाने पाए ।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : जहां तक हमारी जानकारी है इन वित्तीय संस्थाओं ने बाजार में शेयर नहीं दिए हैं। इस प्रकार कहना कि शेयरों को ऊंचे दाम पर बेचा गया मात्र अनुमान है। वास्तव में प्राप्त जानकारी के आधार पर यह बेची नहीं गई है । चूंकि सदस्य ने विशेष रूप से यह पूछा है अतः यदि, कोई जानकारी होगी तो उसे एकत्र कर हम उन्हें देंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा प्रश्न यह था कि आज इन शेयरों का मूल्य 2·765 या 4·525 की तुलना में 10 या 30 गुना अधिक हो गया है जो वे प्राप्त कर सके हैं । क्या वह वित्तीय संस्थाओं या "म्युच्युअल फण्डों" को यह निर्देश देंगे कि वे इन शेयरों को दें ताकि जब भी वे शेयर बाजार में आएं, जो भी अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है वह सरकार को मिले और यह किसी भी अनचाहे शेयर दलाल या सटोरियों को न मिले ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह प्रश्न स्वयं ही अनुमान है क्योंकि 'म्युच्युअल फण्ड' या वित्तीय संस्थाओं ने शेयर नहीं दिए हैं । अतः शेयरों के मूल्य निर्धारण का प्रश्न सट्टेबाजी है । यह मात्र अनुमान है । जब तक आप शेयरों को बेचेंगे नहीं आप यह कैसे जानेंगे कि शेयरों का भाव क्या है ? आप इसे नहीं बेच रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं अब उनके दूसरे मुद्दे का जिक्र कर रहा हूं । फिर भी सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा, यह आश्वासन है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : किस मुद्दे पर ? क्या उन्होंने हमारे मुद्दे को समझा है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यदि शेयरों को ऊंचे दाम पर बेचा जाना हो तो क्या आप ही उसे बेचेंगे?

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे। ये वित्तीय संस्थाएं जी.आई.सी., यू.टी.आई.—यू.टी.आई. ने 80 प्रतिशत शेयर लिये हैं—जी.आई. सी. एल. आई. सी. की मेरे पास सूची है मैं दे सकता हूं—ये सभी सार्वजनिक संस्थाएं हैं। यदि वे लाभ कमाते हैं तो यह फिर भी सार्वजनिक कोष है।

अध्यक्ष महोदय : आपने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री पृथ्वीराज डो. चौहान : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैंने सरकारी उपक्रम विभाग के सचिव द्वारा 7 अप्रैल को दिए गए साक्षात्कार को देखा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि :

> "मैं समझता हूं कि वित्तीय संस्थाएं इन शेयरों को दीर्घकाल तक रखने को इच्छुक नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि वे शीघ्र ही बाजार में जाएंगे क्योंकि एक शर्त यह लगाई गई थी कि वे तुरंत इन शेयरों को सूचीबद्ध कराएंगे और मैं समझता हूं कि यह कार्य हो चुका है।"

यह साक्षात्कार सचिव द्वारा 'दि इकोनोमिक टाइम्स' को दिया गया है । मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण देने के बाद सरकार ने सीधे ही इन शेयरों को स्टाक एक्सचेन्ज में दर्ज क्यों नहीं करवाया उन्हें इसका वास्तविक...

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुके हैं। वह कहते हैं कि ये संस्थाएं—सार्वजनिक संस्थाएं हैं ।

श्री पृथ्वीराज डी. चौहान : यह प्रश्न तो लाभ के बारे में है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान नहीं कमा पाते बल्कि ये लाभ वित्तीय संस्थाओं के हाथों में चला जाता है जो कि इन्हें अन्य व्यक्तियों के पास हस्तांतरित कर देती है । इन म्युच्युअल फण्डों के शेयर बड़ी संख्या में व्यक्तियों के द्वारा खरीदे गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वे फिर प्रश्न को दोहरा रहे हैं—आप इसे बैच क्यों नहीं देते ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, उसका उत्तर तो मैं दे ही चुका हूं ।

श्री रूपचन्द पाल : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जनवरी में म्युच्युअल फण्ड की शर्तों का उल्लंघन करके प्रत्यक्ष लेन-देन किया गया था ? हमारा जो डर था, वह सत्य सिद्ध हुआ—दो अमेरिकी विदेशी बैंक इस खरीददारी में संलग्न हैं और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने सभी म्युच्युअल फण्डों से सार्वजनिक क्षेत्रों की यूनिटों में उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ की है—मेरा कहने का मतलब है कि आठ प्रतिशत शेयर तो बेचे जा चुके हैं जिससे 3000 करोड़ से भी अधिक रुपये की प्राप्ति हुई है । इससे लाभान्वित होने वाले सभी म्युच्युअल फण्डों में से सिर्फ तीन ने ही जवाब दिया है जबकि अन्य ने स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न कीजिए ।

श्री रूपचन्द पाल : दो अमेरिकी विदेशी बैंक तो इस प्रत्यक्ष लेन-देन में शामिल हैं ही और उसका रिटेल जो लेन-देन की रुपयों की अपेक्षा आठ करोड़ रुपए अधिक है । यह सही है या नहीं? क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने इस सम्बन्ध में पूछताछ की है या नहीं? क्या अधिकांश म्युच्युअल फण्ड प्रत्यक्ष लेन-देन में शामिल है या नहीं? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या अधिकांश म्युच्युअल फण्डों ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के प्रश्नों का उत्तर दिया या नहीं ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, सरकार के पास म्युच्युअल फण्डों के द्वारा की गई इस प्रकार के किसी प्रत्यक्ष व्यापार की कोई सूचना नहीं है । लेकिन जहां तक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा किसी जांच के गठन का प्रश्न है, मैं जानकारी एकत्र करके संबंधित सदस्यों को भेज दूंगा ।

उद्योगों को राज-सहायता

[हिन्दी]

*802. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों को राज-सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं ।

(ख) इस समय कितने उद्योगों को कितनी धनराशि की राज-सहायता दी जा रही है, और

(ग) उत्तर प्रदेश में कितने उद्योगों को राजसहायता दी जा रही है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन)

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) : सरकार इस समय एक परिवहन राजसहायता योजना चला रही है जिसके अधीन औद्योगिक एककों से चुनिंदा स्थान तक तथा वहां से औद्योगिक एककों तक कच्चे माल व तैयार माल की ढुलाई के लिए परिवहन लागत पर राजसहायता दी जाती है । यह योजना हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों अर्थात् अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों के लिए लागू है । बागवानी, तेलशोधक व विद्युत उत्पादक एककों को छोड़कर सभी एककों के लिए राजसहायता उपलब्ध है । 1976-77 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 5.45 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गयी है । राजसहायता की उद्गामगार प्रतिपूर्ति के बारे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं ।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सहायता योजना 1983 में लागू की गई थी। 1988-89 में इसको समाप्त कर दिया गया। उसके उपरान्त हमारी जो नयी विकास केन्द्रीय योजना लागू की गई, उसके अधीन हम लोगों ने अभी तक कितनी सफलता प्राप्त की है और जनता के बीच में वह कब तक इम्प्लीमेन्ट हो जाएगी और उसके लिए हमने कितने विकास केन्द्रों का चयन किया है ? यह मेरा पहला प्रश्न है और मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है—माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में यह जानकारी दी है कि परिवहन राज्य सहायता योजना के अंतर्गत पहाड़ी जिलों को केवलमात्र आर्थिक सहायता के रूप में सब्सिडी दिलवाई जा रही है, मान्यवर उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की दूरदराज के क्षेत्र हैं जहां पर कि इस प्रकार की परिवहन सहायता योजना की अत्यन्त आवश्यकता है, तो क्या मंत्री जी उन क्षेत्रों को भी जोड़ने की व्यवस्था करेंगे, इसके अतिरिक्त बागवानी एवं अन्य उत्पादन इकाइयों पर इस प्रकार की राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री वह भी उपलब्ध करवायेंगे ?

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : परिवहन राजसहायता योजना को 1971 में शुरू किया गया था। यह योजना सिर्फ चार पहाड़ी जिलों के लिए थी जबकि उत्तर प्रदेश में ही 8 पहाड़ी जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया । उन सब जगहों में राजसहायता मिल रही है । वह लगातार मिल रही है । और वर्तमान नियमावली के अनुसार 1995 तक यह मिलती रहेगी । फिलहाल सरकार के पास इस राजसहायता का दूसरे क्षेत्रों में बढ़ाने का कोई कार्यक्रम या योजना नहीं है । वर्तमान स्थिति यही है ।

जहां तक वैकल्पिक योजना के बारे में माननीय सदस्य के कहने प्रश्न का संबंध है, अगर उनका आशय विकास केन्द्रों से है तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आठ ऐसे केन्द्रों

को स्वीकृति मिल चुकी है जिनमें से छः केन्द्रों की परियोजना रिपोर्ट मिल चुकी है । हम इन छः परियोजनाओं के लिए अनन्तिम व्यवस्था कर चुके हैं ।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, इस नयी योजना के अंतर्गत किस प्रकार की इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा ? माननीय मंत्री जी क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग को विशेष रूप से महत्व दिया जाएगा, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की इण्डस्ट्रीज को अधिक से अधिक मदद मिल सके और महत्व मिल सके ।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, माननीय सदस्य किसी नयी योजना के बारे में कह रहे हैं । मैंने अनुमान लगाया कि यह विकास केन्द्र के बारे में था । मुझे नहीं पता कि कौन सी योजना के बारे में वह कह रहे हैं ।

श्री राम निहारे राय : आपकी नई योजना के बारे में ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : कृपया स्पष्ट कीजिए कि आपका मतलब किस योजना से है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसी किसी नयी योजना का उल्लेख नहीं किया है ।

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया था कि सरकार सिर्फ परिवहन राजसहायता योजना चला रही है । मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उन जिलों का क्या होगा जिन्हें औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला और उद्योग रहित जिला घोषित किया गया था जिससे उन जिलों में कुछेक प्रकार की छूट और अनुदान उपलब्ध थे ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, भारत सरकार ने सिर्फ निवेश अनुदान योजना नामक एक राजसहायता योजना चलाई थी जिसे वापस ले लिया गया । उसके विकल्प में एक नयी योजना विकास केन्द्र योजना शुरू की गई है क्योंकि हमने पिछले 40 वर्षों के अपने अनुभव में यह पाया कि उस योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए निवेश में जो अनुदान दिया जाता है, वह समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा था । उस प्रकार के अनुदान के अलावा हमारे पास ऐसे भी साधन हैं जिनसे पिछड़े क्षेत्रों में सीधे उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस मिल सके । इस तरह के दो उपायों के बावजूद अधिकांश पिछड़े क्षेत्र अधिकांशतः पिछड़े ही रहे । वहां उद्योगों का विकास नहीं हुआ । उद्योग धंधों को पनपने में प्राथमिकता वहीं मिली जहां मूलभूत ढांचा मौजूद था, वहां नहीं जहां कि अनुदान उपलब्ध था । इसलिए जहां भी मूलभूत ढांचा उपलब्ध था वहीं उद्योग पनप पाया । ऐसा ही हुआ है । असंतुलित विकास के कारणों में यह भी एक है ।

इस विषमता को दूर करने के लिए हमने पाया कि मूलभूत ढांचा मुहैया कराना आवश्यक है । हमने पिछड़े जिलों की सूची तैयार कर ली है । भारत सरकार उन पिछड़े इलाकों में क्रमिक तरीके से मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की सोच रही है । लेकिन प्राथमिक तौर पर यह जिम्मेवारी राज्य सरकार की है । इसलिए हमने 70 जिलों को विकास केन्द्र शुरू करने के लिए चुना है, जोकि मूलतः मूलभूत अवसंरचनात्मक अवलंबन योजना है । इन 70 विकास केन्द्रों को विभिन्न राज्यों में शुरू किया जा रहा है । उनमें अधिकांश सिर्फ पिछड़े क्षेत्रों में ही खोले जाएंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस प्रश्न में अंकित "ग" दर्ग की ओर दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद, सोनभद्र में स्थित हिन्दुस्तान अल्यु-मिनियम फैक्ट्री, हिन्डालको तथा हाई टैक कार्बन, कनौडिया केमिकल लिमिटेड को कितनी धनराशि सहायता में दी जा चुकी है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सब इसमें नहीं आता है ।

श्री राम निहोर राय : केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की वसूली धनराशि क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको प्रश्न पूछने के लिए कहा है । यह इसमें नहीं आता है। यह किसान की इण्डस्ट्री के लिए नहीं है यह दूसरी इण्डस्ट्री के लिए है ।

[अनुवाद]

अगर जवाब देना चाहें, तो दे सकते हैं ।

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह प्रश्न इसके अंतर्गत नहीं आता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, राजसहायता का प्रयोजन सिद्धान्त: देश के पिछड़े जिलों और दुर्गम क्षेत्रों की सहायता करना था जिससे वहां कुछ सुविधाएं और सहायता मिल सके ।

अब माननीय मंत्री ने यह कहा है वर्तमान में इसका संबंध केवल परिवहन राजसहायता से है । उनका कहना है कि सरकार ने 70 जिलों को चुना है जहां कि समस्या मुख्यत: मूलभूत ढांचे के संदर्भ में ही है । लेकिन सिर्फ मूलभूत ढांचे की समस्या ही नहीं है उन जगहों पर । पहले सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों को उद्योगों की स्थापना की जाती थी जिससे पिछड़े इलाकों के विकास में सहायता मिलती थी ।

क्या माननीय मंत्री योजना आयोग के साथ मिलकर इस प्रश्न पर विचार करेंगी कि उद्योग विहीन जिलों के और उन क्षेत्रों जहां गत 45 वर्ष के दौरान बुनियादी सुविधाएं सुलभ नहीं करायी गई है । विकास के लिए योजना आयोग की सहायता से विशेष योजनाएं चलायी जाएंगी । उदाहरण के तौर पर मेरे अपने जिला को लें जिसे दो जिलों में बांट दिया गया । मैं पाता हूं कि आजमगढ़ को बहुत अधिक पिछड़े जिलों में स्थान नहीं दिया गया है । क्या माननीय मंत्री योजना आयोग के साथ इस प्रश्न पर विचार करेंगे ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके जिले के जैसे अन्य जिले भी है । हमने अन्य जिलों में भी मूलभूत विकास के लिए एक योजना के बारे में सोचा है । और यह योजना आयोग के विचाराधीन है । लेकिन मुख्य समस्या धन-राशि मिलने की है । अगर धन उपलब्ध हो जाएगा तो दूसरे पिछड़े जिलों में मूलभूत विकास की योजना शुरू कर सकते हैं । फिर पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों के खोलने के संबंध में भी वही समस्या है । अगर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां अपना विस्तार करना चाहेंगी और इसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटा पाएंगी तो निश्चय ही हम इसके लिए पिछड़े इलाकों को प्राथमिकता देंगे बशर्ते कि वह तकनीकी-आर्थिक कसौटी पर खरे उतरें ।

अमरीका की व्यापार कम्पनियों के साथ सहयोग

[हिन्दी]

*803. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की अनेक व्यापारिक कम्पनियों ने घरेलू उपभोग की वस्तुओं के क्षेत्र में भारतीय फर्मों के साथ सहयोग करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां तो, अमरीका की इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और उनकी सहयोगी भारतीय कम्पनियां कौन सी हैं तथा किन-किन उत्पादों के मामले में सहयोग की पेशकश की गई है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[हिन्दी]

विवरण

(क) से (ग) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में मुख्यतया निर्यात कार्यकलापों में संलग्न व्यापारिक कम्पनियों सहित विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करने के लिए कार्य विधियों के उपबंधों को उदार तथा सरल बनाने हेतु की गई नीति संबंधी पहल से यू. एस. ए. सहित कई देशों की विदेशी कम्पनियों में पर्याप्त रुचि उत्पन्न हुई है ।

विदेशी सहयोग कम्भकर्तों पर संबंधित पार्टियों द्वारा बातचीत की जाती है और इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है । सरकार केवल तभी सामने आती है जब सहयोग की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है । नई औद्योगिक नीति की घोषणा होने से लेकर मार्च, 1992 के अंत तक अमरीका की कम्पनियों के साथ विदेशी सहयोग के 220 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है । इनमें से 79 प्रस्तावों में भारतीय कम्पनियों की इक्विटी पूंजी में अमरीका की कम्पनियों द्वारा 390 करोड़ रुपए से अधिक की परिकल्पना की गई है । इनमें से एक प्रस्ताव मुख्यतया निर्यात कार्यकलापों में संलग्न एक व्यापारिक कम्पनी में पूंजी निवेश करने के लिए है ।

भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम, सहयोग का स्वरूप और विनिर्माण की मदों जैसे स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मंथली न्यूजलैटर के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है ।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछ रही हूं कि जिन अमरीकन कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों के साथ घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने के लिए 220 प्रस्ताव पास किए हैं, उन कम्पनियों में दोनों तरह की कम्पनियों के नाम क्या हैं और कौन-कौन सी वस्तुएं बनाने के लिए उनको आपने कहा है ? दोनों का कितना-कितना शेयर होगा और लाभ व लागत का प्रतिशत भी कितना होगा ?

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, माननीय सदस्या 220 प्रस्तावों और उनके ब्यौरे के बारे में पूछ रही हैं। वह मेरे पास है और मैं इसे उन्हें दे सकता हूं। अगर मैं उन्हें पढ़ना शुरू करूंगा तो काफी समय लग जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमरीका की बनी हुई वस्तुएं और भारतीय कम्पनी की बनी हुई वस्तुओं में से यदि अमरीका की बनी हुई वस्तुएं सस्ती होंगी तो सरकार उसमें क्या कदम उठाने जा रही है ? क्योंकि ऐसे में भारत की बनी हुई वस्तुओं को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका के सहयोग से जो वस्तुएं बनेंगी उनके आप किस प्रकार से मूल्य निर्धारित करेंगे और उन पर सरकार किस प्रकार से प्रतिबंध लगाएगी ताकि भारतीय वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बैठ सकें।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, अमरीका में निर्मित वस्तुएं भारत में निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती भी हों, तो इससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक निषेधात्मक सूची है जिसमें अधिकांश उपभोक्ता सामग्री शामिल है जिनका आयात नहीं किया जा सकता है। अतः उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जहां तक अमरीका या किसी अन्य देश के साथ संयुक्त सहयोग करने का प्रस्ताव है, वस्तु का उत्पादन हमारे देश में हो या नहीं हमारी मंशा उत्पादन की लागत में कमी लाना है। हमारा उद्देश्य वही है और हम वही करना भी चाहते हैं। उत्पादन लागत कम किए बगैर हमारे सामान विश्व बाजार में किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? हम निर्यात बढ़ाना चाहते हैं और विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें जहां से भी हो ऐसी प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी होगी जो हमारे लिए उपयुक्त हो और हमारी उत्पादन लागत को कम कर सके। संयुक्त उपक्रमों की किसी भी परियोजना में अगर उत्पादन लागत में कमी होती है तो यह एक अच्छा संकेत है और हम ऐसा ही चाहते भी हैं।

श्री मुमताज अंसारी : माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि अमरीकी कम्पनियों के साथ विदेशी सहयोग के लिए 220 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से इस तरह की कम्पनियों के इक्वीटी अनुपात के बारे में जानना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी विदेशी कम्पनियां भी सहयोगी अथवा नियंत्रक कम्पनियों की तरह ही काम करेंगी। यदि कुछ कम्पनियों को नियंत्रक कम्पनियां घोषित कर दिया जाएगा तो क्या वे कम्पनियां संपूर्ण प्रबंधन तथा मूल्यनिर्धारण प्रणाली को नियंत्रित करेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : ये उत्तर में पहले से ही दिया हुआ है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं उनको इक्वीटी अनुपात के संबंध में उत्तर दे सकता हूं। 220 प्रस्तावों में से कुछ प्रस्तावों को, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से स्वीकृति दी गई है। इन प्रस्तावों को अपने आप ही स्वीकृति मिल जाती है यदि वे अनुबंध (ग) सूची में हों। ये सभी प्रस्ताव 51 प्रतिशत तक की इक्वीटी के हैं। अन्य प्रस्तावों को, योग्यता के आधार पर, एस आई ए तथा एफ आई पी बी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। इनमें से कुछ 51 प्रतिशत से अधिक इक्वीटी के हैं और कुछ कम इक्वीटी वाले हैं। इन 220 प्रस्तावों में से 79 प्रस्ताव, वित्तीय निवेश के प्रस्ताव हैं और इन मामलों में स्वीकृत की गई विदेशी इक्वीटी, 390 करोड़ रुपए से थोड़ा-सी कम है।

आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति

*806. **श्री राम नारायण डेरवा** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की वार्षिक मांग और पूर्ति का आकलन किया है;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(विवरण)

मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार सारे देश में, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों सहित, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए लगभग 180 लाख मी. टन खाद्यान्न (चावल व गेहूं) की आवश्यकता होगी। 1700 ब्लाकों के अभिज्ञात क्षेत्रों में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग 30 लाख मी. टन अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। परन्तु खाद्यान्न का वास्तविक आबंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध मात्रा, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं तथा मौसमजन्य उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाएगा। लेवी चीनी की अपेक्षित मात्रा, 1-10-1986 की अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति, प्रति महीना 425 ग्राम चीनी की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित होगी।

अगस्त, 1991 में लेवी चीनी के आवंटनों में 5% की तदर्थ वृद्धि दी जा रही है। अन्य आवश्यक वस्तुओं, अर्थात् आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई इन मदों की उपलब्धता तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके मूल्यों और आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन अनुपरक स्वरूप का होता है और ये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होता है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण डेरवा : अध्यक्ष महोदय, वह राजस्थान के लिए अत्यन्त गौरव का दिन था जब प्रधान मंत्री ने बाड़मेर जिले में जाकर नये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इनोगरेशन किया और वह भी बड़े फेन फेयर के साथ हुआ । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि स्टेट की राइस और व्हीट की कुल कितनी डिमाण्ड थी और उसके अगेन्स्ट में आपने अब तक उनको कितना सप्लाई किया है ? यदि राजस्थान का मैं उदाहरण दूं तो राजस्थान की चावल और गेहूं की 4 लाख टन की डिमाण्ड रहती है और उसके अगेन्स्ट में 75 हजार टन उनको दिया गया है, जो केवल 20 प्रतिशत बनता है तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि कितनी उनकी डिमाण्ड थी और उसके अगेन्स्ट में कितना सप्लाई किया जा रहा है ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : यह सही है कि बाड़मेर में नई वितरण प्रणाली को लांच किया गया। राजस्थान में डेजर्ट डवलपमैण्ट एरिया के जो आइडेण्टीफाइड ब्लाक्स हैं, उनकी क्या जरूरत है, वह स्टेट गवर्नमैण्ट ने हमें बताया है और उसके लिहाज से एडीशनल एलोकेशंस जो होने हैं, वह हो रहे हैं। वैसे जनरली राजस्थान की हर साल की करीब 957 हजार टन गेहूं और 442 हजार टन चावल की डिमाण्ड रहती है।

श्री राम नारायण डेरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार के पास कितना बफर स्टाक है, कंज्यूमर्स की डिमाण्ड के हिसाब से और वह बफर स्टाक कितने महीनों के लिए सफीसिएण्ट होगा? वह कंज्यूसर्म की डिमाण्ड से कम है तो उसके लिए सरकार क्या स्टैप्स ले रही है ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं इत्मीनान दिलाता हूं कि बफर स्टाक काफी है और कोई कष्ट किसी को नही होगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि इन्होंने कहा है कि सामग्री की कोई कमी नहीं है और राज्यवार उपभोक्ता संघ की जो बैठक हुई, उस बैठक में हम लोग सदस्य हैं, वहां सारे सामान की डिमाण्ड होती रही है तो क्या देश के प्रत्येक राज्य व अन्य जगह से जितनी आपको मांग आयेगी, उसकी पूर्ति आप करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट पहले यही तो उन्होंने कहा है ।

[हिन्दी]

श्री कमालुद्दीन अहमद : अगर स्पेसिफिकली बिहार का पूछ रहे हैं तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो हां कह दें।

श्री कमालुद्दीन अहमद : जितनी डिमाण्ड स्टेट्स से आ रही है, हर साल का जो असूल बना लिया गया है, उसके हिसाब से सप्लाई हो रही है ।

कोयले की मांग

*808. श्री राम टहल चौधरी :

मोहम्मद अली अशराफ फातमी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की कुल मांग कितनी रही और कोयले की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) क्या उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं की गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड़)

(क) से (घ)

एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ)

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के किए गए उठान और योजना आयोग द्वारा मूल्यांकित की गयी कोयले की कुल मांग को नीचे दिया गया है :—

विवरण

(मी० टन में)

वर्ष	मांग	उठान
1989–90	222.00	199.79
	(4.70)	(2.12)
1990–91	229.80	210.07
	(4.30)	(2.07)
1991–92	235.20	222.85*
	(5.20)	(2.30)

1. वर्ष 1991-92 के उठान के आंकड़े अनंतिम हैं ।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मिडलिंग्स को दर्शाते हैं।

3. *वर्ष 1991-92 के उठान में आयातित कोयला शामिल नहीं है।

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कोयले की मांग 80%, 90% और 93% के स्तर तक संतोषप्रद की गयी।

आगामी वर्षों की कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—नई खानों का खोला जाना, वर्तमान खानों को पुनर्गठित करना, कार्यक्षमता में

सुधार किया जाना और कोयला का उत्पादन अधिकतम किया जाना । उत्पादित कोयला को उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाने को सुनिश्चित किए जाने के लिए उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र के साथ नजदीकी समन्वय बनाए रखा जा रहा है ।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की कुल मांग कितनी रही और कोयले की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ? इसमें मंत्री जी ने हर साल का अपना डाटा दिया है और कोयले की आपूर्ति के लिए इन्होंने सुधार करने का भी लिखा है । कोयला पैदा होता है, रांची, हजारीबाग और धनबाद में और कुछ दिनों पहले बीच-बीच में सौ रुपए मन तक कोयला बिका है । कोयले में पत्थर मिला कर कोयले का वितरण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो सुधार करना चाहते हैं, यह बताएं कि कब तक आवश्यकता की पूर्ति करेंगे और मिलावट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

हम मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसा इसलिए नहीं कि कोयले की कमी है बल्कि कुछ हद तक इसलिए कि परिवहन की समस्या है । मांग की पूर्ति में थोड़ा सुधार हुआ है । वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान 90 प्रतिशत, 91 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत कोयले की मांग पूरी की गई है ।

जहां तक कोयले की गुणवत्ता का प्रश्न है, हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमें शिकायतें मिल रही हैं और जब तक हम लाभकारी कोयले की आपूर्ति नहीं करेंगे, ऐसे शिकायतें आती रहेंगी । हम सौ प्रतिशत गुणवत्ता नियंत्रण की गारण्टी नहीं दे सकेंगे । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम बड़े पैमाने पर धोवन शालायें स्थापित करेंगे और अन्ततः हमारी मन्शा उपभोक्ताओं को धुले हुए कोयले की आपूर्ति करना है ।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था, मंत्री महोदय से, कोयले की आपूर्ति कब तक पूरी की जाएगी, लेकिन उस संबंध में मंत्री जी ने नहीं बताया ।

अध्यक्ष महोदय : कोयले को ढोने के लिए गाड़ी नहीं, रेल नहीं है, उन्होंने बताया है ।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात हम बराबर सुनते आ रहे हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं, यह परिवहन की समस्या कब तक रहेगी और आम जनता को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसको दूर करने के लिए आप परिवहन की समस्या को कब तक दूर करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : जैसा कि मैंने कहा था जब तक हमारी परिवहन व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक मेरे लिए ऐसा कर पाना कठिन होगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि आप उसमें कितनी जल्दी सुधार ला सकेंगे ।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, जैसा कि मैंने कहा, कोयले की उपलब्धता की समस्या नहीं है। वर्ष 1989-90 में, हमारे पास 37 मिलियन टन कोयले का स्टाक था, वर्ष 1990-91 में हमारे पास 42 मिलियन टन कोयले का स्टाक था और वर्ष 1991-92 में हमारे पास 48 मिलियन टन कोयले का स्टाक है। कोयले की बड़ी मात्रा रेल द्वारा भेजी जाती है और कुछ हद तक कोयले को सड़क मार्ग द्वारा भी भेजा जाता है। रेलवे अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। खाद्य स्टाक तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के सम्बन्ध में उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, तो भी परिवहन में काफी सुधार हुआ है। यह विश्वास दिलाना मेरे लिए कठिन होगा कि हम सौ प्रतिशत मांग की पूर्ति करने में समर्थ होंगे क्योंकि कई बार बहुत सी दूसरी बातें भी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, इस वर्ष झारखण्ड में हड़ताल हुई थी जिसके परिणामस्वरूप काम अस्त-व्यस्त हो गया, अन्यथा, हम इस वर्ष मांग का सौ प्रतिशत पूरा कर पाते अतः सभा को यह आश्वासन देना मेरे लिए बहुत कठिन है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश मंडल : सरकार से जो उत्तर आया है 1989-90, 1990-91 और 1991-92 की मांग से सम्बन्धित कि वह पूरी कर दी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने प्रत्येक वर्ष 59.96 मिलियन टन कोयला विदेश से मंगाया है और तीन साल से आपने अभी तक यहां 170.88 मिलियन टन कोयला विदेश से मंगाने का काम किया है, इसमें कितना पैसा देश का लगा है? यदि यहां पूरा कोयला उपलब्ध है और मांग इतनी नहीं है तो फिर विदेश से मंगाने के पीछे क्या राज है? मंत्री जी ने जो उत्तर के साथ स्टेटमेन्ट दिया है उसमें सबसे में यह बताया है कि 42.41 प्रतिशत कोयला भण्डार में पाया गया है। बिहार सरकार ने 82 कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो ये पेंडिंग पड़ी हुई हैं, चल नहीं रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में देने को कहा है, क्योंकि कोल इंडिया नहीं चला सकता तो इनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने की सिफारिश उसने की है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप विदेश से जो कोयला मंगाया जाता है उसको बन्द करेंगे और उसके मंगाने की जांच करायेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, दो प्रकार का कोयला है, एक है 'कोकिंग कोल' और दूसरा है 'नान-कोकिंग कोल'। कोकिंग कोयले का उपयोग इस्पात संयंत्रों के लिए होता है और हम इसका काफी उत्पादन नहीं करते हैं। अभी लगभग पांच मिलियन टन कोयले की कमी है, जिसका हमें आयात करना है और हम उसका आयात कर रहे हैं।

जहां तक नान कोकिंग कोयले का प्रश्न है; हम उसका आयात नहीं करते हैं बल्कि हम तो उसका ज्यादा निर्यात करते हैं।

जहां तक मांग को पूरा करने का सवाल है मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने कुल संतोष्ट की बात कही है। लेकिन, हमें कतिपय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुछ प्राथमिकता देनी होती है। जिसके परिणामस्वरूप गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे लिए बिजली का क्षेत्र सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाता है और इसलिए, बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति करने में हम प्राथमिकता देंगे और इस वर्ष 1991-92 में, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिजली क्षेत्र के लिए मांग के अनुसार सौ प्रतिशत कोयले की आपूर्ति की गई है, और उर्वरकों के क्षेत्र में 105 प्रतिशत आपूर्ति की गई है। अतः इसके परिणामस्वरूप, गौण क्षेत्रों, लघु श्रेणी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की मांग को हम पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए हैं।

[हिन्दी]

राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि कोयला का उत्पादन संतोषपूर्ण है। कोई कमी नहीं है। कल दूरदर्शन में भी हम देख रहे थे, रात को आ रहा था कि कोई कमी नहीं है, कोयले का उत्पादन काफी हो रहा है। निरन्तर उसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मंत्री जी खड़े होकर बता रहे थे। अभी मंत्री जी ने यह भी कहा कि रेक्स की कमी नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम जानना चाहते हैं ईंट भट्टे वाले लोग परेशान हैं, काफी लोग और भी परेशान हैं, बहुत से लघु उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सैंकड़ों उद्योग धंधे कोयले के अभाव से बंद हो गए हैं। जब कोयला बहुत ज्यादा हो रहा है और स्थिति यथावत है विदेश से भी आ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि कोयले का अभाव निरन्तर बना हुआ है ?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, मैंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है हमें प्रमुख क्षेत्र के कोयले की मांग को, यथासंभव 100 प्रतिशत पूरा करना होगा, तो इससे गौण क्षेत्र तो प्रभावित होगा ही, तथा ईंट भट्टा उद्योग गौण-क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसलिए, ये उद्योग भी प्रभावित होते हैं। मैंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। और इस वर्ष, ईंट उद्योग को किए जाने वाले कोयले की आपूर्ति में भी सुधार हुआ है। और 95 प्रतिशत मांग की पूर्ति हो सकी है।

[हिन्दी]

श्री विलास भुत्तेगवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने अपने जवाब में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए जो सुझाव दिए हैं, उसमें नई खानें खोले जाने का सुझाव भी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसी नई खानों के कितने प्रस्ताव मंत्रालय के सामने हैं और यदि इन प्रस्तावों के लिए कोयला मंत्रालय के पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है तो चन्द्रपुर जिले के वैस्टर्न कोलफील्ड के अंतर्गत 7-8 कोल माइन्स का जो प्रोपोजल तैयार है, उसकी तरफ जल्दी कार्रवाई शुरू करने के लिए कोयला मंत्रालय की तरफ से कोई पहल की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : मैंने कहा है कि कोयले की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है; बल्कि परिवहन की समस्या है; और हम रेलवे से संपर्क बनाए हुए हैं; हम उनसे बातचीत कर रहे थे और हम इसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी, हमारे पास भी नई खानें खोलने की योजनाएं हैं क्योंकि हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना के परे लक्ष्य तय कर लिए हैं। और जहां तक माननीय सदस्य के क्षेत्र का संबंध है, मैंने स्वयं, उनके साथ नई खान शुरू करने के लिए गया था। मैं समझता हूं कि वे इस बारे में बहुत प्रसन्न होंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कोयला मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जहां तक कोयले के परिवहन की रेल की व्यवस्था है, उसमें तो

कठिनाई है लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्री और लघु उद्योग को बाई रोड कोयला दिया जाता है जिसका रुपया बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. आदि में जमा करा लिया जाता है और छः-छः महीने तक उनको कोयला नहीं दिया जाता है। हमें मंत्री जी बताने की कृपा करें कि इस प्रकार से बी.आर.के. के अंतर्गत कितना रुपया बाई रोड "सेल" में डिपाजिट है और उन्हें कोयला क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ? यदि कोयले की कमी नहीं तो कोयले की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है जबकि उसमें परिवहन की कोई व्यवस्था भी नहीं करनी है क्योंकि उपभोक्ता स्वयं ट्रक से अपना कोयला ले जाते है तो ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें डिपाजिट पड़ा है और कितने दिनों से पड़ा है?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : मैंने दूसरे सदन में कहा है कि—जैसाकि माननीय सदस्य कल कह रहे थे कि हमारे उपभोक्ताओं ने पैसा जमा किया है, मैं समझता हूं, 150 करोड़ रुपए जमा किए होंगे—कि हम उनको कोयले की आपूर्ति नहीं कर पाए हैं। काफी बकाया पड़ा है। मैंने ये निदेश दिया था कि उस सभी बकाया सप्लाई को इस महीने के अन्त तक पूरा करना है।

मेरे पास वह पत्र नहीं है। कल या परसों, मुझे वापस जानकारी मिलेगी; और मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दे दूंगा ।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम

*809. **श्री चेतन पी. एस. चौहान** :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में समेकित ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन राज्यों में अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन राज्यों में यह कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम का विस्तार 1991-92 तक, चंडीगढ़ को छोड़कर, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में किया गया है।

(ख) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम में केन्द्रीय प्रायोजित योजना और राज्य क्षेत्र संघटक नामक दो घटक हैं। केन्द्रीय प्रायोजित योजना में राज्य स्तर पर और चुनिंदा जिलों/ब्लाकों में आईआरपी सेलों की स्थापना के लिए उपघटक प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायक यूनिट शामिल हैं। 1991-92 तक चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 31 राज्य/संघशासित क्षेत्र स्तर के आईआरईपी सैलों और 252 जिला/ब्लाक आईआरईपी सैलों को मंजूरी दी जा चुकी है । विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की संस्थाओं में 1991-92 तक 36 राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है । एक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विकास केन्द्र दिल्ली में स्थापित किया जा चुका है तथा चार और क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की स्थापना गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में की जा रही है। आईआरईपी के लिए राज्य क्षेत्र घटक में परियोजना कार्यान्वयन, प्रदर्शन

विस्तार और विभिन्न ग्रामीण ऊर्जा संसाधनों एवं प्रौद्योगिकियों तथा राज्य सरकार द्वारा अपने संबंधित आई.आर.डी.पी. ब्लाकों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर आधारित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 100 ब्लाक प्रति वर्ष की दर से विस्तार करने का प्रस्ताव है। आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त है। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को भी मैंने पूरी तरह पढ़ा है। मंत्रीजी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल जब भी उपलब्ध होगा, का वितरण कर दिया जायेगा।

मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए तीन ऊर्जा योजनाएं होंगी वे हैं—सौर ऊर्जा, पवन-चक्की ऊर्जा और गोबर गैस संयंत्र। इन कार्यक्रमों के विकास के लिए सरकार कितनी धन राशि का आबंटन कर रही है?

श्री एच. आर. भारद्वाज : जहां तक ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम का सवाल है, यह कार्यक्रम छठी योजना में मुख्य परियोजना के आधार पर शुरू किया गया था और इसके लिए 20 चुने हुए खण्डों को लिया गया था। उसके बाद, सातवीं योजना में, विभिन्न राज्यों में 252 खण्डों को चुना गया, जहां पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। और मेरे पास प्रत्येक राज्य में कार्य निष्पादन संबंधी ब्यौरा है। और यह कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें ऊर्जा तथा बायो-गैस संयंत्र और उन्नत-चूल्हा इन सभी को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में तथा राज्य कार्यक्रम के रूप में लिया गया था।

लेकिन जहां तक धन का प्रश्न है, मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि बहुत धन उपलब्ध नहीं है क्योंकि पांच छः वर्षों में मैं केन्द्रीय प्रायोजित योजना के वर्षवार आंकड़े दे रहा हूं—वर्ष 1986-87 में 64.95 लाख रुपए आबंटित किए गए थे, और वर्ष 1987-88 में 97.07 लाख रुपए दिए गए।

1988-89 में यह राशि 158 लाख रुपए थी, 1989-90 में 286 लाख रुपए, 1990-91 में 248 लाख रुपए और 1991-92 में यह राशि 398.73 लाख रुपए थी। जहां तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का संबंध है, मैं समझता हूं कि यह राशि इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। परन्तु राज्य के पास भी कुछ धनराशि है, जोकि आबंटित है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह भी काफी अपर्याप्त है, क्योंकि मैंने राज्यों के निष्पादन को भी देखा है। इस कार्यक्रम की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, आबंटित धनराशि अपर्याप्त रही है।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार सम्भवतः इस कार्यक्रम के बारे में उत्सुक नहीं है क्योंकि यहां जो उत्तर दिया गया है, उससे यह ज्ञात होता है कि केवल 252 जिला खण्डों में ही आई.आर.डी.पी. केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं। उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि फिलहाल कितने केन्द्र कार्यरत है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे मुझे बता सकते हैं कि राज्यों में कितने ऐसे केन्द्र कार्यरत हैं और उनको कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है। क्योंकि राज्य सरकारें

ही संसाधनों के लिए संघर्ष कर रही है और यदि उन द्वारा उल्लिखित 100 खण्डों में प्रतिवर्ष ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम शुरू किया जाना है कार्यक्रम के लिए दी गई अधिकतम राशि केवल 2·5 करोड़ रुपए ही है, तो क्या यह राशि इसके लिए पर्याप्त है? सरकार प्रतिवर्ष 100 खण्डों का यह लक्ष्य कैसे पूरा करेगी।

श्री एच. आर. भारद्वाज : लगभग 250 केन्द्र दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत हैं और मेरे पास निष्पादन-रिपोर्ट भी है, लेकिन यह एक बहुत विस्तृत दस्तावेज है। यदि माननीय सदस्यगण प्रत्येक खण्ड का ब्यौरा और वहां किए जा रहे कार्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें ब्यौरे दे सकता हूं। मेरे पास तत्सम्बन्धी ब्यौरे उपलब्ध हैं। लगभग 250 स्थापित किये गए अतिरिक्त केन्द्र, कार्यरत हैं। यह अलग बात है कि ये सारे के सारे केन्द्र समस्या के समाधान के लिए संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं।

आठवीं योजना में, मैं समझता हूं, एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा अगले पांच वर्षों के दौरान एक न्यूनतम कार्यक्रम के तौर पर लगभग 100 खण्डों को प्रति वर्ष लिया जायेगा। यह संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। सातवीं योजना के आरम्भ में यह संख्या 252 नहीं थी; यह कम थी। लेकिन यह 252 तक पहुंच गई थी। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार, इन खण्डों के कार्य निष्पादन के बारे में चर्चा करने जा रही है और मेरा विचार है कि अब आठवीं योजना में प्रति वर्ष 100 खण्डों को इस योजना में लेने का कार्यक्रम है।

कोयला परियोजनाएं

*810· **श्री एम. जी. रेड्डी :**
श्री रामकृष्ण कौंताला :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की कोयला परियोजनाओं के मामले में निर्धारित समयावधि और लागत में वृद्धि होने के कारण क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निर्धारित समयावधि में होने वाली वृद्धि को कम करने हेतु तत्संबंधी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन करने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यायगौड़) :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में कोयला परियोजनाओं में अधिक समय लगने और इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—भूमि अधिग्रहण में विलंब, विपरीत भू-खनन परिस्थितियां, कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं तथा उपकरणों की आपूर्ति में विलंब ।

(ख) और (ग) कोयला क्षेत्र मे परियोजनाओं की कार्य निष्पादन प्रक्रिया को कारगर बनाने, उनके क्रियान्वयन तथा प्रबोधन को दृष्टि में रखते हुए कोयला मंत्रालय ने कोयला परियोजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन के सभी संबंधित पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है । इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । समिति के सुझावों के आधार पर वर्तमान अन्वेषण प्रक्रिया में सुधार, आयोजन, मूल्यांकन, कार्यान्वयन तथा कोयला परियोजनाओं के प्रबोधन के संबंध में सभी कोयला कम्पनियों को मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

श्री एम. वी. रेड्डी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड ने देश में कोयला-भंडारों की उपलब्धता के बारे में कोई सूचना एकत्र की है, यदि हां, तो देश के प्रत्येक कोयला क्षेत्र में कोयले की अनुमानित उपलब्धता क्या है और सरकार देश में कोयला-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : यह प्रश्न विशेष तौर पर कोयला परियोजनाओं के बारे में है । मेरे पास इस समय वे सभी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है । मैं उन्हें यह आंकड़े दे दूंगा ।

श्री एम. वी. रेड्डी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस वर्ष जनवरी-फरवरी के दौरान सिंगरेनी कोयला खानों में कोयला-उत्पादन में कोई सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, सिंगरेनी कोयला खानों ने अपने इतिहास में अभी तक सर्वोत्कृष्ट निष्पादन किया है । इस वर्ष उन्होंने न केवल अपने लक्ष्य ही पूरे किए हैं, बल्कि प्रथम बार लक्ष्यों को भी लांघ लिया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विद्यालयों के लिए भूमि

800. श्री बलराज पासी :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यालयों के निर्माण हेतु आबंटित की गई भूमि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रति एकड़ क्या कीमत ली जा रही है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1990 और 1991 के दौरान कितने विद्यालयों को भूमि का आवंटन किया गया था;

(ग) प्रत्येक विद्यालय को कितनी भूमि का आवंटन किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने वाले हैं कि किसी विद्यालय के लिए आवंटित की गई भूमि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाया जाए ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सूचना संलग्न विवरण-*I* में दी गई है ।

(ख) और (ग) 1990 तथा 1991 के दौरान 27 विद्यालयों को आबंटित भूमि का क्षेत्रफल दर्शाने वाला विवरण-*II* संलग्न है ।

(घ) विद्यालयों को भूमि का आवंटन शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन/केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में किया जाता है। ऐसे आवंटनों के लिए निष्पादित पट्टों की शर्तों तथा निबंधनों के अंतर्गत विद्यालय स्थलों का किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करना निषिद्ध है।

विवरण–I

1–4–91 से 31–3–92 तक विद्यालयों हेतु प्रीमियम की भूमि दरें तथा भूमि किराया

(क) प्रयोजन	प्रीमियम प्रति एकड़	वार्षिक भूमि किराया
(i) स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे शैक्षिक एवं चिकित्सा संस्थान	10,000 रु० प्रति एकड़	प्रीमियम का 5%
(ii) मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के लिये	3.90 लाख रु० प्रति एकड़	प्रीमियम का 5%
(iii) पूर्णतया धर्मार्थ संस्थानों (जैसे धर्मार्थ अस्पताल, अनाथाश्रम, विद्यालय, इत्यादि) के लिये भूमि	पहले 2 एकड़ के लिये 10,000 रु० प्रति एकड़ तथा 2 एकड़ से अधिक भूमि के लिए 15.60 लाख रु० प्रति एकड़	प्रीमियम का 5%
(iv) समाज के निचले वर्ग की सहायता कर रहे तथा संस्थानों को चलाने भर के लिये शुल्क लेने वाले संस्थानों के लिये भूमि	पहले 2 एकड़ के लिये 3.90 लाख रू० प्रति एकड़ तथा 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिये अलग-अलग क्षेत्रों भिन्न में सांस्थानिक दर	प्रीमियम का 5%
(ख) अन्य संस्थान		
अंचल–I, केन्द्रीय दिल्ली	62,40,000 /- रुपये प्रति एकड़	
अंचल–II, दक्षिणी दिल्ली	46,80,000/- रुपये प्रति एकड़	
अंचल–III, पश्चिमी दिल्ली	39,00,000 /- रुपये प्रति एकड़	
अंचल–IV, उत्तरी दिल्ली	31,20,000 /- रुपये प्रति एकड़	
अंचल–V, पूर्वी दिल्ली	23,40,000 /- रुपये प्रति एकड़	
अंचल–VI, नरेला तथा अन्य बहिर्वर्ती कालोनियां	19,50,000/- रुपये प्रति एकड़	
तथा कुल प्रीमियम का 2 1/2% की दर से भूमि किराया		

(ग) विद्यालयों के लिए खेल के मैदान हेतु भूमि

प्रयोजन	प्रीमियम	वार्षिक भूमि किराया
(i) स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे खेल के मैदान	शून्य	प्रति वर्ष 1 रुपये के लाइसेंस शुल्क पर
(ii) अन्य द्वारा विद्यालयों हेतु चलाये जा रहे खेल के मैदान	शून्य	प्रति वर्ष 1000/- रु० प्रति एकड़ के लाइसेंस शुल्क पर

1-4-1992 से भूमि दरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण II

क्रम संख्या	समिति का नाम जिसे विद्यालय स्थल आवंटित किया गया है	क्षेत्र (एकड़ में)
1	2	3
	वर्ष 1990 के दौरान	
	पूर्वी अंचल	
1.	दिल्ली नगर निगम	1.0
2.	दिल्ली प्रशासन	5.0
3.	शान्तिजनक सचदेवा एजुकेशन सोसायटी	1.74
4.	सनातन धर्म शिक्षा संस्थान	3.23
	पश्चिमी अंचल	
5.	तुलसी मैमोरियल सोसायटी	1.5
6.	श्री गुरू सिंह सभा	4.0
7.	श्रीं एस० एस० मोता सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट	4.75
8.	विक्रम शिक्षा एजुकेशन सोसायटी	2.0
	उत्तरी अंचल	
9.	श्री गुरू तेग बहादुर पब्लिक स्कूल सोसायटी	4.0
10.	लारेंस रोड माडर्न एजुकेशन सोसायटी	0.25
11.	वर्धमान एजुकेशन सोसायटी	1.54
12.	युवा शक्ति एजुकेशन सोसायटी	3.46
	दक्षिणी अंचल	
13.	दिल्ली पब्लिक स्कूल	9.63
14.	सेंट जार्ज एजुकेशन सोसायटी	2.10
15.	सन डाउन एजुकेशन सोसायटी	1.48

1	2	3
	वर्ष 1991 के दौरान	
पूर्वी अंचल		
	16. आदर्श विद्या संस्थान	1.33
	17. नूतन विद्या मन्दिर . . .	1.5
	18. वैश्य एजुकेशन सोसायटी	1.8
	19. सेंट एन्ड्रूज ट्रस्ट एजुकेशन सोसायटी . . .	1.9
पश्चिमी अंचल		
	20. सचदेवा एजुकेशन सोसायटी	1.0
	21. वास्को एजुकेशन सोसायटी . .	1.82
	22. कटारिया एजुकेशन सोसायटी	2.0
	23. हेमकुण्ड एजुकेशन सोसायटी (अतिरिक्त भूमि) . .	0.5
उत्तरी अंचल		
	24. सनातन धर्म ट्रस्ट . . .	1.0
	25. बाल शिक्षा आवाम बौद्धिक स्कूल सोसायटी .	1.43
	26. क्रीसेन्ट पब्लिक स्कूल सोसायटी .	1.54
दक्षिणी अंचल		
	27. शिक्षा निदेशालय	1.0

दिल्ली विकास प्राधिकरण और समूह-आवास समितियों के बीच समझौता

*804. **श्री के. प्रधानी :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और सहकारी समूह-आवास समितियों के बीच चल रहे विवाद का न्यायालय से बाहर समझौता कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त विवाद के बारे में ऐसा समझौता होने की कोई संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं दी जा सकती है ।

सामग्री प्रबन्धन में स्नातक डिप्लोमा

*805. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैटीरियल मैनेजमेंट, मुम्बई सामग्री प्रबंधन में स्नातक डिप्लोमा दे रहा है जो केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने सामग्री प्रबंधन विभागों में नियुक्तियां करते समय इस प्रकार के डिप्लोमाधारियों को कोई वरीयता देते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित सामग्री प्रबंधन पाठ्यक्रम में स्नातक डिप्लोमा को केन्द्रीय सरकार के तहत शीर्ष पदों तथा सेवाओं के लिए भर्ती के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर से नीचे के पदों पर भर्ती केन्द्रित आधार पर नहीं की जाती है । विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियम बनाने और भर्ती पदोन्नतियों तथा तैनातियों के समय विभिन्न अर्हताओं को प्रोत्साहन तथा महत्व देने में सम्बद्ध प्रबंधकों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है । कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए व्यवसायीकरण मार्गदर्शक घटक है ।

केरल स्थित केन्द्रीय सरकार के श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

*807. **श्री थाइल जान अंजलोज :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय सरकार के श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायालयों में इस समय कितने औद्योगिक विवाद और अन्य मामले न्याय निर्णय के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) इन मामलों में न्याय निर्णय होने में विलंब के क्या कारण है; और

(ग) सभी लंबित मामलों को तत्काल निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) केन्द्र सरकार ने केरल राज्य में कोई भी औद्योगिक अधिकरण अथवा श्रम न्यायालय गठित नहीं किया है । केरल राज्य से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सी जी आई टी) एवं श्रम न्यायालय, बंगलौर तथा केरल सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों को निर्दिष्ट किए जाते है । उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल से संबंधित केवल एक औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार एवं औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर में लंबित है । 31-12-1991 तक केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित 86 औद्योगिक विवाद और 416 आवेदन केरल सरकार द्वारा गठित विभिन्न औद्योगिक अधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों में लंबित थे ।

(ख) मामलों को निपटाने में देरी के लिए सामान्यतया पता लगाए गए कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिक कार्यभार, वकीलों की अनुपस्थिति, सूचना प्रस्तुत करने के लिए

गए स्थगन आदेश, ऊपर के स्तर के न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश अथवा न्यायालय से बाहर मामलों को निपटाने के प्रयास आदि शामिल हैं ।

(ग) औद्योगिक विवादों का शीघ्र न्याय-निर्णयन करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्रवाई शामिल हैं :—

(1) संराधन तंत्र को बेहतर तथा सुदृढ़ बनाना ताकि अधिकांश मामलों का निपटान संराधन स्तर पर ही किया जा सके;

(2) श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरना;

(3) जहां कहीं संभव हो लोक अदालतें आयोजित करना ।

[हिन्दी]

कोयले की उपलब्धता

*811. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में "क" से "घ" तक की श्रेणी (उच्च कोटि) के कोयले के उपलब्ध होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या योजना तैयार की है;

(ग) देश में ऐसे कोयले का दिसम्बर, 1991 तक कितना भंडार पाया गया था;

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान इस कोयले के खनन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में कोयला निर्यात किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) भारतीय भू-सर्वेक्षण ने देश के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 1200 मीटर की गहराई के अंदर "ए" से "डी" ग्रेड के उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के कुल 42.41 बिलियन टन भंडार होने का अनुमान लगाया है । आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, सामान्य रूप से कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए कदमों के अलावा, भूमिगत तथा ओपेनकास्ट खानों से अच्छे किस्म के कोयले का उत्पादन किए जाने पर भी बल दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त एक निश्चित कार्यक्रम, इस्पात संयंत्रों को अच्छे किस्म के धुले हुए कोककर कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चित किए जाने के लिए भी शुरू किया गया है और इसके अलावा, विद्युत गृहों और अन्य विविध उपभोक्ताओं को अकोककर कोयले की सुधरी हुई किस्म की आपूर्ति किए जाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं । "ए" से "डी" ग्रेड के अकोककर कोयले के उच्चतम ग्रेड का कुल उत्पादन में वर्तमान 92 मिलियन टन के स्तर की तुलना में आठवीं योजना अवधि के अंत में लगभग 111 मि. टन की वृद्धि हो जाने की संभावना है ।

(ङ) वर्ष 1990-91 की अवधि के दौरान आयातित किए गए कोयले और कोक की मात्रा 5.996 मि. टन रही ।

[अनुवाद]

तैयार माल पर आयात शुल्क

*813. **प्रो. के. वी. थामस** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयार उत्पादों पर आयात शुल्क में की गई भारी कमी के कारण भारतीय उद्योगों को स्वदेशी बाजार में आयातित तैयार माल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार का कच्चे माल पर भी आयात शुल्क में कमी करने का विचार है ताकि भारतीय उद्योग स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) सामान्यतया, भारतीय रुपए की विनिमय दर में समायोजन तथा आयात-निर्यात नीति, 1992–97 में कुछ सामान के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण तैयार उत्पादों के आयात शुल्क में कमी किए जाने से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ख) और (ग) कच्चे माल और तैयार माल पर लागू सीमा शुल्क टैरिफ संरचना में यदि कोई विकार पाया जाता है तो सरकार उन्हें निरन्तर दूर करती रहती है ताकि घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वदेशी उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके ।

शहरी आवास विकास निगम की योजनाएं

*814. **श्री संदीपान भगदान थोरात** :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1992 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "हुडको फोर्स्ड टु पुट इट्स प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं कि सहकारी उद्यमों के माध्यम से शहरी गरीबों और निर्धारित आय वाले समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने हेतु बनाई गई शहरी आवास विकास निगम (हुडको) की व्यावहारिक योजनाओं वाले प्रस्तावों को सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो; और

(ग) आगामी पांच वर्षों के लिए शहरी आवास विकास निगम (हुडको) की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां । तथापि, यह सुस्पष्ट किया जाता है कि 1990-91 के दौरान हुडको द्वारा रिलीज किए गए 735 करोड़ रुपए की तुलना में, इसने 1991-92 के दौरान 833.57 करोड़ रुपए रिलीज किए और अतः, समाचार शीर्षक की रिपोर्ट न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है ।

हुडको को मुख्यतया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्गों और असुरक्षित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए राज्य अभिकरणों, सहकारी समितियों तथा अन्य पात्र संगठनों की स्कीमों का वित्त-पोषण करने में समर्थ बनाने के लिए, केन्द्र सरकार इसकी साम्यपूंजी में वार्षिक अंशदान के जरिए बजटीय सहायता तथा पूंजी बाजार और वित्तीय संस्थानों से निधियों की सुलभता तथा बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अभिकरणों से ऋण तथा अनुदानों के माध्यम से हुडको की सहायता कर रही है ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97 तक) के दौरान संसाधनों और योजना सहायता की उपलब्धता के अध्यधीन, हुडको की परिचालात्मक योजना के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार विचार किए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	ऋण मंजूरी लक्ष्य	ऋण रिलीज लक्ष्य
आवास	5800	4675
शहरी बुनियादी सुविधाएं	6075	4655
	11875	9330

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान

*815. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भावी 2001" राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना (दिल्ली के लिए संशोधित मास्टर प्लान) पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या क्षेत्रीय योजनाएं तैयार कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख ब्यौरा क्या है; और

(घ) 2001 तक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की संभावित जनसंख्या के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार का संशोधित मास्टर प्लान को किस प्रकार से कार्यान्वित करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली संदर्श 2001 के लिए वृहत योजना 1-8-1990 से लागू है । तब से दिल्ली की वृहत योजना 2001 में किए गए प्रावधान के अनुसार नई विकास संहिता और भू-उपयोग योजना को लागू किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पूर्वानुमानित जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित स्थानीय निकायों और दिल्ली प्रशासन के सहयोग से अर्द संरचना के प्रावधान हेतु कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई है ।

लघु उद्योग एककों के लिए बीमा योजना और विकास निधियां

*816. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब-हरियाणा-दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल ने सरकार से लघु उद्योग एककों के लिए एक व्यापक बीमा योजना शुरू करने और उनके विस्तार के लिए विकास निधियों का सृजन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्तावों पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) पंजाब-हरियाणा-दिल्ली वाणिज्यिक और उद्योग मंडल के ज्ञापन में लघु क्षेत्र की समस्याओं पर विशेष रूप से बीमा योजना तथा विकास निधि के संदर्भ में दिए गए सुझावों की भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण संबंधी समिति द्वारा जांच की जा रही है ।

असम में लघु उद्योग एकक

*817. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में इस समय लघु उद्योग के कितने एकक हैं;

(ख) इन एककों में कितने लोग/परिवार कार्यरत हैं;

(ग) इनके उत्पादों के विपणन हेतु क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या इनमें से कुछ एकक धीरे-धीरे रुग्ण होते जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) राज्य उद्योग निदेशक, असम सरकार और लघु उद्योग विकास संगठन (सीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पंजीकृत लघु उद्योग एककों की 31-12-1991 की संख्या 14,500 के लगभग थी ।

(ख) उद्योग निदेशक, असम द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार इन एककों में रोजगार की संख्या लगभग 87,000 है ।

(ग) भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार भण्डार खरीद कार्यक्रम के माध्यम से तथा राज्य विपणन अधिकरणों और उनके बिक्री केन्द्रों द्वारा लघु उद्योग के उत्पाद बेचने की व्यवस्था करके असम सहित लघु उद्योग एककों के उत्पादों के विपणन में सहायता देता है ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार असम में सितम्बर, 1990 के अंत तक रुग्ण लघु उद्योग एककों की कुल संख्या 4,448 थी ।

(ङ) असम के एककों सहित सरकार जीव्य रुग्ण लघु उद्योग एककों को पुनः जीवित करने हेतु निम्नलिखित तरीकों से सहायता प्रदान कर रही है :—

(1) समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किया जाना;

(2) सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तर की अंतर संस्थान समिति का गठन करना;

(3) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित नेशनल इक्विटी फण्ड; तथा

(4) रुग्ण लघु उद्योग एककों के उपचार हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित सीमान्त धन योजना।

लघु, अति लघु और ग्रामीण उपक्रमों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए नीति संबंधी जो उपाय 6-8-1991 को संसद में रखे गए थे उनका अनुसरण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के 9-12-1991 के ज्ञापन द्वारा एक समिति भी नियुक्त कर दी गई है, जिसका काम लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करना है ।

बंधुआ मजदूर आयोग

*818. **श्री के. पी. तंग्कावाल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ मजदूर आयोग स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बंधुआ श्रम आयोग के गठन के प्रस्ताव की विस्तार से जांच की गयी है । सरकार का विचार है कि इस व्यवस्था पर एक और आयोग गठित करना आवश्यक नहीं है । अपेक्षा इस बात की है कि बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का बेहतर कार्यान्वयन किया जाए । राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम को कार्यान्वित किए जाने को ध्यानपूर्वक मानीटर किया जा रहा है ।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संगोष्ठी का आयोजन

*819. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अक्तूबर, 1991 को विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो ने "कर्मशाला सुरक्षा" (वर्कशाप सेफ्टी) के बारे में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में क्या विचार व्यक्त किए गए और क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) ऐसी कर्मशालाओं में जहां विशेष रूप से बच्चे कार्य करते हों, सुरक्षा स्थितियों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा निर्देश जारी किए गए हैं/जारी किए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) संगोष्ठी की परिचर्चाओं से निम्नलिखित सुझाव सामने आए थे :—

(1) सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय मानक और कानून मजबूरी की बजाए अपनी इच्छा से ही किए जाने चाहिए ।

(2) औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा उपाय बाद में सोच कर जोड़ने की बजाए आयोजना बनाते समय ही शामिल किए जाने चाहिए ।

(3) कामगारों का प्रशिक्षण विशेष कर लघु उद्योगों में मजदूर संघों और सामाजिक कार्य में लगे संगठनों के जरिए किया जाना चाहिए ।

(4) गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपकरण के डिजाइन में बदलाव किया जाना चाहिए ।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संगठनों के जरिए सुरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ।

(6) आम जनता में प्रचार के जरिए सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए ।

(ग) कारखानों में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की व्यवस्था कारखाना अधिनियम, 1948 में की गई है। इस अधिनियम में बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध मौजूद हैं । हालांकि, कारखाना अधिनियम के उपबंधों का पालन करने की जिम्मेदारी कारखानेदार की है, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन उपबंधों का कारखानों द्वारा अनुपालन कराने के लिए जिम्मेवार हैं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के तहत नियम बनाने की भी शक्ति दी गई है ।

अमृत बाजार और नादर्न इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद के कर्मचारियों की भविष्य निधि

8337. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अमृत बाजार और नादर्न इण्डिया पत्रिका" इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) के प्रबन्ध मंडल ने अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि अंशदान के रूप में जुलाई 1987 से एकत्र की गई 65 लाख रुपए की राशि जमा नहीं कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा तत्काल क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोपार) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि जुलाई 1987 से जुलाई, 1991 की अवधि के लिए अमृत बाजार और नार्दन इंडिया पत्रिका के प्रबन्धतंत्र की ओर भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों के अंशदान के रूप में 31,84,822·50 रुपए (इकत्तीस लाख, चौरासी हजार आठ सौ बाईस रुपए पचास पैसे) बकाया है;

(ग) से (ङ) बकाया दरों की वसूली के लिए प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कोठियों में लानों का रख-रखाव

8338. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) नई दिल्ली की सरकारी कोठियों से लगे उद्यानों और लानों के रखरखाव का वर्ष-वार विगत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक बजट क्या था;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों के मकानों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ग) इस तरह की सेवाओं के लिए गृह-धारकों से वर्ष-वार कितनी धनराशि की वसूली की गई; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसी सेवा "न लाभ न हानि" के आधार पर प्रदान करने पर विचार किया है;

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उद्यान और लानों के रख-रखाव पर हुआ वर्षवार व्यय इस प्रकार है :—

(रूपए लाख में)

1988–89	1989–90	1990–91
302.20	319.80	377.00

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बंगलों, कार्यालय परिसरों, उच्चतम न्यायालय, संसद भवन आदि से सम्बद्ध लानों के रख-रखाव तथा अनुरक्षण के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उद्यानों और लानों का रख-रखाव अपने सामान्य कार्य-कलापों के भाग के रूप में किया जाता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास पत्रिका

8339. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लोगों द्वारा किए गए कृषि अनुसंधानों को पेटेन्ट करने की कोई योजना है;

(ख) क्या ग्रामीण विकास पत्रिका केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित होती है और ग्रामीण लोगों को अनुसंधान कार्य करने के लिए लाभ नहीं मिल पाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) :

(क) जी नहीं।

(ख) ग्रामीण विकास पत्रिका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) की द्विमासिक पत्रिका है जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। इसके अलावा, संस्थान प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में द्विवार्षिक पत्रिका "ग्रामीण विकास समीक्षा" प्रकाशित करता है जिसमें ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधानों संबंधी मौलिक लेखन शामिल होता है।

ग्रामीण विकास पत्रिका तथा ग्रामीण विकास समीक्षा ग्रामीण विकास पर अनुसंधान कार्य में लगे अधिकांश कार्यकर्त्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य लोगों तक पहुंचती है तथा ये काफी उपयोगी साबित हुई हैं। इन दो शैक्षणिक पत्रिकाओं के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास संस्थान वार्षिक आधार पर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में "रिसर्च हाइलाइट्स" नामक पत्रिका को भी प्रकाशित करता है। इनका निःशुल्क वितरण किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

सहकारी आवास समूह समितियों की सदस्यता

8340. श्री दी. एल. शर्मा प्रेम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी आवास समूह समितियों के रजिस्ट्रार ने सदस्यों से यह स्पष्ट करने के लिए लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है कि 1967 से पहले भी वे दिल्ली के निवासी थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :

(क) और (ख) सहकारी समितियों के पंजीयक ने सूचित किया है कि सहकारी आवास समितियों के उप-नियमों के अनुसार समिति का सदस्य बनने के समय सदस्य को दिल्ली का निवासी होना चाहिए। सदस्यता के बारे में विशेष शिकायत प्राप्त होने पर सदस्यों से इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि सदस्यता की प्रमाणिकता या अन्यथा शिकायतों की जांच की जा सके।

[हिन्दी]

गुजरात में कोयले की कमी

8341. श्री नारायण भाई जमनाभाई राठवा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजकोट क्षेत्र में कोयले की सबसे अधिक कमी है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात को कुल कितना कोयला दिया गया तथा इसमें से जनजातीय क्षेत्र छोटा उदयपुर को कितना कोयला दिया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार छोटा उदयपुर को 1992-93 के दौरान और अधिक कोयला प्रदान करने का है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) से (घ) विद्युत, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेल द्वारा कोयले के प्रेषण को प्राथमिकता के कारण गुजरात राज्य में गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में कुछ कमी रही है। किन्तु कोयला कम्पनियों को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे रेल अथवा सड़क द्वारा संयोजनों के कम से कम 50% तक की मात्रा में गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चित करें।

कोयला कंपनियां किसी विशिष्ट जिले के लिए कोयले के प्रेषण के अलग से आंकड़े नहीं रखती हैं। उनके द्वारा केवल राज्यवार कोयले के प्रेषणों के आंकड़े रखे जाते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान कोल इंडिया के स्रोतों, गुजरात को आपूर्ति किए गए कोयले की कुल मात्रा 1990-91 में 14.602 मि. टन और अप्रैल, 91 से जनवरी, 92 तक 12.096 मि. टन है। चालू वर्ष के दौरान गुजरात को किए जाने वाले प्रेषणों की मात्रा में और वृद्धि किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

भविष्य निधि भुगतान से छूट

8342. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रुग्ण स्वायत्तशासी निकायों को भविष्य निधि बकायों का भुगतान करने की छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सम्बद्ध विभाग ने नेशनल कंज्यूमर कोआपरेटिव फेडरेशन लाक इण्डिया लिमिटेड जैसे निकायों से भविष्य निधि का बकाया प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकारी भविष्य निधि आयुक्त को इसके सम्बन्ध में कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :

(क) जी. हां नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भविष्य निधि बकाया की वसूली करने के लिए रूग्ण स्वायत्त निकायों सहित चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध समुचित दांडिक कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने अपने कर्मचारियों के संबंध में फरवरी, 1992 तक के भविष्य निधि कटौतियां जमा करवा दी हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। कर्मचारियों के संघ ने भविष्य निधि अंशदानों की बढ़ी हुई दरों का भुगतान न करने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। उनके अभ्यावेदन की कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है और यह पाया गया है कि सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार प्रतिष्ठान द्वारा बढ़ी हुई दरों पर अंशदान की अदायगी की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।

राज्यों को पेयजल

8344. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुएं खोदने के लिए किन-किन राज्यों को चुना गया है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धि हुई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) :

(क) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल हेतु कुएं खोदने के लिए सहायता नहीं दी जाती है। शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित मरूभूमि विकास कार्यक्रम जिसे राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के गर्म मरूस्थलीय राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के शीत मरूस्थलीय राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है के अंतर्गत सिंचाई के प्रायोजन हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिये सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण करना एक अनुमेय गतिविधि है। इसे जल संसाधन विकास कार्यक्रम की क्षेत्रीय गतिविधि के तहत शामिल किया गया है जिसके लिए कुल उपलब्ध निधियों में से 20 प्रतिशत निधियां रखी जाती हैं।

दस लाख कुओं की योजना, जो कि जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना है के अंतर्गत गरीबों, छोटे तथा सीमांत किसानों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को सिंचाई कुएं मुफ्त मुहैया करवाए जाते हैं। दस लाख कुओं की योजना पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत खर्च की गई राशि तथा निर्मित कुओं की संख्या क्रमशः 1739.74 लाख रुपए तथा 13,357 हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के संघ का सम्मेलन

8346. श्री बी. एन. रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के संघ के प्रतिनिधियों का सर्वप्रथम सम्मेलन 9-10 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें पारित किये गये प्रस्तावों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन, जिनका आयोजन 9 एवं 10 मार्च, 1992 को किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सृजित क्षमता के इष्टतम उपयोग, निर्यात से प्राप्त आय की तुलना में आयात प्रतिस्थापन को प्राथमिकता, प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, गहन कर संग्रहण, निरर्थक व्ययों पर रोक, आंतरिक एवं बाह्य उधारों का स्थगन आदि जैसे वैकल्पिक नीतिगत पहल के बारे में सुझाव दिया गया था। बहरहाल, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार करते समय सरकार इन सुझावों को ध्यान में रखेगी।

आटोमोबाइल का उत्पादन

8347. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 तथा 1989-90 के दौरान आटोमोबाइल्स का कितना उत्पादन हुआ, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान यदि इनके उत्पादन में कोई कमी हुई हो, उसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) और (ख) जैसा एसोसिएशन आफ इण्डियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा सूचित किया गया है, आटोमोबाइल का उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

	1989-90	1990-91
यात्री कार	178669	181416
मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन	76572	86831
हल्के वाणिज्यिक वाहन	47907	56877
जीपनुमा वाहन	43196	37369
तिपहिए	83752	89488

इस प्रकार आटोमोटिव वाहनों के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन 1989-90 की अपेक्षा 1990-91 के दौरान सामान्यतः अधिक है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका श्रमिक प्रणाली

8348. **श्री मोहन रावले :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और मुम्बई हवाई अड्डा जैसे कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका श्रमिक प्रणाली पर रोक लगाने के बावजूद यह प्रणाली अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए श्रमिक संघों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :

(क) से (घ) एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाईन्स, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथारिटी आफ इण्डिया के सम्बन्ध में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जबकि 1986 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया था तब से ही केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार बन गई थी। ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के खण्ड 10 में निहित संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिष्ठानों में से किसी भी प्रतिष्ठान में झाड़ू लगाने, सफाई करने तथा चौकीदारी जैसे कार्यों के लिए ठेका श्रमिकों को लगाने को केन्द्र सरकार प्रतिषिद्ध नहीं करती है ।

सरकारी कर्मचारियों को दण्ड

8349. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान कितने सरकारी कर्मचारियों को सेवामुक्ति निष्कासन तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया; और

(ख) इस प्रकार का भारी दंड देने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) और (ख) उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या के संबंध में जिन्हें पदच्युति, सेवा से हटाए जाने तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति दी गई है, सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है, चूंकि ऐसी शास्तियां अधिरोपित करने के अधिकार का प्रयोग संगत अनुशासनिक नियमों में निर्दिष्ट किए अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है । शास्ति केवल उपयुक्त एवं पर्याप्त कारणों से लगाई जाती है । शास्ति की मात्रा प्रत्येक मामले में कदाचार की गम्भीरता तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अधीन दण्डाधिकारों का प्रयोग

8350. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितने मामलों में दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और अपने "विकसित क्षेत्र" के अन्तर्गत आने वाले गांवों के लाल डोरे का दुरूपयोग करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अधीन अपने दण्डाधिकारों का प्रयोग किया;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

चमड़ा परिष्करण एकक

8351. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के चमड़ा परिष्करण केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में सभी चमड़ा परिष्करण केन्द्रों के अधिग्रहण का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यम चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुओं का विनिर्माण एवं विपणन कर रहे हैं और उनका पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में है ।

(ख) वर्तमानतः सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान के सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकास कार्य

8352. प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न सरकारी क्षेत्र के एककों में पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में नए सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ) 31-3-1991 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे छः उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय राजस्थान

राज्य में स्थित है। गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान स्थित उद्यमों द्वारा निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं हाथ में ली गई थीं :—

(1) रामपुरा अगूचा खान
(2) चन्द्रपुरा सीसा-जिंक प्रदावक
(3) सोडियम सल्फेट संयंत्र
(4) लौह युक्त नमक संयंत्र

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नए उपक्रमों की स्थापना का निर्णय, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रख कर किया जाता है। आठवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

अत्यंत लघु क्षेत्र के लिए "पैकेज"

8353. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अत्यंत लघु क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र को मिलने वाली सभी रियायतें और प्रोत्साहन अत्यंत लघु क्षेत्र को भी उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि आधारित अत्यंत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अत्यंत लघु क्षेत्र के लिए पैकेज के ब्यौरे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं।

राज्यों की कार्यक्रम कार्यान्वयन रिपोर्ट

8354. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की सत्यता जांच करने के लिए कोई एजेन्सी गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी एजेन्सियां किस आधार पर संबंधित रिपोर्ट की सफलता का मूल्यांकन करती हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना

8355. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना न करने तथा दिल्ली के आसपास के उन नगरों का समान विकास न करने के क्या कारण हैं जो दिल्ली में भीड़ को कम करने में सामरिक, औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार समुचित विकास हेतु मोहन नगर और साहिबाबाद को दिल्ली के क्षेत्रीय और राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उल्लेख राष्ट्रीय क्षेत्रीय योजना बोर्ड अधिनियम 1985 में किया गया है। क्षेत्रीय योजना -2001 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली महानगरीय क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के नगरों के संतुलित विकास की अभिकल्पना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूखण्डों का आवंटन

8356. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या शहरी विकास मंत्री 4 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1165 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन सहकारी सामूहिक आवास समितियों/गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूची का ब्यौरा क्या है जिन्होंने दिनांक 31 मई, 1984 को नियम 77 के अन्तर्गत जारी किए गए निर्देश के उल्लंघन करते हुए सदस्यों की सूची का पूर्व सत्यापन किए बिना ही भू-खण्डों/फ्लैटों का आवंटन कर दिया है;

(ख) किन सहकारी समितियों ने सत्यापन करने के पहले ही भू-खण्डों/फ्लैटों का आवंटन कर दिया था किन्तु बाद में सहकारी समितियों के पंजीयक से सदस्यों की सूची स्वीकृत करा ली थी; और

(ग) किन सहकारी समितियों के पास प्रतीक्षा सूची अभी तक शेष है और वे भूमि के आवंटन की मांग कर रहे हैं ।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :

(क) पंजीकार, सहकारी समितियों के कार्यालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, संलग्न विवरण में उल्लिखित दस सहकारी सामूहिक आवास समितियों ने दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 1973 के नियम 77 के अन्तर्गत जारी किए गए दिनांक 31-5-84 के निदेश पत्र में यथा अपेक्षित सदस्यता के सत्यापन के बिना ड्रा निकाला है । निदेश केवल सामूहिक आवास समितियों के विषय में लागू है ।

(ख) आनन्द लोक को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्रम संख्या	सामूहिक आवास समिति का नाम
1.	मधुबन
2.	आनन्द लोक
3.	डा. जाकिर हुसैन मैमोरियल
4.	शिवालिक
5.	डी.टी.सी. इम्पलाईज
6.	टी.ए.बी.
7.	सुप्रीम
8.	गेवा सम्पदा
9.	नव रचना
10.	केदार

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

8357. **श्री मृत्युंजय नायक :**
श्री मदन लाल खुराना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश के भुगतान हेतु मध्यस्थता बोर्ड ने बहुत पहले अवार्ड दिए थे परन्तु इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) क्या वर्ष में एक बार एक महीने के मूल वेतन के आधे वेतन के बराबर ब्याज रहित ऋण देने और पेंशन कोष बनाने, पेंशन के कम्यूटेशन के लिए परिवार की परिभाषा में समानता और पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा योजना शुरू करने संबंधी चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) सेवा में रहते हुए अर्जित छुट्टी के नकदीकरण तथा अधिवर्षिता के समय पर अर्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में विवाचन बोर्ड द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों पर तत्संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) आधे महीने के मूल वेतन के बराबर ब्याज रहित अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ।

चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की । पेंशन निधि, जिसमें सरकार और कर्मचारियों दोनों का अंशदान हो, जो पहले ही सरकार के विचाराधीन था, के बारे में वेतन आयोग ने केवल यह टिप्पणी की थी कि ऐसी स्कीम को बनाते समय सरकार को आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ पहलुओं पर विचार करना होगा और एकरूपता लानी होगी । वेतन आयोग ने यह सुझाव दिया कि पेंशन के संराशिकृत भाग की 7 वर्ष की अवधि के बाद बहाली करने की एक स्कीम को लागू करने की संभावना की सरकार द्वारा जांच की जाए ।

पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में वेतन आयोग ने सुझाव दिया कि पेंशनभोगियों के लिए सरकार द्वारा एक विशेष बृहत चिकित्सा योजना आरम्भ करने की कार्यविधि पर विचार किया जाए । इन टिप्पणियों/सुझावों पर सरकार ने समुचित रूप से ध्यान दिया है । सरकार ने निर्णय किया है कि विभिन्न नियमों में "परिवार" की परिभाषा के संबंध में वर्तमान स्थिति और संराशीकरण योजना में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है ।

[अनुवाद]

बरामदों में खिड़कियां लगाकर उन्हें कमरे में बदलना

8358. श्री मुमताज अंसारी :

क्या शहरी विकास मंत्री 9 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6144 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष 193 मामलों से संबंधित कार्य अब तक पूरा कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग) 193 मामलों में से 173 मामलों में ग्लेजिंग कार्य पूर्ण हो गया है । शेष 20 मामलों में कार्य प्रगति पर है और इसके जुलाई, 1992 में पूर्ण हो जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किया गया निर्माण कार्य

8359. डा. वाई. एस. राजेश्वर रेड्डी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में, गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किए गए निर्माण कार्य के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए परिवर्तित कार का आयात

8360. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विकलांग व्यक्तियों विशेषत: युद्ध में विकलांग सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों की सुविधा और मांग के लिए कर मुक्त किसी परिवर्तित कार के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कारों का आयात और स्वदेशी निर्माण शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. कुरियन) : (क) सरकार ने कर मुक्त किसी परिवर्तित कार के आयात को अनुमति नहीं दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (घ) मैं मारूति उद्योग लि. द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए यात्री कारों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें विकलांग व्यक्तियों द्वारा नियंत्रण किए जाने की व्यवस्था है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त व्यक्तियों को डी.डी.ए. फ्लैट

8361. श्री विजय नवल गाबा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिसम्बर, 1991 तक उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र मांगे थे जिनके नाम रोहिणी आवासीय योजना में प्लाटों के आवंटन हेतु डी.डी.ए. में दर्ज थे;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कितने प्लाट आवंटित किए गए है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और

(घ) इन प्लाटों को कब तक आवंटित कर दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) प्राप्त हुए 182 आवेदनों में से 172 को पात्र पाया गया है और योजना के अंतर्गत उनकी अग्रता संख्या के अनुरूप भूखंड दिए जाएंगे । आवश्यक मुख्य और परिधीय सेवाएं पूर्ण हो जाने पर भूखंडों का कब्जा दिया जाएगा । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अर्द्ध संरचना उपलब्ध होने पर सभी पात्र व्यक्तियों को आठवीं योजना के अंत तक आवंटन किया जाएगा ।

असम को केन्द्रीय निवेश राजसहायता

8362. श्री प्रदीप डेका :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय निवेश राजसहायता संबंधी असम के दावे केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना के अन्तर्गत असम सरकार को दावों की 5.36 करोड़ रु. की राशि की अदायगी की गई। 19.29 लाख रु. की राशि के दावों के संबंध में, राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। निधियां उपलब्ध होने पर इनमें से पात्र दावों में अदायगी कर दी जायेगी।

(हिन्दी)

पेट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों आदि को भूमि का आवंटन

8363. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों, लाइट डीजल आयल और मिट्टी तेल एजेंसियों को आवंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इस समय कितनी भूमि उपलब्ध है;

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान बिना पारी के आवंटन के 21½ प्रतिशत कोटे के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों के कितने मकानों के लिए भूमि उपलब्ध करायी है;

(ग) इस भूमि का श्रेणीवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरिता बिहार और वसंत कुंज में किन्हीं कारणों से जनता श्रेणी और एल.आई.जी. श्रेणी के कुछ मकान आवंटित न किए जाने की वजह से खाली पड़े हैं; और

(ङ) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यरत आवास आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कोई शिकायत मिली है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) फिलहाल दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास गैस एजेंन्सियों, लाइट डीजल आयल अथवा मिट्टी के तेल की एजेंन्सियों का आवंटन करने के लिए कोई स्थल उपलब्ध नहीं है। द्वारका परियोजना क्षेत्र में 4 पेट्रोल पम्पों के स्थल उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान बिना बारी के कोटे के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 152 फ्लैट्स/नियतन उपलब्ध हुए थे। वर्ष 1992-93 के लिए बिना बारी के कोटे के अन्तर्गत कोई भी फ्लैट उपलब्ध नहीं हुआ है।

(ग) श्रेणीवार तथा इलाकेवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास विभाग में आवास आयुक्त के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हुई है ।

विवरण

स्व वित्त योजना	श्रेणी–II	श्रेणी–III
1. द्वारका	—	41
2. द्वारका	65	—
3. जसोला	—	9
4. जसोला	11	—
5. गाजीपुर	—	1
6. गाजीपुर	3	—
	79	51

न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना

	जनता
1. पंचशील	1
2. पीतमपुरा	4
	5

निम्न आय वर्ग

1. पीतमपुरा	5
2. मदनपुर खादर	3
	8

मध्यम आय वर्ग

1. पुल पहलादपुर	7
2. झिलमिल	2
	9

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के नये एकक

8364. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर नये एककों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) क्या राजस्थान में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के नये एककों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु राजस्थान के किन स्थानों का चयन किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को प्लाटों का आवंटन

8365. सूर्यनारायण यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सावन पार्क की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को 32 वर्ग मीटर के प्लाट आवंटित करने हेतु कई मांग पत्र जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मांग पत्र जारी किए गए थे और डी.डी.ए. को कितनी धनराशि दी जानी थी तथा इस भुगतान हेतु निर्धारित आवास कितनी थी;

(ग) उन आवंटियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी कुल धनराशि किश्तों में चुका दी है; और

(घ) जिन लोगों ने अपनी सारी किस्तें चुका दी है उन्हें कब्जा पत्र कब तक जारी कर दिए जाने की सम्भावना है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को सूचना के अनुसार झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को 1988 में 921 मांग पत्र जारी किए थे । मांग पत्र में निर्धारितानुसार भुगतान शर्तें इस प्रकार है :—

प्रति भूखण्ड कुल प्रीमियम—15,045.00 रुपये

प्रीमियम की प्रथम किश्त—3,045.00 रुपये

ब्याज सहित 12,000/- रुपये की शेष राशि का भुगतान चार तिमाही किस्तों में किया जाना है ।

(ग) और (घ) जिन व्यक्तियों का डटा निकाला गया था जांच पड़ताल करने के पश्चात् 482 व्यक्ति आवंटन हेतु पात्र पाए गए थे परन्तु, उच्च न्यायालय से स्थगनादेश के कारण उनको कब्जा नहीं दिया जा सका ।

अनाज के डीलरों को लाइसेंस दिया जाना

8366. श्री जीवन शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने खाद्यान्न डीलरों को लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली प्रशासन के पास कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लाइसेंस शीघ्र जारी कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 20-4-1992 को दिल्ली खाद्यान्न तिलहन विक्रेता लाइसेंसिंग आदेश, 1980 के अन्तर्गत जारी किए गए कुल 1114 थोक बिक्री लाइसेंस लागू थे और 187 आवेदनों के संबंध में कार्यवाही की जा रही थी ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि लाइसेंसों का जारी किया जाना एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है तथा आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान किया जाता है ।

[हिन्दी]

राजनीतिक दलों के नाम बकाया लाइसेंस शुल्क

8367. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए सरकारी भवनों के लिए वर्ष 1991 तक उनके नाम किराया अथवा लाइसेंस शुल्क के रूप में कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) किराया और मरम्मत तथा अन्य परिवर्तनों के लिए उनके नाम बकाया धन-राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बकाया राशियों को बट्टे खाते डालने का है; और

(घ) यदि नहीं तो इस धन-राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) संलग्न विवरण को देखें।

(ख) मरम्मत तथा परिवर्तन से सम्बन्धित कोई देय धनराशि बकाया नहीं है।

(ग) और (घ) इन सभी मामलों में पार्टियों को देय राशि का भुगतान करने को कहा गया है। कुछ मामलों में लोक परिसर (संपदा) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन कानूनी कार्रवाई भी आरंभ की गई है। किसी भी देय राशि को "बट्टे खाते" में डालने का प्रश्न तब उत्पन्न होगा तथा उस पर विचार किया जाएगा जब कानूनी कार्रवाई सहित देय राशि को वसूल करने के सभी अन्य प्रयास विफल हो जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	राजनैतिक दल का नाम	आवंटित आवास का विवरण	3-12-1991 की स्थिति के अनुसार देय धनराशि
1	2	3	4
1.	लोक दल	सूट नं. 1, वी० पी० हाऊस	रु० 2,309.00
2.	जनता दल	सूट नं० 43, वी० पी० हाऊस	रु० 510.00
3.	जनता पार्टी	सूट नं० 115, वी० पी० हाऊस	रु० 175.00
4.	समाजवादी पार्टी	सूट० नं० 16, 17, 104, तथा 80, नम्बर 40, वी० पी० हाऊस	रु० 1,32,851.00
5.	स्वतन्त्र पार्टी	सूट नं० 203 वी० पी० हाऊस	रु० 16,831.00
6.	अखिल भारतीय अन्ना द्रविण मुनेत्र कड़गम पार्टी	सूट नं० 513 वी० पी० हाऊस	रु० 3,139.00
7.	संयुक्त समाजवादपार्टी संसदीय पार्टी	सूट नं० 20 वी० पी० हाउस	रु० 1,860.00
8.	कांग्रेस (आई) संसद में	सेक्टर IV/209 आर० के० पुरम, नई दिल्ली	रु० 240.00
9.	वही	सेक्टर-IV/181 आर के० पुरम, नई दिल्ली	रु० 240.00
10.	वही	सेक्टर-IV/892 आर० के० पुरम, नई दिल्ली	रु० 240.00

1	2	3	4
11.	कांग्रेस (आई०) संसद में	781, लक्ष्मी बाई नगर नई दिल्ली	रु० 420.00
12.	वही	74 बी/एस–IV/डी० आई० जैड एरिया	रु० 305.00
13.	वही	87–वाई० /एस IV डी० आई० जेड एरिया	रु० 92.00
14.	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, (आई०) (श्री जे० एन० मिश्र)	12, पार्क, लेन,	रु० 300.00
15.	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई०)	3, रायसीना रोड	रु० 58,934.00
16.	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी	5, रायसीना रोड	रु० 9,41,210.00
17.	दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई०)	2 तालकटोरा, रोड,	रु० 1,63,230.00
18.	जनता दल (समाजवादी)	16, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	रु० 5000.00
19.	जनता दल (समाजवादी)	13, विंडसर पैलेस	रु० 8,500.00
20.	लोक दल (ए) . .	15, विंडसर पैलैस	रु० 1,25,084.00
21.	लोक दल (बी)	3, पं० पन्त मार्ग	रु० 1,13,960.00

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण-उपक्रमों के लिए आयोग

8368. **श्री रतिलाल वर्मा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा तैयार करने के लिए अब तक कितने आयोग गठित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक आयोग की सदस्य संख्या कितनी थी और उसके विचारार्थ विषय क्या थे;

(ग) प्रत्येक आयोग को गठित करने के क्या कारण थे;

(घ) प्रत्येक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नया आयोग गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे उपक्रमों का ब्यौरा एकत्र करने के लिए, अब तक कोई आयोग गठित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) और (च) इस संबंध में सरकार के पास किसी आयोग के गठन संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। वहरहाल, नई औद्योगिक नीति से श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न समस्याओं तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा पहले ही एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की जा चुकी है।

कोयला की सप्लाई

8369: **श्री साईमन मरांडी :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के धनबाद जिले में भारत कोकिंग कोल लि. के बासटकोला क्षेत्र सं. 9 में कोयले की खुली बिक्री के अंतर्गत हाल ही में अनियमित ढंग से किए गए कोयले के आवंटन के संबंध में जिला प्रशासन के आदेश से जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसे कितने मामलों की जांच कर रहा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) और (ख) धनबाद के उपायुक्त के आदेशों पर झरिया पुलिस थाने ने कोयले की खुली बिक्री किए जाने के अंतर्गत कोयले के अनियमित आवंटन में 13 फर्मों और बी.सी.सी.एल. के 2 भूतपूर्व अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 5-2-92 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या 68 दर्ज की। बाद में पटना उच्च न्यायालय की रांची खण्डपीठ ने एफ. आई. आर. को निरस्त कर दिया।

(ग) और (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में फालतू पुर्जों को बदलना

8370. **डा. पी. दक्षिणा मूर्ति :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में खान-टो में कई फालतू पुर्जों को बदल दिया गया है जबकि वास्तव में एक भी पुर्जा नहीं बदला गया और एक करोड़ रुपए के फालतू पुर्जे वापस सप्लाईकर्ताओं को बेच दिए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बदले गए सभी पुराने फालतू पुर्जों को भलीभांति खाते में दर्ज कर दिया गया है और इन्हें प्रक्रियानुसार निपटान हेतु स्टाक में ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का समूचे मामले में जांच के आदेश देने का विचार है; और

(च) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) विभिन्न पैकेजों से संबंधित आरोपों से संबंधित एक शिकायत जिसमें प्रश्न में संदर्भित शिकायत भी शामिल है, जुलाई, 90 में प्राप्त हुई थी।

(ख) खान के परिवहन विभाग में, अन्य बातों के अलावा निम्न के संबंध में आरोप लगाया था, (क) पेट्रोल/डीजल गाड़ियों के लिए कलपुर्जों की खरीद ऊंची दरों पर गई है, (ख) क्रेटर-पिल्लरों, पाइलेयर्स और डांजर्स के लिए क्रालर यार्ड से कलपुर्जों को बदलने के लिए भंडार से नए कलपुर्जे लिए गए परन्तु उन्हें गाड़ियों में नहीं लगाया गया और उक्त गाड़ियां खराब पड़ी रहीं।

इन सभी आरोपों की जांच करने के लिए एन.एल.सी. द्वारा एक तथ्य परक जांच समिति गठित की गई। तथापि, समिति उपरोक्त आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सकी।

(ग) जी, हां।

(घ) निकाले गए पुराने कलपुर्जों को हिसाब में रखा गया और उन्हें पुनः प्रयोग हेतु पुनरुद्धार/खराबी ठीक करने के लिए वापिस रखा गया और जहां वो पुनरुद्धार के काबिल नहीं थे वहां प्रक्रिया के अनुसार बिक्री द्वारा निपटान करके अथवा जहां आवश्यक हुआ उनका प्रभावी रूप में निपटान किया गया। प्रतिस्थापना के कार्यों के लिए भुगतान तभी किया गया जब सभी पुराने कलपुर्जे वापिस लिए गए और उनकी संगणना कर ली गई तथा इस आशय के एक प्रमाण-पत्र का अभिलेखन कर दिया गया।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मकानों और दुकानों का जाली आवंटन

8371. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में मकानों और दुकानों का जाली आवंटन किए जाने सम्बन्धी दस्तावेज गायब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाये गए अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :

(क) से (ग) मकानों/फ्लैटों/दुकानों के जाली आवंटन संबंधी दस्तावेजों के गायब होने का कोई मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में नहीं आया है।

डी.आई.जेड. एरिया में सरकारी क्वार्टरों के रखरखाव का ठेका

8372. **श्री राजवीर सिंह :**
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.आई.जेड. एरिया, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के रखरखाव के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने पूछताछ कार्यालय हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) कितने ठेकेदारों को इसका ठेका दिया गया था;

(ग) क्या एक ही कार्य के लिए दो बार ठेका दे दिया गया और वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) डी.आई.जेड. एरिया में निम्नलिखित 7 पूछताछ कार्यालय हैं :—

(1) पूछताछ कार्यालय हैवलाक स्क्येअर ।

(2) पूछताछ कार्यालय "जे" ब्लाक, मंदिर मार्ग।

(3) पंचकुइयां रोड में 720 टाईप-1 मकानों के लिए 56/665, 667 टाइप-1 मकानों में सेवा केन्द्र।

(4) सैक्टर-1 पेशवा रोड में सेवाकेन्द्र।

(5) सैक्टर-11, ब्लाक सं. 19, पेशवा रोड में सेवा केन्द्र।

(6) 34/399, अल्वर्ट स्क्वेअर, पेशवा रोड में सेवा केन्द्र।

(7) सैक्टर-4 टाईप-बी में ब्लाक 13 के सामने शिवाजी स्टेडियम के पीछे सेवा केन्द्र।

(ख) 1991-92 के दौरान कुल 93 ठेकेदारों को ठेका दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में लंबित पट्टे के कागजात

8373. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निवासियों, विशेषरूप से नई दिल्ली के पंचकुइयां रोड के निवासियों को पट्टे के कागजात जारी करने के मामले कई वर्षों से दिल्ली विकास प्राधिकरण के उप निदेशक (भूमि) और निदेशक तथा आयुक्त के कार्यालय में लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं;

(ग) क्या संसद सदस्यों ने ऐसे मामलों की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन मामलों को अब तक न निपटाये जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त मामलों को निपटाने का है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ) लिंक रोड के दाहिनी ओर सरकारी भूमि पर अनधिवासियों के अभ्यावेदन संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित किए गए थे। इन अभ्यावेदनों में ऐसे अनधिवासियों को अनधिवासित भूमि पट्टे पर देते हुए विनियमित करने का अनुरोध किया गया है। ये अनधिवासी सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से व्यापार कर रहे हैं। वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि के अनधिकृत उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती और सरकारी भूमि के ऐसे अनधिकृत वाणिज्यिक अतिक्रमण को विनियमित करने की कोई नीति नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अभ्यावेदनों पर निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और आवेदकों तथा संसद सदस्यों को उपयुक्त उत्तर भेज दिए गए हैं।

बी.सी.सी.एल. में सेवा से निकाले गए लोग

8374. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. में विगत तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी से लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के आरोप में कितने कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश व्यक्ति छोटा नागपुर के जनजाति और आदिवासी हैं और ये लोग भुखमरी के कगार पर हैं और जीविकोपार्जन के लिए भटक रहे हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्य से लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने के कारण में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. तथा भा.को.को.लि. से 1134 व्यक्तियों को नौकरी से हटाया गया।

(ख) और (ग) इनमें से अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं।

इन व्यक्तियों की कठिनाइयों को देखते हुए उनकी पुनः तैनाती के संबंध में अपीलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। इसी तरह से 550 व्यक्तियों की पहले ही पुनः तैनाती कर दी गई है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की उपस्करों को पट्टे पर देने की योजना

8375. श्री मोहन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की उपस्करों को पट्टे पर देने की प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अपने उपस्करों को पट्टे पर देने संबंधी योजना के अन्तर्गत वित्तीय रूप से अर्थक्षम लघु औद्योगिक इकाइयों से कितना घाटा होने की संभावना है;

(ग) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को मशीनरी और उपस्करों के कुल मूल्य की 30 प्रतिशत राशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है जबकि उपस्कर पट्टे पर देने संबंधी योजना के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों को शतप्रतिशत वित्त पोषण किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस बात की पुनरीक्षा करने और इसे सुनिश्चित करने का है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की उपस्करों और वाणिज्यिक वाहनों को पट्टे पर देने की योजना को अब आर्थिक और तकनीकी रूप से अर्थात् यूनिटों पर भी लागू किया जाये; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अनुसार उपकरण लीजिंग योजना लघु उद्योग क्षेत्र को अति आवश्यक सुविधाएं दिलाने के लिए निगम द्वारा आरंभ की गयी थी। मुख्य रूप से यह योजना विद्यमान जीव्य लघु उद्योग एककों के लिए है और निम्नलिखित लाभों के साथ सहायता प्रदान करती है :—

(1) उद्यमी लोग उद्योग निदेशक/जिला उद्योग केन्द्रों की मार्फत आने की बजाए सीधा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को ही आवेदन देते है जिससे समय की काफी बचत होती है।

(2) यह 100% वित्त दे सकता है ।

(3) यह आयातित मशीनों के लिए एकल बिन्दु सेवा प्रदान करता है ।

(4) बैठक में हर महीने आवेदनों पर विचार किया जाता है।

(5) पूरे पांच वर्ष तक रा.ल.उ.नि. को दिये गये किराये पर लघु उद्योग एककों को कर में रियायत मिल सकती है।

(6) पूंजीगत सामान खरीदने के लिए यह चुनिंदा और प्रतिष्ठित आपूर्तिकारों की तलाश करने में यह लघु उद्योग एककों की सहायता करता है।

(7) लीज उपकरण तुलन पत्र में देयता के रूप में नहीं आते।

(ख) उपकरण लीजिंग योजना इस प्रकार तैयार की गई है कि इससे विद्यमान जीव्य लघु उद्योग एककों को आधुनिकीकरण/उत्थान और विविधीकरण के कार्य में सहायता मिले। अभी हाल ही में, निगम ने इस योजना का लाभ नए स्थापित उन सेवा उद्योगों को भी देना आरम्भ कर दिया है जो लघु उद्योग पंजीकरण के लिए पात्र है। किन्तु यह निगम एक योजना पहले से ही चला रहा

है जिसके अधीन इसकी किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत नए औद्योगिक एककों को वित्त दिया जाता है और यह योजना इस प्रकार के नए एककों के लिए अधिक उपयुक्त रहती है चूंकि उक्त योजना के अधीन ऋण के भुगतान हेतु मोहलत दी जाती है।

(ग) निगम की किराया-खरीद के अधीन बदाने की राशि 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच होती है। उपकरण लीजिंग योजना के अधीन उन विद्यमान लघु उद्योग एककों को 100% वित्त दिया जाता है जो कम से कम पिछले 2 वर्ष से कार्यरत है । इस योजना के अधीन पट्टेदार को 3 महीने का किराया (विशेष उपकरणों के लिए छः महीने का किराया) अग्रिम देना पड़ता है जो पट्टे की अवधि समाप्त होने पर समायोजित कर लिया जाता है।

(घ) और (ङ) विद्यमान उपकरण लीजिंग योजना के अधीन केवल संयंत्र और मशीनें आ सकती है । वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह योजना लागू करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यह निगम पूर्णतः केवल संयंत्र और मशीनों के लिए ही दीर्घ अवधि के लिए ही ऋण देने का काम करता है। चूंकि लीजिंग योजना में किराया देने के लिए मोहलत की कोई अवधि नहीं होती इसलिए निगम को किराए के भुगतान के मामले में नए एककों की अपनी जिम्मेदारी निभाना कठिन होता है । इस प्रकार, नए एकक तत्काल दोषी हो सकते है और निगम की वसूलियां रुक सकती है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पद

8376. डा. लाल बहादुर राबल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े है;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े है; और

(ग) सरकार ने इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए है अथवा उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) से (ग) 31-3-91 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 12,149 पद रिक्त पड़े थे। इन बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था तथा 1-3-92 तक 5,599 रिक्तियां भरी जा चुकी है। भर्ती की प्रक्रिया जारी है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए वे जोरदार प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये है। इन कदमों में आयु सीमा के संबंध में छूट देना, परीक्षा शुल्कों मे रियायतें देना, साक्षात्कारों में उपस्थित होने के लिए यात्रा-खर्चों की प्रतिपूर्ति करना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अलग से साक्षात्कार लेना, विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को शामिल करना आदि, शामिल है । सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सीधी भर्ती में आरक्षण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

[अनुवाद]

विदेशी नागरिकों द्वारा पेंशन लेना

8377. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जिन्होंने बाद में विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है सरकार से पेंशन पाने से वंचित कर दिए गए हैं;

(ख) क्या विदेशी सरकारों ने भी भारतीय नागरिकों को पेंशन देने से वंचित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) .

(क) जहां तक केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा शासित सिविलियन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा रेलवे कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू तदनुरूपी नियमों का संबंध है उन्हें विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत सरकार की पेंशन लेने से वंचित नहीं किया जाता है। भारत के सशस्त्र सेना के पेंशनरों के मामले में नियमों में यह व्यवस्था है कि जब कोई पेंशनर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या संपूर्ण पेंशन अथवा उसके किसी भाग को समाप्त किया जाए ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन बस्तियों से विकास प्रभार की मांग

8378. **श्री जंगवीर सिंह :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजन बस्तियों के रूप में जानी जाने वाली अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों को बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकास प्रभार से मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम के जल आपूर्ति और मल-जल व्ययन संस्थान ने अम्बेडकर नगर एक्सटेंशन, हैदरपुर दिल्ली के निवासियों से विकास प्रभार की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. अरूणाचलम) :

(क) से (ग) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान की सूचना के अनुसार ग्रामीण गांवों की हरिजन बस्तियों में, विकासात्मक प्रभारों की वसूली किए बिना विशेष संघटक योजना के अंतर्गत, जल आपूर्ति, की व्यवस्था की गई है । किसी प्रकार की मल व्ययन सुविधाएं नहीं

पहुंचाई गई है । तथापि, अम्बेडकर नगर एक्सटेन्शन (हैदरपुर) के निवासियों को संस्थान द्वारा पानी के व्यक्तिगत कनेक्शन प्रदान करने के लिए विकास प्रभार जमा करने के लिए कहा गया है क्योंकि यह कालोनी एक हरिजन बस्ती नहीं है ।

पेट्रो रसायन क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करना

8379. श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रो रसायन क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) कितने एककों को लाइसेंसमुक्त करने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) :

(क) और (ग) उद्योग मंत्रालय द्वारा 25-7-1991 को जारी अधिसूचना की अनुसूची-।। में खतरनाक रसायनों के अधीन उल्लिखित मदों को छोड़कर पेट्रो-रसायन क्षेत्र में अधिकांश मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) यह नई औद्योगिक नीति के मूल दृष्टिकोण के अनुसार किया गया है ।

महिलाओं को रोजगार

8380. श्री पी. सी. कासियापेरुमल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रोजगार कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित वर्तमान पंजीकरणों के अनुसार बेरोजगार शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) शिक्षित महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :

(क) 31-12-1990 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाली शिक्षित महिलाओं (मैट्रिक और उससे ऊपर) की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, रोजगार पर अत्यधिक बल दिया गया है, तथा योजना में रोजगार अवसरों, जिनमें शिक्षित महिलाओं के लिए भी अवसर शामिल हैं, के सृजन में वृद्धि की परिकल्पना की गई है । विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसरों तक शिक्षित महिलाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए उन्हें विभिन्न कौशल प्रदान करने के उपायों की भी परिकल्पना की गई है ।

विवरण

31-12-1990 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाली शिक्षित महिलाओं (मैट्रिक एवं ऊपर) की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	31-12-1990 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या (हजारों में)
1. आंध्र प्रदेश	289.0
2. अरुणाचल प्रदेश	0.1
3. असम	140.0
4. बिहार	142.8
5. गोवा	21.9
6. गुजरात	91.4
7. हरियाणा	64.9
8. हिमाचल प्रदेश	67.2
9. जम्मू और कश्मीर	9.3
10. कर्नाटक	159.3
11. केरल	1079.3
12. मध्य प्रदेश	278.7
13. महाराष्ट्र	334.9
14. मणिपुर	38.2
15. मेघालय	4.6
16. मिजोरम	4.2
17. नागालैंड	4.2
18. उड़ीसा	76.8
19. पंजाब	113.4
20. राजस्थान	49.7
21. सिक्किम*	
22. तमिलनाडु	560.0
23. त्रिपुरा	18.2
24. उत्तर प्रदेश	164.9
25. पश्चिम बंगाल	633.4
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.3
27. चंडीगढ़	24.5
28. दादर व नगर हवेली	0.4
29. दिल्ली	154.00
30. दमन और दीव**	
31. लक्षद्वीप	शून्य
32. पांडिचेरी	21.1
योग :	4549.8

टिप्पणी :—1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

3. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं ।

सरसों के तेल का उत्पादन

8381. श्री सी. पी. मुद्दालगिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में सरसों के तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या हाल के वर्षों में इसका उत्पादन लगभग दुगना हो गया है;

(ग) किन-किन राज्यों में इस तेल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है; और

(घ) सरसों के तेल के उत्पादन को और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरसों के तेल का कुल उत्पादन निम्नवत् रहा है :—

वर्ष	उत्पादन लाख मी. टन में
1988-89	14.45
1989-90	13.60
1990-91	17.00

(ख) 1990-91 में सरसों के तेल का अनुमानित उत्पादन 1986-87 के उत्पादन का लगभग दुगुना है ।

(ग) जिन राज्यों में इस तेल (तिलहन के रूप में) का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, वे हैं—राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश ।

(घ) सरसों और तदनुसार तेल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय ये हैं :—

(1) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन संवर्द्धन परियोजना नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का, जो 1989-90 तक चल रही थीं, 1990-91 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक एक ही योजना में विलय कर दिया गया । इस योजना के जरिए वस्तुतः राज्यों को विशेषकर सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के संदर्भ में उत्तम किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण, पौध संरक्षण उपाय, जिनमें पौध संरक्षक रसायनों और उपकरणों की आपूर्ति शामिल है, करने और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है ।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजनाओं को सहायता देना ।

(3) उत्पादन, संसाधन और प्रबंध संबंधी सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को काम में लाने के लिए मई, 1986 में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना ।

(4) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना ।

(5) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना ।

[हिन्दी]

तुगलकाबाद किले की भूमि पर अतिक्रमण

8382. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल :**
श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद किले की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) उक्त अतिक्रमण के कब तक हटाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण

8383. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिग्रहीत की गई भूमि की मुआवजा राशि तय करने हेतु क्या मानदंड है;

(ख) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान केन्द्रीय परियोजनाओं हेतु कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ग) क्या सभी मामलों में अब तक मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) बिना और विलम्ब किए मुआवजे का भुगतान कराने हेतु तुरन्त क्या कदम उठाये गये है/उठाये जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) :

(क) अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए मुआवजे की राशि के निर्धारण का आधार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23 और 24 में निहित सिद्धान्त हैं। इनमें भूमि का बाजार मूल्य जैसाकि अधिनियम की धारा 23(1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, अधिग्रहण के अनिवार्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ऐसे बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा तथा धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से कलेक्टर के अवार्ड की तारीख तक अथवा भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, जो भी पहले हो, प्रतिवर्ष 12% की दर से अतिरिक्त राशि का भुगतान शामिल है ।

(ख) से (च) केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण किए गए क्षेत्र के बारे में सूचना और उसके लिए मुआवजे के भुगतान की निगरानी नहीं की जाती है । जब भी किसी केन्द्रीय परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है तो आमतौर पर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/

विभाग उस राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजता है, जहां परियोजना को चलाने का प्रस्ताव है और राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिए भूमि का अधिग्रहण संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यों को सौंपे गए कार्यों के अनुसार किया जाता है।

यद्यपि, अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अवार्ड के आधार पर इच्छुक पात्र व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया जाता है, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे भूमि अधिग्रहण के मामलों में मुआवजे का समय पर भुगतान करने हेतु समुचित उपाय करें।

विलम्ब की दशा में, जब भूमि का कब्जा लेने अथवा उससे पूर्व मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता अथवा उसे जमा नहीं किया जाता तो धारा-34 के अंतर्गत पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत की दर से और उसके पश्चात् कब्जा लेने के समय से लेकर जब तक राशि का भुगतान नहीं किया जाता अथवा उसे जमा नहीं किया जाता, तब तक की अवधि के लिए प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्रमिकों के उत्प्रवास के बारे में समझौता

8384. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों को विदेशों में भेजने हेतु हाल ही में कुछ देशों के साथ समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन और अन्य सुविधाओं के बारे में भी समझौतों में उपबंध रखे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन और अन्य सुविधाओं के बारे श्रमिकों को भेजने का विचार है तथा उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर ये श्रमिक कार्य करेंगे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रूपन सिंह घाटोवार) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंगापुर द्वारा भारत में पूंजी निवेश

8385. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर ने भारत में पूंजी निवेश करने में कोई रूचि दिखाई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) और (ख) मार्च, 1992 के अंतिम सप्ताह के दौरान सिंगापुर के उपप्रधान मंत्री तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल के दौरे से भारत में सिंगापुर की

दिलचस्पी का पता चलता है । दौरे के दौरान भारत तथा सिंगापुर के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु क्षेत्रों का पता लगाया गया । सिंगापुर ने हमारी आर्थिक नीति के उदारीकरण में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई है जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ावा मिलेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुए घाटे

8386. डा. परशुराम गंगवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से निरन्तर घाटा हो रहा है;

(ख) ऐसे प्रत्येक उपक्रम को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार का इन घाटों के कारणों का पता लगाने हेतु एक समिति का गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नामों तथा इनमें से प्रत्येक उपक्रम द्वारा गत तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989--90 तथा 1990-91 के दौरान निरन्तर उठाए गए घाटे का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1990-91 के खण्ड-1 के पृष्ठ संख्या वि. 47 से लेकर वि. 49 तक विवरण संख्या 7 "ख" में दिया गया है, जिसे 5-3-1992 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था ।

(ग) और (घ) घाटा उठा रहे उपक्रमों को विभिन्न रूपात्मकताओं के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से पुनः सक्षम बनाया जाना है तथा ऐसे प्रत्येक उद्यम को, जो रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, उपयुक्त पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाना अपेक्षित है ।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश के लिए सलाहकार समिति

8387. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी निवेश संबंधी सलाह देने हेतु एक सलाहकार समिति गठित करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सलाहकार समिति के कब तक गठित किए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. फुंरियन) :

(क) से (ग) सरकार ने विदेशी निवेश संबंधी मामलों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को सलाह देने के उद्देश्य से 17 मार्च, 1992 को एक सलाहकार दल गठित किया है । इस संबंध में जारी किया गया सरकार का ज्ञापन विवरण-1 और 2 के रूप में संलग्न है ।

विवरण-1

सं. 9(19)/91-एफ.सी.(1)

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1992

ज्ञापन

विषय :—**विदेशी निवेश संबंधी मामलों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को सलाह देने के लिए एक सलाहकार दल का गठन करना ।**

सरकार ने 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य रखा था । इस वक्तव्य के पैरा 39 ख (5) में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ समझौता-वार्ता करने और चुनिंदा क्षेत्रों में सीधे विदेशी निवेश को मंजूरी देने के लिए एक विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन करने की व्यवस्था है । इस उपबंध के अनुसरण में, सरकार ने का. ज्ञा. सं. 9(19)/91-एफ.सी.(1), दिनांक 22 अगस्त, 1991 के तहत् एक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) गठित किया है । (प्रति संलग्न)

2. सरकार ने अब विदेशी निवेश संबंधी मामलों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को सलाह देने के लिए एक दल गठित करने का फैसला किया है । यह सलाहकार दल निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(1) सरकार को सामान्यत: विदेशी निवेश संबंधी मामलों के बारे में सलाह देना;

(2) भारत तथा विदेश में व्यवसाय क्षेत्र में सरकार की नीति के प्रति जागरूकता एवं समझ विकसित करना;

(3) जहां कहीं आवश्यक हो विदेशी निवेशकों को उनके प्रस्तावों के उन पहलुओं, जो सरकार की नीति के अनुरूप नहीं हों, पर दिशा-निर्देश देना और उपाय सुझाना जिससे इन प्रस्तावों में संशोधन किया जा सके; और

(4) संगठित किए जाने वाले संवर्धनात्मक विषयों पर सलाह देना ।

3. सलाहकार समिति की संरचना इस प्रकार होगी :—

(1) अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ।
(2) अध्यक्ष, एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एसोकेम) ।
(3) अध्यक्ष, फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की)
(4) अध्यक्ष, फेडरेशन आफ एसोसियेशन्स आफ स्माल इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया ।
(5) अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, (आई.सी.आई.सी.आई.)।
(6) अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ।
(7) अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, (आई.एफ.सी.आई.) ।
(8) अध्यक्ष, निर्यात-आयात (एक्जिम), बैंक ।

ह./-
जी. सुंदरम्
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 3016587

विवरण-2

सं. 9(19)/91-एफ.सी.(1)

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड

सरकार ने 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य रखा था। इस वक्तव्य के पैरा 39 ख (5) में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ समझौता-वार्ता करने और चुनिंदा क्षेत्रों में सीधे विदेशी निवेश को मंजूरी देने के लिए एक विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन करने की व्यवस्था है। इस उपबंध के अनुसरण में, सरकार ने एक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड गठित करने का फैसला किया है। इस बोर्ड के उद्देश्य कार्य, संरचना तथा कार्य-विधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. उद्देश्य

2. इस बोर्ड का उद्देश भारत में अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उन परियोजनाओं में निवेश आमंत्रित करना और निवेश की सुविधा देना होगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी समझी जाती हैं और विदेशी निवेश प्रस्तावों के निपटान हेतु मौजूदा नीति के मार्ग-दर्शकों के भीतर नहीं आती हैं।

2. कार्य

3. बोर्ड के मुख्यत: निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) प्रस्तावों का तत्काल निपटान करना।

(2) भारत में उपयुक्त उद्यमों में निवेश करने के लिए चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ संपर्क स्थापित करना तथा इनसे निवेश आमंत्रित करना।

(3) बोर्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करना।

4. शुरू में, बोर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय फर्मों की लघु सूची तैयार करेगा जिन्होंने इस देश में निवेश करने में पहले ही से रुचि दिखाई है। बोर्ड इन फर्मों के संबंध में विस्तृत निवेश योजनाएं तैयार करने की कार्यवाही करेगा।

5. बोर्ड उन क्षेत्रों का पता लगाएगा जहां आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए निवेश अपेक्षित होगा।

6. निवेश के कार्यक्रम में निम्नलिखित भिन्न-भिन्न कार्यकलाप शामिल होंगे जैसे :—

— विनिर्माण करना,
— विपणन, डिजाइनिंग तथा निर्यात संवर्धन,
— ऊर्जा संरक्षण,
— प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण,
— बुनियादी सुविधाओं का विकास,
— कच्चे माल तथा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग,
— रोजगार में पर्याप्त वृद्धि।

7. बोर्ड निवेश कार्यकलाप को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग के संगठनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखेगा ।

8. बोर्ड अपने द्वारा विचार किए गए परियोजना प्रस्तावों के सभी पहलुओं हेतु सिंगल विन्डो क्लियरेंस उपलब्ध कराएगा ।

ह. एन. मानसिंह
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

3. संरचना

9. बोर्ड प्रधान मंत्री कार्यालय में स्थित होगा । इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :--

(1) प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव—अध्यक्ष
(2) वित्त सचिव
(3) वाणिज्यिक सचिव
(4) सचिव, औद्योगिक विकास ।

10. बोर्ड को सरकार के किसी अन्य सचिव, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के प्रतिनिधियों और उद्योग एवं वाणिज्य संबंधी पेशेवर विशेषज्ञों को चुनने का अधिकार होगा ।

4. कार्यविधि

11. बोर्ड प्रत्येक प्रस्ताव जिस पर विचार किया गया है, की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कार्य का अपना स्वयं का तरीका निर्धारित करेगा ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र का कार्यकरण

8389. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :**

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को उसके क्षेत्रीय केन्द्रों से किस तरह की सूचनाएं मिलती हैं :

(ख) कौन-कौन सी संस्थाएं/लोग ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने के पात्र हैं और ये सूचनाएं कितनी लागत पर उपलब्ध होती हैं;

(ग) क्या योजना आयोग का विचार इस तरह की सूचनाओं का उपयोग गैर-योजनागत प्रयोजन तथा संसदीय कार्य, विश्वविद्यालय अनुसंधान केन्द्रों, उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य आदि के लिए करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के **राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज)** :

(क) और (ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) अपने क्षेत्रीय केन्द्रों से कोई सूचना एकत्रित नहीं करता है । एन.आई.सी. केवल केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मुफ्त

कम्प्यूटर आधारित सहायता प्रदान करता है। यह इन प्रयोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे आंकड़े एकत्र करें और कम्प्यूटर में संग्रहीत करें। कम्प्यूटर में संग्रहीत आंकड़े/सूचना के स्वयं अपने प्रयोग के लिए सामान्यतः प्रयोक्ताओं की संपत्ति है। यह केवल प्रयोक्ता ही है जो निर्णय ले सकता है कि क्या और किन शर्तों के अधीन इस सूचना को किसी अन्य संगठन/संस्था/व्यक्ति विशेष को दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के अपने प्रयासों द्वारा निर्मित अथवा सूचना विक्रेताओं से वाणिज्यिक रूप से प्राप्त डाटाबेस को निकनेट पर उपलब्ध कराया जाता है और बिना प्रभार के सरकारी प्रयोक्ताओं द्वारा पुनः प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटर संचार नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराया जाता है फिर भी, पेटेन्टों जैसे कुछ वाणिज्यिक डाटाबेसों के मामले में लागत पर प्रभार लगाया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र डायल-अप टर्मिनल के द्वारा प्रमुख पुस्तकालयों, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा उद्योगों/वाणिज्य संघों को निकनेट संयोजन प्रदान करने के लिये योजना बना रहा है ताकि वे निकनेट पर उपलब्ध खुले डाटा-बेसों को प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की ऐसी सेवा लागत पर उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्र

8390. श्री राम बदन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के कारण तमिलनाडु में कुडनकुलम में 2000 मे.वा. परमाणु संयंत्र के बंद होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त संयंत्र को चालू रखने हेतु कुछ वैकल्पिक कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अलवा) :

(क) जी, नहीं। कुडनकुलम नामक स्थान पर कोई परमाणु विद्युत संयंत्र नहीं लगाया गया है और इसलिए संयंत्र को बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू करने में आगे और की जाने वाली प्रगति रूस संघ राज्य की नीतियों द्वारा निर्धारित कारकों पर निर्भर करेगी। अतः यह कार्य इस समय रुका पड़ा है और इस संबंध में भविष्य की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है।

(ख) प्रस्तावित परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने के प्रश्न के संबंध में लिए जाने वाले अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी जिसमें रूस संघ राज्य के साथ बातचीत करना शामिल है।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

बिहार में रक्षित और पृथककृत कोयला खानें

8391. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रक्षित और पृथककृत कोयला खानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां पर कोयले का खनन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) बिहार में ग्रहीत कोयला खानों का कार्यचालन टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि., इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि. और दामोदर वेली कारपोरेशन द्वारा किया जाता है। बिहार में ऐसी ग्रहीत खानों की संख्या निम्नलिखित है—टिस्को के पास 7, इस्को के पास 2 और दामोदर वेली कारपोरेशन के पास-1 खान है। निश्चित मानदंड और विस्तृत आंकड़ों के अभाव में खानों को छुटपुट रूप में वर्गीकृत किया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व अपेक्षित सूचना संग्रहण करके तथा पूरे तथ्यों का पता लगाए जाने के बाद ही व्यक्तिगत आधार पर लिया जा सकता है। किन्तु कोल इंडिया लि. का यह मत है कि उनके द्वारा बिहार में उत्खनित किए जाने वाली किसी भी कोयला खान को छुटपुट रूप में नहीं समझा जा सकता है।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने बिहार में बंद पड़ी कोलियरियों को खोले जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन किए जाने के लिए एक संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन किया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[अनुवाद]

ऊंट दौड़ के लिए अपहृत बच्चों की बिक्री

8392. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपहृत बच्चों को अरब देशों को ऊंट दौड़ के लिए बेचा/तस्करी से भेजा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एजाज रसूल घाटवाल) :

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार के मूल्यों में अंतर

8393. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार द्वारा बेची जा रही कई वस्तुओं के मूल्य में भारी अन्तर है;

(ख) क्या सुपर बाजार में बेची जा रही कुछ वस्तुओं जैसे कि हल्दी पावडर, मिर्च पावडर, काबली चना तथा मूंग के मूल्य इन्हीं वस्तुओं के केन्द्रीय भंडार के मूल्यों से कहीं अधिक हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार में बेची जा रही वस्तुएं घटिया किस्म की हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) जी हां । कुछ मामलों में मूल्य उंचे हैं ।

(ख) सुपर बाजार, दिल्ली और केन्द्रीय भंडार द्वारा बेची जाने वाली कुछ वस्तुओं के मूल्यों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ग) और (घ) सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि वे अपनी दालें और मसाले अपनी ही गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में पहले परख कर बेचते हैं, जबकि केन्द्रीय भंडार के पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है । सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि उनकी दालें और मसाले उपभोक्ताओं में गुणवत्ता के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं ।

विवरण

सुपर बाजार दिल्ली और केन्द्रीय भण्डार द्वारा बेची जाने वाली कुछ वस्तुओं के मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण—20-4-1992 की स्थिति

क्रम सं०	वस्तुओं के नाम		बिक्री मूल्य	
			सुपर बाजार	केन्द्रीय भण्डार
1.	दाल अरहर	1 कि० ग्राम	15.65	15.00
2.	मूंग छिलका	1 कि० ग्राम	16.00	15.20
3.	मूंग धुली	1 कि० ग्राम	16.95	16.20
4.	उड़द धुली	1 कि० ग्राम	12.70	12.50
5.	काबुली चना	1 कि० ग्राम	16.00	15.00
6.	आटा एगमार्क	10 कि०ग्राम	45.00	45.00
7.	चावल परमल	1 कि० ग्राम	6.75	6.45
8.	बेसन	1 कि० ग्राम	10.30	11.50
9.	जीरा	100 ग्राम	9.80	7.60
10.	हल्दी पिसी हुई	200 ग्राम	8.00	6.40
11.	गरम मसाला	100 ग्राम	11.00	—
12.	लाल मिर्च पिसी हुई	200 ग्राम	12.00	8.25
13.	धनिया पावडर	200 ग्राम	5.00	3.75
14.	चीनी	1 कि० ग्राम	9.30	9.10
15.	टाटा नमक	1 कि० ग्राम	3.00	2.95

[अनुवाद]

इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड को असम में बंद करना

8394. श्री उद्धव बर्मन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने उत्पाद की अनुकूल और प्रशंसनीय बिक्री पेश की है;

(ख) क्या इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में असम में अपने कार्य-कलाप और प्रतिष्ठान को बंद करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं ।

(ख) असम में इफको के प्रतिष्ठान को फिलहाल बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रैक्टरों और विद्युतचालित हलों के मूल्य

8395. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**
श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम में लाए जा रहे ट्रैक्टरों और विद्युतचालित हलों की राज्य-वार अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का 35 अश्वशक्ति तथा उससे कम क्षमता के ट्रैक्टरों और विद्युतचालित हलों के मूल्यों में कमी करने का विचार है ताकि वे मध्यमवर्गीय किसानों को सुलभ हो सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) ऐसी कोई सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है ।

(ख) ट्रैक्टरों और विद्युतचालित हलों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय बागान कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

8396. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लगभग कितने चाय बागान कामगार है;

(ख) क्या सरकार ने चाय बागान कामगारों के लिए कोई कल्याण योजनाएं शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान चाय बागान कामगारों की कल्याण योजनाओं के लिए कितनी निधि नियत की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दी

तकनीकी डिग्रियों में एप्रेंटिसशिप

8397. श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सभी तकनीकी डिग्री और डिप्लोमा धारकों को एप्रेंटिसशिप की सुविधा प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें प्रशिक्षण के बाद रोजगार के लिए कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) शिक्षुता अधिनियम, 1961 (1973 में संशोधित किया गया) के अधीन, इन्जीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे इंजीनियरिंग स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जो शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है । इनका प्रबंध एवं कार्यान्वयन कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास स्थित चार शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के माध्यम से किया जाता है । ये बोर्ड स्वायत्त संगठन है जिन्हें पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिया जाता है और ये औद्योगिक प्रशिक्षण विशेषज्ञों एवं निपुण व्यक्तियों के मार्गदर्शन के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण का संगठन और निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है ।

(ग) से (ङ) शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार, प्रतिष्ठान अपने यहां शिक्षुता प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद किसी तरह का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है । तथापि उन्हें प्रशिक्षण से लाभकारी रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है और सामान्यतः प्रतिष्ठान उन पर अपने नियमों/प्रावधानों के अनुसार रोजगार प्रदान करने के लिए विचार करते है ।

विवरण

स्नातक/डिप्लोमा शिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के बारे में शिक्षु अधिनियम के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विषय क्षेत्रों की सूची ।

1. सिविल इंजीनियरिंग
2. सिंचाई इंजीनियरिंग
3. जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग
4. स्ट्रकचुरल इंजीनियरिंग
5. डैम इंजीनियरिंग
6. हाइवे इंजीनियरिंग
7. कंस्ट्रक्शन टैक्नोलोजी
8. मैकेनिकल इंजीनियरिंग

9. प्रशीतन और वातानुकूलन
10. मशीन टूल टैक्नोलोजी
11. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
12. आटोमोबाइल इंजीनियरिंग
13. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
14. इलैक्ट्रोनिकी और दूर संचार इंजीनियरिंग
15. कम्प्यूटर इंजीनियरिंग
16. टैलिविजन इंजीनियरिंग
17. औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी
18. रेडियो और इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरिंग
19. न्यूक्लियर इंजीनियरिंग
20. एवियोनिक्स
21. मेटलर्जी
22. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग
23. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग
24. केमिकल इंजीनियरिंग
25. शुगर टेक्नोलोजी
26. मेरीन इंजीनियरिंग
27. नाटिकल इंजीनियरिंग
28. एरोनोटिकल इंजीनियरिंग
29. माईनिंग
30. प्लास्टिक टेक्नोलोजी
31. टैक्सटाईल कैमिस्ट्री
32. नेवल आर्कीटेक्चर
33. आर्कीटेक्चर
34. रीजनल एण्ड टाउन प्लानिंग
35. टैक्सटाइल टैक्नोलोजी
36. ग्लास टैक्नोलोजी
37. सिरमिक टैक्नोलोजी
38. सिलिकेट टैक्नोलोजी
39. फार्मास्यूटिकल साइंस
40. आयल एण्ड सोप टैक्नोलोजी
41. पिगमेंट एण्ड पेंट टैक्नोलोजी
42. डाइस्टफ टैक्नोलोजी
43. प्रिंटिंग टैक्नोलोजी
44. लेदर टैक्नोलोजी
45. लेदर गुड्स एवं फुटवियर मैनुफैक्चर

46. रबड़ टैक्नोलोजी
47. फूड टैक्नोलोजी
48. बायोकैमिकल इंजीनियरिंग
49. इंस्ट्रुमैंटेशन टैक्नोलोजी
50. पैट्रोलियम टैक्नोलोजी
51. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग
52. एप्लाईड जियोलोजी
53. एप्लाईड जियोफिजिक्स
54. जूट टैक्नोलोजी
55. पेपर टैक्नोलोजी
56. केटरिंग टैक्नोलोजी
57. प्लास्टिक इंजीनियरिंग
58. फाउण्डरी टैक्नोलोजी
59. साउण्ड इंजीनियरिंग
60. ग्राउण्ड वाटर इंजीनियरिंग
61. ड्रिलिंग इंजीनियरिंग
62. सिनिमेटोग्राफी
63. फिशरीज और नेवीगेशन
64. मैडिकल लेबोरेटरी टैक्नोलोजी
65. औद्योगिक इंजीनियरिंग
66. बुनाई प्रौद्योगिकी
67. सेक्रेटेरियल/वाणिज्यिक प्रैक्टिस
68. आंतरिक साज-सज्जा
69. पुस्तकालय विज्ञान
70. कास्ट्यूम्स डिजाइन और ड्रैस मेकिंग/गारमेंट प्रौद्योगिकी
71. फाइन आर्ट/स्कल्पचर/कमर्शियल आर्ट इत्यादि
72. कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स
73. पेलिमर टैक्नोलोजी
74. क्वेरी इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी
75. माइनिंग मशीन इंजीनियरिंग
76. मिनरल इंजीनियरिंग
*77. फैब्रिकेशन प्रौद्योगिकी
*78. परिवहन इंजीनियरिंग
*79. लकड़ी/टिम्बर प्रौद्योगिकी
*80. सुरक्षा इंजीनियरिंग
*81. हैंडलूम प्रौद्योगिकी

*82. प्लान्ट इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी

*83. शिप विनिर्माण प्रौद्योगिकी

*84. मानव निर्मित फाईबर प्रौद्योगिकी

*85. टूल इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी

*86. बायो-मैडिकल इंजीनियरिंग

*87. ऊर्जा इंजीनियरिंग

*क्र. सं. 77 से 87 तक विषय के संपिधिक आदेश भारत सरकार मुद्रणालय मायापुरी, नई दिल्ली के प्रकाशनाधीन हैं ।

[अनुवाद]

गंगाधर और आई.आई.टी. समितियों की रिपोर्ट

8398. डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त 1988 में, कालकाजी के ए-2 पाकेट के डी. डी. ए. फ्लैटों में आई बड़ी दरारों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त गंगाधर और आई.आई.टी. समितियों द्वारा क्या सिफारिशें की गई;

(ख) इन दरारों के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या इस संबंध में एक नई समिति नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणाचलम) :

(क) गंगाधर समिति ने यह सिफारिश की थी कि 10 ब्लाकों में 40 फ्लैट खतरनाक तथा मरम्मत के अयोग्य पाए गए थे इसलिए, इन्हें गिराने का सुझाव दिया गया । इन फ्लैटों का निरीक्षण करने के पश्चात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सिफारिश की है कि 10 ब्लाकों में से केवल 4 ब्लाकों में 16 फ्लैट मरम्मत योग्य नहीं है तथा इनको गिराना होगा जबकि, शेष 6 ब्लाकों की मरम्मत की जा सकती है तथा निरापद और वास-योग्य बनाया जा सकता है।

(ख) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कूड़ेदानों को तोड़ना

8399. श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम कूड़ादानों को तोड़कर ट्राली प्रणाली शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ट्रालियों में जगह बहुत कम होने के कारण कूड़ा ट्रालियों के बाहर सड़क पर बिखरा पड़ा रहता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं ।

(घ) कूड़ा-करकट कूड़ेदानों/डलावों के एरिया के भीतर बना रहता है । तथापि, डोमेस्टिक पिकर्स, उपयोगी वस्तुएं बीनते समय कूड़ादान डलाव के एरिया के बाहर कूड़ा-करकट फैलाते हैं । ऐसे एरिया के स्टाफ-प्रभारी के माध्यम से इसे रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

टाटा कम्पनी के स्वामित्व वाली कोयला खानें

8400. श्री लाल बाबू राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा कंपनी के स्वामित्व में कई कोयला खानें हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी खानों के अधिग्रहण का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) :

(क) और (ख) टाटा आयरन और स्टील कम्पनी (टिस्को) के अंतर्गत 7 कोलियरियां हैं— जिसमें 6 कोलियरियां धनबाद जिले के झरिया कोयला क्षेत्र में हैं और एक कोलियरी हजारीबाग जिले के बेस्ट बोकारो क्षेत्र में है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । टिस्को के अंतर्गत कार्यरत कोलियरियों का अधिग्रहण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

महाराष्ट्र का योजना व्यय

8401. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के लिए महाराष्ट्र सरकार के योजना व्यय हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई थी;

(ख) 1991-92 की इस वार्षिक योजना में महाराष्ट्र सरकार का योगदान कितना था; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) और (ख) 1991-92 के लिए महाराष्ट्र की वार्षिक योजना को 2500 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई थी जिसमें महाराष्ट्र सरकार से 1495.44 करोड़ रु. के योगदान की अपेक्षा की गई थी ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा (1991-92 के लिए) सूचित किये गये प्रत्याशित व्यय पर आधारित क्षेत्रवार संशोधित परिव्यय विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	विकास के शीर्ष	संशोधित वार्षिक योजना 1991–92 (प्रत्याशित व्यय)
1.	कृषि व सम्बद्ध सेवायें	196.86
2.	ग्रामीण विकास	335.99
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	41.96
4.	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	424.69
5.	ऊर्जा	783.56
6.	उद्योग व खनिज	90.06
7.	परिवहन	210.32
8.	संचार	—
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.30
10.	सामान्य आर्थिक सेवायें	58.59
11.	सामाजिक सेवायें	658.82
12.	सामान्य सेवायें	23.57
	कुल जोड़	2825.72

कोयला परियोजनाएं

8402. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कोयला परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है और इनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें समय पर पूरा करवाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) और (ख) जी, हां। 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार 20.0 करोड़ रु. तथा इससे ऊपर की लागत की 17 कोयला खनन परियोजनाएं अपने क्रियान्वयन कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं। भूमि अधिग्रहण में रूकावट तथा संबंधित पुनर्वास कठिनाइयों के कारण 8 परियोजनाओं में विलंब हुआ है, उपकरणों की आपूर्ति में देरी के कारण 3 परियोजनाओं में, विपरीत भू-खनन परिस्थितियों के कारण 3 परियोजनाओं में, खान मुहाना स्थापित करने में देरी के कारण 2 परियोजनाओं में तथा कोयला रख-रखाव संयंत्र का देरी से निर्माण किए जाने के कारण 1 परियोजना में विलंब हुआ है।

(ग) और (घ) कोयला मंत्रालय, इन विलम्बित परियोजना के कार्यान्वयन पर गहन निगरानी रखे हुए है तथा संबंधित राज्य सरकारों से लंबित पड़ी भूमि के मामलों पर तेजी से कार्रवाई किए जाने तथा उपकरण निर्माता को जल्दी ही उपकरणों की आपूर्ति/उपकरणों को चालू किए जाने से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। कोयला मंत्रालय ने इन परियोजना के सामरिक कार्रवाई क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया है तथा उसने कोयला कंपनियों को उचित सुधारात्मक उपाय किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन अनुवर्ती उपायों के किए जाने के फलस्वरूप ऐसी रूकावटें जोकि परियोजना की प्रगति को रोके हुए थीं, वे दूर की जा सकती हैं। इन 17 विलम्बित परियोजना में वर्ष 1990-91 में 10.04 मि. टन तथा वर्ष 1991-92 में 10.87 मि.टन (अनंतिम) कोयले का उत्पादन हुआ।

[अनुवाद]

गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने की नीति

8403. श्री बी. वेंकटराजन :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. एस. स्वामीनाथन फाउण्डेशन ने देश में बेरोजगारी और निर्धनता को समाप्त करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) और (ख) डा. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में शांति और खाद्य अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने चुनिंदा कृषि, बागवानी, रेशम उद्योग, पशु चिकित्सा, जलीय कृषि पर ध्यान केन्द्रित करने रोजगार तथा आय उत्पादन और निर्यात के लिए तैयार की गई कार्यनीति परिकल्पित की गयी है।

(ग) सरकार ने 1992-93 के बजट में एक स्वायत्त नियमित संस्था के रूप में लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ का गठन करने की घोषणा की थी जिसका वित्त पोषण भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक से किया जाएगा। संघ में विशिष्ट फसलों से संबंधित विभिन्न बोर्डों तथा कृषि और कृषि उद्योगों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र निगमों, निजी क्षेत्र कम्पनियों, बैंकों, वैज्ञानिक संगठनों और कृषक एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वर्ष 1992-93 के दौरान 12 बड़ी परियोजनाओं को आरंभ किये जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

पुणे में गैस का रिसाव

8404. श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 1992 को पुणे के निकट फैक्टरी में गैस रिसाव की कोई घटना घटी है;

(ख) देश में 1991 और 1992 में अलग-अलग ऐसी कितनी घटनाएं घटी;

(ग) इन घटनाओं में कुल कितने जान माल की क्षति हुई,

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जारी किये जाने वाले निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी रसायन उत्पादक कंपनियों की जांच कराये जाने के संबंध में प्रावधान करने के बारे में क्या कदम उठाये गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) :

(क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

दिल्ली में बच्चों की सप्लाई

8405. श्री पीयूष तीरकी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1992 के हिन्दी दैनिक जनसत्ता (दिल्ली) में, "डेल्ही में बच्चों की सप्लाई का धंधा जोरों पर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में, नई दिल्ली और दिल्ली रेलवे स्टेशनों के आस-पास और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर बाल श्रमिकों के क्रय-विक्रय/दलाली के संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :

(क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शहद पर आधारित उद्योग

8406. श्री एन. डेनिस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में शहद पर आधारित उद्योगों के विकास तथा इसे निर्यातोन्मुख उत्पाद बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण विकास

8407. श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए योजना परिव्यय कितना है और उसके अन्तर्गत कितने परिवारों को लाभान्वित करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) :

(क) और (ख) जी हां । हालांकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना चाहती है । इसके अनुसरण में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा जाएगा । प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (4) मरूभूमि विकास कार्यक्रम आदि को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुदृढ़ बनाना जारी रहेगा ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना परिव्यय और भौतिक कवरेज आदि को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

[हिन्दी]

शहरी भूमि-अधिकतम सीमा अधिनियम का उल्लंघन

8408. श्री रामलखन सिंह यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक एककों द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामले ध्यान में आए हैं और उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं; और

(ग) किन-किन औद्योगिक एककों को छूट दी गई थी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1976 सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्रशासित होता है । दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली में इस अधिनियम को

प्रशासित कर रहे सक्षम प्राधिकारी ने उपर्युक्त अधिनियम के उल्लंघन से सम्बन्धित किसी मामले की सूचना नहीं दी है ।

(ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गत 2 वर्षों के दौरान नगर भूमि (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत छूट दिए गए औद्योगिक मामलों की सूची

क्र. सं.	आवेदक का नाम	अधिकथ क्षेत्र (वर्ग मी. में)
1.	मैं. दुलारी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	542·33
2.	मैं. स्कोरपायस इन्टरनेशनल	1091·57
3.	मैं. पिकाडली होटेल्स प्रा. लि.	647·50
4.	मैं. पिकाडली होलीडे रिसोर्ट्स लि.	647·50
5.	श्री जोगेन्द्र सिंह	511·72
6.	मैं. मो. रहीस खान	45·16
7.	मैं. स्पेसीओनीक्स	10·75
8.	मैं विक्टोरिया सेप मिल्स	44·30
9.	मैं. एल. के. एम. इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि.	1·08
10.	मैं. गुरू नानक इंजी. कारपो.	20·91
11.	मैं. हवा प्रा. लि.	3932·54
12.	मैं. कमला टाइपफाउन्डरी	891·2
13.	मैं. आर. एस. इपलान्सेज प्रा. लि.	37·92
14.	मैं. राजधानी कोल्ड स्टोरेज	364·00
15.	श्री सर्बि सिंह	496·00
16.	मैं. सहानी इलैक्ट्रोनिक्स	925·11
17.	मैं. इन्डीयन फ्रेटवेज	208·20
18.	मैं यूनीवर्सल रबर कं.	157·86
19.	श्री गनपत राय	885·86
20.	मैं. यूनीवर्सल रेट रीडिंग कं.	474·64
21.	मैं. सोलर इन्टरप्राइजीज	488·87
22.	मैं. आर. के. इन्डस्ट्रीज़	885·86
23.	मैं. अमलू इंजी. प्रोडक्टस	1287·31
24.	मैं. सेनेटी एण्ड ग्लाइड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	
25.	मैं. कमला एल. दास	27·47
26.	श्री पूरन चन्द राठी	1413·77

क्र. सं.	आवेदक का नाम	अधिक्रय क्षेत्र (वर्ग मी. में)
27.	मैं. सोनल उद्योग प्रा. लि.	1402.17
28.	श्री प्रेम रत्न राठी	1329.23
29.	मैं. सतारा रबर्स एण्ड केमीकल्स	852.85
30.	श्री रामचन्द्र राठी	1470.45
31.	मैं. राठी इलेक्ट्रो स्टील्स लि.	1358.04
32.	मैं. गुडलेच सेल्स प्रा. लि.	1261.23
33.	मैं. मिडास कंजुमर प्रोडक्टस प्रा. लि.	889.65
34.	मैं. सुरिन्द्र सिंह सतारा एण्ड क. प्रा. लि.	852.65
35.	मैं. कमल इनवेस्टमेन्ट कं. प्रा. लि.	1470.45
36.	मैं. कन्सोलिडेटीड लेदर्स प्रा. लि.	852.65
37.	मैं. राठी आक्सीजन लि.	1476.58
38.	मैं. पिताम्बर स्टील प्रा. लि.	154.37
39.	श्री दलजीत सिंह साहनी	852.65
40.	श्री अरूण कुमार राठी	1227.42
41.	श्री गोवरधन कपूर	696.43
42.	श्री कमलेश राठी	1429.96
43.	मैं. रन वैल इंडीया प्रा. लि.	647.59
44.	श्री जसदेव सिंह	486.39
45.	मैं. के. जी. इन्डस्ट्रीज	444.61

गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

8409. श्री भेरू लाल मीणा :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण निजी क्षेत्र पर भी लागू होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये निदर्शों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पूंजी-संबंधी प्रयोजनों के लिए धन-राशि

8410. डा. अलीम बाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नकदी के घाटे को पूरा करने के लिए पूंजी संबंधी प्रयोजनों के लिए प्रदत्त धन-राशि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो अपवर्तन के इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) लेखा सिद्धान्त एवं परम्परा के अनुसार पूंजी सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए प्रदत्त धनराशि का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नकद घाटे को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास

8411. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) जी, नहीं । राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग और बड़े तथा मझोले उद्योग क्षेत्र में स्थापित नए औद्योगिक एककों की संख्या नीचे दी गई है :—

1989-90—23836
1990-91—26390
1991-92—28388

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य की वार्षिक योजना के लिए धनराशि देने हेतु राज्यों को "ब्लाक सहायता" के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है । किन्तु, उद्योग और खनिज क्षेत्र (ग्राम्य और लघु उद्योगों सहित) हेतु पिछले पांच वर्षों के लिए मध्य प्रदेश के लिए किए गए योजनागत आबंटन नीचे दिए गए हैं :—

1987-88	88-89	89-90	90-91	91-92
5453	6538	6168	8166	9332

केन्द्र सरकार ने छह विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन कर दिया है और अब तक पांच विकास केन्द्रों के लिए 8 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है। छठे विकास केन्द्र की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अतिरिक्त धनराशि जारी किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली जमीन को खाली कराने के लिए दिशा निदेश

8412. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को हटाने के लिए कोई दिशा निदेश सुझाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ के लिए सरकार ने मार्गनिर्देशों का एक सैट निर्धारित किया है ताकि निष्कपट किराएदारों को बेदखल करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी स्थान [अप्राधिकृत अधिभोगियों (आकूपेंट्स) की बेदखली] अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का एक तरफा प्रयोग रोका जा सके तथा मूल्यत: अप्राधिकृत अधिभोगियों (आकूपेंट्स) तथा उद्यमों के संदानिवृत्त कर्मचारियों की बेदखली के लिए संक्षिप्त शक्तियों के प्रयोग को सीमित किया जा सके। इन मार्गनिर्देशों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

(1) बेदखली के लिए सरकारी स्थान अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो मुख्यत: सरकारी प्राधिकार वाले भवनों के बिल्कुल गैर-कानूनी अधिभोगियों अथवा अनाधिकृत किराएदारों अथवा ऐसे कर्मचारी, जो अपनी सेवा में तो नहीं रहे हैं और इस प्रकार भवनों के कब्जे के लिए अपात्र हो गए हों। उन मामलों में ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए जिनमें कब्जा असली कानूनी कारणों से अनाधिकृत बन जाता है।

(2) अपने स्वयं के कर्मचारियों को स्थान देने के उद्देश्य से उन मामलों में इस अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए जिनमें या तो इसमें वाणिज्यिक उद्देश्य हो अथवा इन भवनों का खाली कब्जा सुनिश्चित करना हो जहां भवन उन मूल किराएदारों के कब्जे में हो जिन्हें भवन या तो सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अथवा उन व्यक्तियों द्वारा जिनसे भवन अधिग्रहीत किए गए हों, किराए पर दिए गए थे।

(3) किसी भवन का कानूनी तौर पर अधिभोग करने वाले व्यक्ति को केवल किराएदारी समाप्ति का नोटिस देकर उसे अप्राधिकृत अधिभोगी घोषित नहीं किया जाना चाहिए अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाकर किसी संविदात्मक

करार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए । इसके साथ ही सरकारी प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह प्रत्येक राज्य में किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किराए का आवधिक रूप से परिशोधन कर सकता है अथवा पुन: कब्जा प्राप्त करने के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत् वास्तविक कारणों के आधार पर कार्रवाई कर सकता है । दूसरे शब्दों, में वास्तविक कानूनी किराएदारों से निपटने में किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत् सरकारी प्राधिकारियों के पास निजी भूमिदारों जैसे ही अधिकार होंगे ।

(4) ऐसे आरोपों अथवा विवेकाधिकारों के दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि इस अधिनियम में ऐसे आरोपों के लिए गुंजाइश रखी जाए कि किराए में अनुचित वृद्धि करने के उद्देश्य से बेदखली का सहारा लिया गया था अथवा किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्थानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किराएदारी में परिवर्तन किया गया था । स्थानों को छोड़ना तथा किराएदारी में परिवर्तन करने का निर्णय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों के स्तर पर किया जाना चाहिए ।

(5) सभी सरकारी उपक्रमों को चाहिए कि वे इन मार्गनिर्देशों के संदर्भ में सम्पदा अधिकारी अथवा न्यायालयों के समक्ष सभी लंबित मामलों की तुरन्त समीक्षा करें तथा इस अधिनियम में किए गए प्रावधानों से भिन्न किसी अन्य आधार पर वास्तविक किराएदारों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाइयां वापस ले लें अन्यथा जैसा कि इन मार्गनिर्देशों में व्यवस्था की गई है, इसके बाद से सरकारी स्थान अधिनियम के अधीन प्रावधानों का प्रयोग इन मार्गनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए ।

बंगलौर शहर में गंदी बस्तियों में सुधार करना

8413. **श्री कोडाकली गौडामा शिवप्पा :**

श्री जी. हनुमराय नायक :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर शहर में गंदी बस्तियों के सुधार के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को वित्तीय सहायता हेतु नीदरलैंड सरकार को भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या नीदरलैंड सरकार सहायता देने हेतु सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां । कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संघ सरकार द्वारा नीदरलैंड के रायल राजदूतावास को अग्रेषित कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) डच सरकार की प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है ।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देना

8414. **श्री राम नारायण :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्यमियों की भूमिका को अधिक महत्व दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य में जैसा कहा गया है सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र देश की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार करने में अपनी उचित भूमिका निभाए और यह 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में परिकल्पित व्यापारिक रूपरेखा के अनुसार ही कार्य करे तथा यह राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा करे और नेतृत्व प्रदान करता रहे ।

गंदीबस्ती पुनर्वास योजना के अंतर्गत गांवों का विकास

8415. **श्री अवतार सिंह भड़ाना :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गंदी बस्ती पुनर्वास योजना के अंतर्गत दिल्ली में अब तक कितने शहरीकृत गांवों का विकास किया गया है और इन गांवों में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) इनमें कितने गांवों को अब तक दिल्ली नगर निगम को सौंपा गया है; और

(ग) प्रत्येक गांव में जन सुविधाएं प्रदान करने तथा उनके रख-रखाव हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शहरी गांवों के लिए मलिन बस्ती पुनर्स्थापन योजना जैसी उनकी कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

डिग्री धारकों द्वारा-स्व-रोजगार

8417. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग में उन डिप्लोमा और डिग्री धारकों, जिन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया है, का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए डिप्लोमा/डिग्री धारकों को अपनी कार्यशाला आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) नए डिप्लोमा/डिग्री धारकों को अपनी कार्यशाला आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

(1) लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) :

लघु उद्योग विकास संगठन विभिन्न राज्यों में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थानों के जरिये कई उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है । ये कार्यक्रम भिन्न-भिन्न लक्ष्य समूह जैसे शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक, कमजोर वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिए होते हैं । इंजीनियरी में डिप्लोमा धारकों/डिग्री धारकों के लिए कोई अलग से कार्यक्रम नहीं है । उपर्युक्त विभिन्न कार्यक्रमों में ऐसे उम्मीदवारों को भी ले लिया जाता है । डिग्री/डिप्लोमा धारकों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(2) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग :

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा डिग्री धारकों को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु उद्यमीयता में आवश्यक कौशल प्रदान के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर उद्यमीयता विकास कार्य क्रम प्रायोजित करता है । इसके अलावा, कुछ विज्ञान तथा प्रौद्योगिक उद्यम पार्कों को भी इंजीनियरिंग में युवा स्नातकों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में तथा उनके इधर-उधर प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वे तकनीकी उद्यमीयता ग्रहण कर सकें ।

(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

(क) उम्मीदवारों को पर्याप्त इंजीनियरिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के लिए डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम तथा मानदंड एवं मानक बना दिये गये हैं ताकि वे रोजगार तथा स्व-रोजगार के पात्र हो सकें । यह शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् उद्योग में संस्थानोत्तर प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जाता है जिससे उन्हें कार्य चलाएंगे, उद्यमीयता तथा प्रबंध विकास केन्द्र इन क्षेत्रों के लिए उद्यमीयता तथा प्रबंध विकास के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे ।

(ख) कुछ चुनिंदा संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में "उद्यमीयता तथा प्रबंध विकास" नामक एक योजना शुरू की गयी है । इस योजना के अंतर्गत, समूचे देश में उक्त प्रयोजन के लिए पता लगाए जाने वाले डिप्लोमा स्तर के कुछ चुनिंदा संस्थानों में उद्यमीयता तथा प्रबंध विकास केन्द्र और उद्यमीयता विकास केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना है । जबकि उद्यमियता विकास केन्द्र गैर निगमित तथा असंगठित क्षेत्रों के लिए सीमित उद्यमीयता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे, उद्यमीयता तथा प्रबंध विकास केन्द्र इन क्षेत्रों के लिए उद्यमीयता तथा प्रबंध विकास के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे ।

केन्द्रीय सेवा में कर्मचारियों की संख्या

8418. **डा. आर. सम्बू :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग से विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में कर्मचारियों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी भाषा को शामिल करना

8419. **डा. महादेपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतिश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में उत्तर अंग्रेजी में देना अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एवम् इन्हें प्रोत्साहित करने हेतु इन परीक्षाओं में उत्तर देने हेतु इन भाषाओं को भी सम्मिलित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने हिन्दी को पहले ही राष्ट्रीय भाषा के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त परीक्षाओं में हिन्दी में उत्तर देने को मान्यता न दिये जाने के क्या कारण है; और

(च) इसे भविष्य में मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य किसी भाषा में प्रश्न पत्रों का उत्तर देने का विकल्प है । किन्तु आयोग द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा तथा भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा के बारे में उम्मीदवारों को अंग्रेजी में उत्तर देना अपेक्षित है ।

(ख), (ग), (ङ) और (च) आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा.

सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति ने विचार किया था । समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ङ) संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा माना गया है ।

गुरुजल का उत्पादन और मांग

8420. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :**
श्री समद शाहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के गुरुजल संयंत्रों में गुरुजल का उत्पादन लक्ष्य से काफी कम होता है :

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक संयंत्र के वास्तविक उत्पादन की तुलना में स्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) इस देश में भारी पानी संयंत्रों में भारी पानी का उत्पादन निवेशों और प्रचालन संबंधी प्राचलों के अनुरूप है, तथा पिछले वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को लगभग पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है । तलचर स्थित भारी पानी संयंत्र को छोड़कर सभी संयंत्रों ने संतोषप्रद स्तर तक उत्पादन किया है । भारी पानी का जितना उत्पादन किया जा रहा है वह मौजूदा परमाणु बिजली कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

(ख) हालांकि तलचर स्थित भारी पानी संयंत्र काम कर रहा है और उस उर्वरक संयंत्र से, जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है, निवेश प्राप्त होने पर भारी पानी का उत्पादन कर रहा है तथापि, इस संयंत्र को लगातार चलाना इसलिए संभव नहीं हो सका है कि उर्वरक संयंत्र से निवेश की सप्लाई बहुत कम मात्रा में और बहुधा रुक-रुक कर हुई तथा बिजली की सप्लाई में भी रुकावटें आईं ।

(ग) तलचर संयंत्र को छोड़कर विभिन्न संयंत्रों के उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर संतोषजनक रहा ।

(घ) उर्वरक संयंत्र से जुड़े भारी पानी संयंत्रों का कार्यनिष्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि उर्वरक संयंत्रों से निर्धारित कोटि के निवेश लगातार मिलते रहें । क्षमता का उपयोग पहले की अपेक्षा अधिक ही हुआ है । इसका उपयोग और अधिक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं । तथापि, तलचर संयंत्र में कोई भी सुधार मुख्यतः इस बात पर निर्भर करेगा कि उससे जुड़े हुए उर्वरक संयंत्र से निवेश पर्याप्त मात्रा में लगातार उपलब्ध होते रहें हैं । तलचर उर्वरक संयंत्र के प्रबन्धक वर्ग ने उसके निरन्तर प्रचालन के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है ।

प्रेस रिपोर्टरों को सरकारी आवास

8421. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस रिपोर्टरों को सरकारी आवास के आवंटन हेतु क्या निर्देश दिए गए हैं;

(ख) क्या इन निर्देशों को प्रेस रिपोर्टरों की जानकारी के लिए परिचालित किया गया था;

(ग) प्रेस पूल के अंतर्गत कितने आवासीय एककों का आवंटन किया जाएगा;

(घ) जांच समिति ने किन-किन प्रेस रिपोर्टरों को आवास आवंटन के लिए स्वीकृति दे दी है और नए आवंटियों की सूची को अंतिम रूप देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ङ) जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इस समिति का गठन किया था?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति विवरण 1 और 2 के रूप में संलग्न है।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जांच समिति के सदस्यों को परिचालित किया गया था जिसमें जांच समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले संबंधित पत्रकार संघ के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ग) और (घ) प्रेस पूल का आकार 120 नियत किया गया है जिसमें से 92 फ्लैट भरे हुए हैं, जांच समिति ने प्रेस पूल में शेष रिक्तियों के आबंटनार्थ 28 पत्रकारों की सिफारिश की है। सिफारिश की गई संवाददाताओं की सूची विवरण 3 के रूप में संलग्न है। भारत सरकार के मुख्यालयों में नियमित प्रत्यायन की उनकी वरिष्ठता के आधार पर जांच समिति द्वारा प्रेस संवाददाताओं के नामों का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ङ) जांच समिति में इस समय निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. प्रधान सूचना अधिकारी	—अध्यक्ष
2. शहरी विकास मंत्रालय के संबंधित अपर सचिव/संयुक्त सचिव	—सदस्य
3. सम्पदा निदेशक	—सदस्य
4. श्री आर. राजगोपालन, प्रेस संघ	—सदस्य
5. श्रीमती कल्याणी शंकर. प्रेस संघ	—सदस्य
6. श्री प्रेम प्रकाश, न्यूज कैमरामैन संघ	—सदस्य
7. श्री विजेन्द्र त्यागी वर्किंग न्यूज कैमरामैन संघ	—सदस्य

समिति का गठन मूलतः 12-10-1990 को हुआ था।

विवरण-I

सं. 12016/1/89-नीति-2

भारत सरकार

संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11-7-90

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—प्रत्यायित प्रैस संवाददाताओं और पत्रकारों को साधारण पूल आवास के आबंटन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की पुनरीक्षा।

9. 5-90 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा प्रत्यायित प्रैस संवाददाताओं और पत्रकारों को प्रैस पूल से आवास के आबंटन के मार्गदर्शी सिद्धांतों की पुनरीक्षा की गई थी। मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया था कि निम्नलिखित शर्तों पर प्रत्यायित प्रैस संवाददाताओं और न्यूज कैमरामैन को आवास उपलब्ध कराने के लिए 110 रिहायशी एककों के वर्तमान पूल को जिसे पहले घटा कर 103 एकक का कर दिया गया था अब बढ़ा कर 120 एकक का कर दिया जाए :—

(क) आबंटन के समय अथवा बाद में उसको अपने नाम में अथवा परिवार के सदस्य के नाम में अथवा आश्रित के नाम में अपना कोई मकान न हो।

(ङ) सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित जांच समिति जिसके अध्यक्ष प्रिंसीपल इनफोरमेशन अधिकारी होंगे और संयुक्त सचिव/अपर सचिव (एस्टेट) और संपदा निदेशक पदेन सदस्य होंगे और चार पत्रकार इसके सदस्य होंगे जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनोनीत किया जाएगा, की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् मामले को अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

(ग) वह किसी विदेशी प्रैस/मीडिया का नहीं, बल्कि भारतीय प्रैस का प्रतिनिधित्व करने वाला संवाददाता हो ।

(घ) संबंधित व्यक्ति 3000/- रु. तक वेतन प्राप्त कर रहा हो जिसमें सवारी भत्ता शामिल नहीं है, और

(ङ) ऐसे आबंटितियों से, जो 3000/- रु. प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, मूल नियम 45-क के अंतर्गत लायसेन्स फीस अथवा मूल नियम 45-क के अंतर्गत लायसेन्स फीस की फ्लैट दर इनमें से भी उच्चतर हो, प्रभारित की जाएगी । वो जो 3000/- रु., प्रति माह से ऊपर प्राप्त कर रहे हैं, से विशेष लायसेन्स फीस प्रभारित की जाएगी, जहां पहले आबंटित आवास उनके कब्जे में है ।

(च) आवास के टाइप का कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर निर्धारण किया जाएगा किन्तु उसे टाइप-5ए अथवा निचले टाइप पर परिसीमित किया जाएगा, टाइप-5ए से उच्चतर टाइप के आवास के आबंटितियों को टाइप-5ए आवास आबंटित किया जाएगा, यदि वे अन्यथा तत्काल पात्र हैं ।

(छ) आबंटन की अवधि 3 वर्ष तक होगी, स्थिति की तत्पश्चात पुनरीक्षा की जाएगी।

(ज) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रैस संवाददाताओं/न्यूज कैमरामैन के प्रत्ययन की आवधिक पुनरीक्षा की जाएगी और संपदा निदेशालय को आबंटन की मंसूखी के लिए बदली की सूचना दी जाएगी, यदि कोई हो ।

(झ) न्यूजपेपर का कोई भी संपादक प्रैस पूल/साधारण पूल से आबंटन का पात्र नहीं होगा।

(ण) प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा रखी जा रही वरिष्ठता सूची को मद्देनजर रखते हुए आवंटन किए जाएंगे।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यथा निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाए ।

हस्ता./
एच. एल. भाटिया
संपदा उप-निदेशक (नीति)

सेवा में,

1. आबंटन अनुभागों में सभी सहायक निदेशक ।
2. समन्वय-1 अनुभाग ।
3. संपदा निदेशालय में सभी उपनिदेशक ।

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. सूचना व प्रसारण मंत्रालय ।
2. प्रिंसिपल इन्फोरमेशन आफीसर, प्रैस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय ।

हस्ता./-
मुनिश गिरधर
संपदा सहायक निदेशक (नीति-2)

विवरण -II

सं. 12016/1/89-नीति-II

भारत सरकार

संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक :—

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—प्रत्यायित प्रैस संवाददाताओं और पत्रकारों को साधारण पूल आवास के आबंटन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की पुनरीक्षा ।

प्रैस संवाददाताओं और पत्रकारों को साधारण पूल आवास के आबंटन से संबंधित दिनांक 11-7-90 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उप-पैरा (घ) और (ङ) पर दी गई शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :—

(घ) संबंधित व्यक्ति 8920/-रु. तक वेतन प्राप्त कर रहे हों,

(ङ) ऐसे आवंटिती जो 8920/- रु. तक परिलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, से मूल नियम 45-क के अन्तर्गत लायसेन्स फीस अथवा मूल नियम 45-क के अन्तर्गत लायसेन्स फीस की फ्लैट दर, इनमें से जो भी अधिक हो, प्रभारित की जाएगी ।

हस्ता./-
रत्नदेव सहाय
संपदा उप-निदेशक (नीति)

सेवा में,

संपदा निदेशालय में सभी अधिकारी और अनुभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. प्रधान मंत्री कार्यालय (श्री वी. के. सन्धु, विशेष कार्य अधिकारी) ।
2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ।
3. प्रिंसीपल इनफोरमेशन अधिकारी, प्रैस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ।

हस्ता./-
रत्नदेव सहाय
संपदा उपनिदेशक (नीति)

विवरण- III

प्रेस पूल अधिवास के आवंटन के लिए छानबीन समिति द्वारा मंजूर किए गए संवाददाताओं/कैमरामैनों के नाम

सर्व/श्री

1. आर. सी. पंडित, संवाददाता
2. उमाशंकर फडनिस, संवाददाता
3. ज्ञान प्रकाश, कैमरामैन
4. राजेन्द्र प्रभु, संवाददाता
5. विजय शंकर, संवाददाता
6. सतीश जुगराण, संवाददाता
7. चतर्भुज मिश्रा, संवाददाता
8. प्रमोद के. पुष्करण, कैमरामैन
9. वी. पी. भाटिया, संवाददाता
10. वी. पी. शुक्ला, संवाददाता
11. सुभाष किरपेकर, संवाददाता
12. योगेश वी. माथुर, संवाददाता
13. एस. आर. कुमार, संवाददाता
14. वीरेन्द्र संघी, संवाददाता
15. शंकर विश्वास, संवाददाता
16. चितरंजन अलवा, संवाददाता
17. वी. राजगोपाल, कैमरामैन
18. ए. के. भट्टाचार्यजी, संवाददाता
19. वी. माथुर, कैमरामैन
20. जोजफ इडामारकू, संवाददाता
21. दलबीर के. पुंज, संवाददाता
22. ए. के. सहाय, संवाददाता
23. नित्य चक्रवर्ती, संवाददाता
24. के. विश्वनाथ राव, संवाददाता
25. दिनकर शुक्ला, संवाददाता
26. ललित किशोर रायजादा, संवाददाता
27. शरद सक्सेना, कैमरामैन
28. सोनदीप शंकर, कैमरामैन

बीड़ी उद्योग से उपकर

8422. **श्री वी. धनंजय कुमार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी पर उपकर लगाकर एकत्र की गई धन-राशि का उपयोग बीड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो बीड़ी कामगारों के लिए किए गए कल्याण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1989-90 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपकर के रूप में कितनी धन-राशि एकत्र की गई; और

(घ) श्रमिकों के कल्याण के लिए इस अवधि के दौरान, राज्य-वार कितनी धन-राशि खर्च की गई?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :

(क) जी, हां।

(ख) इस निधि का प्रयोग बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों को आवासीय, स्वास्थ्य, शैक्षिक, मनोरंजन संबंधी और परिवार कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित की गयी विभिन्न योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है ।

(ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 (आंकड़े केवल जनवरी, 1992 तक हैं) के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन निर्मित बीड़ियों पर उपकर लगाकर एकत्र की गयी धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-2 के रूप में संलग्न हैं ।

(घ) बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए दी गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता । वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 (जनवरी, 1992 तक अभी तक अन्तिम लेखे संकलित नहीं किए गए हैं) के लिए प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा मनोरंजन शीर्षों के अन्तर्गत क्षेत्र-वार किए गए व्यय के ब्यौरे विवरण 3, 4 तथा 5 पर दिए गए हैं ।

विवरण-1

बीड़ी प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि की स्थापना की गई है। श्रमिकों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन तथा परिवार कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक कल्याण योजनाएं तैयार की गई हैं । ये योजनाएं निम्नानुसार हैं :—

1. टी. बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
2. बीड़ी कर्मकारों के घरेलू-उपचार की योजना ।
3. चश्मा खरीदने के लिए बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
4. बीड़ी कर्मकारों के कुष्ठ निवारण की योजना।
5. मानसिक बीमारी से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को उपचार सुविधा प्रदान करने की योजना।
6. कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के वास्तविक उपचार व्ययों की प्रतिपूर्ति की योजना।
7. सहकारी समितियों के माध्यम से बीड़ी के लिए सामूहिक बीमा योजना।
8. महिला बीड़ी कर्मकार के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना।
9. परिवार कल्याण कार्यक्रम—नसबंदी के लिए बीड़ी कर्मकारों को अतिरिक्त नकद अनुतोष प्रदान करने की योजना।
10. अपना घर स्वयं बनाओ योजना।

11. बीड़ी कर्मकारों के लिए सामूहिक आवास योजना।

12. बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के लिए आवास योजना ।

13. वर्क शैड्रों या गोदामों अथवा दोनों के निर्माण के लिए बीड़ी कर्मकार सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना।

14. बीड़ी कर्मकारों को स्कालरशिप प्रदान करने की योजना।

15. बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक जोड़ा स्कूली पोशाक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

16. बीड़ी कर्मकारों के लिए क्रीड़ा, खेलकूद, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की योजना ।

17. टी. बी. सैंटों की पूर्ति की योजना।

18. बीड़ी कर्मकारों के मनोरंजन के लिए दृश्य-श्रव्य सेटों/सिनेमा गाड़ियों/फिल्मों के प्रदर्शन की योजना।

19. हॉली-डे-होम (अवकाश गृह) की व्यवस्था की योजना।

विवरण–2

गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी उद्योग से उपकर के रूप में राज्यवार तथा वर्षवार एकत्र की गई धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(रुपये हजारों में)

क्र० सं०	राज्य	1989–90	1990–91	1991–92 (जनवरी 1992 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	21071	21374	18071
2.	बिहार	5713	6143	5028
3.	गुजरात	202	192	148
4.	कर्नाटक	15461	15104	12768
5.	केरल	4627	4539	3772
6.	असम	107	116	105
7.	मध्य प्रदेश	21612	20114	16784
8.	महाराष्ट्र	9470	9285	7667
9.	उड़ीसा	1460	1346	1178
10.	राजस्थान	1112	1093	923
11.	तमिलनाडु	18581	20825	15921
12.	उत्तर प्रदेश	6187	6796	5766
13.	पश्चिम बंगाल	12689	13869	11394
	कुल	118292	120796	99525

विवरण–3

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 के दौरान विभिन्न मदों के अधीन किये गये व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र	शामिल किये गये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	3601 जी० आई० ए०	4250 एफ० ए०	6250 ऋण	कुल
1.	इलाहाबाद	उ० प्रदेश, हि० प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तथा चण्डीगढ़	666	4002	889	25	23	--	--	--	5605
2.	बंगलौर	कर्नाटक, केरल तथा लक्षद्वीप समूह	860	15862	2526	29	49	--	448	1242	21016
3.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा	730	3785	1608	258	--	1182	--	14	7577
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	425	3029	452	34	10	—	—	—	3950
5.	कलकत्ता	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा	655	3110	1471	28	90	--	66	429	5849
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	546	4953	2845	--	6	2800	--	23	11173
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	705	5094	2788	13	43	--	--	--	8643
8.	करमा	बिहार	503	3746	903	10	--	--	--	--	5162
9	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दमन व द्वीव, दादरा व नागर हवेली	1074	3672	2131	18	1	7650	--	45	1459
10.	नई दिल्ली		334	--	--	--	--	--	--	—	334
		कुल	6498	47253	15613	415	222	11632	514	1753	83900

विवरण–4

वर्ष 1990-91 के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षों के तहत किये गये व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये हजारों में)

क्रम सं०	क्षेत्र	शामिल किये गये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	3601 जी० आई० ए०	425 एफ० ए०	6250 ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	इलाहाबाद	उ० प्र०, हि० प्र०, पंजाब, दिल्ली और चण्डीगढ़	711	4813	852	35	24	--	--	--	6435
2.	बंगलौर	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप द्वीप समूह	996	14010	2790	20	194	3480	180	1401	23071
3.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	833	4006	1789	268	2	--	--	33	6931
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	458	3514	524	22	21	--	--	448	4987
5.	कलकत्ता	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, प० बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा	739	3340	1601	29	--	--	55	390	6154
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु पाण्डिचेरी, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	513	5200	2950	10	5	--	--	19	8697
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	831	4902	2269	4	--	2750	--	--	10756
8.	कर्मा	बिहार	852	4202	1041	65	6	--	--	--	6160
9.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा व नागर हवेली	1290	4182	2415	19	2	5445	--	24	13377
10.	नई दिल्ली		358	--	--	--	--	--	--	--	358
		कुल	7581	48169	16231	472	254	11675	235	2315	86932

विवरण-5

वर्ष 1991-92 (1/92 तक) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के तहत किये गये व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये हजारों में)

क्रम सं०	क्षेत्र	शामिल किये गये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	3601 जी० आई० ए०	4250 एफ० ए०	6250 ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	इलाहाबाद	उ० प्र०, हि० प्र०, पंजाब, दिल्ली और चण्डीगढ़	728	3553	--	15	28	--	--	--	4324
2.	बंगलौर	कर्नाटक, केरल और लक्ष-द्वीप समूह	944	8483	--	—	82	--	--	244	9753
3.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा	814	2964	--	151	--	--	22	27	3978
4	भुवनेश्वर	उड़ीसा	431	2988	--	16	31	--	--	178	3644
5.	कलकत्ता	असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, प० बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा	798	3224	--	39	--	--	—	48	4009
6.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	768	5701	--	--	--	--	--	--	6469
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	725	4749	--	--	--	--	--	—	5474
8.	कर्मा	बिहार	916	3305	--	69	--	--	--	--	4290
9.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली	1105	3639	--	8	--	--	--	--	4752
		कुल	7129	38606	--	298	141	--	22	297	46693

औद्योगिक पुनर्गठन संबंधी अन्तरमंत्रालय दल

8/423. **श्री रवि राय :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक पुनर्गठन के बारे में सिफारिशें करने के लिए गठित अन्तरमंत्रालय कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

(ग) रिपोर्ट के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

औद्योगिक पुनर्निर्माण से संबंधित अंतर मंत्रालयी कार्यदल की सिफारिशों का सारांश :

परिसमापन कार्यवाही के लिए प्रक्रिया

(1) परिसमापन कार्यवाही को युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से "न्यायालय के पर्यवेक्षण" के अधीन समापन के तरीके को खत्म किया जाना चाहिए तथा अधिनियम (धारा 522—527) के उपयुक्त प्रावधानों को हटा देना चाहिए । अन्य शब्दों में समापन की केवल दो श्रेणियां होनी चाहिए अर्थात् स्वैच्छिक समापन तथा न्यायालय के आदेशों के तहत् समापन ।

(2) समापन में देरी के कारणों में एक देश में किसी कम्पनी की सर्वत्र फैली हुई परिसंपत्तियों का निपटान है । इस कार्य में ओ.एल.एस. को सहायता करने में देश के विभिन्न भागों में मान्यता प्राप्त नीलामकर्ताओं तथा ऋण वसूलने वाली एजेन्सियों के पंजीकरण के प्रावधान के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ।

(3) ओ एल एस की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त करने के प्रावधान के लिए अधिनियम में एक सहायक प्रावधान होना चाहिए । सरकार को न्यायालय द्वारा समापनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षकों के नामों का एक पैनल तैयार करना चाहिए । यह विदेशों में सफलतापूर्वक अनुसरण की जा रही प्रथाओं के अनुसार है । उदाहरणार्थ यू. के. में सेक्रेटरी आफ स्टेट व्यवसायिकों की संस्थाओं को प्राधिकृत करते हैं जिनके सदस्य इनसालवेंसी प्रैक्टीसनर्स के रूप में कार्य करते हैं । सिंगापुर तथा मलेशिया में परिसमापन कार्यवाही प्रमाणित समापनकर्ताओं द्वारा संभाली जाती हैं जो अधिनियम के तहत् लेखा परीक्षक के रूप में अर्हता प्राप्त होते हैं । बीच की अवधि के दौरान जबकि ओ एल एस के पास अभी भी कम्पनियों को समाप्त करने के कार्य की जिम्मेवारी है, उसी प्रकार की प्रक्रिया ऋण वसूलने के लिए दाखिल किए गए ओ एल

द्वारा दाखिल मामलों को तेजी से निपटान के लिए शुरू की जानी चाहिए । उदाहरणार्थ, चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा उचित रूप में प्रमाणित कम्पनी की लेखा पुस्तिका से एक्सट्रैक्टों को कम्पनी को देय ऋण के पर्याप्त साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए ।

(4) स्वैच्छिक समापनकर्ता (धारा 545) द्वारा मिसफिजेन्स कार्यवाही हेतु वर्तमान प्रक्रिया को स्वैच्छिक समाप्त करना बाधायुक्त है तथा न्यायालय में मिसफिजेन्स कार्यवाही पंजीयक द्वारा दाखिल करने के पूर्व इसमें कम्पनी के रजिस्ट्रार को बताना तथा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करना शामिल होता है । चूंकि इससे अत्यधिक विलंब होता है, स्वैच्छिक समापनकर्ता को केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करने की आवश्यकता के बिना मिसफिजेन्स कार्यवाही दाखिल करने का अधिकार होना चाहिए ।

(5) स्वैच्छिक समापन के मामले में आम बैठक में कम्पनी द्वारा नियुक्त समापनकर्ता कम्पनी की परिसम्पत्तियों या उसकी विक्रय प्राप्तियों का वितरण करता है तथा कम्पनी की देयताओं का भी निपटान करता है । परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बाद समाप्त होने वाली कम्पनी को रजिस्टर से कम्पनी के नाम को हटाने के लिए धारा 560 के तहत् रजिस्ट्रार को आवेदन देने का अधिकार होना चाहिए । धारा 560 के प्रावधानों को इस प्रयोजनार्थ संशोधित किया जा सकता है । वर्तमान में धारा 560 का अपयोग कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है जिनके पास न परिसम्पत्तियां न ही देयताएं हैं । कम्पनियां जो अपने कार्य को स्वैच्छिक रूप से समाप्त कर रही हैं, ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहां उनके पास कोई परिसम्पत्ति या देयताएं नहीं होंगी, ऐसी कम्पनियों को अनावश्यक समझा जाए या माना जाए तथा रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में उनके नाम निकाल दिए जाएं । न्यायालय को ओ एल की रिपोर्ट ऐसे मामलों में दी जा सकती है ।

(6) बी आई एफ आर समापन की सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत है । वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार इन मामलों को उच्च न्यायालय को भेजा जाना पड़ता है । आशय यह है कि ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जाना चाहिए । उन मामलों में- जो बी. आई. एफ. आर. के सामने हैं समापन के आदेश पारित करने के लिए बी. आई. एफ. आर. को प्राधिकृत करने के लिए कम्पनी अधिनियम को संशोधित किया जाए मानों कि वह एक परिसमापन न्यायालय हो ।

(7) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समापन प्रक्रिया उतनी लंबी नहीं है जितना कि यह लगती है यह प्रस्ताव किया जा सकता है कि स्वैच्छिक समापन के अलावा समापन के तरीकों को उच्च न्यायालय की बजाय विशेष ट्रिब्युनल को सौंप दिया जाए । इससे परिसमापन कार्यवाही में तेजी आएगी तथा उत्पादनकारी परिसम्पत्तियों के तेजी से निपटान में सहायता मिलेगी जिसको क्रेताओं द्वारा बिडिप्लोए किया जा सकता है । बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में 31-12-91 को लंबित अनिवार्य समापन के मामलों का लगभग प्रतिशत सम्पूर्ण भारत में लंबित मामलों की कुल संख्या का क्रमशः 21, 30 तथा 10 है ।

(8) यह प्रस्तुत है कि कम्पनी डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन अधिनियम, 1986 की धारा 6 के अनुसार न्यायालय को डिसक्वालिफिकेशन आदेश करने के लिए

प्राधिकृत किया जाए, यदि वह किसी समय दिवालिया हुआ हो (चाहे जब वह निदेशक या बाद में रहा हो), यह कि उस कम्पनी के निदेशक के रूप में उसका आचरण लिए गए ऋण या कुल मिलाकर यह कि किसी अन्य अपनी या कम्पनी के निदेशक के रूप में उसका आचरण कम्पनी के प्रबंधन में शामिल करने के लिए अनुपयुक्त है ।

इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय का अभिप्राय उस न्यायालय से होगा जहां कम्पनी को समाप्त किया जा रहा है । स्वैच्छिक समापन के मामले में न्यायालय का अर्थ कम्पनी समाप्त करने संबंधी क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय से तथा किसी अन्य मामलों में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से है । इस प्रयोजनार्थ निदेशक में दोनों निदेशक शामिल है तथा प्रस्तावित अयोग्यता के लिए न्यूनतम अवधि दो वर्ष है तथा अधिकतम अवधि 16 वर्ष है । इस अर्हता आदेश का प्रभाव यह होगा कि न्यायालय के आदेश के बिना वह कम्पनी का निदेशक या लिक्वेडेटर या कम्पनी का प्रशासक या कम्पनी की सम्पत्ति का रिसीवर या प्रबंधक नहीं होगा अथवा किसी रूप में आदेश की तारीख से एक निर्धारित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कम्पनी की प्रोन्नति अनुमति या प्रबंध से संबंधित किसी भी कार्य में भाग नहीं लेगा । अयोग्यता आदेश इस आधार पर किया जाएगा जिनमें वे आपराधिक दण्ड के अलावा मामले है या शामिल है, तथापि उस व्यक्ति जिसके संबंध में उन मामलों के लिए व अपराधी है ।

(9) कम्पनी समापन के परिणामस्वरूप श्रमिकों की देय राशियों की सुरक्षा के लिए यह प्रस्ताव है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 529, 529क तथा 530 के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित किया जाए । हमें श्रमिकों को एक समान परिभाषा को अपनाना चाहिए । यह भी प्रस्ताव है कि श्रमिकों की देय राशि को वर्तमान में चार माह के वेतन या 1000 रुपए तक सीमित करने के बजाय अधिमानत: दावे के रूप में उनके वेतन, मजदूरी, सेवानिवृत्ति लाभों, भविष्य निधि देय राशियों आदि को समग्र राशि के रूप में माना जाए । अन्य शब्दों में कोई सीमा या कैप निर्धारित नहीं होनी चाहिए ।

प्रक्रियात्मक परिवर्तन

उपरोक्त संचरनात्मक परिवर्तनों के अलावा निम्नलिखित प्रक्रियात्मक परिवर्तनों को भी समापन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सुझाया गया है :

(1) कम्पनी द्वारा धारा 433 (क) के तहत् विशेष संकल्प पारित करके समापन याचिका दायर की जा सकती है कि कम्पनी को न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया जाए । यह सुझाया गया है कि ऐसे मामले में याचिका में निदेशकों/अधिकारियों के नाम तथा पता का उल्लेख किया जाना चाहिए जो धारा 454 के तहत् कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेंगे तथा उनका पुस्तकों अभिलेखों आदि को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व होगा ।

जहां समापन याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो उपयुक्त प्रावधान अधिनियम में यह किया जाए कि समापन आदेश पारित होने के पूर्व न्यायालय उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, पदनाम तथा पता बताते हुए घोषणा दाखिल करने हेतु कम्पनी को निर्देश देगा जिनकी पुस्तकों कागजों

आदि को बनाए रखने की जिम्मेदारी है तथा जो अन्य बातों के साथ-साथ उन स्थान/स्थानों को जहां कम्पनी की पुस्तकें, अभिलेख तथा अन्य कागजात रखे गए हैं, बताते हुए कागजातों तथा दस्तावेजों के नियंत्रण को सौंपेगे । आदेश में व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता भी निर्दिष्ट किया जाएगा जो धारा 454, उप धारा 2 में निर्धारित अवधि के अंतर्गत कार्यों के विवरण को दाखिल करेगा तथा प्रावधानों के अनुपालन में चूक होने पर चूक करने वाले व्यक्ति की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाएगा ।

(2) धारा 439 में इस तरह संशोधन होना चाहिए कि कार्यों का विवरण कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय के सामने दाखिल किया जाएगा जिसको इस तथ्य के बावजूद प्रथम सुनवाई में समाप्त किया जाना है कि चाहे वह समापन के लिए याचिका कम्पनी, क्रेडिटर्स, अंशधारियों या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल की जाती है । कम्पनी को कम्पनी के अधिकारियों के नामों के बारे में सूचना भी प्रस्तुत करनी चाहिए जिनके नियंत्रण में लेखा बहियां हैं । यह कार्य का विवरण कम्पनी अधिनियम की धारा 454 के तहत् दाखिल की जाने वाली अपेक्षित कार्य विवरण के अलावा होगा । न्यायालय द्वारा समापन कार्यवाही के आदेश दिए जाने से पूर्व ही कार्य विवरण रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि इन कार्यवाहियों में समय लगता है तथा इसी बीच में कम्पनी के अधिकारी नौकरी छोड़ देते हैं जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों तथा लायबिलीटीज के बारे में मूलभूत वित्तीय सूचना तथा ब्यौरे भी उपलब्ध नहीं होते । फिर भी लेखा बहियों के उपलब्ध होने पर यदि विवरण तैयार किए जाते हैं तो इससे कम्पनी के समापन के बारे में युक्तिसंगत निर्णय लेने में न्यायालय को मदद मिलेगी । तदन्तर जब कम्पनी को वास्तव में समाप्त करने का आदेश दिया जाता है तथा लेखा बही उपलब्ध नहीं हैं, सरकारी परिसमापन परिसम्पत्तियों का अधिकार पाने की स्थिति में होगा ।

(3) परिसम्पत्तियों की त्वरित वसूली प्राप्ति तथा इसके प्रभावी निपटान की सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि धारा 456 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जाए कि समापन आदेश पारित होने पर कम्पनी की सम्पत्ति का अधिकार लिक्विडेटर/लिक्वडेटर में निहित होगा ।

(4) आयकर अधिनियम की धारा 132 के पैटर्न पर उपर्युक्त संशोधन के साथ तलाशी तथा कुर्की का अधिकार सरकारी लिक्वडेटर/व्यावसायिक लिक्विडेटर को देने के लिए भी अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए ।

(5) न्यायालय के सामने सभी कार्यवाहियों में सरकारी लिक्विडेटर को अपने दावे सिद्ध करने में लेखा बही प्रस्तुत करना आवश्यक होता है । परिसम्पत्तियों के तेजी से निपटान के हित में अधिनियम को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित करना चाहिए कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 एफ के समान प्रावधान को अपनाया जाना चाहिए तथा सरकारी लिक्विडेटर/व्यवसायिक लिक्विडेटर द्वारा उचित रूप में प्रमाणित बही से प्रविष्टियों की एक प्रति पक्षों के विरुद्ध लिक्विडेशन में कम्पनी के दावे की वैधता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । इससे उसके परिसम्पत्तियों की वसूली चाहने पर प्रत्येक समय सरकारी लिक्विडेटर/व्यावसायिक लिक्विडेटर द्वारा बही प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी ।

यदि कोई राशि कम्पनी को देय है तो न्यायालय की अनुमति से राशि को भू राजस्व के रूप में वसूला जा सकता है ।

(6) न्यायालय की स्वीकृति से समग्र रूप में कम्पनी व्यवसाय के निपटान के लिए प्रावधान करने हेतु कम्पनी अधिनियम में संशोधन होना चाहिए ताकि उपयुक्त मामलों में कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लिए बेहतर कीमत वसूली जा सके ।

(7) जहां कहीं भी कम्पनी के ऋण या परिसम्पत्तियां एक स्थान से अधिक पर फैले हुए हैं, अधिनियम को ऋण वसूली के लिए स्वीकृत ऋण वसूली एजेन्सियों को जो निजी पार्टियां हो सकती हैं, नियुक्त करने में सरकारी लिक्विडेटर/व्यावसायिक लिक्विडेटर को अनुमति देने के लिए संशोधित किया जाए । इन कम्पनियों को इन विशेषताओं को विकसित करने के लिए गठित किया जाना चाहिए :

(क) समापन की दहलीज पर खड़ी कम्पनियों की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की सम्पत्ति सूची तैयार करना तथा मूल्यांकन करना,

(ख) संबंधित कम्पनियों की परिसम्पत्तियों और देयताओं को, आंशिक आधार पर अथवा चल रही कम्पनी के लिए एक समग्र इकाई के रूप में बताना,

(ग) लिक्विडेटर को अदा किए गए प्रतिफल के लिए परिसम्पत्तियों/लायबिल्टीज का अधिग्रहण करना, तथा

(घ) परिसम्पत्तियों के और विक्रम/निपटान के जरिए लाभ कमाना ।

(8) अंशदाताओं की सूची तय करने के लिए सरकारी लिक्विडेटर/व्यावसायिक लिक्विडेटर को स्वयं अधिकृत करने के लिए धारा 467 का संशोधन किया जाए । उन व्यक्तियों के मामलों को केवल जो देय राशि का प्रतिवाद करते हैं न्यायालय में भेजे जाने की आवश्यकता है ।

(9) सरकारी लिक्विडेटर/व्यावसायिक लिक्विडेटर द्वारा शुरू की गई मिसफीजैन्स कार्यवाही के मामले में अधिनियम की धारा 542 तथा 543 को निजी पक्षों के समक्ष निदेशकों द्वारा किसी डीलिंग को रोकने के लिए अंतरिम आदेश पास करने का अधिकार न्यायालय को देने के लिए संशोधित किया जाए । अधिनियम को यह अतिरिक्त आधार प्रदान करने के लिए भी संशोधित किया जा सकता है कि यदि कोई निदेशक अविवेकपूर्ण ढंग से तथा घोर लापरवाही से कार्य करता है तो मिसफिजैंस कार्यवाही शुरू की जा सकती है ।

(10) सम्पत्ति की किसी बेदखल को जैसा वह उचित समझे उन शर्तों पर बंध करार करने में न्यायालय को अधिकार देने के लिए धारा 536 का संशोधन किया जाए ।

अंतरिम अवधि के दौरान, न्यायालय को सरकारी लिक्विडेटर/व्यावसायिक लिक्विडेटर को कम्पनी के कार्य को करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार होना चाहिए तथा उसके लिए आकस्मिक रूप में कार्य करता है ताकि डील ऋणदाताओं के लिए लाभप्रद हो ।

(11) एक निर्धारित समय में समापन आदेश वापस लेने या निरस्त करने के लिए न्यायालय को प्राधिकार देने के लिए एक नया प्रावधान होना चाहिए ।

(12) उन निदेशकों/अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए जो परिसमापन में कम्पनी के देय किसी राशि से बचने के लिए भारत छोड़ता है या फरार होता है, या अपनी सम्पत्ति हटाने या छिपाने वाला है या कम्पनी के मामलों की रक्षा करते हुए जांच से बचता है, धारा 477 को तरह न्यायालय को अधिकार देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाए ।

(13) सरकारी लिक्विडेटर में कम्पनी की बही तथा कागजातों की जांच करना तथा न्यायालय को धारा 497/509 के तहत यह रिपोर्ट करना आवश्यक है कि कम्पनी का कार्य सदस्यों के हितों या लोक हित विरुद्ध संचालित नहीं किया गया है । यह रिपोर्ट कम्पनी को अंतिम रूप से विघटन होने के लिए एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है । सरकारी लिक्विडेटर से संबंधित इस ड्यूटी के लिए व्यावसायिक कुशलता तथा सेवाओं की आवश्यकता है जो केवल व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेंटस या वकीलों द्वारा दी जा सकती है । परिसमापन की तारीख तक इनकारपोरेशन से तथा सरकारी लिक्विडेटर्स की मौजूदा जनशक्ति द्वारा जांच करने की आवश्यकता के कारण वे इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं । धारा 497/309 के प्रावधानों को, जो अंतिम विघटन रिपोर्ट दाखिल करने का दायित्व सरकारी लिक्विडेटर पर डालता है, निकाले जाने का प्रस्ताव है

(14) कार्य विवरण का फार्मेट निम्न रूप में संशोधित किया जाना चाहिए :

(क) वर्तमान में वसूल होने वाली प्रत्याशित परिसम्पत्तियों के अनुमानित मूल्य को केवल परिसम्पत्तियों की सूची में उल्लेख करने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त परिसम्पत्ति का स्थान स्थिति तथा परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य का उल्लेख करना चाहिए । इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि परिसमापन के दौरान कोई भी परिसम्पत्ति निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों को बहुत कम कीमतों पर न बेच दी जाए । परिसम्पत्तियों के स्थान से सम्पत्ति की पहचान करने पर पर्याप्त रूप से सुगमता होगी ।

(ख) कंपनी का कोई दावा/देयता किस सीमा तक आनुषंगिक अनलिक्विडेटेड या विवाद पूर्ण है, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ग) तत्काल दो पूर्व वर्षों के दौरान व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके द्वारा तथा व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके पर्यवेक्षण में बही खातों और रिकार्ड को रखा गया है, उनके नाम तथा पतों का उल्लेख करना चाहिए।

(घ) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनके पास मौजूदा में कम्पनी के बही खाते तथा अभिलेख हैं, उल्लेख करने की आवश्यकता होनी चाहिए। इन व्यक्तियों को यह सकारात्मक विवरण देना चाहिए कि बही खाते तथा अभिलेख उनके अधिकार में हैं तथा लिक्विडेटर को यथा समय आवश्यकता पड़ने पर सौंपने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(ङ) अभिलेख पुस्तिकाओं के ब्यौरे यदि कोई हैं, जो उपलब्ध नहीं हैं ब्यौरेवार स्पष्टीकरण के साथ दिए जाने चाहिए ।

(घ) परिसंपत्तियों की सूची के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख करने की अपेक्षा होनी चाहिए :

(1) परिसंपत्तियों की अंतिम सूची कब तैयार की गई थी।

(2) यह संपत्ति सूची किसके द्वारा तथा किसके पर्यवेक्षण में तैयार की गई थी।

(3) संपत्ति सूची की रुपयों में क्या राशि थी (कीमत लागत, बाजार मूल्य या अन्य) ।

(4) संपत्ति की अगली पूर्व सूची कब तैयार की गई ।

(5) इन संपत्ति सूची को किसके द्वारा तथा किसके पर्यवेक्षण में तैयार किया गया।

(6) परिसंपत्ति सूची का रुपयों में राशि क्या थी (लागत मूल्य या बाजार मूल्य या अन्य) ।

(7) व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनके अधिकार में उपरोक्त दो संपत्ति सूचियों के अभिलेख हैं।

(8) उपरोक्त 7 में दिए गए नाम के व्यक्तियों से सकारात्मक विवरण ।

(छ) यदि कम्पनी किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) की किसी संपत्ति को धारण किए हुए है तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम तथा पते संपत्ति का विवरण तथा उसकी राशि एवं मूल्य तथा रखे रहने की परिस्थितियां बताए जाने की अपेक्षा होनी चाहिए ।

(ज) यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी मूल्यवान वस्तु को रखे हुए है जिसमें कंपनी का हित है तो व्यक्ति का नाम तथा पता तथा संपत्ति का विवरण तथा बनाम रखने की परिस्थितियों को इंगित करना चाहिए।

(झ) स्वैच्छिक परिसमापन में स्वैच्छिक लिक्विडेटर को कंपनी रजिस्ट्रार के मांगने केवल अंतिम लेखा दाखिल करना चाहिए। (लेखा यह दर्शाए कि समापन किस रूप में संचालित किया गया है तथा संपत्ति का किस रूप में निपटान किया गया है) कंपनी रजिस्ट्रार को यह तथ्य अधिसूचित करना चाहिए। तदुपरांत कंपनी को विघटित माना जाना चाहिए।

निष्क्रिय कंपनियों से संबंधित प्रावधान

31-12-1991 को देश में कुल 2.4 लाख कंपनियों का पंजीकरण हुआ था। मोटे अनुमान के रूप में इन कंपनियों में से लगभग 30 प्रतिशत निष्क्रिय है। यह महसूस किया गया है कि एक बार इन कंपनियों को अधिनियम के क्षेत्र से बाहर लाने पर अन्य कंपनियों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का प्रशासन और अधिक प्रभावी हो जाएगा। इसके लिए अधिनियम की धारा 560 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को बनाया गया है।

(1) कंपनी के अनुरोध पर कंपनी के नाम को निकालना।

(क) रजिस्टर से कंपनी के नाम को किसी समय निकाला जा सकता है यदि—

कंपनी ने कार्य शुरू नहीं किया है
तथा
इसने शेयरों को जारी नहीं किया है या
इसके पास कोई परिसंपत्ति या दयेताएं नहीं है तथा
यह विगत एक साल से कोई कार्य नहीं कर रही है।

धारा 560 के तहत प्रक्रिया का इस संशोधन के साथ अनुसरण किया जाए कि कंपनी के रजिस्ट्रार एक सूचना के तहत इन सभी कंपनियों के नामों का निषेध करे जिनको निकालने का प्रस्ताव है।

(2) कंपनी के नाम को निकालना जो पांच सालों से वार्षिक रिटर्न तथा संतुलन पत्र दाखिल नहीं करती है वहां कम्पनी अपनी पांच सालों की वार्षिक रिटर्न/संतुलन पत्र दाखिल नहीं करती है रजिस्ट्रार समुचित रूप में यह राय बना सकता है कि कंपनी कार्य नहीं कर रही है तथा इसलिए इसके नाम को नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार निकाल दिया जाना चाहिए।

(क) रजिस्ट्रार को कंपनी तथा सभी निदेशकों को नोटिस जारी करना चाहिए और जहां निदेशकों के नाम ज्ञात न हों, वहां संस्था के अंशदाताओं को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजे जाएं और उनसे अपेक्षा की जाए कि वे अपेक्षित विवरणिका छः सप्ताह की निश्चित अवधि के दौरान फाइल करें और ऐसा न करने पर कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा कम्पनी का नाम निकाल दिया जाएगा।

(ख) यदि निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस का उत्तर नहीं मिलता है तो रजिस्ट्रार को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का निरीक्षण करने और यह रिपोर्ट देने कि कम्पनी व्यवसाय कर रही है या चालू है तथा उनके पास सम्पत्ति या दयेताएं हैं, के लिए अपने पैनल से एक सर्वेक्षण की नियुक्ति करनी चाहिए, सर्वेक्षण पैनल में कम्पनी सचिवों तथा कार्यरत चार्टर्ड लेखाकारों को शामिल किया जाना चाहिए । यह भी प्रस्ताव है कि उत्तर न मिलने की स्थिति में कम्पनी निदेशकों को किसी कम्पनी के निदेशक पद के लिए अयोग्य करार दिया जाना चाहिए ।

(ग) सर्वेक्षण से यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि कंपनी व्यवसाय नहीं कर रही है अथवा चालू नहीं है, रजिस्ट्रार को, को सरकारी राजपत्र में सूचना प्रकाशित करानी चाहिए तथा कम्पनी के निदेशकों/अंशदाताओं को पंजीकृत डाक द्वारा यह नोटिस भेजना चाहिए कि नोटिस जारी होने की तारीख से तीन माह के उपरांत कंपनी का नाम रजिस्टर से बिना कोई कारण बताए काट दिया जाएगा । रजिस्ट्रार एक नोटिस में एक या कई कंपनियों के नाम, जिनके विरुद्ध धारा 560 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, शामिल कर सकते हैं ।

(घ) नोटिस में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर रजिस्ट्रार, कंपनी अथवा कंपनी से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा कारण बताने के बावजूद भी, कंपनी का नाम रजिस्टर से काट सकते हैं तथा इसकी सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर सकते हैं ।

(ङ) जहां सर्वेक्षण की रिपोर्ट से यह पता चलता हो अथवा रजिस्ट्रार को अपने पास उपलब्ध किसी सूचना के आधार पर विश्वास हो कि कम्पनी चालू है तथा उसकी परिसंपत्ति और देयताएं हैं रजिस्ट्रार को न्यायालय द्वारा खंड 439 के उपखण्ड (1) की धारा (ई) के साथ पठित खंड 433 की धारा (एफ) के तहत अनिवार्य परिसमापन हेतु कार्रवाई शुरू करनी चाहिए । न्यायालय कम्पनी को समाप्त करने के लिए आदेश दे सकता है यदि इसकी राय में यह उचित और ठीक है कि कंपनी बंद होनी चाहिए ।

खण्ड 439 के उपखण्ड (1) की धारा (ई), रजिस्ट्रार को कम्पनी की समाप्ति के लिए याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करती है ।

खण्ड 560 के उपखण्ड (5) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी, जो प्रबंध समिति के किसी पद पर था और कंपनी के किसी सदस्य की जिम्मेदारियां जारी रहती हैं और उन्हें किसी भी समय लागू किया जा सकता है यदि कंपनी समाप्त नहीं हुई है । यहां यह सुझाव दिया गया है कि निदेशकों की जिम्मेदारियों के लिए एक प्रावधान बनाया जाए, जहां निदेशक नामित नहीं किए गए हैं तथा अंशदाताओं की संख्या असीमित है ।

औद्योगिक रुग्णता और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन के लिए निकाय

1. औद्योगिक रुग्णता के पुनर्गठन के लिए बीआईएफआर को व्यापक अधिकार दिए गए हैं । यह चालू एजेन्सी तथा कम्पनी को (1) प्रबंध परिवर्तन, (2) यूनिट के अन्य औद्योगिक यूनिट से एकीकरण, (3) एमआरटीपी जैसे अन्य प्रावधानों की अवहेलना, (4) यूनिट को समाप्त करने का आदेश, (5) कम्पनी की सम्पत्ति को भाग में या समूचे तौर पर बेचना, (6) एसोसिएशन के नियमावली में परिवर्तन, (7) निदेशक मंडल में परिवर्तन और (8) सभी दायित्वों से मुक्त कम्पनी की खरीद के लिए कामगारों को अनुमति देना, 1 के लिए अधिकृत कर सकती है ।

2. मैसर्स अनन्त गंगोपाध्याय और गौस्वामी ने भारत में औद्योगिक रुग्णता पर अपने अध्ययन में रुग्ण यूनिटों के पुनर्स्थापन में चालू एजेन्सियों के प्रयासों पर विचार व्यक्त किए । उन्होंने उल्लेख किया है कि चालू एजेन्सियों द्वारा पुनर्स्थापन परियोजनाओं के वित्त पोषण को न्यायोचित ठहराने संबंधी परिकल्पनाएं बहुत अधिक आशावादी हैं । कई मामलों में विशेषतया सूती कपड़ा मिलों के मामलों में परिकल्पनाएं, संगठित मीलों में, 350 कार्य-दिवसों, बिक्री में तीव्र वृद्धि, अनुपातिक तौर पर कम लागत में अपेक्षाकृत कम वृद्धि, अकाल्पनिक 14 प्रतिशत की ब्याज दर अथवा कम तथा 12 प्रतिशत से कम की कटौती दर पर आधारित है । ओए रिपोर्टों के उनके विश्लेषण के आधार पर उन्होंने टिप्पणी की है कि "भारतीय कपड़ा उद्योग के नए इतिहास में इस प्रकार की वसूलियां कभी नहीं हुई हैं" यदि ये तथा अन्य ओए यूनिट वास्तव में ऐसी वसूली लागू करें तो भारतीय कपड़ा उद्योग विश्व में सबसे अधिक आगे बढ़ने वाला हो जाएगा । चूंकि ऐसा नहीं है, तो ही होने की आशा है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिकल्पनाएं आशावादी हैं । इन परिकल्पनाओं को अत्यधिक उदार ऋण स्कीमों से मिलाइए, ये आश्चर्यजनक नहीं है कि ये परियोजनाएं व्यवहारिक हैं, सभी अपने ऋण समय पर अदा कर सकती हैं, उनकी विशाल निवल पूंजी पाजीटिव हो जाएगा तथा उनमें से सभी का ऋण सेवा अनुपात 1 : 13 से अधिक होगा । इस प्रकार बीआईएफआर अव्यावहारिक यूनिटों को संस्थागत निधियां आबंटित करने में प्रोत्साहित करेगा ।

3. यह माना जाता है कि एसआईसीए की मौजूदा परिभाषा बहुत अधिक प्रतिबंधी है तथा जिसके फलस्वरूप बीएफआईआर के साथ पंजीकृत औद्योगिक कम्पनियां रूग्ण हो गई हैं और वास्तव में बहुत ही क्षीण हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर लगभग 1/5 कम्पनियों को सात से अधिक बार घाटा उठाना पड़ा है। उनकी निवल पूंजी और अन्य 1/5 घाटा, उनकी निवल पूंजी के 4–7 बार के बीच रहा है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि बीआईएफआर को शीघ्र ही हस्तक्षेप करने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। फिर भी खतरा यह है कि इससे बीआईएफआर को भेजे गए मामलों में वृद्धि हो सकती है तथा वित्तीय संस्थाएं और अधिक धन की मांग कर सकती हैं। इसलिए वे कम्पनियां जिन्हें सार्वजनिक निधियों अथवा सरकारी एजेन्सियों से सहायता की आवश्यकता नहीं है, को पुनर्गठन, पुनर्निर्माण, विलयन, अधिग्रहण, स्थानान्तरण तथा समापन के लिए जबकि पहले ही उनकी निवल पूंजी पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, के लिए प्रारम्भिक अवस्था में बीआईएफआर से आवेदन के लिए सक्षम बनाया जा सके। इससे मौजूदा यूनिटों में अधिक लचीलापन आएगा तथा वित्तीय संस्थाओं की अरक्षितता कम होगी।

4. यह भी सुझाव दिया गया है कि कम्पनी के पंजीयन के बाद बीआईएफआर को भेजने की मौजूदा सीमा को सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया जाए तथा दो उत्तरोत्तर वर्षों में नकद हानियों की अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाए। हमारा मत है कि वर्ष नकद हानियों की अपेक्षा जिसका हवाला बोर्ड को तथा पूर्व वित्तीय वर्ष में दिया गया था को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जहां तक पहले का संबंध है हम महसूस करते हैं कि उद्देश्य के हवाले के लिए समावेशन की तारीख सही बिंदु की नहीं है। जब बड़ी परियोजनाओं के मामले में उत्पादन शुरू करने में 4-5 वर्ष का समय लगता है। अतः यही उपयुक्त होगा कि बीआईएफआर जैसी यूनिटों की रूग्णता तक ही ध्यान सीमित रखें। जो उचित परियोजना तैयारी तथा मूल्यांकन एवं प्रबोधन के जरिए वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा सहायता दिए जाने के लिए कुछ समय तक परियोजना स्तर में रूग्णता को छोड़कर, उत्पादन कर रही है। इसलिए रूग्णता की परिभाषा ऐसी औद्योगिक कम्पनियों को शामिल करने के लिए बदली जानी चाहिए जिनका संचित घाटा उनकी निवल पूंजी के बराबर या अधिक है तथा जो कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक उत्पादन कर रही थी।

5. वर्ष 1987–1991 के बीच एसआईसीए के खंड 23(1) के तहत संभावित रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के 631 मामले बीआईएफआर को प्राप्त हुए हैं। इस समय बीआईएफआर इन मामलों में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इन कम्पनियों में रूग्णता निगरानी में बीआईएफआर की भूमिका को सख्त बनाया जाना चाहिए। इस भूमिका के लिए उन्हें पर्याप्त कर्मचारी मुहैया कराए जाएं तथा उनसे ऐसे मामलों में दिलचस्पी लेने की अपेक्षा की जाए ताकि समस्याओं का विलंब की अपेक्षा प्रारम्भिक अवस्था में ही समाधान किया जा सके। उन्हें ऐसी कम्पनियों के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाए जिनका घाटा अपनी निवल पूंजी का 50 प्रतिशत या उससे अधिक होता है।

6. इस समय खंड 16 तथा 18 के तहत बीआईएफआर द्वारा निर्धारित चालू एजेन्सियों के सार्वजनिक वित्तीय संस्था और बैंक होना चाहिए। परिणामतः एजेन्सियों, जिन्होंने परियोजनाओं की समीक्षा की है तथा उन्हें वित्तीय सहायता दी है, प्रचालन एजेन्सी बन गई हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि इन यूनिटों के परिवर्तन की संभावना के बारे में पक्षपात से रहित एक भी निर्णय नहीं है। इसलिए हमारा सुझाव है कि प्रचालन एजेन्सियों की नियुक्ति सिर्फ सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।

निजी क्षेत्रकों में भी अन्य बाहर। एजेन्सियों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संस्थाओं, जिनमें ऐसे अध्ययनों को शुरू करने की क्षमता हो, पर भी आरए के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए ।

7. जब बीआईएफआर यह तय करता है कि एक रुग्ण कम्पनी को परिसमाप्त करना है तब यह कम्पनी अधिनियम के तहत् समापन के लिए तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु इस संबंध में उच्च न्यायालय को सिफारिश भेजता है । बीआईएफआर के प्रचालन, विशेषतया यू/एस 21 के लिए प्रदत्त, कम्पनियों के परिसमापन के भागीदार मुख्य निर्णयों सहित निर्णय को परिसमापन तक ले जाते हैं । यदि बीआईएफआर को परिसमापन तथा एक परिसमापक की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत कर दिया जाए, जिसके पास कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत् सरकारी परिसमापन के सभी अधिकार हों, तो इससे परिसमापन प्रक्रिया को तेज करने में सुविधा होगी ।

8. पर्याप्त विलंब, जो रुग्ण यूनिटों के पुनर्जीवन के लिए हानिकारक है, का बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनर्स्थापन पैकेज में सभी संबंधितों द्वारा परिकल्पित तथा सहमत वित्तीय सहायता जारी करने में उल्लेख किया गया है । यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पैकेज में भागीदार वित्तीय संस्थाएं/बैंक/एसएफसी पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें । इसके लिए एक वित्तीय संस्था, जो अन्यों की वसूली योग्य देय राशियों के लिए क्रय कर रही है और सहायता प्रदान करने के लिए एक सिंगल पाइंट बनी हुई है, पर विचार किया जाना चाहिए ।

9. सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही रुग्ण यूनिटों को केन्द्रीय सरकार वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा राज्य सरकारों द्वारा विशेष रियायत दी जानी चाहिए । ऋण हानियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय श्रमीकरण कोष को कर्मचारी सहकारी समितियों द्वारा प्रबंधित यूनिटों को इक्विटी मुहैया कराने के उपयोग में लाया जा सकता है ।

10. बीआईएफआर ने रुग्ण यूनिटों के पुनरुधार में सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों की एक सूची तैयार की है । ये मार्गदर्शी, सिद्धान्त यदि सभी राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं तो प्रत्येक मामले में राज्य सरकारों के अनुमोदन की आवश्यकता का निराकरण हो जाएगा । इससे बीआईएफआर को भेजे गए मामले शीघ्रता से निपटाए जा सकेंगे ।

11. कई राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनसे बिक्री कर तथा अन्य करों और रुग्ण यूनिटों के उत्पादों पर बिक्री कर छोड़कर, की वसूली को स्थगित करके महत्वपूर्ण रियायतें देने के लिए कहा जा रहा है । दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार उत्पाद कर पर छूट नहीं देती है । वे महसूस करते हैं कि दृष्टिकोण में समानता होनी चाहिए तथा राज्यों से ही असंगत बोझ को वहन करने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए विशेषतया तब जबकि मूल्यांकन वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा किया जाता हो तथा राज्यों की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका न हो ।

12. केन्द्र सरकार ने एक समयावधि के पश्चात् देय ब्याज रहित उत्पाद ऋणों की नीति तैयार की है । ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने के अधिकार का प्रयोग केन्द्र सरकार करती है । इससे ऋणों के वितरण में प्राय: विलंब होता है । भारत सरकार को ऐसे ऋणों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तय करने चाहिए तथा ऋण स्वीकृत करने के लिए बीआईएफआर को प्राधिकृत करना चाहिए ।

13. केन्द्र सरकार को बीआईएफआर के तत्वावधान में पुनर्जीवित रुग्ण यूनिटों को उत्पाद शुल्क रियायत देने पर भी विचार करना चाहिए ।

14. पूंजी लाभ का रुग्ण यूनिटों द्वारा उनकी अधिशेष परिसम्पत्तियों के आधार पर देय है । रुग्ण यूनिटों की परिसम्पत्तियों की बिक्री प्राप्तियों, जबकि ऐसी बिक्री नवीकरण स्कीम का एक भाग है तथा प्राप्तियों को बीआईएफआर की सिफारिशों पर कम्पनी के पुर्नस्थापन में लगाया जाता है, को पूंजी लाभ कर से मुक्त कर देना चाहिए ।

15. राज्य वित्तीय संस्थाएं कभी-कभी बीआईएफआर पैकेजों को कार्यान्वित कर रही रुग्ण यूनिटों के लिए कम ब्याज दर पर इस आधार पर सहमत नहीं होती है कि ऐसी रियायतों को आईडीबीआई द्वारा पुनः वित्त सहायता नहीं प्रदान की जाती है । यदि आईडीबीआई पुनः वित्तीय सहायता देने में तद्नुरूप ब्याज दर कम करने पर सहमत हो जाए तो वे कम ब्याज दरों पर सहमत हो जाएंगी ।

16. खण्ड के तहत् बीआईएफआर को रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की परिसम्पत्तियां बेचने का अधिकार दिया गया है । ऐसे अधिकारों को राज्य वित्तीय संस्थाओं में भी प्रयोग में लाया जाता है । फिर भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं और बैंक औद्योगिक कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की बिक्री को प्रभावित नहीं कर सकते हैं । यह दावा किया गया है कि यदि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा आरम्भिक स्तर पर कार्रवाई की जाती है तो बीआईएफआर को बहुत से मामले भेजने की आवश्यकता से बचाया जा सकेगा । इन संस्थाओं द्वारा शुरू की जाने वाली कार्रवाई में जारी कन्सर्न के रूप में औद्योगिक कम्पनियों की बिक्री शामिल है । अतः औद्योगिक कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की बिक्री को प्रभावी करने के अधिकार केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं को भी दिए जाने चाहिए ।

17. कई औद्योगिक यूनिटों के पास पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति भूमि उपलब्ध है । कई कपड़ा एवं जूट मिलों को पुनः व्यावहारिक बनाया जा सकता है यदि उन्हें अधिशेष भूमि बेचने तथा प्राप्तियों को अधिशेष श्रम के भुगतान तथा आधुनिकीकरण में लगाने की छूट दे दी जाए । इस प्रयोजनार्थ बीआईएफआर को ऐसे मामले में भूमि की बिक्री के आदेश के लिए प्राधिकृत कर दिया जाए, जिनमें प्राप्तियों को बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत स्कीमों को पुनः चालू करने संबंधी काम में लगाया जाए ।

18. लघु उद्योगों को शामिल करने के लिए बीआईएफआर के कार्यक्षेत्र को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । चूंकि अधिकतर रुग्ण यूनिट एसएसआई क्षेत्रक में हैं तथा बीआईएफआर के कवरेज में लघु उद्योगों को लाने के किसी भी प्रयास से इसका कार्य बहुत बढ़ जाएगा । इस समय भी बीआईएफआर सिर्फ बड़े उद्योगों से मुख्यतः केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध रखती है । यदि इसके कार्यक्षेत्र में लघु उद्योग भी आ जाएंगे तो इसे बड़ी संख्या में राज्य वित्तीय निगमों से संबंध रखना होगा । लघु उद्योगों के पुनर्स्थापन संबंधी कार्य केन्द्रीय संगठनों के बजाय राज्य सरकारों द्वारा विकेन्द्रीकृत ढंग से अच्छी तरह निपटाए जा सकते हैं ।

19. एसआईसीए के प्रावधानों के अनुसार किसी मामले में यदि प्रवर्तक बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी स्कीम के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस अधिनियम के खंड 33 (1) के तहत दण्डित किया जा सकता है । सभी पार्टियों द्वारा सहमत स्कीमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रावधान को शामिल करना वांछनीय होगा, जो बोर्ड को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, अनुसूचित बैंकों तथा राज्य स्तरीय संस्थाओं को यह निदेश देने के लिए प्राधिकृत करता है कि ऐसे लोगों या फर्मों, जिनमें ऐसे लोग भागीदार हों या किसी कम्पनी या निगमित निकाय जिसके ये लोग निदेशक हों, वित्तीय सहायता न दी जाए ।

20. अस्तित्व में आने के बाद अल्पावधि में ही बीआईएफआर ने रुग्ण औद्योगिक यूनिटों द्वारा अनुभव का जा रहा समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट किया है । लेकिन यदि स्वीकृत स्कीमों के क्रियान्वयन में सुधार नहीं होता है तो इसका महत्वपूर्ण योगदान बेकार हो जाएगा। बोर्ड से स्वीकृत पदों, स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा प्रगति से बीआईएफआर को अवगत कराने की अपेक्षा की जानी चाहिए । यह पाया गया है कि स्कीमों के कार्यान्वयन विशेषतया बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से निधियां जारी होने में बहुत अधिक विलम्ब होता है । समय पर निधियां उपलब्ध न कराये जाने के कारण यूनिट कार्य क्षमता से भी कम स्तर पर काम करती रहती है । स्कीमों के कार्यान्वयन के कारण प्रत्याशित सफलता फीकी पड़ जाती है । यदि स्वीकृत स्कीमों का कार्यान्वयन सिफारिशों तथा बीआईएफआर के निर्णयों की भावना के अनुरूप करना है तो बीआईएफआर को राहत तथा रियायतों के संबंध में अधिदेशात्मक अधिकार भी दिए जाएं ।

21. वित्तीय समस्याओं तथा बैंकों को उत्पादन शुरू होने पर परियोजना फेज में मानीटरिंग पद्धति का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए । यांत्रिकी से उन्हें कम्पनी में आसन्न रुग्णता के प्रथम सिग्नल से ही पता चल जाएगा । मानीटरिंग यंत्रावली इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि उसी ग्रुप से संबंधित विभिन्न औद्योगिक कम्पनियों के कार्य पर दृष्टि रख सके । यह आवश्यक है, चूंकि यह पाया गया है कि एक समूह की यूनिटों में से एक रुग्ण होने पर भी अन्य यूनिटों वित्तीय सस्थाओं तथा बैंकों से वित्तीय सहायता मिलती रहती है ।

22. एसआईसीए के हाल के संशोधनों से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है । बीआईएफआर इन उद्यमों के मामले की जांच करने तथा अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए त्वरित प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर सकती है । यह संभव होगा क्योंकि कई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण सरकार की विभिन्न एजेन्सियों के पास उपलब्ध हैं । इस प्रकार की कार्यवाही से वर्तमान में इन उद्यमों से संबद्ध अनिश्चितताओं को कम करने में सहायता मिलेगी ।

औद्योगिक पुनर्निर्माण तथा श्रम समायोजन

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम को संशोधित किया जाए ताकि धारा-9 (क) इण्डिस्ट्री के तहत् नोटिस की अवधि को मौजूदा 21 दिन से कम किया जाए या अधिक से अधिक 7 दिन । श्रम न्यायालयों तथा ट्रिब्यूनलों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया जाना चाहिए । निर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत निर्णय देने में सक्षम हों, उनके अधिकारियों में भी वृद्धि की जानी चाहिए ।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम के भाग 5 (ख) के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यूनिटों में अस्थायी छंटनी के लिए पूर्व अनुमति से संबंधित प्रावधान को निकाल दिया जाना चाहिए । उसी समय मुआवजे की दर को मूल मजदूरी तथा महंगाई भत्ते के 50% से 75% तक तथा मुआवजे के हक की अवधि को 45 से 90 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए ।

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम के 5(ख) में छंटनी तथा बंदी के लिए पूर्व अनुमति से संबंधित प्रावधान को भी उचित समय पर निकाल दिया जाना चाहिए इसी बीच छंटनी तथा बंदी संबंधी आवेदनों पर निर्णय लेने के अधिकार बीआईएफआर सहित स्वतन्त्र प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए ।

4. अध्याय 5(क) के प्रावधानों को लागू करने की निम्न सीमा को 100 श्रमिकों से 300 श्रमिकों तक बढ़ाया जाना चाहिए जैसा कि 1981 के संशोधनों से पूर्व था ।

5. छंटनी तथा बंदी के लिए मुआवजे की दर को सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 15 दिन की मजदूरी से 1 माह तक की मजदूरी के लिए बढ़ाया जाना चाहिए । गोल्डेन हैंडसेक के मामले में मुआवजे की दर परस्पर सहमति से अधिक होनी चाहिए । सरकार निजी क्षेत्रक के मामले अनुमत्य स्वैच्छिक सेपरेशन स्कीमों के लिए आयकर में रियायतों का निजी क्षेत्रक की स्कीमों के लिए भी विस्तार किया जाना चाहिए ।

6. संरचनात्मक समायोजन को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से सरकार को त्रिपक्षीय परामर्श को बढ़ावा देना तथा औद्योगिक संबंध व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए ।

7. न्यूनतम श्रम मानदंडों का अनुपालन श्रमिक को शोषण से सुरक्षा देने तथा वस्तु तथा सेवाओं की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित करते हुए बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

औद्योगिक पुनर्संरचना में राज्य तथा स्थानीय प्रशासनों की भूमिका

1. राज्य सरकारों को चयनित संवृद्धि केन्द्रों में औद्योगिक यूनिटों की स्थापना हेतु पर्याप्त आधारिक संरचना सुविधाओं को प्रदान करने के उपाय करने चाहिए ।

2. कई राज्य सरकारों ने औद्योगिक संवर्धन नीतियों की घोषणा की है । उनमें मुख्यतः रियायतों तथा प्रोत्साहनों का पैकेज तथा औद्योगिक यूनिटों को इमदाद देना शामिल है । इन रियायतों की उच्च लागत को देखते हुए राज्य सरकारों को ऐसी इमदादों को बंद करने पर विचार करना चाहिए ।

3. राज्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों को लगातार रिशिड्यूल किया जाए । ऐसी रिशिड्यूलिंग को चायानित आधार पर वास्तविक कारणों से ही किया जाना चाहिए । जहां कोई यूनिट अस्थायी मुश्किल में है तथा संशोधित पुनर्अदायगी शिड्यूल के अनुसार ऋण किस्तों को चुकता करने में सक्षम होगी ।

4. कृषि जोत के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक भूमि क्रय करने में औद्योगिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए । इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार तथा घोषित किए जाएं ।

5. कृषि से औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि के परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए तथा निर्णय को आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 8 सप्ताह में आवेदकों को सूचित किया जाना चाहिए ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा भूमि पर कब्जा

8424. श्री हाराधन राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दखलदर" नाम से दर्ज भूमि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के कब्जे में है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि का क्षेत्र कितना है और क्या यह कब्जा वैध है; और

(ग) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने इस संबंध में राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए उद्योगों का पंजीकरण

8425. श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास फिलहाल उत्तर प्रदेश में नए उद्योगों के पंजीकरण के सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित हैं, और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) और (ख) जुलाई 1991 में घोषित नयी औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों के पंजीकरण की सभी योजनाएं समाप्त कर दी गयी हैं ।

[अनुवाद]

पेटेन्ट के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय मानक

8426. प्रो. सुशांत चक्रवर्ती

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेटेन्टों के लिए एक समान अंतर्राष्ट्रीय मानक से विश्व में और अधिक अन्वेषण कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे कुल मिलाकर उत्पादकता में सुधार होगा, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या प्रयास करने का विचार है ताकि देश इन पेटेन्टों को प्राप्त कर सके?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) और (ख) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास के स्तर तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखना है। इस अधिनियम में आविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिए पेटेन्ट्स की मंजूरी देनी की व्यवस्था है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन आविष्कारों पर भारत में वाणिज्यिक परिणाम में कार्य हो सके।

पेटेन्ट दस्तावेजों में निहित प्रौद्योगिकीय सूचना उद्योग एवं अनुसंधान और विकास संस्थानों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नागपुर में एक पेटेन्ट सूचना प्रणाली कार्यालय स्थापित किया है। यह कार्यालय विकसित देशों से पेटेन्ट दस्तावेज प्राप्त करता है और इस सूचना को भारतीय अनुसंधान संगठनों और उद्योग को उपलब्ध कराता है।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड में कच्चे माल की कमी

8427. श्री अनिल बसु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड में श्रमशक्ति के अभाव में मशीनें और संयंत्र बंद पड़े हैं, और उत्पादन का नुकसान हो रहा है; और

(ख) कच्चे माल की सप्लाई न किए जाने के परिणामस्वरूप खोई गए समय के कारण बत्ती तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने टन उत्पादन का नुकसान हुआ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में कच्चे माल की आपूर्ति न किए जाने से उत्पादन का नुकसान नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

8428. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1992 तक महाराष्ट्र के सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) इन उपक्रमों में प्रति वर्ष कितना लाभ/घाटा हुआ और इनमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) महाराष्ट्र की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय निवेश करने का प्रस्ताव है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) 31-3-1991 तक, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सफल परिसम्पत्ति के रूप में कुल पूंजी निवेश 22012.36 करोड़ रुपया था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य राज्यों में स्थित 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय परियोजनाओं, उनके चालू होने की प्रत्याशित तारीख, अनुमोदित मूल्य/संशोधित लागत, प्रत्याशित लागत आदि का ब्यौरा 5-3-1992 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए "लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91" के खण्ड-1 के पृष्ठ संख्या 55 से लेकर 63 तक में दिया गया है ।

विवरण

क्रम० सं०	सरकारी क्षेत्र का उद्यम	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (–) (करोड़ रुपयों में)	कुल रोजगार (संख्याओं में)
1	2	3	4
क.	माल का उत्पादन करने वाले उद्यम		
1.	भारत पैट्रोलियम कारपो० लि०	127.81	1102
2.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०	0.79	2642
3.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	31.97	2296
4.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपो० लि०	120.14	13109
5.	इण्डियन आयल ब्लैंडिंग लि०	3.61	688

1	2	3	4
6.	भारतीय तेल निगम लि० . .	730.04	34508
7.	इण्डियन रेअर अर्थस लि० .	0.76	3751
8.	ल्यूब्रिझोल इण्डिया लि० . . .	8.55	581
9.	महाराष्ट्र एन्टीबायोटिक्स लि० .	(–) 0.65	204
10.	मैंगनीज ओर इण्डिया लि० .	4.71	9425
11.	मझगांव डाक लि० .	3.21	13049
12.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मैल्ट लि० .	2.19	1086
13.	राष्ट्रीय साईकिल निगम लि०	(–) 18.20	1022
14.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि० .	(–) 14.36	14600
15.	नेटेका (महाराष्ट्र साउथ) लि० . .	(–) 32.99	17101
16.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	40.76	5886
17.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि० .	(–) 8.64	3073
18.	वैस्टर्न कोल फील्डस लि० . .	(–) 95.40	86443
ख.	सेवा प्रदायी उद्यम		
19.	एयर इण्डिया . .	81 23	18185
20.	एयर इण्डिया चार्टर्स लि०	0 01	41
21.	भारतीय कपास निगम लि० .	62.85	1214
22.	निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम .	(–) 140 73	520
23.	भारतीय होटल निगम लि०	(–) 13.74	3846
24.	इण्डो होक्के होटल निगम .	(–) 0.16	31
25.	खनिज गवेषण निगम लि० .	(–) 4.56	8758
26.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम .	(–) 0.25	282
27.	भारतीय नौवहन निगम लि० .	95.25	10209
28.	विदेश संचार निगम लि० . .	78.58	2798

कोयले की कालाबाजारी

8429. श्री रोशन लाल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संगठनों तथा व्यक्तियों के राज्यवार नाम क्या हैं जो अपने कोयले के कोटे का अन्य उद्देश्यों के लिए प्रीमियम पर देते हैं तथा जो कोयले के कोटे का उस कार्य के लिए उपयोग नहीं करते जिसके लिए उन्हें यह कोटा स्वीकृत किया जाता है; और

(ख) ऐसे कोटा धारकों द्वारा कोयले की कालाबाजारी करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) कोयला कंपनियों और सरकार को भी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोगिताओं को आवंटित कोयले को परिवर्तित किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति उचित जांच किए जाने के बाद कोयला कंपनियों द्वारा रोक दी जाती है/बंद कर दी जाती है । चूंकि ऐसे संगठनों, कारखानों और व्यक्तियों के, जोकि अपने कोयले का कोटा दे देते हैं, उनके संबंध में कुछ अवधि के बाद कोयला मंत्रालय में कोई केन्द्रीकृत रिकार्ड नहीं रखा जाता है। कुछ अवधि के बाद इस सूचना का संकलन तथा संग्रहण करने में लगी समय अवधि तथा प्रयास काफी मात्रा में होने की संभावना है और यह हो सकता है कि यह प्रयास प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप न हो सकें।

(ख) कोयले की कालाबाजारी को रोकने के लिए कोल इण्डिया लि. निम्नलिखित अवरोधक उपाय किए हैं :—

(1) एक पद्धति शुरू की गई है ताकि वास्तविक उपभोक्ता ही कोयले का कोटा प्राप्त कर सकें।

(2) विभिन्न उद्योगों के लिए उचित उपभोग मानदंडों के आधार पर गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कोयले के कोटे के प्रयोजन को अंतिम रूप दिए जाने के लिए राज्य सरकारों के साथ सक्रिय सहयोग।

(3) कोयले के डिलीवरी आर्डरों की हस्तांतरणता की पद्धति को बंद किया जाना।

एसी बुरी पद्धतियों पर रोक लगाए जाने के लिए कोलियरी नियंत्रण आदेश से संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

महिपालपुर गांव में भूमि अधिगृहण

8430. श्री ललित उराव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में फ्लैटों के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1974 में महिपालपुर गांव की भूमि अधिगृहीत की गई थी;

(ख) अधिगृहीत की गई भूमि का कुल क्षेत्र तथा उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई थी;

(ग) भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति सहित दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उनमें से प्रत्येक को दक्षिण दिल्ली में आवासीय भूखण्ड आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम)

(क) और (ख) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के लिए 29-4-72 को घोषित पंचाट सं. 21820 के माध्यम से महिपालपुर गांव में 61 बीघा 2 विश्वा (12.73 क्षेत्रफल) जमीन अधिगृहीत की गई थी। फ्लैटों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई

जमीन अधिगृहीत नहीं की गई थी। प्रभावित व्यक्तियों/स्वामियों की कुल संख्या, जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, 201 है ।

(ग) चूंकि इस मामले में भूमि का अधिग्रहण दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं आता है अतः केवल मुआवजा ही देय है ।

(घ) और (ङ) (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हैदराबाद में सरकुलर रेलवे

8431. श्री धर्मभिक्षम :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में सरकुलर रेलवे मार्ग के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) रेल पथ की कुल लंबाई और कुल अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) हैदराबाद में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम के संबंध में राइट्स द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार कुल मार्ग दूरी लगभग 23 कि.मी. होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 307 करोड़ रुपए है । राज्य सरकार से परियोजना के निधियन के लिए वित्त पोषण पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया था । यह परियोजना राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों और अन्य अभिकरणों की सहभागिता से निर्माण, परिचालन और अंतरण आधार पर एक पृथक कम्पनी द्वारा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है । तथापि, ऐसी कम्पनी के गठन के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है । निहित जटिलताओं को देखते हुए इस समय परियोजना पूरा होने की समय-सारणी इंगित करना संभव नहीं है ।

खाद्यानों के वितरण के लिए लक्षित समुदाय

8432. श्री राम नाईक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यानों और अन्य अनिवार्य वस्तुओं के वितरण के लिए लक्षित समुदाय का पता लगाने का है ताकि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिल सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न वस्तुएं घटिया किस्म की होती हैं और वस्तुओं की सप्लाई अनियमित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस समय सर्वव्यापी स्वरूप की

है और इसमें आय अथवा पेशे आदि के आधार पर लाभानुभोगियों में अंतर नहीं किया जाता है। तथापि, समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों के तहत आने वाले लगभग 1700 ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संपुष्ट करने के उपाय शुरू किए हैं, ताकि वितरण प्रणाली का बेहतर प्रसार हो सके और ग्रामीण/भीतरी क्षेत्रों में, जहां आबादी के गरीब तबकों का एक बड़ा प्रतिशत निवास करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा उनके द्वारा नामित अभिकरणों को भारतीय खाद्य निगम उनके द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खाद्यान्न जारी करता है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा उनके एजेन्ट कोई खेप अस्वीकार कर सकते हैं, यदि वह निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सप्लाई की जाने वाली चीनी और खाद्य तेल निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप होते हैं। सभी आबंटन अग्रिम में किए जाते हैं और अतः उन्हें अनियमित नहीं होना चाहिए।

त्रिपुरा में गैस पर आधारित उर्वरक एकक

8433. श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में गैस पर आधारित एक उर्वरक एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) वर्तमान औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि, दिनांक 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना सं. 477 (इ) के अनुसार उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग (एस आई ए) में विहित प्रपत्र में एक ज्ञापन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्स आर. पी. जी. इण्डस्ट्रीज लि. कलकत्ता द्वारा 22 नवम्बर, 1991 को औद्योगिक विकास विभाग (एस आई ए) में दिए गए ज्ञापन की प्रति उर्वरक विभाग में प्राप्त हुई है। परियोजना को पश्चिम त्रिपुरा में जम्बाई में स्थापित करने का प्रस्ताव है। यूरिया संयंत्र की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता जैसी कि ज्ञापन में दर्शायी गयी है, 3,50,000 टन प्रति वर्ष है।

निर्यात पर आधारित एकक

8434. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निर्यात पर आधारित एककों की प्राथमिकता के आधार पर स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में अब तक निर्यात पर आधारित कितने उद्योगों की स्थापना की गई है; और

(ग) उड़ीसा में 1992-93 में निर्यात पर आधारित कितने एककों की स्थापना करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) औद्योगिक तथा व्यापारिक नीतियों के उदारीकरण के अनुसरण में सरकार ने 100% निर्यातोन्मुख एकक योजना के तहत एककों की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने संबंधी पद्धति को सरल कर दिया है देखें 1991 का प्रेस नोट सं. 13. अब तक, उक्त योजना के तहत उड़ीसा में एकक स्थापित करने के 23 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं ।

[हिन्दी]

बिहार में कोयला खानें

8435. श्री छेदी पासवान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कोयला खानें कहां-कहां हैं;

(ख) इन खानों से प्रतिदिन कितना कोयला निकाला जाता है;

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान इन खानों से निकाले गए कोयले से कुल कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(घ) इन नए स्थानों के नाम क्या हैं जहां कोयला निकालने का कार्य शुरू किया जा रहा है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथा संभव सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार द्वारा लाभांश

8436. डा. सी. सिलवेरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार अपने सदस्यों को कुछ लाभांश दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष कितना लाभांश दिया गया;

(ग) क्या पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय भंडार ने कई शाखाएं खोली हैं;

(घ) यदि हां, तो वे नई शाखाएं कौन-कौन सी हैं जिन्होंने केन्द्रीय भंडार के लाभ में कई गुना वृद्धि की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में इसके सदस्यों को अधिक लाभांश देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) जी, हां ।

(ख) 1988-89—4,58,187 रुपए (नौ मास के लिए)

1989-90—7,62,140 रुपए

1990-91—7,63,566 रुपए

(ग) जी, हां ।

(घ) केन्द्रीय भंडार की 87 पुरानी और नई शाखाएं हैं । प्रत्येक भंडार की अलग लेखा-बाही नहीं होती है अतः अलग-अलग शाखाओं के लाभ का हिसाब लगा पाना संभव नहीं है । तथापि वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय भंडार ने समग्र रूप में 72.01 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है ।।

(ङ) और (च) केन्द्रीय भंडार अपने उप-नियमों के अंतर्गत अपनी शेयर-पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक लाभांश घोषित नहीं कर सकता । अतः 10 प्रतिशत से अधिक लाभांश को घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तथा उपलब्धता

8438. श्रीमती छिन्न कुमारी भंडारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों तथा उनकी उपलब्धता पर निगरानी रखने हेतु कोई विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उपायों की समय-समय पर समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम बार की गई समीक्षा संबंधी टिप्पणियां क्या हैं;

(ङ) क्या इन कदमों से वांछित परिणाम निकले हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद : (क) जी, हां ।

(ख) से (छ) मूल्यों में वृद्धि एक गम्भीर चिंता का विषय है । सरकार उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की विवेकी आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा साथ ही मूल्य वृद्धि के रुख को नियंत्रित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति गठित की है । अन्य आर्थिक मंत्रालयों के मंत्री भी इस समिति के सदस्य हैं । यह समिति नियमित अंतरालों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व मांग की उस समय चल रही स्थिति की समीक्षा करती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करती है ।। आपूर्ति

प्रबंध में आचार ढांचे संबंधी बाधाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित मूल्यों की परिवीक्षा के बारे में सचिवों की विशेष कार्यवाही समिति की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा मूल्यों की वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर नियमित रूप से पुनरीक्षा करती है। इन बैठकों में मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की प्रभावकारिता की पुनरीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य उचित स्तरों पर बने रहें। इन समितियों ने हाल के महीनों में खाद्य तेलों, गेहूं, चीनी तथा सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग व आपूर्ति की तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि करने, गेहूं तथा चावल की अधिप्राप्ति करने और ढुलाई संबंधी बातों आदि की समीक्षा की है। इन पुनरीक्षाओं के परिणामस्वरूप अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर संयतकारी प्रभाव देखा गया है और कुछ मामलों में उनके मूल्यों में हाल के महीनों में गिरावट का रुख दिखाई दिया है।

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत केरल में युवकों को प्रशिक्षण

8439. **श्री वी. एस. विजय राघवन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान केरल में स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया जिन्हें अभी स्वरोजगार दिया जाना है;

(ख) प्रशिक्षित युवकों की संख्या और लाभप्रद रोजगार में अत्यधिक अंतर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अंतर को समाप्त करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को उनकी दक्षता के विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार कर सकें। 1989-90 तथा 1990-91 में दिए गए प्रशिक्षण के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

अवधि	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	स्वरोजगार में लगे	मजदूरी रोजगार में लगे	शेष युवा जिनको रोजगार नहीं मिला
1989–90	6146	1698	2743	1705
1990–91	5657	1809	2651	1197

स्वरोजगार में लगे युवाओं के प्रतिशत में कमी के कारणों में एक कारण यह है कि प्रशिक्षार्थी मजदूरी रोजगार को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि स्वरोजगार में जोखिम ज्यादा होता है। दूसरा कारण यह है कि कुछ प्रशिक्षित युवाओं ने प्रशिक्षण के पश्चात् स्वरोजगार शुरू करने में विशेष रुचि नहीं दिखाई है। सहायक सेवाओं में भी कुछ अड़चन है।

(ग) केरल राज्य के ग्रामीण विकास आयुक्त ने जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं की बैठक आयोजित करें तथा उन्हें स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार मुहैया करवाने के लिए सभी संभव कदम उठाएं । जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां ट्राइसेम प्रशिक्षण के बाद रोजगार चाहने वाले युवाओं से नियमित रूप से संपर्क कर रही हैं ।

पेनिसिलीन का आयात

8440. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेनिसिलीन के आयात की प्रक्रिया को उदार बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं। पेनिसिलीन का आयात निर्यात-आयात नीति 1992--97 की नकारात्मक सूची में रखा गया है और इसके **कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)** : कार्य-निष्पादन के लिए परिवीक्षण आवश्यक है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयल पाम प्रदर्शन परियोजनाएं

8441. श्री भाग्य गोवर्धन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के कहने पर चलायी जा रही आयल पाम प्रदर्शन परियोजनाओं ने विशेष प्रकार के उत्तकों के संवर्धन सहित आयल पाम की खेती के विभिन्न पहलुओं के लिए अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में परिणामों की व्यावसायिक संभावना क्या है; और

(घ) हमारे देश में किन-किन परिस्थितियों में आयल पाम की खेती संभव है और राज्यवार ऐसे संभावित क्षेत्र कितने हैं जहां यह खेती की जा सकती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी हां । बायोटेक्नोलाजी विभाग ने तेल ताड़ प्रवर्धन की उत्तक संवर्धन तकनीकों के मानकीकरण के लिए केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासारगोड तथा भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, बम्बई में 1986-87 के दौरान तेल ताड के उत्तक संवर्धन प्रवर्धन संबंधी कार्यक्रम प्रायोजित किए थे । कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए लगभग 60 उत्तक संवर्धन तेल ताड़ पादपक खेत में लगा दिए गए हैं ।

मार्च, 1992 के दौरान तेल ताड़ के जल संबंधों तथा प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए एक अन्य परियोजना केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची केरल में आरम्भ की गई है ।

(ग) तेल ताड़ उत्तक संवर्धन के परिणामों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए परिपक्व श्रेष्ठ वृक्ष हेतु प्रयोगशाला तकनीकों के और मानकीकरण तथा कई वर्षों तक तेल ताड़ पादपकों के कार्य-निष्पादन के लिए परिवीक्षण आवश्यक है ।

(घ) हमारे देश में जिन परिस्थितियों के अंतर्गत तेल ताड़ की खेती संभव है, वे इस प्रकार है :—

— 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम मासिक माध्य तापमान, जो 18 डिग्री सेल्सियस से कम न हो तथा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम माध्य तापमान ।

— वार्षिक वर्षा लगभग 125 मि. मी. के मासिक औसत के साथ साल भर समान रूप से वितरित लगभग 1800 से 3000 मि. मी. तक । जहां वर्षा का वितरण कम समान है, वहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ।

— गहरी नमी युक्त अच्छी जल निकासी वाली मध्यम दोमट मिट्टी ।

— राज्यवार सम्भाव्य क्षेत्र (लाख हैक्टेयरों में), जिसमें सिंचित परिस्थितियों में तेल ताड़ की खेती व्यवहार्य है, इस प्रकार हैं :—आन्ध्र प्रदेश (2·50), असम (0·10), कर्नाटक (2·50), केरल (0·05), महाराष्ट्र (0·10), उड़ीसा (0·10), तमिलनाडु (0·25), त्रिपुरा (0·25), पश्चिम बंगाल (0·10)।

[हिन्दी]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में विभाजन

8442. **श्री भवानी लाल वर्मा :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को विभाजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इस विभाजन से प्रभावित होने वाली खानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) से (ग) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को विभाजित कर दिया गया है और कोल इण्डिया लि. के अंतर्गत एक सहायक कम्पनी जिसका नाम महानदी कोलफील्ड्स लि. है संभलपुर (मुख्यालय) के साथ दिनांक 3-4-1992 को स्थापित की गई है । महानदी कोलफील्ड्स लि. के अधीन उड़ीसा राज्य के कोयला क्षेत्रों को रखा गया है, जबकि बकाया कोलियरियां साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अधीन कार्यरत रहेंगी ।

[अनुवाद]

बंगाल पोटरीज को पुनः चालू करना

8443. **श्री वसुदेव आचार्य :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा कंसलटेंट्स ने 1986 में बंगाल पोटरीज लिमिटेड कलकत्ता के लिए एक पैकेज तैयार किया था जिसमें 10 करोड़ रुपए इसके आधुनिकीकरण तथा 5 करोड़ रुपए कार्यकारी पूंजी के लिए रखे गए थे तथा इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी सम्मिलित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना को केन्द्र सरकार ने सितम्बर, 1987 की अधिसूचना को रद्द करने के बाद अस्वीकृत कर दिया था;

(ग) क्या बाजार पर निजी क्षेत्र का अधिपत्य स्थापित करने हेतु उक्त अधिसूचना रद्द की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. कुरियन) : (क) 1986 में टाटा आर्थिक परामर्श सेवाएं (टी ई सी एस) द्वारा बंगाल पोटरीज लि. के जीव्यता अध्ययन में निहित वित्तीय प्रायोजनाएं इस प्रकार थीं :—

	(रुपए करोड़ में)
कार्यशील पूंजी	5.94 करोड़ रुपए
प्रारम्भिक अवधि के दौरान कर्मचारियों का वेतन	2.30 करोड़ रुपए
ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पर श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति	2.44 करोड़ रुपए
योग :	10.68 करोड़ रुपए

(ख) सरकार ने टी ई सी एस रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक जांच की है तथा इसे सम्भाव्य नहीं पाया है क्योंकि इसमें पूर्व दायित्वों को पूरा करने की व्यवस्था नहीं है । इसके अलावा, इसने वेतन तथा मजदूरी को विद्यमान स्तर पर स्थिर कर दिया है जो मजदूर संघ को स्वीकार्य नहीं है । 10 करोड़ रुपए के विशाल अतिरिक्त निवेश के पश्चात् भी रिपोर्ट, परियोजना की जीव्यता को सिद्ध नहीं कर पाई है । अतः एकक को गैर अधिसूचित करने का निर्णय किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

आवंटित भूखंडों पर मकानों के निर्माण हेतु आवंटितियों को धनराशि देना

8444. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में हुडको जैसे आवासीय संगठनों द्वारा आवंटित भूखंड के आवंटितियों को मकान बनाने के लिए कितनी धनराशि दी गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. वरलक्ष्मप्पन) :

हुडको, राज्य आवास एजेन्सियों द्वारा व्यक्तिगतों को आवंटित भूखंडों पर मकानों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष तौर पर ऋण नहीं देता है। तथापि, हुडको, विकसित भूखंडों पर मकानों के निर्माण हेतु इन एजेंसियों तथा आवास सहकारी समितियों को ऋण सहायता उपलब्ध करता है। मध्य प्रदेश में हुडको ने अपने प्रारम्भकाल से 29-2-92 तक 303.50 करोड़ रुपए की हुडको ऋण वचनबद्धता के साथ 350354 रिहायशी एककों, 7328 गैर-रिहायशी एककों के निर्माण तथा 116361 भूखंडों के विकास हेतु विभिन्न उधार लेने वाली एजेंसियों के लिए 584 परियोजनाएं अनुमोदित की है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को सातवीं और आठवीं योजना के दौरान आवंटन

8445. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश को कुल कितनी योजना-धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) योजना धनराशि का जिन कार्यों के लिए उपयोग किया गया है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश को कितनी योजना-धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए साल दर साल कुल अनुमोदित परिव्यय 5560 करोड़ रु. था।

(ख) राज्य सरकार ने वास्तव में 5977.15 करोड़ रु. खर्च किए हैं। क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

सातवीं योजना व्यय	(करोड़ रु.)
1. कृषि व सम्बद्ध कार्यकलाप	271.62
2. ग्रामीण विकास	504.86
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.12
4. सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	1434.70
5. ऊर्जा	1044.35
6. उद्योग व खनिज	299.20
7. परिवहन	605.48
8. संचार	—
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	7.87
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं	16.12
11. सामाजिक सेवाएं	1718.47
12. सामान्य सेवाएं	74.36
कुल जोड़	5977.15

(ग) आंध्र प्रदेश के लिए आठवीं योजना परिव्यय 10500 करोड़ रु. निर्धारित किया गया।

[हिन्दी]

कीटनाशकों के उत्पादन के लिए नई इकाईयां

8446. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कीटनाशकों के उत्पादन हेतु और इकाईयों को स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मनगागिरि, आन्ध्र प्रदेश में टायर कारखाना

8447. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मानगागिरि से टायर कारखाने के निर्माण हेतु किसी स्थल का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) क्या उक्त कारखाने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) जी, हां। मनगागिरि, जिला गुन्तूर, आन्ध्र प्रदेश में टायर कारखाने के निर्माण के लिए एक स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है और इसका कब्जा मैसर्स आंध्र प्रदेश आटोमोबाइल टायर एण्ड ट्यूब्ज लिमिटेड को दे दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी तक सहप्रवर्त्तक के चुनाव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

प्लाटों का विकास

8448. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी के विभिन्न सैक्टरों विशेष रूप से सैक्टर 22 में आवंटितियों को प्लाट का कब्जा देने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से विकसित किया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नीति में परिवर्तन करने का तथा प्लाटों को पूरी तरह विकसित करने के पश्चात् उनका कब्जा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सैक्टर 22, रोहिणी में प्लाटों का कब्जा सौंपते समय मूलभूत सुविधाएं पूर्णतया विकसित नहीं थीं। हालांकि, किसी क्षेत्र में रोड नैटवर्क पूरा होने के पश्चात् ही प्लाटों का कब्जा सौंपा जाता है। रोहिणी रिहायशी योजना के संबंध में पट्टा करार में एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आवंटियों द्वारा प्लाट का कब्जा लेने की तारीख से एक निर्धारित अवधि के अंदर रिहायशी एककों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः दिल्ली विकास प्राधिकरण भौतिक अवसंरचना कार्य पूरा होने से पहले ही भवन-निर्माण कार्यकलाप सौंपने में समर्थ होता है। ताकि निर्माण कार्यकलाप सेवाओं के विकास के साथ-साथ निष्पादित किए जाएं जिससे अनावश्यक विलंब को रोका जा सकता है तथा प्लाटों के आवंटिती मूलभूत सुविधाओं के पूर्ण विकास की प्रतीक्षा किए बिना निर्माण कार्य पूरा कर सकते हैं। निर्माण तथा सुविधाओं का विकास साथ-साथ होने से विलंब के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है।

(ग) और (घ) चूंकि यह अनिवार्यतः एक प्रशासनिक मामला है और इसलिए इस प्रयोजनार्थ विनियमों को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है अतः नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों के आरक्षित पद

श्री शरद यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विभागों में कुल कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं तथा इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वैज्ञानिकों की संख्या, श्रेणी-वार, कितनी है;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत कोई व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो सीधे भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा, अलग-अलग कितने पदों को भरा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को लाभ/हानि

8450. श्री सत्य पाल सिंह यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड में इस समय कितने महाप्रबन्धक कार्य कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान् उठाए गए घाटे का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(लाख रुपये में) नकद हानि	निवल हानि
1989-90	1837	4289
1990-91	1764	4825
1991-92 (अनंतिम)	1515	5280

(ख) इस समय स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में मात्र एक महाप्रबन्धक कार्यरत है ।

[अनुवाद]

ब्रेक-वाटर वेव पावर प्रोजैक्ट

8451. श्री सुधीर सावन्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत "ब्रेक-वाटर वेव पावर" उत्पादन प्रणाली हेतु तकनीकी का पूर्णतया विकास किया गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में इस प्रकार की कोई परियोजना शुरू की जा रही है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कृषि मंत्रालय गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस प्रकार की किसी एकीकृत योजना तैयार करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) 150 किलोवाट का एकमात्र तरंग ऊर्जा संयंत्र विंजिंजम में त्रिवेन्द्रम के पास स्थापित किया गया एवं समुद्री तरंग विद्युत उत्पादन की प्रौद्योगिकी का अक्तूबर 1991 में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। तरंगरोध एकीकृत तरंग ऊर्जा प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां, श्रीमान ।

(ङ) केरल में थंगास्सेरी के मत्स्यन बंदरगाह पर तरंगरोध एकीकृत तरंग ऊर्जा प्रणाली को निर्मित करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव कृषि एवं सहकारिता विभाग के विचार विमर्श से प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद, तरंगरोध एकीकृत तरंग ऊर्जा प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अन्य प्रयोक्ताओं को स्थानान्तरित करने पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

बहु राष्ट्रीय कंपनी द्वारा हल्दिया, पश्चिम बंगाल में पेट्रो रसायन फैक्ट्री की स्थापना

8452. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हल्दिया, पश्चिम बंगाल में बहु राष्ट्रीय कम्पनी की एक पेट्रो रसायन फैक्ट्री की स्थापना करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की राय मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये जाली भुगतान

8453. **श्री बारेलाल जाटव :**

क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए जाली भुगतान के बारे में 11 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये जाली भुगतान के बारे में सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) और (ख) इस मामले में सूचना एकत्र की जा रही है तथा जब तक सभी दस्तावेजों की जांच नहीं कर ली जाती है तब तक इस पर टिप्पणी करना असामयिक होगा।

(ग) जांच में, काफी बड़ी तादाद में तकनीकी दस्तावेजों की जांच-पड़ताल निहित है और जांच की प्रक्रिया समय लेने वाली है।

[अनुवाद]

कोयले की खपत

8454. **प्रो. अशोक आनन्दराव देशमुख :**
श्री साईमन मरान्डी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला उपभोक्ता क्षेत्रों में कोयले की वर्षवार और क्षेत्रवार कुल कितनी खपत हुई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला खानों द्वारा कोयले का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. चामगोंड) :

(क) इस संबंध में सूचना नीचे दी गई है :—

(मि० टन में)

क्षेत्र	कोयले का उठान (अनन्तिम)		
	1989–90	1990–91	1991–92 (अनन्तिम)
इस्पात	28.37	30.05	*25.57
विद्युत			
(क) कच्चा कोयला	113.00	116.72	134.60
(ख) मिडलिंग्स	2.12	2.07	2.30
रेलवे	5.73	5.17	4.42
सीमेंट	8.74	9.74	9.97
उर्वरक	3.97	3.90	4.23
अन्य जिसमें कोलियरी उपभोग उपभोग शामिल है)	39.98	44.49	44.06
जोड़			
(क) कच्चा कोयला	199.79	210.07	222.85
(ख) मिडलिंग्स	2.12	2.07	2.30

*आयातित कोयले को छोड़कर

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनीवार कोयले के उत्पादन को नीचे दिया गया है :—

(मी० टन में)

कम्पनी	कोयला उत्पादन		
	1989–90	1990–91	1991–92 (अनन्तिम)
1	2	3	4
ई०को०लि०	24.49	23.47	24.52
भा०को०को०लि०	29.61	26.70	27.00
स०को०लि०	28.61	30.05	31.20

1	2	3	4
ना०को०लि०	23.28	27.88	30.88
वे०को०लि०	23.01	22.78	24.74
सा०ई०को०लि०	51.78	58.08	64.85
ना०ई०को०	0.84	0.68	0.95
जोड़	178.62	189.64	204.14
सि०को०कं०लि०	17.80	17.71	20.58
टिस्को/इस्को एवं दा०धा०नि०	4.47	4.38	4.36
कुल जोड़	200.89	211.73	229.28

(ग) और (घ) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में कोयले का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। उत्पादन में कमी मुख्यत: ई०को०लि०, भा०को०को०लि० तथा से०को०लि० से रही। इसके निम्नलिखित कारण हैं —भूमिगत खानों में पानी का भर जाना, विद्युत की अनापूर्ति, गैर-हाजरी, औद्योगिक संबंधी समस्याएं आदि हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान किए गए प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष कोयले का उत्पादन निर्धारित किए गए 228 मि० टन लक्ष्य की तुलना में अधिक हुआ।

दुपहिया वाहन कम्पनियों के कार्यनिष्पादन

8455. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत दुपहिया वाहनों की कम्पनियों का भविष्य अन्धकारमय है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी कम्पनियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या इनमें से कुछ कम्पनियों के बन्द होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी कम्पनियों के बन्द होने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. अंगन) :

(क) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे तीन उद्यम हैं जो साइकिलों तथा स्कूटरों के विनिर्माण में लगे हुए हैं। किसी उद्यम को बन्द नहीं किया गया है। बहरहाल, सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यम रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अधीन, रुग्ण उद्यमों के रूप में अभिज्ञात

किए गए हैं और उपयुक्त पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने के लिए इन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाना अपेक्षित है।

केरल में पंचायती राज के प्रशिक्षण हेतु संस्थान

8456. श्री वे. चोक्का राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार की पंचायती राज तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु एस. आई. आर. डी. के अतिरिक्त एक और संस्थान की स्थापना करने में सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सहायता किस योजना के अंतर्गत दी गई है;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएं आरम्भ किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) :

(क) और (ख) "पंचायत विकास और प्रशिक्षण" योजना के अंतर्गत केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, त्रिसूर को अभी तक 61.25 लाख रुपए की अनुदान सहायता रिलीज की गई है।

(ग) किसी अन्य राज्य से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

8457. श्री काशीराम राणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम के लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने उपक्रम हैं जिन्हें घाटे में चलने के कारण बंद कर दिया गया है;

(ग) इन उपक्रमों की रूग्णता के क्या कारण हैं और उन्हें पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या इन उपक्रमों में कार्य करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायेगी; और

(घ) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के अधीन नए उपक्रम स्थापित करने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) और (ख) 31-3-1991 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो ऐसे उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में हैं। विगत तीन वर्ष के उनके निवल लाभ एवं घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

	निवल लाभ/घाटा		
	1990-91	1989-90	1988-89
1. इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स लि०	57.25	81.24	89.56
2. एन टी सी (गुजरात) लि०	21.95	—27.88	39.50

इनमें से किसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम को बन्द नहीं किया गया है।

(ग) अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अतिरिक्त श्रमशक्ति आदि रूग्णता के कारण हैं। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के तहत उपरिवर्णित दो उद्यमों में से केवल एन. टी. सी. (गुजरात) लिमिटेड को ही रूग्ण सरकारी उद्यम के रूप में निर्धारित किया गया है तथा इसके पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन हेतु योजना बनाने के लिए इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है। पुनर्नवीकरण संबंधी ऐसी योजना बनाते समय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल कामगारों के हितों के संरक्षण हेतु सुझाव मांग सकता है। बहरहाल, पुनर्स्थापन संबंधी ऐसे पैकेजों से संभाव्य रूप से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष का भी गठन किया गया है।

(घ) सरकारी क्षेत्र में नए उपक्रमों की स्थापना का निर्णय परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा राष्ट्र के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है।

अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

8458. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश की कितनी फर्मों को वर्ष 1987 से अब तक ऐसे कितने पुरस्कार दिए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) उद्योग में इन-हाउस अनुसंधान और विकास उपलब्धियों के लिए डीएसआइआर के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने हेतु अपनाए जाने वाले मानदंड इस प्रकार हैं : डीएसआइआर के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले उद्योगों के पास अपना इन-हाउस अनुसंधान और विकास यूनिट डीएसआइआर द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इन-हाउस अनुसंधान और विकास यूनिट द्वारा पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्यक्रम अच्छी आर्थिक संभाव्यता वाले होने चाहिए जैसे : संसाधन

उपयोग, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात, ऊर्जा-संरक्षण, कीमत में कमी, वाणिज्यीकरण संभावनाएं (भविष्य), सामाजिक प्रभाव और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति में योगदान। ऊपर उल्लिखित कारकों में दिए गए मानदण्डों पर आधारित उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाली फर्मों के बारे में निर्णायक समिति (जूरी) द्वारा पुरस्कार देने के लिए प्रतिवर्ष विचार किया जाता है।

(ख) वर्ष 1989 में विद्युत उद्योग सेक्टर के क्षेत्र में इन-हाउस अनुसंधान और विकास उपलब्धियों के लिए मध्य प्रदेश की एक फर्म (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल) ने डीएसआइआर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीनिवेश

8459. **श्री श्रीकान्त जेना :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में मझौले और बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कुल कितनी पूंजी का निवेश करने का प्रस्ताव है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. कुरियन) :

(क) और (ख) राज्य सरकार और योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार बड़े तथा मझौले उद्योगों के अंतर्गत आठवीं योजना (1992—97) परिव्यय का प्रस्ताव 210.10 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के अन्तर्गत आठवीं योजना (1992--97) परिव्यय का प्रस्ताव 81.93 करोड़ रु. है। तथापि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, बड़े तथा मझौले उद्योगों के अन्तर्गत राज्य योजना क्षेत्र में वर्ष 1991-92 का परिव्यय 2872 लाख रु. है। ग्राम्य तथा लघु उद्योग के अन्तर्गत राज्य योजना क्षेत्र में वर्ष 1991-92 का परिव्यय 1853 लाख रु. है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट, वेल्लोर, केरल का विस्तार

8460. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दि हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट वेल्लोर, केरल का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के विस्तार के लिए कितनी राशि नियत की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) और (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के आठवीं योजना के प्रस्तावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. की क्षमता, दो चरणों में, दुगुनी करने की परिकल्पना की गई है। इन योजना प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विदेशी निवेशकों के लम्बित प्रार्थना पत्र

8461. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उद्यमियों ने भारत में नये उद्यम लगाने के लिए 31 जनवरी, 1992 तक संघ सरकार से संपर्क किया;

(ख) नई औद्योगिक नीति की घोषणा से पूर्व विदेशी निवेशकों के कितने प्रार्थना पत्र सरकार के पास लम्बित हैं और कितने प्रर्थना पत्रों का 15 फरवरी, 1992 तक निपटान किया गया; और

(ग) सरकार की नई आर्थिक और औद्योगिक नीति के प्रति अप्रवासी भारतीयों की ताजी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. कुरियन) :

(क) जुलाई, 1991 में नई, औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् भारत में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए 31 जनवरी, 1992 तक उद्यमियों द्वारा औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में 3550 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं ।

(ख) नई औद्योगिक नीति की घोषणा से लेकर 31 मार्च, 1992 तक सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1062 विदेशी सहयोग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें विदेशी निवेश के 364 प्रस्तावों की मंजूरी शामिल है जिनमें 1256.89 करोड़ रुपए की विदेशी इक्विटी शामिल है।

(ग) जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा से लेकर जनवरी, 1992 के अन्त तक विशेष अनुमोदित समिति ने 300 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत से परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

सरकारी महिला कर्मचारियों को हास्टल आवास

8462. श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए "विशेष पूल" श्रेणी के अंतर्गत हास्टल आवास उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो विशेष पूल के अंतर्गत हास्टल आवास का कोटा किन-किन कार्यालयों के लिए है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को भी हास्टल आवास देने का विचार है जिनके पूल में हास्टल आवास नहीं है?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) से (ग) विशेष पूलों को संबंधित प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है । उनके द्वारा, पात्र कर्मचारियों को उस पूल से हास्टल सहित सभी श्रेणियों के वास मुहैया कराना अपेक्षित है । ऐसे कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को केवल इन्हीं पूलों से ही हास्टल वास आवंटित किया जा सकता है। चूंकि साधारण पूल रिहायशी वास पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है, अलग पूलों वाले कार्यालयों की महिला कर्मचारियों को साधारण पूल से हास्टल वास का आवंटन नहीं किया जा सकता है।

मारूति उद्योग लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

8463. श्री राम निहोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारूति उद्योग लिमिटेड में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद खाली पड़े हुए हैं; और

(घ) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) और (ख) मारूति उद्योग लिमिटेड में 31-3-92 को कुल 3993 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या 516 थी ।

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 31-3-92 को शेष रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

	अनु० जाति	अनु० जनजाति
समूह क	20	16
समूह ख	लागू नही होता*	
समूह ग	(7)**	2

*अप्रैल 1990 से समूह "ख" में भर्ती बंद कर दी गई है ।

**अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को अधिक संख्या में लिया गया ।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शेष रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) समूह "क" में, मारूति उद्योग लि., प्रत्येक भर्ती में यह प्रयत्न कर रही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को निर्धारित कोटा से अधिक संख्या में भर्ती किया जाये।

(2) समूह "ग" में अनुसूचित जाति के लिए कोई रिक्ति नहीं है । अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सामान्यत: उपलब्ध नहीं हैं ।

घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए त्रिपक्षीय समिति

8464. श्री प्रफुल पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे में चल रहे प्रत्येक उद्यम के बारे में कोई "स्थिति पत्र" तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में विभिन्न श्रमिक संघों से भी संपर्क किये गये हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किसी विशेष त्रिपक्षीय समिति का भी गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या हाल ही में इस समिति की कोई बैठक हुई है;

(ङ) यदि हां, तो बैठक का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस समिति में कुछ संसद सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है; और

(छ) समिति के सदस्य कौन-कौन हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की स्थिति (खंड 1 एवं 2) के संबंध में एक विनिबन्ध (मोनोग्राफ) तैयार किया है जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्ष 1990-91 तक के कार्य-निष्पादन पर आधारित है। चूंकि विनिबन्ध में वास्तविक कार्य-निष्पादन संबंधी ब्यौरे हैं, इसलिए विनिबन्ध (मोनोग्राफ) की तैयारी में श्रमिक संघों से परामर्श नहीं किया गया है ।

(ग) से (ङ) श्रमिकों तथा अन्य संबंधित मुद्दों को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव के बारे में विचार करने तथा उपयुक्त अनुशंसाएं करने हेतु श्रम मंत्रालय द्वारा एक विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। अब तक इस समिति की दो बैठकें (दिसम्बर, 1991 तथा जनवरी, 1992) आयोजित की जा चुकी हैं । सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार के साथ-साथ राज्य सड़क परिवहन निगमों, राज्य विद्युत बोर्डों, इंजीनियरी उद्योग, वस्त्र, जूट आदि जैसे उद्योगों, जिनमें रूग्ण एककों की संख्या काफी अधिक है, में त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति के पुन: प्रवर्तन/गठन संबंधी विविध मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(च) और (छ) विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति में (क) केन्द्रीय सरकार (ख) नियोक्ता तथा (ग) कामगारों के प्रतिनिधि शामिल हैं । विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति में सांसदों को शामिल नहीं किया गया है ।

[हिन्दी]

राज्यों में जवाहर रोजगार योजना को तथाकथित रूप से बन्द करना

8465. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना को इस बीच किन-किन राज्यों में बन्द करने का निर्णय लिया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) अधूरी पड़ी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधूरे कार्यों को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) :

(क) जवाहर रोजगार योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। दिल्ली तथा चंडीगढ़ के आस-पास के गांवों में रोजगार के काफी अवसर हैं क्योंकि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 1991-92 के दौरान दिल्ली और चंडीगढ़ के केन्द्र शासित क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन को बंद कर दिया गया है।

(ख) और (ग) लगभग 2.20 लाख पंचायतें हैं जिनके तहत एक गांव से लेकर 10 गांव हैं। सभी पंचायतों में छोटे और बड़े सभी निर्माण कार्य वास्तविक रूप में आरम्भ किए जाते हैं। इसके अलावा, लगभग 460 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा भी निर्माण ब्यौरे रखना संभव नहीं है । योजना के लिए जारी की गई मार्ग दर्शिकाओं के तहत नए ब्यौरे रखना संभव नहीं है । योजना के लिए जारी की गई मार्ग दर्शिकाओं के तहत नए निर्माण कार्य शुरू करने की बजाय अधूरे कार्यों को पूरा करने की तरजीह दी जानी चाहिए तथा ऐसा कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए जो दो वर्ष के भीतर पूरा नहीं हो सकता हो ।

[अनुवाद]

बासिल, स्विटजरलैंड का उच्च प्रौद्योगिकी मंच

8466. श्री प्रताप राव बी. भोंसले

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासिल स्विटजरलैंड के किसी उच्च प्रौद्योगिकी मंच ने हाल ही में भारत की यात्रा की है;

(ख) क्या भारतीय उद्योग महासंघ ने स्विटजरलैंड के शिष्टमण्डल के साथ कोई बैठक की थी;

(ग) यदि हां, तो की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन चर्चाओं के दौरान स्विटजरलैंड ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौते करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन चर्चाओं के बाद अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कुछ कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) जी, हां । बासिल, स्विटजरलैंड के उच्च प्रौद्योगिकी मंच ने 4 से 14 मार्च, 1992 तक भारत का दौरा किया था।

(ख) जी, हां। भारतीय उद्योग महासंघ ने 5 मार्च, 1992 को मंच के साथ एक बैठक का आयोजन किया था।

(ग) और (घ) भारतीय उद्योग महासंघ ने बताया है कि मंच के साथ हुई बैठक के दौरान, दोनों देशों के बीच व्यापार और उद्योग में सहयोग बढ़ाने के अवसरों के संबंध में विचारविमर्श हुआ था । इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में भारत की क्षमता और परीक्षण तथा परमाणु उपकरणों, चिकित्सा, इलैक्ट्रानिक उपकरण, नियंत्रण प्रणालियों, कम्प्यूटर और उपभोक्ता वस्तुओं तथा उपकरण निर्माण करने की इसकी क्षमता का उल्लेख किया गया था । भारतीय उद्योग ने भी नियंत्रण इंजीनियरी, औद्योगिक सैरेमिक्स सहित नई सामग्री, प्लास्टिक और पाउडर धातु विज्ञान, रोबोटिक्स इत्यादि के क्षेत्रों में स्विटजरलैंड की प्रौद्योगिकी में अपनी रुचि जाहिर की थी । स्विटजरलैंड के मझौले और लघु उद्योग को अगले वर्ष फरवरी में होने वाले भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले में भाग लेने की भी पेशकश की गई थी । भारतीय उद्योग महासंघ ने बताया है कि शिष्टमण्डल ने मशीन औजार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, इलैक्ट्रानिक्स, इत्यादि जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में सहयोग की पेशकश की है ।

(ङ) और (च) दोनों देशों के संबंधित उद्यमों द्वारा प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए बातचीत चल रही है और यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

[हिन्दी]

"साफ्ट कोक" की खपत

8467. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले "साफ्ट कोक" की राज्य-वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) क्या कोयला की निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों से उसकी मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो सरकार ने इसकी कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में "साफ्ट कोक" की न्यूनतम आवश्यकता कितनी है; और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान इसकी आपूर्ति में कमी के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, आदि द्वारा किए गए साफ्ट कोक के प्रेषण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र (आंकड़े 000 टन में)

1.	2.
1. बिहार	436.4
2. पश्चिम बंगाल	244.4
3. उत्तर प्रदेश	26.0
4. मध्य प्रदेश	3.8
5. गुजरात	1.7
6. राजस्थान	0.4
7. दिल्ली	40.8
8. हरियाणा	0.2
9. कर्नाटक	0.8
10. जम्मू एवं काश्मीर	0.3
11. हिमाचल प्रदेश	0.2
12. असम	9.5
13. सिक्कम	9.2
14. नागालैंड	5.7
15. अरूणाचल प्रदेश	0.5
16. मिजोरम	3.3
17. अन्य	29.3
जोड़	812.5

(ख) सरकार द्वारा साफ्ट कोक की घरेलू प्रयोग के लिए एक्स-कोलियरी कीमत 175/- रु. प्रति टन निर्धारित की गई है। इसकी कीमत में दिनांक 27-5-1982 से संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में आवंटित किए गए साफ्ट कोक की मात्रा 2,40,000 टन थी। किन्तु वास्तविक आपूर्ति बहुत कम मात्रा में की गई थी। साफ्ट कोक के उत्पादन में कुछ वर्षों से गिरावट मुख्यत: प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के कारण आ रही है। सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड साफ्ट कोक का उत्पादन किए जाने के मामले में कोयला कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रही है, जोकि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रदूषण पैदा किए जाने के कारण है ।

[अनुवाद]

किराया नीति में संशोधन

8468. श्री राम प्रकाश चौधरी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किराया नीति में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इसकी संशोधित नीति को कब तक घोषित करने का है और वह कब से प्रवृत्त होगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) और (ख) किराया राज्य विषय है और विभिन्न राज्य सरकारों के अपने किराया नियंत्रण कानून हैं । फिर भी, किराया नियंत्रण कानून के अवरोधक पहलुओं को दूर करने और किराया आवास के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए माडल किराया विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है।

माडल विधेयक को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कोयले की उत्पादन लागत

8469. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति टन कोयले की उत्पादन लागत कितनी है; और

(ख) इसकी उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) :

(क) कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. में वर्ष 1990-91 के दौरान कोयले की उत्पादन लागत क्रमश: 277.18 रु. तथा 401.05 रु. प्रति टन रही।

कोल इंडिया लि. की तुलना में वर्ष 1986-87 के लिए कुछ देशों के कोयले की उत्पादन की लागत नीचे दी गई है :—

देश	उत्पादन लागत	
	अमरीकी डालर प्रति टन	रु. प्रति टन
यू. के.	68·00	873·10
बेलजियम	71·00	901·02
एफ. आर. जर्मनी	114·20	1449·24
पोलैंड	29·00	368·02
इंडिया (सी. आई. एल.)	—	221·54

(ख) कोल इंडिया लि. में कोयले की उत्पादन लागत को कम किए जाने के संबंध में उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

1. श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू कामगारों की पुन: तैनाती और प्राकृतिक रूप में फिजूलखर्ची के कारण रिक्त पदों के एवज में नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाया जाना शामिल है।
2. श्रमशक्ति में वृद्धि पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिए नियंत्रण।
3. "आल मैन-आल-जाब" की संकल्पना को प्रायोगिक आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है।
4. पर्याप्त रूप में वर्कशाप-स्पोर्ट, स्पेयर पूर्जों की व्यवस्था में सुधार और उपकरणों की समय पर विस्थापन करके उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार।
5. भूमिगत खानों पर विशेष जोर देकर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि।
6. कार्यचालन की दक्षता में सुधार लाए जाने के लिए कई सुधार पद्धतियां तथा प्रबंधनीय उपाय अंगीकृत किए गए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के यूनिट

8470. डा. एस. पी. यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली/नई दिल्ली में क्षेत्रवार कार्यरत स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड की यूनिटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन यूनिटों में हेराफेरी/भ्रष्टाचार की कुछ घटनाएं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली में हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन से पट्टे पर लिए गए एक एकक का अनुरक्षण कर रहा है। यह एकक अभी पंखों के निर्माण और विपणन का कार्य कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में हैंड पम्प लगाना

8471. **श्री मानकराम सोढ़ी** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड पम्प लगाने हेतु 1991-92 के बजट में कितनी धनराशि प्रधान की गई;

(ख) क्या राज्य की आंत्रशोथ ग्रस्त क्षेत्रों में 200 हैंड पम्प लगाने के लिए निदेश जारी किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 1992 तक उनमें से कितने हैंड पम्प लगाए गए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के लिए ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र, गरीबी की व्यापकता आदि के आधार पर केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत योजना-वार आधार पर निधियों का आवंटन, रिलीज तथा हैंड पम्पों को लगाने के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा लिया जाता है। तथापि, 1991-92 में मध्य प्रदेश सरकार को ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए 44.04 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मलेशिया से पाम आयल का आयात

8472. **श्री सनत कुमार मण्डल** :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रति वर्ष 300000 टन मलेशियाई पाम आयल का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां तो, इस सुविधा की शर्तें क्या हैं जो मलेशिया पाम आयल के अन्य प्रमुख क्रेताओं को दी जाती है;

(ग) इस आयल के भारत में कब तक पहुंचने की संभावना है;

(घ) क्या इस तेल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस तेल का पश्चिम बंगाल जैसे अभाव वाले विभिन्न राज्यों में किस प्रकार आबंटन करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सरकार ने ताड़-तेल के आयात के लिए मलेशिया के साथ कोई करार नहीं किया है । लेकिन मलेशिया से दीर्घावधि आधार पर पामोलीन का आयात करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

अधिकृत श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर के सरकारी आवास का आवंटन

8473. **श्री मदन लाल खुराना** :

क्या **शहरी विकास मंत्री** 4 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3453 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकृत श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर के सरकारी आवास के आवंटन के बारे में विशिष्ट मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों को उनकी अधिकृत श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर के आवास स्वीकृत किए गए और उसके कारण क्या थे;

(ग) क्या विद्यमान नियमों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) आवास की पात्रता टाईप से एक टाईप ऊपर के आवंटन हेतु कोई विशिष्ट नियम नहीं है । तथापि, विशेष मामलों में, इस प्रकार के आवंटन, नियमों में छूट देते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाते हैं । इस प्रकार के मामलों में आवंटितियों से सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क का 3 गुणा वसूल किया जाता है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

लीज होल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलना

8474. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय लीज होल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड सम्पत्ति में बदलने का कार्य कौन-कौन सी एजेन्सियां कर रही हैं;

(ख) क्या उन्होंने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के समक्ष किस प्रकार की कानूनी/आर्थिक/सामाजिक आपत्तियां उठाई गई हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली में लीज होल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड सम्पत्ति में बदलने का कार्य करने वाली एजेन्सियां दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि और विकास कार्यालय हैं ।

(ख) और (ग) परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया के ब्यौरे देते हुए इन एजेन्सियों द्वारा 13 और 15 अप्रैल, 1992 को विस्तृत सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई हैं । आवेदन-पत्र और विवरणिकाएं विभिन्न इलाकों में बैंकों की निर्दिष्ट शाखाओं के माध्यम से विक्रेय हैं ।

(घ) यदि कुल भूमि को इस पर बने हुए फ्लैटों की संख्या से भाग देने पर प्रति फ्लैट 50 वर्ग मीटर से कम है तो ऐसे फ्लैटों के मामले में निःशुल्क परिवर्तन तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र के बजाय फार्म "डी" को स्वीकार करने तथा स्कीम के बाध्यकर स्वरूप के विरुद्ध समेत परिवर्तन शुल्क तथा अधिसूचित भूमि दरों के मध्य असम्बद्धता, परिवर्तन शुल्क वार्षिक भू-किराए के 10 गुणा से अधिक न होने, परिवर्तन शुल्क को किस्तों में लेने, के निमित्त ब्याज न लगाने, परिवर्तन शुल्क पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लेने तथा कोई और पंजीकरण औपचारिकताएं न होने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । इस संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया है तथा जहां कहीं संभव है, विवरणिका में आशोधन किए गए हैं ।

तमिलनाडु में नए उद्योग

8475. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् तमिलनाडु में पंजीकृत नए उद्योगों की संख्या तथा प्रकार क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु में विदेशी सहयोग के लिए कितने उद्योग पंजीकृत हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. कुरियन) : (क) नयी औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों के पंजीकरण की सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) सहयोग के तहत लगायी जाने वाली परियोजनाओं के स्थापना स्थल का उल्लेख सामान्य तथा विदेशी सहयोग अनुमोदनों में नहीं रहता है । तदनुसार केन्द्र द्वारा विदेशी सहयोग संबंधी स्वीकृतियों में स्थापनास्थल संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं ।

[हिन्दी]

राजस्थान में नए उद्योगों के लिए प्रस्ताव

8476. प्रो. रासा सिंह रावत

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार के नये उद्योगों के पंजीकरण हेतु कितने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं,

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान कितने उद्योगों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) विचाराधीन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) से (ग) जुलाई, 1991 में घोषित नयी औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों के पंजीकरण की सभी योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

समुद्री जल का खारापन दूर करना

8477. श्री बापू हरि चौरे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री जल के खारेपन को दूर करने के लिए कोई वैज्ञानिक तकनीक विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तकनीक को व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोग करने हेतु कोई योजना बनायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) :

(क) झिल्ली प्रक्रियाओं में से एक इलैक्ट्रोडायलेसिस नामक तकनीक है जिसे पानी के खारेपन को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। इसे और भी विकसित किया गया है और इसका इस्तेमाल दो चरणों की प्रक्रिया में समुद्र जल के खारेपन को दूर करने के लिए किया गया है।

(ख) प्रयोगशाला में सफल जांच के पश्चात्, केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर द्वारा प्रतिदिन 5 घन मीटर की क्षमता वाले इलैक्ट्रोडायलेसिस द्वारा प्रोटो-टाइप दो चरणों वाले समुद्री जल का खारापन दूर करने वाले संयंत्र तैयार किए गए थे और उन्हें संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप में जनवरी, 1989 और मिनीकोय द्वीप में अप्रैल, 1990 में शुरू किया गया था। तीसरा यूनिट स्थापित करने के लिए अंडमान द्वीप को दिया गया है। चौथा प्रोटो टाइप यूनिट नवम्बर, 1991 के दौरान विवेकानन्द रॉक, कन्याकुमारी में लगाया गया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा पानी के खारेपन को दूर करने की इलैक्ट्रोडायलेसिस तकनीक की जानकारी दो वाणिज्यिक पार्टियों को दी गई है। ये पार्टियां हैं मैं. थर्मैक्स लि., पुणे और मैं. नूथैम प्लास्टिक्स लि., फरीदाबाद।

उपभोक्ता उद्योगों में विदेशी सहयोग

8478. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से उद्योग उपभोक्ता उद्योगों की श्रेणी में आते हैं;

(ख) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद उपभोक्ता उद्योगों के लिए कितने विदेशी सहयोग समझौतों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) कितने मामलों में इक्विटी में भी विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) "उपभोक्ता उद्योग" में अनिर्दिष्ट उत्पादों की एक व्यापक रेंज आती है। तथापि, योजना आयोग द्वारा गठित उपभोक्ता उद्योग की परामर्शदायी समिति ने प्रसंस्करित खाद्यों, औषधों एवं भेषजों, साबुन, डिटर्जेन्ट्स तथा प्रसाधनों, बाइसिकलों, मोटरयुक्त दुपहियों तथा वाहनों, चमड़े का सामान, उपभोक्ता वस्तुओं, खेल का सामान एवं खिलौनों, जूतों तथा इलैक्ट्रोनिक्स मदों को उपभोक्ता उत्पाद के रूप में माना है।

(ख) यद्यपि उपर्युक्त श्रेणी के उद्योगों को दिये गये विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे हैं, फिर भी 1 अगस्त, 1991 से 31 मार्च, 1992 की अवधि में उपर्युक्त उपभोक्ता मदों सहित विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण के लिए 350 स्वीकृतियां जारी की गयी हैं जो अनुसूचित उद्योगों में आते हैं जैसे-विद्युत उपकरण, दूरसंचार, परिवहन, व्यावसायिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण, औषध एवं भेषज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन की मदें, रबड़ उत्पाद, चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स व टिम्बर उत्पाद।

"खिलौने तथा शैक्षणिक उपकरणों के विनिर्माण के लिए एक विदेशी सहयोग अनुमोदन भी किया गया है जो एक गैर अनुसूचित उद्योग है।"

(ग) उपर्युक्त 351 अनुमोदनों में से लगभग 120 प्रस्ताव विदेशी इक्विटी भागीदारी से संबंधित हैं।

दिल्ली से कार्यालयों का स्थानान्तरण

4879. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** 4 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1236 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नगरों/स्थानों के नाम क्या हैं जहां 37 कार्यालयों को स्थानान्तरित करने की योजना है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा गाजियाबाद में हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास इन उपक्रमों के मुख्यालयों को इनके वास्तविक कार्य स्थल पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) और (ख) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(ग) इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से बहुत से उपक्रमों के कार्य स्थल पूरे भारत में फैले हुए हैं तथा स्थानान्तरण के लिए स्थलों का चयन प्रशासनिक मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पर छोड़ दिया गया है।

विवरण

दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किये जाने वाले केन्द्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची।

(क) केन्द्र सरकार के कार्यालय

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	जहां स्थानान्तरित होना है
1.	तटरक्षक मुख्यालय	नौएडा
2.	अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र डाक विभाग	गाजियाबाद
3.	निरीक्षक निदेशालय, उत्तरी निरीक्षण सर्किल पूर्ति विभाग	गाजियाबाद
4.	गीत तथा नाट्य प्रभाग, फिल्म प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	गाजियाबाद
5.	गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो	किसी डी० एम० ए० शहर में
6.	दीप घर और दीप पोत विभाग	नौएडा
7.	रोजगार सेवा में अनुसन्धान और प्रशिक्षण का केन्द्रीय संस्थान, श्रम मंत्रालय	नौएडा
8.	भुगतान अधियुक्त, औद्योगिक विकास विभाग	गुड़गांवा जैसे किसी उपयुक्त स्थान पर
9.	प्रकाशन विभाग	फरीदाबाद
10.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान	फरीदाबाद।
11.	नीम-शुल्क, आबकारी और नारकोटिक्स की राष्ट्रीय अकादमी	फरीदाबाद।
12.	अखिल भारतीय भूमि तथा भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि और सहकारिता विभाग	नौएडा
13.	औद्योगिक तथा वित्तीय पुनःसंरचना संस्थान, वित्त मंत्रालय	नौएडा

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	जहां मुख्यालय है	जहां स्थानान्तरित होना है
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय बीज निगम	दिल्ली	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को उपयुक्त स्थल के चुने जाने की आशा है।
2.	स्टेट फामस कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	दिल्ली	
3.	केन्द्रीय भण्डारण निगम	दिल्ली	
4.	भारतीय खाद्य निगम	दिल्ली	

1	2	3	4
5.	हास्पीटल सर्विस कंस्लटेंसी कारपो० आफ इंडिया लि०	दिल्ली	
6.	हालिकोप्टर कारपो० आफ इण्डिया	दिल्ली	
7.	एयर लाइन्स एलाईड सर्विसेज लि०	दिल्ली	
8.	भारतीय राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	दिल्ली	सम्बन्धित प्रशासनिक
9.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	दिल्ली	मंत्रालय को उपयुक्त
10.	राष्ट्रीय खाद निगम लि०	दिल्ली	स्थल के चुने जाने
11.	हिन्दुस्तान खाद निगम लि०	दिल्ली	की आशा है।
12.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०	दिल्ली	
13.	पैराइटस, फास्टफेस्ट एण्ड कैमिकल्स लि०	दिल्ली	
14.	पारादीप फास्फेस्टि लि०	दिल्ली	
15.	इन्डो-बर्मा पैट्रोलियम क० लि० (कैमिकल्स डिविजन)	दिल्ली	
16.	नेशनल हाईड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपो०	दिल्ली	
17.	नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन लि० (दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान)	दिल्ली	
18.	भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०	दिल्ली	
19.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	दिल्ली	
20.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०	दिल्ली	
21.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०	दिल्ली	
22.	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपो० लि०	दिल्ली	
23.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	दिल्ली	
24.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	दिल्ली	

[हिन्दी]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा इंजनों का ठेका

8480. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेल (सांसी एकक) ने स्विटजरलैंड मूल की कम्पनी एशिया ब्राउन बावेरी (ए.बी.बी.) से बिजली के इंजनों का कोई ठेका लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) एशिया ब्राउन बावेरी ने न तो भेल से कहा है और न ही भेल ने ए.बी.बी. को बिजली के इंजनों के लिए कोई आफर दी है।

[अनुवाद]

केरल में बड़े/मझौले/छोटे एकक

8481. **पो. सावित्री लक्ष्मणन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में गैर सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र में अलग-अलग कितने बड़े, मझौले, छोटे और बहुत छोटे उद्योग स्थापित किए गए, और

(ख) केरल के आशय पत्रों के लिए कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. कुरियन) :

(क) केरल में बड़े, मझौले और लघु उद्योगों की स्थापना हेतु 1989 से 1991 के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों और पंजीकरणों की संख्या निम्नलिखित थी :—

(1) आशय पत्र (जनवरी 1989 से दिसम्बर, 1991)	33
(2) डी.जी.टी.डी. के पास पंजीकृत स्कीमें (जनवरी 1989 से जून 1991)	12
(3) दिसम्बर 1990 के अंत तक लघु उद्योग विकास संगठन के पास लघु उद्योग एकक	57738

अति लघु उद्योग संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से औद्योगिक विकास विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

(ख) केरल राज्य में उद्योगों की स्थापनार्थ आशय पत्र देने के लिए 15-4-92 को 20 आवेदन पत्र विचाराधीन थे।

सरकारी आवास का आवंटन

8482. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी आवास के आवंटन और इसके बदलने के मामले में केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ कर्मचारियों में रोष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

(ग) यदि नहीं, तो द्वितीय उपलब्ध रिक्ति, प्रथम उपलब्ध रिक्ति और विशेष आकार पर जुलाई 1991 तक आवंटित किये गये सरकारी आवासों संबंधी स्थिति क्या है; और

(घ) कर्मचारियों की इन शिकायतों/असंतोष निवारण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :

(क) और (ख) चूंकि, सरकारी आवास की मांग उपलब्धता से कहीं अधिक है, वरिष्ठ कर्मचारियों को प्राय: सरकारी आवास आवंटित होने से पूर्व बहुत वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ग) टाईप–I	192	टाईप–Vए	15
टाईप–II	511	टाईप–Vबी	20
टाईप–III	218	टाईप–सी–II	22
टाईप–IV	74	हास्टल	7

(घ) तदर्थ आवंटन/बदली को, आवंटन के लिए उपलब्ध प्रत्येक 5 मकानों में से एक मकान तक सीमित किया गया है। 1:4 का यह अनुपात सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति "बारी पर" आवंटन हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके हितों की अनदेखी न हो।

कोयले की खोज

8483. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले की खोज में तीव्रता लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है;

(ग) इस मामले में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि., कोल इंडिया लि. के कोयला क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किए जाने के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। गोदावरी कोयला क्षेत्र में अन्वेषण कार्य सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. ने कोयले की बढ़ती हुई मांग को समर्थन दिए जाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने विस्तृत अन्वेषण क्रियाकलापों को जारी रखा। इस प्रयोजन से केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. ने अपने स्वयं के ड्रिलिंग संसाधनों के अलावा खनिज अन्वेषण निगम लि., राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों के संसाधनों की भी तैनाती की। योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समग्र रूप में कोल इंडिया लि. के लिए 15.065 लाख मीटर ड्रिलिंग कार्यक्रम विनिर्दिष्ट किया है। इस कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

विभागीय	लाख मी. में
एम ई सी एल	7.690
अन्य (मध्य प्रदेश सरकार,	6.300
उड़ीसा सरकार, (निजी अभिकरण)	1.075
	15.065

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार

8484. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के शीर्ष पन्द्रह उपक्रमों का कारोबार कितना रहा; और

(ख) उनमें से प्रत्येक उपक्रम को करों का भुगतान करने के बाद उक्त अवधि में कितना लाभ हुआ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) और (ख) वर्ष 1990-91 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और तदनुसार इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 15 शीर्ष उपक्रमों के कुल कारोबार के साथ-साथ उनके निवल लाभ/घाटे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

लाख रुपयों में

क्रम संख्या	सरकारी उपक्रम का नाम	कुल कारोबार	निवल लाभ/घाटा
1.	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	1955394	73004
2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	959438	104830
3.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	835919	24469
4.	भारतीय खाद्य निगम	833021	-931
5.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लि.	628325	12014
6.	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.	562298	7728
7.	भारत पैट्रोलियम निगम लि.	528306	12781
8.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	323716	3694
9.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	240059	70095
10.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	181997	2313
11.	मद्रास रिफायनरीज लिमिटेड	164796	5055
12.	एयर इण्डिया	162688	8123
13.	मारूति उद्योग लिमिटेड	149761	4833
14.	कोचीन रिफायनरीज लिमिटेड	148878	6084
15.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	148634	-9627

[हिन्दी]

ग्रेटर नोएडा का औद्योगिक नगर के रूप में विकास करना

8485. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर नोएडा को एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित करने के लिए 540 प्लाट आवंटित किये गए थे;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने-कितने प्लाट अनुसूचित जातियों और सामान्य श्रेणी के लोगों को आवंटित किये गए हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई सुविधा प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :

(क) भारत सरकार ग्रेटर नोएडा में इस प्रकार के आवंटन नहीं करती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली में, अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को दी गई विशिष्ट सुविधाओं में स्थलों का आरक्षण और ब्याज की अन्तरीय दर शामिल है।

[अनुवाद]

राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र

8486. श्री राजनारायण बैरवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की कार्य अवधि पूरी हो गई है और इसने अपनी पूरी क्षमता से कभी कार्य नहीं किया;

(ख) क्या 1981--84 के दौरान भारी मात्रा में 1.43 करोड़ रुपए के फालतू पुर्जों का आयात किया गया था जो अभी तक अनप्रयुक्त पड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन अधिकारियों पर कोई दायित्व डाला है जो ऐसी गलतियों के लिए उत्तरदायी थे?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) इस समय कार्यरत राजस्थान परमाणु बिजलीघर में दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टरों के दो यूनिट हैं। दूसरा यूनिट तब से ही संतोषजनक रूप से काम कर रहा है जब से उसने वाणिज्यिक स्तर पर काम करना शुरू किया है और अपने जीवन-काल के लिए औसतन 60 प्रतिशत क्षमता गुणक प्राप्त कर लिया है। इस यूनिट की 220 मेगावाट की प्रारंभिक स्थापित क्षमता को परिचालनात्मक अनुभव के आधार पर 1 अप्रैल, 1991 से पुनर्निर्धारित करके 200 मेगावाट कर दिया गया है।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट में उसकी एक एंड शील्ड में वर्ष 1981 में हल्के पानी के रिसाव की समस्या सामने आई थी। काफी नवीन हल खोज कर रिसाव को यांत्रिक विधि से बन्द करके मरम्मत का कार्य पूरा किया गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने एंड शील्ड की इस मरम्मत के फलस्वरूप वर्ष 1987 से इस यूनिट की परिचालन की विद्युत सीमा 100 मेगावाट तक निर्धारित कर दी थी। 1 जनवरी, 1992 से इस यूनिट की क्षमता को घटाकर 100 मेगावाट कर दिया गया है।

(ख) और (ग) जिन अतिरिक्त कल-पुर्जों का उल्लेख किया गया है और जिनकी कीमत 1.43 करोड़ रुपए है, वे मुख्यत: राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले तथा दूसरे यूनिट की टरबाइन

जनित्र नियंत्रक प्रणालियों के लिए हैं। ये अतिरिक्त कल-पुर्जे पूरे जीवन-काल की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पर बदलने के लिए सुरक्षित कल-पुर्जों के रूप में भंडार में रखा जाएगा। ये किसी भी अवस्था में पुराने नहीं होंगे। इन कल-पुर्जों को अधिक मात्रा में इस आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए खरीदा गया था कि यदि संभरक इन अतिरिक्त कल-पुर्जों को बनाना बंद कर दे तो भी इन कल-पुर्जों की उपलब्धता पूरे जीवन-काल तक के लिए सुनिश्चित की जा सके।

दिल्ली में "प्राप्टी डीलर"

8487. **श्री विजय नयल पाटील** :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक "प्राप्टी डीलर" बिना लाइसेंस के कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन प्राप्टी डीलरों द्वारा ग्राहक ठगे जा रहे हैं या उनसे अधिक पैसा ऐंठा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस व्यवसाय में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्राप्टी डीलरों से वसूलनीय प्रभारों को सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है । बेईमानी या अन्य दुर्व्यवहार के संबंध में उपचारी उपायों की व्यवस्था भारतीय दण्ड संहिता में है ।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा नई नीति तैयार किया जाना

8488. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत की औद्योगिक तथा आर्थिक नीति में परिवर्तनों से उत्पन्न स्थिति के अनुरूप कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) भेल ने औद्योगिक, व्यापार तथा राजस्व नीतियों में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में अपनी नीतियों की समीक्षा की है । यह इस स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपना रही है :—

1. पुराने उपकरणों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और उनका कार्यकाल बढ़ा कर विद्यमान पावर स्टेशनों से कारोबार में सुधार करना ।
2. ऐसे नए सहक्रियात्मक विकास क्षेत्रों में विविधीकरण, जहां भेल की विद्यमान संरचनात्मक सुविधाओं, उसकी दक्षता और क्षमता का लाभदायक रूप से उपयोग हो सके ।

3. विशेष संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए निर्यात (भौतिक और माने गए दोनों) पर अधिक बल । आई. एस. ओ.-9000 गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए, एक कम्पनीवार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

4. संघ व्यवस्थाओं से बोलियां निर्धारित करके, प्रतिष्ठित कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य करना ।

5. सुविधाओं और प्रौद्योगिकी का चुनिंदा रूप में आधुनिकीकरण/उन्नयन करके विद्यमान क्षेत्रों में, बाजार में अपना विशेष स्थान बनाए रखना ।

6. ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरणों के लिए, 8वीं और 9वीं योजना के शेष क्षमादेश प्राप्त करने के लिए विपणन अभियान ।

प्रागा टूल्स लिमिटेड के क्रय संबंधी बिल

8489. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रागा टूल्स लिमिटेड में 1990-91 और 1991-92 के दौरान अब तक के सामान खरीदने के अनेक बिल सामान की वास्तविक खरीद के बिना ही पास कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप कम्पनी को कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्त को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरकों के आयात हेतु जहाज से ढुलाई करने का ठेका

8490. **श्री रामकृष्ण कौंताला :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोदावरी उर्वरक और रसायन में डी. ए. पी. तथा अन्य उर्वरकों के आयात हेतु जहाज से माल ढुलाई करने के ठेके को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं बरतने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन नौवहन एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गोदावरी उर्वरक और रसायन के लिए उर्वरकों के आयात हेतु निविदाएं भरी थीं और उनके द्वारा दी गई निविदा दरें क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. (एम एम टी सी) भारत सरकार की ओर से डी. ए. पी. के आयात के लिए सारणीबद्ध अभिकरण हैं । गोदावरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. को काकीनाडा पत्तन पर माल के संचालन के लिए संचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था । भारत सरकार को डी. ए. पी. के आयात के लिए ठेके को अंतिम रूप देने में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, हाल ही में गोदावरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई है जो अन्य बातों के साथ-साथ माल की बोरियों में भराई में अनियमितता से संबंधित है ।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, गोदावरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. को आयातित माल के अवतारण एवं संप्रेषण के संबंध में कार्यवाही करने के लिए तीन लघु सूचित कम्पनियों से दरें प्राप्त हुई थीं अर्थात् ईस्ट कोस्ट शिपिंग एजेन्सी, ओडीशा स्टीवेडोर्स प्रा. लि. और ई. सी. बोस एण्ड कं. से तीनों अभिकरणों की दरें, जैसे कि राज्य सरकार ने सूचित की हैं, ब्यौरा संलग्न विवरण में उल्लिखित है ।

विवरण

(दर रु० प्रति टन में)

	ईस्ट कोस्ट शिपिंग एजेंसी		ओडिशा स्टीवेडोर्स		ई० सी० बोस एण्ड कम्पनी	
	50 किग्रा	40 किग्रा	50 किग्रा	40 किग्रा	50 किग्रा	40 किग्रा
निम्नलिखित द्वारा बोर्ड पर भराई के लिये एच० ग्रो० पी० ई० बोरियों का इस्तेमाल एवं संप्रेषण						
(क) पत्तन गोदाम से सड़क द्वारा						
1. निवदा में दी गई दरें	89.40	95.20	90.75	93.25	105.30	112.50
2. वार्ता द्वारा तय की गई दरें	88.40	88.40	90.75	93.25	105.30	112.50
(ख) पत्तन गोदाम से रेल द्वारा						
1. निविदा में दी गई दरें	105.55	112.15	108.75	111.75	125.80	133.90
2. वार्ता द्वारा तय की गई दरें	104.55	104.55	108.75	111.75	125.80	133.90

पालीमर का उत्पादन

8492. **श्री संदीपान भगवान थोरात :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पालीमार का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) बहु-उद्देशीय प्रयोग के लिए पालीमार के विकास के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्रों में ऐसे नए क्षेत्रों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनमें पालीमार का प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पालीमार के विकास के लिए स्वीकृत अनुसंधान और विकास प्रस्तावों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 5 मुख्य पालिमर्स अर्थात् एलडीपीई, एचडीपीई, पीपी, पीएस और पीवीसी का कुल उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

1990-91—362867 मी. टन

1989-90—324885 मी. टन

1988-89—322523 मी. टन

(ख) से (घ) पालिमर्स के प्रयोग और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्य अलग-अलग विनिर्माताओं द्वारा बाजारों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है ।

[हिन्दी]

आठवीं योजना के दौरान उर्वरक की मांग

8493. **श्री राजेश कुमार :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए रासायनिक उर्वरकों की मांग का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बात का भी आंकलन किया गया है कि देश में कितनी मांग पूरी की जाएगी और कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस अवधि के दौरान रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिवर्ष व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(च) रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के क्षेत्र में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रासायनिक उर्वरकों की खपत एवं उत्पादन के अनुमान तथा इन दोनों के बीच अनुमानित अंतर निम्नानुसार है :—

(लाख टन न्यूट्रियेंट्स में)

वर्ष	अनुमानित खपत			अनुमानित उत्पादन			अन्तर		
	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी	के
1992-93	91.66 से 92.45	39.97 से 40.30	15.58	77.00	27.50	—	14.66 से 15.45	12.47 से 12.80	15.58
1993-94	97.63 से 98.83	43.51 से 44.00	16.76	78.50	27.60	—	19.13 से 20.33	15.91 से 16.40	16.76
1994-95	103.61 से 105.20	47.05 से 47.71	17.95	83.60	27.70	—	20.01 से 21.60	19.35 से 20.01	17.95
1995-96	109.59 से 111.58	50.58 से 51.41	19.15	94.28	27.84	—	15.31 से 17.30	22.74 से 23.57	19.15
1996-97	115.57 से 117.96	53.96 से 55.10	20.33	95.35	27.84	—	20.22 से 22.61	26.12 से 27.26	20.33

उत्पादन के अनुमानों में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं तथा परियोजनाएं जिनके लिए गैस का आवंटन किया गया है, से प्राप्त लाभ शामिल है ।

वर्ष के दौरान अनुमानित खपत और अनुमानित उत्पादन के बीच के अंतर को आयातों के जरिए पूरा किए जाने की आवश्यकता है । आठवीं योजना के दौरान परिकल्पित अंतर को पूरा करने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की वास्तविक राशि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अनेक परिवर्तियों के अध्यधीन होती है जैसे कि विनिमय दर, विभिन्न वर्षों में विद्यमान अंतरराष्ट्रीय मूल्य विश्वव्यापी मांग आपूर्ति अन्तर आदि जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता । वर्ष 1992-93 के लिए उर्वरक क्षेत्र के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 2439 मिलीयन अमेरिकी डालर के स्तर पर थी जैसा कि जनवरी 1992 में अनुमान लगाया गया था ।

इस समय पोटाश की संपूर्ण आवश्यकता और फास्फेट की अधिकांश आवश्यकता को विभिन्न रूपों में आयात के जरिए पूरा किया जा रहा है । तथापि, नाइट्रोजन में देश इसकी अनुमानित आवश्यकता की 86% की सीमा तक आज आत्मनिर्भर है ।

मारुति कारों का निर्यात

8494. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेम :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मारुति कारों के निर्यात के लिए विदेशों से आर्डर प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1992 के पश्चात् प्राप्त आर्डरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी, 1992 के पश्चात् कितनी कारों का और किन्-किन देशों को निर्यात किया गया है; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जनवरी, 1992 के पश्चात मारुति उद्योग लिमिटेड ने 7953 वाहनों के निर्यात के लिए पुष्ट क्रयादेश प्राप्त किए। डीलरों द्वारा मासिक आधार पर क्रयादेश दिए जाते हैं। तथापि, विद्यमान और संभावित संविदाओं के आधार पर, मारुति उद्योग लिमिटेड, वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 25,000 वाहनों के निर्यात की आशा करती है।

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड ने जनवरी, 1992 के पश्चात्, निम्नलिखित देशों को (माने गए निर्यात सहित) 6881 वाहनों का निर्यात किया है :—

आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भूटान, हंगरी, इटली, मालटा, नेपाल, पाकिस्तान, पोलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह, श्रीलंका और यूगोस्लाविया।

(घ) इससे प्राप्त विदेशी मुद्रा लगभग 23 मिलियन अमरीकी डालर है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में कमी करना

8495. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में कमी करके कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) इस धनराशि को किस प्रकार खर्च किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई स्थिति पत्र रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) विगत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों के विनिवेश से प्राप्त कुल राशि 3038 करोड़ रुपए है। उक्त राशि संसाधनों में वृद्धि के उद्देश्य से एकत्रित की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी योजना

8496. **डा. लाल बहादुर राव :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कागज उत्पादन के लिए खोई का उपयोग

8497. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर वाड्डे राव :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोगैस के निर्माण हेतु खोई के उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन किया गया था जिसका चीनी के कारखानों में बायलरों में 'फीड स्टाक' के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उसके बाद 'फाइबर इनसल्ज' का कागज बनाने में और प्रयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वृक्षों की कटाई को कम करने के लिए कागज बनाने में खोई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. कुरियन) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है अथवा नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने कागज के निर्माण में खोई के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) लिखाई तथा छपाई के कागज और बिना लेप के क्राफ्ट कागज, जिसमें खोई से बनी लुगदी का वजन 75% से कम न हो, के निर्माण को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गयी है ।

(2) खोई से बनी न्यूनतम 75% लुगदी के इस्तेमाल पर आधारित कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंसीकरण के प्रावधानों से छूट दे दी गई है ।

[हिन्दी]

कोयला कम्पनियों द्वारा अधिग्रहित भूमि

8498. **श्री साइमन मरान्डी :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा बिहार, विशेषकर छोटा नागपुर और संथाल परगना में अपनी परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) इन एककों द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को विस्थापित किया गया;

(ग) इन विस्थापित व्यक्तियों को अब तक मुआवजे की कुल कितनी धनराशि दी है तथा इन विस्थापित परिवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए दिशा-निर्देश क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रियान्वयन रिपोर्ट का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष विस्थापित व्यक्तियों को कब तक मुआवजा देने और रोजगार उपलब्ध कराने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

पाकेट ए-2 कालकाजी में फ्लैटों को गिराना

8499. **डा. रमेश चन्द्र तोमर :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकेट ए-2, कालकाजी में खतरनाक घोषित किए गए 40 फ्लैटों में से अभी तक केवल 16 फ्लैटों को गिराया गया है;

(ख) शेष 24 फ्लैटों को कब तक गिराए जाने का विचार है; और

(ग) गिराए गए फ्लैटों के आवंटियों और शेष 24 कब्जाधारियों को आवंटन हेतु अभी तक कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) शेष 24 फ्लैटों को मरम्मत योग्य पाया गया था और इसलिए उनको गिराने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक घड़ियां

8500. श्रीमती शीला गौतम :
श्री तेज नारायण सिंह

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर कम मूल्य की इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन इलेक्ट्रानिक घड़ियों का अनुमानित मूल्य कितना होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) एच. एम. टी. का वर्ष 1992-93 के दौरान कम मूल्य की डिजिटल इलेक्ट्रानिक घड़ियों के उत्पादन का प्रस्ताव है ।

(ख) इस प्रकार की इलेक्ट्रानिक घड़ियों का मूल्य लगभग 100 रुपए से 200 रुपए तक हो सकता है ।

कोल इण्डिया लिमिटेड पर बकाया धनराशि

8501. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री नीतिश कुमार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1992 के अंत तक कोल इण्डिया लिमिटेड को बिहार सरकार के प्रति अपनी देनदारी के रूप में बहुत बड़ी धनराशि का भुगतान करना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भुगतान की मांग अनेक बार की है;

(घ) यदि हां, तो यह भुगतान अब तक न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस धनराशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड ने यह सूचित किया है कि बिहार सरकार की उनकी ओर कोयले पर उपकर से संबंधित कुछ बकाया राशि देय है ।

(ख) उपकर के संबंध में सही देय देनदारी की राशि के बारे में पता लगाया जा रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) लेखों का मिलान किए जाने तथा सही देय राशि का पता लगाए जाने तक वर्ष 1991-92 में उपकर के संबंध में बिहार सरकार को को. इं. लि. द्वारा 101.31 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई । यदि मिलान किए जाने के बाद को. इं. लि. को कुछ और राशि की अदायगी करने का मामला पाया गया तो उक्त राशि की भी अदायगी कर दी जाएगी ।

[अनुवाद]

रामागुण्डम फेज-दो कोयला परियोजना

8502. **श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी :**
श्री रामकृष्ण कोताला :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामागुण्डम फेज-दो कोयला परियोजना की संशोधित लागत कितनी है;

(ख) इसे पूरा करने की संशोधित तारीख क्या है; और

(ग) इसके वास्तविक निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस. डी. न्यामगौड) : (क) रामागुण्डम ओपनकास्ट परियोजना-2 की संशोधित स्वीकृत लागत 554.22 करोड़ रुपए है ।

(ख) इस परियोजना को पूरा किए जाने की संशोधित तारीख मार्च, 1993 निर्धारित की गई है ।

(ग) कुछ बड़े वास्तविक निर्धारित लक्ष्य तथा इस संबंध में की गई प्रगति नीचे दर्शायी गई है :—

(1) उत्पादन

वर्ष	कोयला (मी० टन)	मलबा हटाया जाना (ओ० बी० आर०) एम एम[3]
1991–92 लक्ष्य .	0.20	0.50
वास्तविक	0.65	0.88

[हिन्दी]

लोक शिकायतें तथा पेंशन के संबंध में शिकायतें

8503. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को लोक शिकायतें तथा पेंशन के संबंध में महाराष्ट्र से गत दो वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) अब तक कितनी शिकायतों का निपटान किया गया; और

(ग) शेष शिकायतों के निपटाए जाने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सरकार को प्राप्त लोक शिकायतों, जिनमें पेंशन से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं, के क्षेत्रवार सारणीबद्ध विवरण तैयार करने की कोई प्रणाली प्रचलित नहीं है। इन शिकायतों का संबंध सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यों से होता है जिन्हें देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में एककों द्वारा निष्पादित किया जाता है। इन शिकायतों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य प्राधिकरणों को शीघ्र कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं को सूचित करने के लिए भेजा जाता है। शिकायतों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए शिकायत निवारण तन्त्र को कारगर और सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

हिन्दी में कम्प्यूटर

8504. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर शिक्षा के लिए आयात किए गए कम्प्यूटर अंग्रेजी में हैं और अन्य साइबर 810 और 830 जिनका वास्तव में उपयोग किया जा रहा है, भी केवल अंग्रेजी में ही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण कराया है कि हिन्दी में कितने कम्प्यूटरों की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां तो इनको उपयोग हेतु कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) कम्प्यूटर शिक्षा तथा अन्य प्रयोगों के लिए आयातित कम्प्यूटर अंग्रेजी भाषा में हैं। इन कम्प्यूटर प्रणालियों, जिनमें साइबर 810 तथा 830 भी शामिल हैं, में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए आवश्यक हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर देश में पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं। वैयक्तिक कम्प्यूटरों में स्वदेश में ही उपलब्ध हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर लगाकर इनका इस्तेमाल हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में करने की सुविधा मौजूद है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कॉंडली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण

8505. श्री पीयुष तीरकी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1989 में कॉंडली में फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा होना अभी बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं तथा इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कोंडली घरौंली में स्व-वित्त पोषित योजना में मकानों के निष्पादन में विलंब हुआ है । अभिकल्पना संबंधी समस्याओं के समाधान में लगे समय के कारण परियोजना में विलंब हुआ था । इन समस्याओं का अब समाधान कर दिया गया है और कार्य को गति प्रदान करने तथा विलंब को अधिकतम संभव सीमा तक पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

इस परियोजना की दिसम्बर, 1993 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना में बाधाएं

8506. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1992 के इकानामिक टाइम्स में "दि डेल्ही मास्टर प्लान हिन्डर्स एन सी आर प्रोजेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई गंदी बस्तियों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना में बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, मास्टर प्लान फार दिल्ली-2001 के साथ समक्रमिक होने के लिए दिल्ली के लिए 2 उप-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार कर रहा है ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली की ओर प्रव्रजन के तथ्य तथा मलिनबस्तियों की संवृद्धि को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने इस क्षेत्र में 11 प्राथमिकता वाले कस्बों का विकास करने के लिए एक योजना बनाई है ताकि अतिरिक्त रोजगार जुटाने के काम को बढ़ावा दिया जा सके तथा दिल्ली में प्रव्रजन की प्रक्रिया को कम किया जा सके ।

कपड़ा उद्योगों द्वारा श्रमिक कानूनों का उल्लंघन

8507. **श्री के. जी. तंग्कबालु :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन और कपड़ा उद्योगों द्वारा श्रमिक कानूनों का अत्यधिक उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने श्रमिक कानूनों का उल्लंघन हुआ; और

(ग) श्रमिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले पटसन और कपड़ा उद्योगपतियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दर्शन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेयजल की कमी

8508. **डा. परशुराम गंगवार :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वर्ष 1990-91 में पेयजल का अभाव रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान पेयजल संकट दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उत्तर प्रदेश में 689 नगरों में से 615 नगरों में पाइपों द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था थी और 1990-91 में लगभग सभी नगर पेयजल की कमी का सामना कर रहे थे ।

(ख) और (ग) सूखाग्रस्त शहरी क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाने और नलकूप खुदवाने के लिए राज्य सरकारों को 190.2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करायी गयी थी ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय श्रमिक न्यायालयों में लंबित औद्योगिक विवाद

8509. **श्री एन. डेनिस :**
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :
श्री राम टहल चौधरी :
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय श्रमिक न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है;

(ख) इन न्यायालयों के पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित औद्योगिक विवादों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले तीन महीनों में निपटाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) देश में इस समय ग्यारह केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय हैं, जोकि बिहार, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में दो-दो, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा दिल्ली में एक-एक हैं । जयपुर, राजस्थान में एक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय की स्थापना के लिए संस्वीकृति जारी की गयी है ।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में 31-12-1991 तक लंबित औद्योगिक विवादों तथा आवेदनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) से (ङ) 14 औद्योगिक विवाद पिछले दस वर्ष से निपटाने के लिए लंबित हैं, जिसमें से 11 मामले कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से सुनवायी के लिए वापस लौटाए गए और अन्य मामले के बारे में कार्यवाहियां या तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्थगित कर दी गयी हैं । उपर्युक्त 11 औद्योगिक विवादों पर नए सिरे से सुनवाई के लिए लौटाए गए मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए पीठासीन अधिकारी से अनुरोध किया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय	संख्या	
		31-12-1991 तक लम्बित औद्योगिक विवाद	31-12-1991 तक लम्बित आवेदन
1.	नम्बर 1 धननाद (बिहार) . .	521	117
2.	नम्बर 2 धनबाद (बिहार) . .	530	40
3.	नम्बर 1 बम्बई (महाराष्ट्र) .	208	660
4.	नम्बर 2 बम्बई (महाराष्ट्र) .	173	2202
5.	आसनसोल (पश्चिम बंगाल) .	51	11
6.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) . .	275	233
7.	बंगलौर (कर्नाटक) . . .	255	6
8.	जबलपुर (मध्य प्रदेश) . .	762	1133
9.	कानपुर (उत्तर प्रदेश) . . .	771	1171
10	चण्डीगढ़	663	878
11.	नई दिल्ली	492	1672
कुल	. . . . .	4701	8123

[हिन्दी]

उच्च संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की पदोन्नति तथा आरक्षण की व्यवस्था

8510. श्री भेरू लाल मीणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में श्रेणी "क" के निम्न पद से उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों में इन श्रेणियों के व्यक्तियों को आरक्षण के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नति दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिनमें कोई आरक्षण नहीं है अथवा पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) से (ग) समूह "क" के भीतर वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की गई पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण है परन्तु चयन द्वारा की गई पदोन्नति में ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग इन आदेशों के कार्यान्वयन तथा इन श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए जिम्मेवार है। आरक्षण के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत व्यक्तियों के बारे में समेकित सूचना इस विभाग द्वारा केन्द्रीकृत आधार पर नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाएं

8511. श्री बी. एन. रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में चलाए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्य में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) :

(क) से (ग) ग्रामीण विकास राज्य का विषय है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के लिए आवंटन राज्य योजना बजट में किया जाता है। इसके अलावा, गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को निम्नलिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता मुहैया कराई है :—

1. जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.)
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)
4. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

सामान्यतः वित्तीय उपलब्धियां प्राप्त कर ली गई हैं। ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1989-90 से 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में चलाये गये केन्द्रीय सरकार के प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम का शीर्षक	कुल आबंटन और रिलीजें					
	1989-90		1990-91		1991-92	
	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज
1. जवाहर रोजगार योजना	18,374.26	18,415.55*	19,163.24	19,317.09*	19,593.43	13,290.21*
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,751.45	2,661.54	2,751.45	3,092.98	2,588.76	2,524.01
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	2,301.00	2,400.00	2,301.00	2,311.00	2,547.00	2,847.00
4. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1,203.00	1,234.46	1,203.00	1,244.66	1,203.00	966.08

*आंकड़े ब्यौरे से संबंधित हैं।

समन्वित आधारभूत योजनाओं के लिए परियोजनाएं

8512. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े जिलों में समन्वित आधारभूत योजनाओं के लिए एक परियोजना विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि नियत की गई है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में ऐसे किसी जिले की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) से (घ) लघु, अति लघु तथा ग्राम्य उद्यमों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीतिगत उपायों के अनुसरण में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के समन्वित आधारभूत विकास (प्रौद्योगिकीय सहायता सेवा सहित) संबंधी योजना का एक मसौदा तैयार किया गया है तथा इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) प्रस्तावों में शामिल किया गया है। केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों में सम्बद्ध अधिकारियों के साथ परामर्श करके योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

ज्वारीय तरंगों से विद्युत का उत्पादन

8514. **श्री सुरेशानन्द स्वामी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विझीजम में ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) क्या यहां विद्युत उत्पादन इस बीच शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य स्थानों पर ऐसी परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) :

(क) से (ग) जी हां, श्रीमान। 150 किलोवाट का एक तरंग ऊर्जा संयंत्र विझिजम में त्रिवेन्द्रम के पास स्थापित किया गया एवं समुद्री तरंगों से विद्युत उत्पादित करने की प्रौद्योगिकी का अक्तूबर, 1991 में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। यह एक प्रारम्भिक संयंत्र है एवं इसमें और परिष्करण के लिए प्रयोग जारी हैं। संयंत्र उस स्थान पर 1.45 लाख यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखता है।

(घ) और (ङ) जी हां श्रीमान। तरंगरोध एकीकृत तरंग ऊर्जा प्रणाली को निर्मित करने के लिए एक परियोजना को थंगासेरी केरल में प्रारम्भ किया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में छोटे/बड़े उद्योग

8515. श्री अन्ना जोशी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, कितने छोटे और बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या उस राज्य में सरकारी क्षेत्र में और अधिक संख्या में छोटे और बड़े उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत कार्यालय वाला केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम/उद्योग संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

हरियाणा और गुजरात में जिला औद्योगिक केन्द्र

8516. श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा और गुजरात में अब तक स्थापित किये गये जिला औद्योगिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन केन्द्रों के कार्यकरण की प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) हरियाणा और गुजरात में अब तक स्थापित किए गए जिला उद्योग केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें जिला उद्योग केन्द्र के दैनिक कार्यों की निगरानी करती हैं।

विवरण

हरियाणा और गुजरात के राज्यों में कार्यरत जिला उद्योग केन्द्र

हरियाणा

1. अंबाला
2. भिवानी
3. गुड़गांव
4. हिसार
5. जींद

6. करनाल
7. कुरुक्षेत्र
8. महेन्द्रगढ़
9. रोहतक
10. सिरसा
11. सोनीपत
12. फरीदाबाद

गुजरात

1. अमरेली
2. बनासकांठा
3. भड़ौच
4. भावनगर
5. जूनागढ़
6. कच्छ
7. मेहसाणा
8. पंचमहल
9. साबरकांठा
10. सुरेन्द्रनगर
11. अहमदाबाद
12. राजकोट
13. जामनगर
14. खेड़ा
15. वडोदरा
16. सूरत
17. वालसाड़ (डांग जिला भी इसी के अधीन आता है)
18. गांधीनगर

[अनुवाद]

माचिस कारखानों में बाल श्रमिक

8517. **श्री वीरेन शर्मा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवकाशी बाल श्रमिक संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अतिशबाजी और माचिस निर्माताओं द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) क्या बाल श्रमिकों को मासिक दर आधार पर भुगतान न करके नग-दर आधार पर भुगतान करके तथा उनसे आठ घंटे से अधिक काम लेकर उनका शोषण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो निर्माताओं द्वारा न्यायालय के निर्देशों/आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) बाल श्रमिकों को मासिक दर आधार पर भुगतान करने तथा आठ घंटे से अधिक काम न लेने के बारे में सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :

(क) से (घ) तमिलनाडु राज्य सरकार ने शिवकाशी बाल श्रमिक संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने की कार्रवाई कर दी है। जहां तक माचिस तथा आतिशबाजी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी का संबंध है तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि कतिपय क्रिया-कलापों के लिए एक समान, समय-दर आधारित मजदूरी निर्धारित की गयी है जबकि कतिपय अन्य क्रियाकलापों के लिए उजरती दर-मजदूरी निर्धारित की गई है। चूंकि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत माचिस बनाने, विस्फोटक तथा आतिशबाजी के कार्यों में बालश्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध है इसलिए बाल कर्मकारों के लिए कोई मासिक मजदूरी दरें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं । जब भी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के मामलों की सूचना मिलती है तो उस बारे में समुचित प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की कार्रवाई शुरू की जाती है।

भारत उद्योग लिमिटेड की सी. बी. आई. द्वारा जांच

8518. **श्री मोहन रावले :**

क्या **प्रधान मंत्री** भारत उद्योग लिमिटेड की सी. बी. आई. द्वारा जांच के बारे में 25 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4618 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत उद्योग लिमिटेड के चेयरमेन के विरुद्ध मुकदमे दायर करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए उद्योग मंत्रालय को किन-किन तारीखों को पत्र भेजे थे;

(ख) सी. बी. आई. को उनके विरुद्ध मुकदमे दायर करने हेतु अनुमति किन कारणों से नहीं दी जा रही है और इस मामले में विलम्ब के लिए कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

साफ्ट कोक की असमान दरें

8519. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्ट कोक विभिन्न उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं को अलग-अलग दरों पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन दरों पर;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी .ए. संगमा) :

(क) और (ख) कोयला मंत्रालय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अर्द्ध वार्षिकी आधार पर आगे वितरण किए जाने के लिए साफ्ट कोक का आवंटन करता है । कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा जारी किए प्रयोजनों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर साफ्ट कोक की आपूर्ति करती है। घरेलू प्रयोग के लिए बेचे गए साफ्ट कोक का एक्स-कोलियरी मूल्य 175 रु. प्रति टन और औद्योगिक प्रयोग के लिए 300 रु. प्रति टन है । उपभोक्ताओं के लिए साफ्ट कोक का खुदरा बिक्री मूल्य, परिवहन, रखरखाव आदि की अतिरिक्त लागत पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से अधिक खुदरा व्यापारियों द्वारा वसूल की जा रही कोयले की ऊंची कीमतों के संबंध में है। किसी शिकायत की कोयला मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। ऐसी शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निपटायी जानी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित यूनिटें

8520. **श्री रवि राय :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनिवासी भारतीय उत्तर प्रदेश में औद्योगिक यूनिटों की स्थापना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये अनिवासी भारतीय किन-किन देशों के हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) और (ख) नवम्बर, 1983 में गठित विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) द्वारा अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में विदेशी सहयोग और पूंजीगत माल के आयात के लिए आशय पत्र जारी करने हेतु (31-3-1992 तक) 82 अनुमोदन किए गए हैं। इन प्रस्तावों में यू.एस.ए., यू. के., जर्मनी इत्यादि जैसे विभिन्न देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रिंटिंग प्रैस, बियर, कम्प्यूटर इत्यादि बनाने के लिए एकक स्थापित करना शामिल है।

अमोनिया गैस पाइप का फटना

8521. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली के शीतागार में 5 अप्रैल, 1992 को एक अमोनिया गैस पाइप के फटने से फैक्टरी में काम कर रहे एक दर्जन से अधिक व्यक्ति तथा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे;

(ख) क्या इस घटना से फैक्ट्रियों के रख-रखाव और संचालन के मामले में फैक्ट्री मालिकों द्वारा की जा रही घातक लापरवाही तथा सुरक्षा संबंधी मानदण्डों का खुला उल्लंघन उजागर हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 5-4-1992 को मैसर्स बुलाकी कोल्ड स्टोरेज, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली के अमोनिया रिसीवर से अमोनिया गैस के रिसाव की एक घटना हुई थी। रिसाव का कारण अमोनिया रिसीवर के एयर पर्जरवाल्व तथा गाज ग्लास का फटना था। प्रभावित हुए 12 व्यक्तियों में से दो वयस्क व्यक्ति मैसर्स बुलाकी कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी थे। एक वयस्क व्यक्ति जो कि मैसर्स बुलाकी कोल्ड स्टोरेज का कर्मचारी नहीं था, की 6-4-1992 को मृत्यु हो गई।

मैसर्स बुलाकी कोल्ड स्टोरेज कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता है। एक प्रभावित व्यक्ति ने 5-4-1992 को घटना के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, आदर्श नगर, दिल्ली में दर्ज करवा दी थी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पट्टा समझौता

8522. **श्री हाराधन राय :**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने "ओपन कास्ट" परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के साथ किसी पट्टे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी ओपन कास्ट परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या बिना किसी पट्टा समझौते के "ओपन कास्ट" परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डिया गेट क्षेत्र को पैदल यात्रियों के चलने का मार्ग बनाना

8523. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में इण्डिया गेट के चारों तरफ के क्षेत्र को पैदल यात्रियों के चलने का मार्ग बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि इण्डिया गेट के इर्द-गिर्द का क्षेत्र कई यात्रियों एवं भ्रमणकारियों को आकर्षित करता है । इससे इस क्षेत्र में पार्किंग की समस्या बढ़ गई है। तदनुसार, इस क्षेत्र के लिए यातायात प्रबंध योजना तैयार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एक अध्ययन आयोजित किया गया है । इस क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर पादगमन की शुरूआत की गई है तथा इस संबंध में यातायात प्रबंधों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

दिल्ली में सड़कों के किनारे चौराहों पर वृक्षारोपण

8524. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महत्वपूर्ण सड़कों और चौराहों के वृत्ताकार उद्यानों के रख-रखाव का कार्य और वृक्षारोपण निजी क्षेत्र को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने उद्यानों और सड़कों को निजी क्षेत्र को सौंपा गया है;

(ग) क्या यह योजना सरकार के लिए लाभकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :

(क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पालिका के क्षेत्रों में 5 सड़कें, वृक्षारोपण तथा इनके रख-रखाव हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए प्रारम्भतः प्रयोग आधार पर निजी पार्टियों को दी गई है । 16 गोल चक्करों के रख-रखाव की लागत निजी एजेन्सियों द्वारा प्रवर्तित की जा रही है । नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा स्वीकृत पैटर्न के अनुसार साईनबोर्ड लगाने के लिए उन्हें अनुमति दी गई है ।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 3 सड़कें, 6 यातायात चौराहे तथा एक पार्क स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार विकास और रख-रखाव हेतु निजी एंजेन्सियों को दिए गए हैं ।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका दोनों ने उल्लेख किया है कि इस व्यवस्था से पार्कों, सड़कों, चक्करदार मार्गों इत्यादि में अनुरक्षण तथा बागवानी सेवाओं के रख-रखाव के बारे में बचतें होंगी । इस प्रक्रिया के कारण इन स्थानीय निकायों के लिए उचित वित्तीय बचत होती है ।

एगजिट नीति संबंधी समिति

8525. **श्री चित्त बसु :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एगजिट नीति संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

अन्न मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मदन सिंह भाटोधार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में चावल की जब्ती

8526. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने फरवरी, 1992 में दिल्ली के गैर-कानूनी गोदामों से करोड़ों रुपए मूल्य का कई लाख टन बढ़िया बासमती चावल बरामद/जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके ये गोदाम हैं तथा उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत क्या कार्रवाई की गयी है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद ;

(क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा फरवरी, 1992 में 52,441.43 क्विंटल बासमती चावल तथा 51,845.85 क्विंटल गैर-बासमती किस्म का चावल जब्त किया गया था ।

(ग) इस बारे में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. मैसर्स यूनीग्रेन प्राइवेट लि., 2637 नया बाजार, दिल्ली
2. मैसर्स सचदेवा एण्ड सन्स, 78 रिठाला रोड, दिल्ली
3. मैसर्स सचदेवा एण्ड सन्स राइस मिल्स प्रा. लि., 78 रिठाला रोड, दिल्ली
4. मैसर्स पेप्सी फूड प्रा. लि.
5. मैसर्स पारीवाला, 4115 नया बाजार, दिल्ली
6. मैसर्स सतीश कुमार एण्ड ब्रदर्स प्रा. लि., 4103-बी, नया बाजार, दिल्ली
7. राजकुमार अशोक कुमार, 4138-39, नया बाजार, दिल्ली

उपर्युक्त सभी विक्रेताओं को दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली खाद्यान्न और तिलहन विक्रेता लाइसेंसिंग आदेश, 1988 के तहत की गई अपेक्षा के विपरीत लाइसेंस के बिना व्यापार करते पाया गया था । परन्तु दिल्ली प्रशासन ने भविष्य में नियंत्रण आदेश की अपेक्षाओं के सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित न करने के विरुद्ध चेतावनी देने के बाद इन व्यापारियों को बिना लाइसेंस के कार्य करने के केवल तकनीकी अपराध के लिए दण्डित न करने का निर्णय किया था।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अलग-अलग मामलों की भी जांच की गई थी । दस्तावेजों/रिकार्ड की जांच-पड़ताल के बाद उपर्युक्त विक्रेताओं के माल को निम्नलिखित विभिन्न बातों पर विचार करते हुए निर्मुक्त कर दिया गया :—

1. वैध दस्तावेजों द्वारा समर्पित निर्यात अनुबंध क्योंकि निर्यात के लिए रखे गए बासमती के स्टाक को कुछ शर्तों को पूरा करने पर उपर्युक्त आदेश से छूट दी गई है ।

2. भारत सरकार द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए दी गई अनुमति ।

3. कुछ मामलों में स्टाक की मात्रा को अनुमत सीमाओं के भीतर पाया गया; और

4. शेष कुछ मामलों में कमीशन एजेन्टों के रूप में कार्य कर रहे व्यापारियों के पास रखे स्टाक की किसी भी खेप को 15 दिनों से अधिक दिन तक नहीं रखा गया था ।

गामा विकिरण के माध्यम से "सीवेज-स्लज प्लांट"

8527. **श्री रामकृष्ण कांताला :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गामा विकिरण के माध्यम से "सीवेज-स्लज" के उपचार हेतु कोई परियोजना चालू की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और इसे किन स्थानों पर चालू किया जाएगा तथा संयंत्र की क्षमता कितनी होगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) -

(क) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने शहर के मलजल अवपंक को निर्जर्मीकृत करने के लिए हाल ही में वदोदरा में एक अवपंक शोधन अनुसंधान किरणक सुविधा चालू की है ।

(ख) इस पर आने वाला कुल व्यय लगभग 150 लाख रुपए है जिसमें से सिविल निर्माण-कार्यों और अन्य संस्थापनाओं पर आने वाली लागत 100 लाख रुपए तथा किरणन स्रोत पर आने वाली लागत 50 लाख रुपए है । यह संयंत्र गजेरावाड़ी, वदोदरा में स्थित है । इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन करीबन 110 घनमीटर मलजल अवपंक को संसाधित करने की है ।

कम लागत की आवास परियोजनाएं

8528. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री नरेश कुमार गालियान :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 और 1991 के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई कम लागत की आवास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के क्या परिणाम प्राप्त हुए और वे कहां-कहां शुरू की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. अलगिरिसामी) :

(क) और (ख) आवास राज्य का विषय होने के नाते आवास परियोजनाओं का प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना नियतनों और सांस्थानिक वित्त में से किया जाता है । तथापि, हुडको, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों और निम्न आय समूह के लिए आवास पर बल देने के साथ लागत की आवास परियोजनाएं आरम्भ करने में विभिन्न राज्य सरकारों तथा आवास एजेन्सियों को सहायता दे रहा है।

औषध निर्माण के क्षेत्र में विदेशी इक्विटी

8529. श्री परशराम भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी औषध निर्माण कम्पनियों को 51 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति देने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) :

(क) और (ख) औषध नीति में विदेशी भेषज कम्पनियों को अनुमत इक्विटी पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है । तथापि, विद्यमान औषध नीति के अनुसार, जिसकी समीक्षा की जा रही है, 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों की निर्माण-गतिविधियां संलग्न विवरण में दी गयी 66 प्रपुंज औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों तक सीमित है ।

विवरण

1. रिफैम्पिसिन
2. वेरापामिल
3. सेफालेक्सिन
4. पेन्टोथेनाएट
5. बेसीट्रेसीन
6. नियोमाइसिन
7. सेफालोरीडाइन
8. अल्कालोयड्स आफ इरगोट
9. थिओपेन्टोन
10. प्रोपोक्सिफेनाजोन
11. पायरेन्टल पामोएट
12. नोरथिस्ट्रोन
13. आक्सीथाइजाइन
14. पेन्टाजोसिन
15. नोरगेस्ट्राल
16. डिप्रीडेमोल
17. टोल्नाफटेट
18. ट्रिप्रोलीडाइन
19. नेप्रोक्सेन
20. नालिडिक्सिक एसिड
21. क्लोरोप्रोमेजाइन
22. क्लोरफेनिरेमाइन
23. बेटामिथासोन

24. डेक्सामेथाजोन
25. क्लोरामफेनिकोल
26. विटामिन ए
27. डाइगोक्सिन
28. डेप्सोन
29. अलोपुरीनोल
30. विटामिन बी-12
31. प्रेडनीसोलोन
32. बरालगन कीटोन
33. इन्सुलिन
34. प्रिमेक्विन
35. अमोडियाक्विन
36. सक्सीनायल कोलाइनक्लोराइड
37. क्लोफाजामाइन
38. थियाबेन्डाजोल
39. टेट्रामिसोल
40. फ्रेमाइसिटीन
41. साइक्लोफोस्फेमाइड
42. मेपएक्रिन
43. ट्रिएमिसीनोलोन
44. फेनूवलप्राइन
45. आक्सीटेसीन
46. विटामिन पी (रूटिन)
47. प्रेनाइलामाइन लेक्टेट
48. थिओरिडाजाइन
49. फेनोलथियाजाइन
50. पेनिसिलिन
51. माइनसेरीन हाइड्रोक्लोराइड
52. एमिनोग्लटएथिमाइड
53. सिननेरीजाइन
54. बिकेम्पीसिलीन
55 केप्टोप्रील

56 प्रेजिएन्टल
57. टोब्रेमाइसिन
58 टिमोलोल
59. सेफजोलाइन सोडियम
60. एटनोलोल
61. निमुस्ट्रीन
62. प्रिथिइलडोन
63. आसोसोरबीडमोनोएंट्रेट
64. कोई नई औषध जिसके लिए कम्पनी ने वैदानिक परीक्षण किए हैं और औषध नियंत्रक की मंजूरी ली है ।
65. पोलियो वैक्सीन
66. मीजल्स वैक्सीन

[हिन्दी]

झारखण्ड बन्द का प्रभाव

8530. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्रीधर्मण्णा मोडय्या साद्दल :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में "झारखण्ड बन्द" आन्दोलन से कोयले का उत्पादन और उसे अन्य स्थानों पर भेजने संबंधी कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप बिहार में स्थित तथा इससे जुड़ी हुई कोयला खानों को कितनी राशि की क्षति हुई;

(ग) इस भारी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति में कोयले की नियमित सप्लाई के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :

(क) और (ख) कोल इण्डिया लि. द्वारा प्रस्तुत अनंतिम सूचना के अनुसार, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., भारत कोकिंग कोल लि. तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में अन्य बातों के अलावा 2.66 लाख टन कच्चे कोयले के उत्पादन की हानि हुई । मार्च, 1992 के अंतिम सप्ताह के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा आन्दोलन के कारण साफ्ट कोक, हार्ड कोक तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में भी काफी हानि हुई है । कोयला तथा कोयले के उत्पादों के प्रेषण पर भी बुरा प्रभाव पड़ा ।

(ग) और (घ) कोयला कम्पनियों ने, इस हानि की प्रतिपूर्ति अपने उत्पादन तथा प्रेषण में वृद्धि करके पूरा किए जाने की पेशकश की है । इन हालातों में, कोयला कम्पनियों तथा रेलवे ने उपभोक्ताओं को कोयले की यथा संभव मात्रा में आपूर्ति बनाए रखने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं ।

उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादन में कमी

8531. डा. लाल बहादुर राबल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान, उत्तर प्रदेश में खादी तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से अलीगढ़ में खादी तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कोई नई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए किस रूप में सहायता दी जा रही है तथा किन-किन योजनाओं के लिए यह सहायता दी जा रही है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्योग के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को कितनी धन-राशि दी गई तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी धन-राशि देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) 1990-91 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों का उत्पादन क्रमश: 60.30 करोड़ रुपए तथा 309.97 करोड़ रुपए था । वर्ष 1991-92 के उत्पादन आंकड़े अभी तक के.वी.आई.सी. द्वारा एकत्र नहीं किए गए हैं ।

(ख) और (ग) के. वी. आई. सी. का मुख्य जोर केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही खादी तथा ग्रामोद्योगों के विस्तार करने पर है । उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सीधे सहायता प्राप्त संस्थाओं की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई है। वित्तीय सहायता के मौजूदा प्रतिमान के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों के लिए इन संस्थाओं को के. वी. आई. सी. द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. ने निम्नलिखित सीमा तक निधियों का आबंटन किया था :—

(६० लाखों में)

	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1989–90	1472.88	472.09	154.93	1491.76
1990–91	1731.88	417.90	47.92	1611.92
1991–92 (अनन्तिम)	449.62	1162.23	112.19	1221.78

के.वी.आई.सी. ने राज्य के के.वी.आई. बोर्डों के लिए वर्ष 1992-93 के आबंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया है ।

[अनुवाद]

उर्वरक सहकारी समितियों का विविधीकरण

8532. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी और अधिक पूंजी वाली सहकारी समितियों को चीनी मिलों, तेल निकालने वाले एककों और अन्य संबद्ध कृषि आधारित उद्योगों में विविधीकरण करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले भी ऐसे प्रस्ताव किए गए थे; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या सरकार विविधीकरण करने वाले एककों को वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

8533. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में कितना-कितना निवेश किया गया; और

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में औद्योगिक क्षेत्र के निवेश में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) योजना आयोग ब्लाक ऋण के रूप में राज्यों को केन्द्रीय सहायता देता है तथा उनकी वार्षिक योजनाओं को वित्तीयन की स्वीकृति देता है जिसमें उद्योगों हेतु आवंटन भी शामिल है ।

तमिलनाडु और अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत परिव्यय संलग्न विवरण 1 और 2 में दिए गए हैं ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण-I

उद्योग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योजना परिव्यय 1990-91 (स्वीकृत)	योजना परिव्यय 1991-92 (स्वीकृत)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2753.00	2011.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	222.00	265.00
3.	असम	1700.00	2040.00
4.	बिहार	2396.00	3000.00
5.	गोवा	220.00	400.00
6.	गुजरात	5087.00	8021.00
7.	हरियाणा	1206.00	1191.00
8.	हिमाचल प्रदेश	420.00	709.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2052.00	2073.00
10.	कर्नाटक	4840.00	5671.00
11.	केरल	3485.00	3315.00
12.	मध्य प्रदेश	4525.00	5322.00
13.	महाराष्ट्र	2830.00	3850.00
14.	मणिपुर	410.00	512.00
15.	मेघालय	227.00	236.00
16.	मिजोरम	700.00	740.00
17.	नागालैंड	300.00	1058.00
18.	उड़ीसा	1677.00	1853.00
19.	पंजाब	1039.00	3424.00
20.	राजस्थान	2155.00	2460.00
21.	सिक्किम	150.00	175.00
22.	तमिलनाडु	4240.00	4714.00
23.	त्रिपुरा	520.00	700.00
24.	उत्तर प्रदेश	4059.00	4436.00
25.	पश्चिम बंगाल	2961.00	3255.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	93.00	138.00
27.	चंडीगढ़	65.00	67.00
28.	दादरा और नागर हवेली	41.00	41.00
29.	दमन और दीव	2.15	9.00
30.	दिल्ली	770.00	890.00
31.	लक्षद्वीप	33.00	48.00
32.	पांडिचेरी	500.00	453.00

विवरण-2

उद्योग (ग्राम्य एवं लघु उद्योगों के अतिरिक्त)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वार्षिक योजना 1990-91 स्वीकृत परिव्यय	वार्षिक योजना 1991-92 स्वीकृत परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	2523.00	1843.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	187.00	220.00
3.	असम	3932.00	4295.00
4.	बिहार	5400.00	6415.00
5.	गोवा	620.00	500.00
6.	गुजरात	2500.00	2716.00
7.	हरियाणा	774.00	778.00
8.	हिमाचल प्रदेश	650.00	450.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1260.00	1278.00
10.	कर्नाटक	2800.00	2926.00
11.	केरल	4091.00	5100.00
12.	मध्य प्रदेश	3306.00	3630.00
13.	महाराष्ट्र	5070.00	5089.00
14.	मणिपुर	420.00	374.00
15.	मेघालय	550.00	407.00
16.	मिजोरम	65.00	85.00
17.	नागालैंड	395.00	400.00
18.	उड़ीसा	7800.00	2872.00
19.	पंजाब	3661.00	2976.00
20.	राजस्थान	288.00	3150.00
21.	सिक्किम	340.00	225.00
22.	तमिलनाडु	4964.00	5832.00
23.	त्रिपुरा	901.00	743.00
24.	उत्तर प्रदेश	7200.00	6450.00
25.	पश्चिम बंगाल	11169.00	16260.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	3.00	4.00
28.	दादरा और नागर हवेली	0.00	100.00
29.	दमन और दीव	150.00	126.00
30.	दिल्ली	130.00	110.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	357.00	595.00

रुग्ण एककों के लिए संस्थागत प्रबंध

8534. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुग्ण एककों को पोषित करने हेतु श्रमिक संघों, उद्योग और गैर-सरकारी संगठनों को मिलाकर एक संस्थागत प्रबंध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्जीवन के बारे में मौजूदा नीति में सभी संबंधित पक्षकारों जैसे प्रवर्तक, श्रमिक, राज्य/केन्द्र सरकार संभावित जीव्य क्षम एककों के लिए राहत/रियायत तथा अपेक्षित कार्यशील पूंजी और नए आवधिक ऋण मुहैया कराने के लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थान की ओर से एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना है ।

दिल्ली में हुडको परियोजनाएं

8535. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी हुडको परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या इन सभी परियोजनाओं के निदेशक मण्डल द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) सरकार द्वारा सौंपी गई दिल्ली में निम्नलिखित परियोजनाएं हुडको द्वारा निर्माणाधीन हैं :—

(1) एन्ड्रूज गंज के निकट पिंजरापोल में सामुदायिक केन्द्र तथा साधारण पूल रिहायशी क्वार्टर।

(2) भीकाजी कामा प्लेस में प्लाट सं. 14, 25 और 26 पर कार्यालय तथा वाणिज्यिक भवन ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को सामान्य पूल में शामिल करना

8536. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को सम्पदा निदेशालय के सामान्य पूल में रखने का है क्योंकि इन कर्मचारियों पर भी केन्द्रीय सरकार के ही नियम लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि वास के आवंटनार्थ महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को सामान्य पूल में रखा जाए। सरकार की नीति के अन्तर्गत सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए केवल ऐसे सरकारी अधिकारी पात्र हैं जो किसी मंत्रालय के सचिवालय या किसी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत हैं और जिनके कर्मचारियों को भारत की संचित निधि से भुगतान किया जाता है। अतः महानगर टेलिफोन निगम लि. जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी सामान्य पूल वास के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे अधिकारी भी सामान्य पूल से आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं जिनका अपना विभागीय पूल है। महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में इसकी संस्थापना से पूर्व भी डाक और तार पूल से आवास प्राप्त कर रहे थे और इस प्रकार के सामान्य पूल रिहायशी वास के लिए पात्र नहीं थे।

[अनुवाद]

सेमी कंडक्टर काम्प्लेक्स

8538. श्री गुरुदास कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध-संवाहक सुविधा, सेमी-कण्डक्टर काम्पलेक्स को अभी चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस काम्प्लेक्स में निजी भागीदारी की अनुमति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सेमीकण्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड (एस सी एल) नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, में दिनांक 7-8 फरवरी, 1989 को हुई अग्नि दुर्घटना से बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची जिसके कारण युक्तियों के विनिर्माण और प्रक्रिया अनुसंधान तथा विकास संबंधी सुविधाएं नष्ट हो गई थी। किन्तु, अन्त्य प्रयोगकर्ताओं को आपूर्ति को जारी रखने की दृष्टि से, एक अंतरिम योजना तैयार की गई। इसमें माड्यूलों तथा उप-प्रणालियों का विनिर्माण, मानक युक्तियों का भण्डारण तथा बिक्री और बाद में आयातित चिपों का प्रयोग करते हुए स्थानीय संयोजन गृहों में इन युक्तियों की पैकेजिंग, और तदुपरान्त एस सी एल की युक्तियों को संविरचना तैयार करने के लिए मैसर्स अस्ट्रियन माइक्रो सिस्टम (ए.एम.एस.), आस्ट्रिया में ढलाई संबंधी कार्यों को उप ठेके पर देना और इसके उपरान्त भारत में इनकी पैकेजिंग तथा परीक्षण शामिल है। इस प्रकार प्रयोगकर्ताओं को एस सी एल के उत्पादों की आपूर्ति कभी भी बन्द नहीं हुई।

(ग) और (घ) एस सी एल में सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय स्रोत, जिसमें निजी क्षेत्र की साझेदारी शामिल है, सरकार के विचाराधीन है।

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए परिव्यय

8539. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को उपलब्ध कराये गए परिव्यय का अधिकांश भाग इसके शहरों और नगरों में स्थित एककों द्वारा व्यय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक योजना में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कितना-कितना नियतन किया गया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योगों का विकास करना है ताकि शिक्षित अथवा अशिक्षित और कुशल अथवा अकुशल ग्रामीण कामगारों के लिए रोजगार के और ज्यादा अवसर पैदा किए जा सकें। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के संशोधन के परिणामस्वरूप ग्रामोद्योगों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योग के रूप में फिर परिभाषित किया गया है जिसकी जनसंख्या 10,000 से अधिक न हो अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य कोई जनसंख्या जो बिजली अथवा बिना बिजली के इस्तेमाल कोई वस्तु पैदा करता है अथवा कोई सेवा प्रदान करता है। और जिसमें प्रति व्यक्ति रोजगार में 15000 रुपये का पूंजी निवेश किया गया है। यद्यपि खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की कार्यान्वयन एजेंसियां शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं और इनके बिक्री केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर हैं किन्तु इनके अधिकतर उत्पादन एकक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अतः 1987 से पूर्व स्थापित एककों के अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई लगभग सम्पूर्ण राशि केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।

(ख) पिछले तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए धन राशि का कुल वितरण इस प्रकार है :—

(रुपये करोड़ में)

	अनुदान	ऋण	योग
पांचवी योजना . .	39.54	66.14	105.68
छठी योजना . .	154.55	248.85	403.40
सातवीं योजना . .	311.17	391.44	702.61

अनिवार्य मानक अंकन

8540. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अप्रसंस्कृत श्रेणी के कतिपय कृषि-उत्पादों के लिए अनिवार्य मानक अंकन प्रणाली शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली पूरे देश में लागू वर्तमान अंकन प्रथा से किस सीमा तक भिन्न होगी;

(ग) शुरू में शामिल किये जाने वाले कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित मानक अंकन प्रणाली को लागू करने का काम किस एजेन्सी को सौंपा जा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय (डी. एम. आई.) समय-समय पर, यथा-संशोधित कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादों का श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन करता है। डी.एम.आई. ने लगभग 140 कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों के श्रेणीमानक तैयार किये हैं और अधिसूचित किए हैं। इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतीक चिन्ह ''एगमार्क'' है जोकि गुणवत्ता और शुद्धता का द्योतक है।

यह कार्य स्वैच्छिक है। गुणवत्ता के प्रति उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ने से गुणवत्ता नियंत्रण, विशेष रूप से मिलावट की सम्भावना वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में, का महत्व, काफी बढ़ गया है। कार्यक्रम की पहुंच और कवरेज में सुधार लाने के लिए इसमें राज्य सरकारों, उपभोक्ता संगठनों और महिला संगठनों/सहकारी समितियों को शामिल किया जा रहा है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम में संशोधन के अनुरूप सम्मिलित खाद्य वनस्पति तेलों के सम्बन्ध में एगमार्क प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इसे अन्य वस्तुओं के लिए अनिवार्य करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में शहरी विकास के लिए धनराशि का आवंटन

8541. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को शहरी विकास के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या उड़ीसा की सरकार ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या योजना आयोग का आठवीं योजना के दौरान उसमें वृद्धि करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी विकास क्षेत्रक हेतु 6.50 करोड़ रुपए के परिव्यय पर सहमति हुई थी ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय के विस्तृत क्षेत्रकवार ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

स्वीकृति के लिए लम्बित केरल की परियोजनाएं

8542. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कोई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) 15 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में उद्योग लगाने के लिए आशय पत्रों की मंजूरी हेतु 20 प्रस्तावों पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

(ख) इन परियोजनाओं के ब्यौरे उस समय तक प्रकाशित नहीं किये जाते हैं जब तक इनका अंतिम रूप से निपटान नहीं कर दिया जाता।

(ग) औद्योगिक अनुमोदनों की स्वीकृति हेतु आवेदनों के निपटान के वास्ते विशिष्ट समय-सीमाएं होती हैं। इन आवेदनों का इस समय-सीमा में निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए धनराशि का आबंटन

8543. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में "बजट प्रोवाइड्स रुपीज 450 करोड़ फार वालंटरी रिटायरमेंट स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के वित्तपोषण हेतु 1992-93 के केन्द्रीय बजट में 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) किसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 1992-93 के केन्द्रीय बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई.डी.पी.एल. का कारोबार

8544. श्री भुवनचन्द्र खन्डूरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.डी.पी.एल. के विभिन्न एककों का कुल कारोबार कितना है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक का वर्षवार कितना लाभ/हानि हुई;

(ख) आई.डी.पी.एल. में घाटा होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आई.डी.पी.एल. का निजीकरण करने का है;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा भुगतान न करने के कारण आई.डी.पी.एल. का घाटा लगातार बढ़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(च) अधिक उत्पादकता संबंधी प्रोत्साहन पहलू को कैसे सुदृढ़ बनाया जायेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. के 5 एकक हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एकक-वार उत्पादन, लाभ/हानि संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ख) आई.डी.पी.एल. के घाटे के प्रमुख कारण हैं—अधिक मजदूरी, क्षमता का कम उपयोग, प्रौद्योगिकी का अप्रचलित होना, उच्च ब्याज भार और निर्धारित लागत कच्चे माल की अनुपलब्धता और कार्यशील पूंजी संबंधी अड़चनें।

(ग) आई.डी.पी.एल. के निजीकरण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) राज्य सरकारों और अन्य द्वारा भुगतान न देने या भुगतान में देरी करने से कार्यशील पूंजी कम होती है। समय-समय पर यह विभाग संबंधित राज्य सरकारों से इस मामले को उठाता रहा है ताकि देय राशियों का निपटान तेजी से हो सके। उत्पादन प्रोत्साहन योजना और जनशक्ति को प्रशिक्षण और पुनः तैनाती प्रोत्साहन संबंधी तकनीकें हैं जिन्हें कम्पनी द्वारा काम में लाया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० का एकक-वार उत्पादन, लाभ/घाटा बताने वाला विवरण

(आंकड़े करोड़ रु० में)

एकक का नाम	उत्पादन			लाभ घाटा		
	1989–90	1990–91	1991–92 (अनुमानित)	1989–90	1990–91	1991–92 (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6	7
मद्रास	15.69	14.95	8.88	(–) 5.61	(–) 8.82	(–) 11.03
हैदराबाद	79.13	63.51	62.01	(–) 19.98	(–) 36.09	(–) 46.61
ऋषिकेश	92.95	65.50	66.57	(–) 10.24	(–) 33.85	(–) 36.69
गुड़गांव	11.49	10.14	8.53	(–) 1.46	(–) 2.95	(–) 3.86
मुजफ्फरपुर	– 3.75	3.14	6.77	(–) 5.89	(–) 6.46	(–) 4.91

[हिन्दी]

धुआं न छोड़ने वाली मारुति कारों का निर्माण

8545. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेम :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धुआं न छोड़ने वाली मारुति कारों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके इंजन की क्षमता कितनी है;

(घ) यह कार कब तक बाजार में उपलब्ध हो जाने की संभावना है तथा क्या इसी क्षमता की अन्य कारों का उत्पादन बन्द कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) मारुति कारों निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करती हैं। ''धुआं रहित'' कारों जैसे शब्द का पता नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

खुले मुहाने वाली मानुगुरू परियोजना

8546. **श्री महासमुद्रम गणेश्वर रेड्डी :**
श्री ए. प्रताप सिंह :
श्री रामकृष्ण कौंताला :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले मुहाने वाली मानुगुरू-द्वितीय चरण परियोजना की लागत और समय में बढ़ोत्तरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी प्रगति तीव्र करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. न्यामगौड) : (क) और (ख) मानुगुरू ओपन-कास्ट परियोजना-2 को मार्च, 1985 में स्वीकृति दी गई थी जो कि 132.00 करोड़ रुपए की राशि के निवेश से 1990 में पूरी की जानी थी। संशोधित लागत अनुमानों को 199.94 करोड़ रु. का निवेश किए जाने के लिए सितम्बर, 1991 में स्वीकृति दी गई थी और इसको मार्च, 1992 में पूरा किया जाना है।

(ग) परियोजना के निर्माण कार्य को मार्च, 1992 में पूरा कर लिया गया है ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की लंबित औद्योगिक परियोजनाएं

8547. **श्री विलासराव नागनाथराव मुंडेकार :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की अनुमति हेतु लंबित महाराष्ट्र की औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) :

(क) 15 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में उद्योग लगाने के लिए आशय पत्रों की मंजूरी हेतु 494 प्रस्तावों पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

(ख) औद्योगिक अनुमोदनों की स्वीकृति हेतु आवेदनों को निपटान के वास्ते विशिष्ट समय-सीमाएं होती हैं। इन आवेदनों का इस समय-सीमा में निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किये जाते हैं।

द्वारकाधाम के लिए जलापूर्ति योजनाएं

8548. **डा. परशुराम गंगवार :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारकाधाम के लिए पेय जल आपूर्ति की कुछ योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत संसाधन

8549. **श्री बी. एन. रेड्डी :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 50 प्रतिशत संसाधन आवंटित करने संबंधी नीति का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) जी, हां। केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट सहायता में ग्रामीण क्षेत्रक का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक रखा जा रहा है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) और वार्षिक योजनाओं में कृषि और सिंचाई, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण विद्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा ग्रामीण सड़कों और ऐसे कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जा रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार और आय सृजन करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गांवों में कम्प्यूटर

8550. श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार की है जिसमें गांवों में कंप्यूटर लगाए जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में रायलसीमा को पेय जल उपलब्ध कराना

8551. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमेशा अनावृष्टि और सूखे की समस्या से ग्रस्त रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के लोगों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं सामान्य योजना कार्यक्रमों अर्थात् न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन/त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा सुनियोजित की जाती है, तैयार की जाती है और कार्यान्वित की जाती है। योजना/निधियों का जिला-वार आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा तय नहीं किया जाता है।

उड़ीसा स्थित भारतीय उर्वरक निगम से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

8553. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा स्थित भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के उर्वरक प्रोन्नति और कृषि अनुसंधान डिवीजन के 28 कर्मचारियों पर, जिसमें अधिकारी और श्रमिक दोनों सम्मिलित हैं, स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने के लिए दबाव डाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा स्थित उक्त उर्वरक प्रोन्नति और कृषि अनुसंधान डिवीजन को जारी रखने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) :

(क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ. सी आई) का उड़ीसा में कोई उर्वरक प्रोन्नति एवं कृषि अनुसंधान प्रभाग नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का पुनर्गठित करना

8554. **श्री चित्त बसु :**
श्री लोक नाथ चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इक्विटी भागीदारी के आधार पर पुनर्गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) और (ख) फिलहाल, सरकार भेल के पुनर्गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश घटाना

8555. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें पूंजी निवेश घटा दिया गया है और घटाए जाने की संभावना है;

(ख) क्या पूंजी निवेश घटाने से इन उपक्रमों की कार्यकुशलता और लाभदेयता में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय केरल में हैं, अब तक उनमें से (1) कोचीन रिफाइनरीज लि. तथा (2) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि. के शेयरों का विनिवेश किया जा चुका है। वर्ष 1992-93 के दौरान आगे और विनिवेश किए जाने के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। विनिवेश का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी उद्यमों के प्रबंधन में सुधार करना है तथा एक अवधि-विशेष तक इसके परिणाम देखे जाएंगे।

सिविल सेवा परीक्षा प्रश्न-पत्र का परीक्षा से पूर्व पता लग जाना

8556. श्री बार्थ पलानिवेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने महत्वपूर्ण सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1991 के प्रश्न पत्र का परीक्षा से पूर्व पता लग जाने के मामले में 8 व्यक्तियों को आक्षेप पत्र जारी किए हैं, जैसा कि दिनांक 4 मार्च, 1992 के स्टेट्समेन में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) 8 व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सभी अपराधियों के बारे में मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं।

विवरण

1. किशोर साहू पुत्र स्वर्गीय गणेश साहू सब पोस्ट मास्टर, पथालकुडवा पी. ओ. पुरुलिया रोड, रांची निवासी रोड नं. 5 (एन. जी. ओ. क्लास 3)।
2. विजय चन्द्र पुत्र किशोर साहू निवासी रोड नं. 5, किशोर गंज रांची (प्राईवेट)।
3. शम्भु संजय कुमार उर्फ छोटे पुत्र किशोर साहू निवासी रोड नं. 5 (प्राईवेट)।
4. अभय कुमार उर्फ मोन्टू पुत्र किशोर साहू निवासी रोड नं. 5 किशोर गंज, रांची (प्राईवेट)।
5. दीना नाथ सिंह, पुत्र डा. एस. पी. सिंह, निवासी डांगरा टोली चौक, पुरुलिया रोड, रांची (प्राईवेट)।
6. प्रदीप मिंज पुत्र फिलोमेन मिंज, निवासी पाथल कुडवा एल्बर्ट कम्पाउण्ड, पुरुलिया रोड, रांची (प्राईवेट)।
7. रंजीत प्रेम दास उर्फ हररा, पुत्र लोकस दास निवासी लापपुर पिस रोड, बाईलेन, रांची (प्राईवेट)।
8. बेनहुर बागे उर्फ रेकस पुत्र जोन बागे, निवासी चुन्वा टोली चेनपुर, ओल्ड हजारी बाग रोड, रांची (प्राईवेट)।

पैकेजों पर उत्पाद की लागत मुद्रित किया जाना

8557. **श्री राघवजी लोनकर शास्त्री :**
श्री जीवन शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माता, उत्पादक, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उपभोक्ताओं से अपने उत्पादों का अत्यधिक मूल्य वसूल करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सम्बद्ध अधिनियम, नियमों और विनियमों में संशोधन करने का है ताकि उत्पादकों, निर्माताओं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, आदि के लिए अपने पैकेजों पर उत्पाद की लागत मुद्रित करना तथा सभी उत्पादों के लाभ मार्जिन को निर्धारित करना अनिवार्य हो जाए; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) पैकेज में रखी वस्तुओं के मूल्य की परिवीक्षा करना, पैकेजों पर उत्पादन लागत की घोषणा करना तथा लाभ के मार्जिन का निर्धारण करना, बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 और उक्त अधिनियम के क्षेत्र से बाहर हैं, जिसके तहत ये नियम बनाए गए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"भेल" द्वारा दो सीटों वाले विमान शुरू करना

8558. **श्री गुरुदास कामत:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड दो सीटों वाले विमान शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विमानों का किस प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) "स्वाति" नामक विमान का वजन लगभग 500 किलोग्राम है और यह 116 अश्वशक्ति के एकल इंजन से युक्त है । यह जुड़े हुए काकपिट में साथ-साथ दो व्यक्तियों को ले जा सकता है और 185 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 6000 फुट की उंचाई पर उड़ान भर सकता है । एक विमान की कीमत लगभग तीस लाख रुपए है । यह विमान प्रशिक्षण, खेलों, सर्वेक्षण, फोटोग्राफी, मालवाही सेवा और व्यक्तिगत उपयोग जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयुक्त है ।

बाल श्रमिक, कानून और व्यवहार

8559. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी के "बाल श्रमिक, कानून और व्यवहार" नामक अध्ययन की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त अध्ययन के प्रकाश में इस समस्या से निपटने हेतु कुछ आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ङ) जी, हां। डाईजेस्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन साथ ही इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कम से कम, खतरनाक नियोजनों में उनके नियोजन को प्रतिषिद्ध करने की आवश्यकता है। इसमें बाल श्रम से संबंधित कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन करने पर भी जोर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सामाजिक-आर्थिक मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण नियोजनों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने और कतिपय अन्य नियोजनों में बालकों की कामकाजी दशाओं को विनियमित करने की है। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 का उद्देश्य भी बाल श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी उपायों के माध्यम से उनके शोषण को कम करना है। प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भी है।

न्यूनतम और अधिकतम आय में अंतर

8560. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की औसत न्यूनतम और अधिकतम आय में कितना अंतर है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) और (ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम और अधिकतम औसत आय के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण से प्राप्त हाल ही के केवल दो वर्षों अर्थात् 1987-88 और 1988-89 के लिए प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निम्नतम और उच्चतम दशमक के लिए प्रति व्यक्ति मासिक औसत नीचे दी गई है :—

प्रति व्यक्ति व्यय मासिक औसत (चालू कीमतों में)

(रुपयों में)

	1987–88*		1988–89*	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
न्यूनतम (प्रथम) दशमक	63.28	85.04	71.58	91.90
उच्चतम (दसवां) दशमक	400.06	720.01	434.60	723.15

*जबकि 1987-88 के लिए सूचना पंचवार्षिकी प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित है, जोकि 1988-89 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा घरेलू खपत व्यय के प्रायोगिक प्रतिदर्श पर आधारित है।

राजस्थान में निवेश

8562. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या योजना और कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में कितना निवेश किया गया; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्य राज्यों में कितना निवेश किया गया ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) राजस्थान में राज्य क्षेत्रक के अंतर्गत सातवीं योजना व्यय 3106.18 करोड़ रुपए था। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्रक निवेशों का संबंध है, ये राष्ट्रीय उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देश के लिए तैयार किए जाते हैं । कई मामलों में केन्द्रीय निवेश पर राज्य की सीमाओं की कोई बाधा नहीं होती ।

(ख) कुल सातवीं योजना व्यय-केन्द्र, राज्यों (राजस्थान सहित) और संघ राज्य क्षेत्रों का 218729.62 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

8563. श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के शुद्ध लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) 31-3-1991 को सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम में किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा 5-3-1992 को संसद में प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1990-91 के खंड-1 विवरण संख्या 16 में (पृष्ठ वि. 86 से वि. 94 तक) दिया गया है तथा सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाले तथा घाटा उठाने वाले उद्यमों द्वारा कमाए गए शुद्ध लाभ/हानि का ब्यौरा विवरण संख्या-7 "क" तथा 7 "ख" (पृष्ठ संख्या वि. 43 से वि. 50 तक) में दिया गया है ।

विवरण

राज्य का नाम	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	12
2. असम	4
3. बिहार	15
4. गुजरात	2
5. हरियाणा	1
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. जम्मू एवं कश्मीर	1
8. कर्नाटक	16
9. केरल	5
10. मध्य प्रदेश	5
11. महाराष्ट्र	28
12. मणिपुर	1
13. मेघालय	2
14. नागालैण्ड	1
15. उड़ीसा	5
16. पंजाब	1
17. राजस्थान	6
18. तमिलनाडु	8
19. उत्तर प्रदेश	17
20. पश्चिम बंगाल	42
21. अण्डमान एवं निकोबार	1
22. दिल्ली	68
23. गोवा	1
24. पाण्डिचेरी	1
25. अरुणाचल प्रदेश	1
26. अन्य	1

टिप्पणी : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय के आधार पर राज्य का निर्णय किया गया है ।

बंजर और परती भूमि

8564. श्री जायनल अबेदिन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने हैक्टेयर भूमि को बंजर और परती भूमि में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस भूमि को विकसित करने और इसे भूमिहीन किसानों में वितरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 1970-71 और 1990-91 तक देश में कितने स्थायी चरागाह और बंजर भूमि थी;

(ङ) क्या इस अवधि के दौरान परती भूमि के क्षेत्र में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) :

(क) एक अनुमान के अनुसार देश में खेती योग्य बंजर भूमि; परती भूमि और चरागाहों सहित कुल बंजर भूमि की मात्रा को संलग्न विवरण 1 में दर्शाया गया है ।

(ख) और (ग) भूमि तथा कृषि राज्य के विषय हैं, इसलिए उपयुक्त भूमि आधारित विकास कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय प्रौद्योगिकीय तथा अनुसंधान संबंधी सहायता दी जाती है। एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकारी परती भूमि के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवंटितियों को प्रति हैक्टेयर 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है । देश में अभी तक लगभग 124.61 लाख एकड़ सरकारी परती भूमि को भूमिहीन ग्रामीण गरीबों, समाज के कमजोर वर्गों और भूत-पूर्व सैनिकों को वितरित की गई है। सरकारी परती भूमि के वितरण के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण 2 में दर्शाए गए हैं।

(घ) देश में 1970-71 के अनुसार स्थायी चरागाह और बंजर भूमि का क्षेत्र क्रमश: 132.62 लाख हैक्टेयर और 281.61 लाख हैक्टेयर है। उपलब्ध अद्यतन आंकड़े वर्ष 1987-88 से संबंधित हैं, जिनके अनुसार स्थायी चरागाह का क्षेत्र 118.5 लाख हैक्टेयर और बंजर भूमि क्षेत्र 203.9 लाख हैक्टेयर है।

(ङ) 1970-71 के अनुसार देश में परती भूमि का क्षेत्र 198.75 लाख हैक्टेयर था और वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध आंकड़े के अनुसार परती भूमि का क्षेत्र बढ़कर 296.0 लाख हैक्टेयर हो गया था।

(च) परती भूमि में वृद्धि होने का कारण खारापन, भूमि पर पानी खड़ा रहना, भूमि तथा जल कटाव और शिफ्टिंग खेती में बड़े पैमाने पर मिट्टी की हानि, देर से मानसून आने जैसे मौसमी उतार-चढ़ाव हैं।

विवरण-I

भारत में बंजर भूमि के अनुमान

(लाख हैक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गैर-वन निम्न श्रेणी क्षेत्र*	वनों का निम्न श्रेणी क्षेत्र**	योग
आन्ध्र प्रदेश	76.82	37.54	114.16
असम	9.35	7.95	17.30
बिहार	38.96	15.62	54.58
गुजरात	71.53	6.83	78.36
हरियाणा	24.04	0.74	24.78
हिमाचल प्रदेश	14.24	5.34	19.58
जम्मू व कश्मीर	5.31	10.34	15.65
कर्नाटक	71.22	20.43	91.65
केरल	10.53	2.26	12.79
मध्य प्रदेश	129.47	71.95	201.42
महाराष्ट्र	115.60	28.41	144.01
मणिपुर	0.14	14.24	14.38
मेघालय	8.15	11.03	19.18
नागालैंड	5.08	8.78	13.86
उड़ीसा	31.57	32.27	63.84
पंजाब	11.51	0.79	12.30
राजस्थान	180.01	19.33	199.34
सिक्किम	1.31	1.50	2.81
तमिलनाडु	33.92	10.09	44.01
त्रिपुरा	1.08	8.65	9.73
उत्तर प्रदेश	66.35	14.26	80.61
पश्चिम बंगाल	21.77	3.59	25.36
केन्द्र शासित क्षेत्र	8.89	27.15	36.04
योग	936.91	358.89	1295.80

*स्रोत : बंजर भूमि विकास के संवर्धन हेतु समिति, नई दिल्ली-1984

**वनों के रूप में अधिसूचित बंजर क्षेत्र को उपरोक्त आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण-2

सरकारी बंजर भूमि का वितरण

(लाख एकड़ में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वितरित किया गया क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	30·40
2.	असम	3·75
3.	बिहार	9·75
4.	गुजरात	13·73
5.	हरियाणा	0·03
6.	हिमाचल प्रदेश	0·17
7.	कर्नाटक	13·22
8.	केरल	2·73
9.	मध्य प्रदेश	0·79
10.	महाराष्ट्र	10·23
11.	मणिपुर	0·32
12.	पंजाब	1·10
13.	उड़ीसा	6·64
14.	तमिलनाडु	2·07
15.	त्रिपुरा	1·32
16.	उत्तर प्रदेश	22·28
17.	पश्चिम बंगाल	4·32
18.	गोआ, दमन व दीव	00·9
19.	मिजोरम	0·74
20.	राजस्थान	0·93
	योग	124·61

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

श्री भूरे लाल मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी विभागों और कार्यालयों में नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :

(क) से (ग) विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992--97) के दौरान विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। इन्हें सरकार के अंतिम अनुमोदन के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है । इस योजना में सम्मिलित विभिन्न स्कीमों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शन कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है जैसाकि स्कीमों के सफल क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित है । जैसा कि उचित होगा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा । विभिन्न विभागों का आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्रोतों के आबंटन के बाद ही ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

उत्प्रवासी श्रमिक

8566. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 तथा 1991 के दौरान रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाकर बसे भारतीय श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे देशों के नाम क्या हैं तथा इन श्रमिकों को किस-किस प्रकार के रोजगार मिले हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) :

(क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान विदेश में संविदात्मक रोजगार के लिए उत्प्रवास संरक्षियों द्वारा क्रमशः 1.44 लाख और 2.02 लाख भारतीय कर्मकारों को अनुमति प्रदान की गई।

(ख) अधिकतर भारतीय कर्मकार नियोजन के लिए खाड़ी क्षेत्र के देशों जैसे बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कातार, कुवैत और यमन में जाते हैं। इन देशों में भारतीय कर्मकारों को मुख्यतः बढ़ई, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, मेसन, मैकेनिक, पलम्बर, वैल्डर, हैल्पर आदि जैसे कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल श्रेणियों के विभिन्न कार्यों में भर्ती किया जाता है । कुछ भारतीय कर्मकार इसी प्रकार से उपर निर्दिष्ट विभिन्न कार्यों के लिए अन्य देशों को भी जाते हैं।

कृषि व्यापार संघ

8567. श्री गुरुदास कामत :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक कृषि व्यापार संघ स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) और (ख) सरकार ने 1992-93 के बजट में एक स्वायत्त निगमित संस्था के रूप में लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ का गठन करने की घोषणा की थी जिसका वित्त पोषण भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक से किया जाएगा। संघ में विशिष्ट फसलों से संबंधित विभिन्न बोर्डों तथा कृषि और कृषि उद्योगों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र निगमों, निजी क्षेत्र कम्पनियों, बैंकों, वैज्ञानिक संगठनों और कृषक एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वर्ष 1992-93 के दौरान 12 बड़ी परियोजनाओं को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। डा. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में क्षांति और खाद्य पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ब्यौरा को तैयार करने में लगा हुआ है।

श्रम शक्ति का निर्यात

8568. श्री आयनल अबेदिन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में फैली बेरोजगारी को रोकने के लिए उपाय के रूप में विभिन्न देशों को श्रम शक्ति का निर्यात करने की सम्भावना का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :

(क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय श्रमिकों के उत्प्रवास को विनियमित करता है और उनके कल्याण तथा उनके हित की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। श्रमिकों को मुख्यत: उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंटों तथा कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित मैनपावर एक्सपोर्ट निगमों द्वारा भेजा जाता है। बेरोजगारी दूर करने के एक उपाय के रूप में विभिन्न देशों में श्रमिकों को भेजने की संभावनाओं का पता लगाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कल शेयर बाजार में हुई हड़ताल का उल्लेख किया था और मांग की थी कि सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे। लेकिन कल से लेकर आज तक स्थिति बहुत बिगड़ गयी है। शेयर बाजार में भारी गिरावट आयी है। बम्बई के शेयर बाजार में सूचकांक 570 अंक गिर गया है। दिल्ली में भी 100 अंकों की गिरावट आयी है। एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि शेयर अनापशनाप बढ़ रहे थे, उनके भाव गिर गये, अच्छा हुआ, लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। छोटे लोग भी अब शेयर खरीदने में लगे हैं। सरकार की नीति ऐसी है कि छोटे लोग भी शेयर खरीदें। अगर किसी दूरगामी आर्थिक दृष्टि के कारण शेयरों के भाव गिरते हैं, सरकार की नीति से प्रभावित होकर गिरते हैं तो गिरावट मेरी समझ में आ सकती है लेकिन अगर यह सटोरियों का खेल है, सारे देश में, अगर राष्ट्र के पैमाने पर एक जुआ चल रहा है तो फिर इसके बारे में सरकार को अपना दिमाग बनाना पड़ेगा।

क्या शेयरों के भाव बढ़ना—यह समृद्धि की निशानी थी। पहले कहा गया था कि टाइगर अब चैन से बाहर आ गया है और छलांग लगा रहा है। अब कहा जा रहा है कि भाव गिर गये, यह भी अच्छा हुआ। अब क्या वापस वह पिंजड़े में आने की कोशिश कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे दुःख की बात यह है कि दिल्ली में जो भाव गिरे वह बम्बई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, इस अफवाह को लेकर गिरे। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, इस अफवाह से भाव गिरे ... (व्यवधान) ... नहीं, वह गलत खबर है, मगर बाजार में फैला दी गयी। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहता मगर उस व्यक्ति ने कल बम्बई में भाषण दिया है कि छोटे-छोटे लोगों को शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, यह बड़े सटोरियों का काम है। ये छोटे-छोटे लोग कहां से आ गए। यह 18 दिनों की हड़ताल और कल जिस तरह से शेयर मार्केट में उथल-पुथल हुई, उससे करोड़ों रुपए का वारा-न्यारा हुआ है। इसमें स्टेट बैंक आफ इण्डिया की क्या भूमिका है—600 करोड़ रुपए के गोलगाल की चर्चा हो रही है। स्टेट बैंक के अधिकारियों ने अपना कर्त्तव्य क्यों नहीं ठीक तरह से निभाया।

हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें, इस सदन को विश्वास में लें। कल यह मामला उठाया गया था, अगर कल से ही सरकार सक्रिय हो जाती ... (व्यवधान)... कल नहीं परसों उठाया गया था।

पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था और उस कानून के अनुसार स्टाक ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन होना है परन्तु स्टाक ब्रोकर्स रजिस्ट्रेशन से इन्कार कर रहे हैं—इसको कैसे सहन किया जा सकता है। सरकार जिस लिबरलाईजेशन की नीति को अपना रही है, उसमें शेयर मार्केट एक इन्स्ट्रूमेन्ट है बाजार को स्थिर रखने के लिए, लोगों को अपनी पूंजी उद्योग में लगाने के लिए, लेकिन अगर वह सटोरियों के भरोसे छोड़ दिया जायेगा तो मुझे लगता है कि सरकार की लिबरलाईजेशन की पालिसी भी बदनाम हो जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वित्त मंत्री जी को आदेश दें कि इस सम्बन्ध में वे तत्काल सदन में वक्तव्य दें।

श्री बार्द फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं अपने प्रिविलेज मोशन पर आने के पहले, जो मामला अभी अटल जी ने यहां पर उठाया है, उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उसे कहने के पहले, मुझे आपसे एक शिकायत भी करनी है क्योंकि हम लोग जब ऐसे मामलों को सदन में उठाते हैं, उन पर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की गम्भीरता नहीं दिखायी जाती, ऐसा तो हम रोज अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि जब देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ऐसे मामले, जो सामान्य लोगों के जीवन को कहीं परेशानी में डालने वाले हों, उन पर तत्काल किसी न किसी प्रकार से, इस सदन के सामने आकर, निवेदन या जवाब, जो भी सरकार की अपनी भूमिका है, उसे यहां पर रखने के लिए, आपको मजबूर करना चाहिए वर्ना हम लोग केवल यहां पर, जैसे कोई एक मसले को उठा दिया तो हमने अपनी बात को कह दिया और फिर सरकार उसी के ऊपर आराम से बैठ गई क्योंकि कोई भी मामला हो, किसी भी मुद्दा हो, आखिरी स्थिति तक, उसकी निर्णायक स्थिति तक, उसकी निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने का काम नहीं होता।

अध्यक्ष जी, इस सवाल को हमने परसों उठाया था और जैसा कि हमेशा शोर-गुल होता है, जैसे एक प्रश्न है, इस तरह से सरकार ने इसके बारे में अपना बर्ताव रखा।

अटल जी ने जो यहां पर अभी बात कही, कल जो बम्बई में 570 सूचकांक का नीचे आना और दिल्ली में एक सौ से अधिक नीचे आना, इसके बाद अध्यक्ष जी अगर मात्र दस प्रतिशत शेयर

बाजार में रेट्स घट गए, तो अनेक लोगों ने 32 हजार करोड़ रुपए गवां दिया। आज आपके शेयर मार्केट का वैल्यूएशन हो गया है लगभग साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए का और जो गिरावट आई है वह साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए के हिसाब से लगाए तो कितने लोगों की दौलत पानी में चली गई, कितने लोग आज आत्म हत्या करने वाली स्थिति में पहुंच गए होंगे, जो सट्टा खेलने वाली कोई भी जमात यहां पर बैठी होगी, निश्चित रूप से उसको जानकारी होगी ।

अध्यक्ष जी, अटल जी ने जो वक्तव्य अभी यहां पर दिया, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि छोटे आदमी स्टाक मार्केट में जाएंगे, यह तो कोई इन्वेस्टमेन्ट करके नहीं जा रहा है । हमने परसों यहां पर यही बात रखी थी—मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय महीने में दो-दो हजार और तीन-तीन हजार रुपए तनख्वाह पाने वाले आदमी अपने प्राविडेन्ट फण्ड से कर्जा ले चुके हैं पिछले छः महीने में और इस चाह से कर्ज ले चुके हैं, शेयर मार्केट क्या चीज है, वे यह समझकर नहीं, बल्कि इसलिए कि इसमें पैसा डालो, तो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है । बैंक या प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर 10, 12 प्रतिशत ब्याज देगा, लेकिन यहां तो हमको हर रोज 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है । इस प्रकार से गरीब लोगों ने और निम्न मध्यवर्गीय लोगों ने इसमें अपना पैसा डाल दिया और कुल 32 हजार करोड़ रुपया लोगों का बर्बाद हो गया ।

अध्यक्ष जी, इसका दूसरा पहलू भी है। वह स्टेट बैंक का है। और मात्र स्टेट बैंक नहीं, अन्य बैंकों का भी है। इसमें स्टेट बैंक का 600 करोड़ रुपया फंस गया और अन्य बैंकों को मिलाकर देखें, तो 1000 करोड़ रुपया फंस गया। 1000 करोड़ रुपया री-कंसाइल नहीं हो पाया, 3 सप्ताह तक हम देखते रहे, बोलते रहे, इस सवाल को छेड़ते रहे, परसों यहां पर आग्रह करके इस बात को सदन में रखने का काम किया। अगर स्टेट बैंक सट्टा खेलने के लिए पैसा देती है, अध्यक्ष जी, यह मेरी जानकारी है और यह मेरी निजी जानकारी नहीं है, जिन लोगों ने बारीकी से पढ़ने, समझने या पूछने का काम किया होगा, उनको पता होगा, स्टेट बैंक के मध्यम निम्न वर्ग के कर्मचारी ने कम्प्यूटर को मैनीपुलेट किया और 600 करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटीज थीं, सट्टा खेलने वाले, हर्षद मेहता के पास रुपया निकालकर रखा था । तो कम्प्यूटर को मैनीपुलेट करके, जमा करके, उस हिसाब-किताब को रखने का काम किया। एकाध अफसर को छुट्टी पर भेजने का काम किया, तो उसके चलते यह सारे तथ्य सामने आने की बात हो गई ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने कल के लिए एक ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी है । इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस पर भी और आज शाम को एप्रोप्रिएशन बिल है, उस पर भी इस विषय के ऊपर बहस होनी चाहिए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने एक विशेष मुद्दा उठाया है । हमने इसे पेश करने की अनुमति दे दी है। मंत्री महोदय द्वारा इस पर वक्तव्य दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है, तो हम खड़े हैं।

तो अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से अब अपने प्रिवलेज मोशन की ओर आता हूं। मैंने आज सुबह एक प्रिवलेज मोशन भेजा है ।

अध्यक्ष महोदय : 10 बजे आप प्रिवलेज मोशन दें, 5 पेज का प्रिवलेज मोशन होगा, उसके अंदर रेफरेंस होंगे, उसको देखने के लिए वक्त मिलना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, बीच में जगह ज्यादा है, पढ़ने में सुविधा हो, इस लिए हमने बीच में बहुत जगह रखकर टाइप किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रिवलेज मोशन दिया है, सारी डिबेट्स को रैफर किया है, कोट किया है । तो मुझे देखने के लिए टाइप तो मिलना चाहिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने, इस सदन के सामने जो दस्तावेज देता हूं, जो मैंने आपको दिए हैं, उनमें ऐसी कोई भी बात और चीज को नहीं लिखूंगा जो तथ्यों पर आधारित न हो।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है, परमिट करने के पहले, मुझे देखने तो दीजिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे पास वे 3 डिबेट्स यहां पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास होंगे मगर मुझे देखना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे माइंड एप्लाई करने का टाइम दीजिए । मैंने पूछा कि आपका कहां है तो उन्होंने मेरे पास दिया ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो फिर आप कल इसको उठाने की इजाजत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं अपना ध्यान इस पर लगाऊंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे आज प्रीविलेज मोशन इसलिए देना पड़ा कि उस दिन प्रधानमंत्री ने यहां पर एक नहीं अनेक बार, यहां तक कि थोड़ा सा व्यंग्य करके कहा . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप विस्तार में जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, महोदय मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं। उन्होंने अनेक बार यह कहा कि जो पाइंटेड क्वश्चन उस पत्र में मैंने आपको और प्रधान मंत्री को भेजे थे, मैं उसका जबाव आपको देने का काम करूंगा। आज पांच दिन हो गए, कुछ ऐसी चीज उसमें नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे बात कीजिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह सदन का मामला है । . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उचित समय दिया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

रीजनेबल टाइम न देते हुए अगर एक्सपैक्ट करेंगे तो वह भी अच्छा नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वे हमारे प्रश्नों का जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हाउस में जो कहा है उसका मतलब क्या है उनको खुद को मालूम है। मुझे कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सदन में दिया हुआ एश्योरंस है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह एक अनुभवी सांसद और एक राजनीतिज्ञ हैं । वह इसके महत्व को समझते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप पूछें और मेरे लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि मैं उन्हें निदेश दूं ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम कल सुबह आपके सामने अपनी बात कहेंगे ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पर्याप्त समय दीजिए . . .

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार के मामले में नहीं जा रहा हूं । शुक्रवार को जब प्रधान मंत्री बोफोर्स मामले की जांच पर चल रही बहस का उत्तर दे रहे थे, तब उन्होंने इस सभा को यह आश्वासन दिया था कि सभा में जो भी सीधे-प्रश्न उठाए गए हैं, वह उन सभी प्रश्नों का बहुत जल्दी उत्तर दे देंगे । पांच दिन बीत चुके हैं। प्रधान मंत्री ने इस सभा में आकर उत्तर क्यों नहीं दिए ? हम मांग करते हैं कि प्रधान मंत्री को तुरन्त इस सभा में आना चाहिए और उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिएं जो कि उस दिन उठाए गए थे ।

आज पुन: यह उद्घाटित किया गया है कि श्री सोलंकी द्वारा जो टिप्पण सौंपा गया था, उसमें प्रधान मंत्री का नाम भी शामिल है। अत:, मैं मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री को तुरन्त इस सभा में आना चाहिए और उस दिन जो प्रश्न उठाए गए थे उन सभी के उत्तर देने चाहिएं । प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह फाईलों को पढ़ने के बाद सभा में आएंगे . . . **(व्यवधान)** । अत: हम मांग करते हैं कि प्रधान मंत्री इस सभा में आएं और तत्काल उन प्रश्नों के उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : हां लेढ़ा जी . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप मांग कर सकते हैं। आपको ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है । लेकिन यथोचित समय तो देने दीजिए । यह मांग यहां पर दस व्यक्तियों को करने की आवश्यकता नहीं है यदि यह मांग एक भी व्यक्ति द्वारा की गई हो, तो यह समाप्त है । प्रत्येक सदस्य के लिए यह कैसे आवश्यक है कि वही बात बार-बार कहने के लिए खड़ा हो ? यह जरूरी नहीं है . . . .

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय चाहिए । प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि उत्तर देने के लिए फाईलों को पढ़ना होगा । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि एक सप्ताह के भीतर, हम माननीय सदस्यगण द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अतः, अब समय दिया जाता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सरकार द्वारा भी समय दे दिया गया है। अब मैं लोढ़ा जी को बोलने के लिए बुला रहा हूं...

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हमने विशेष मुद्दे उठाने के लिए पूर्व सूचनाएं दी हुई हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने कौन-सी पूर्व सूचनाएं दी हुई हैं ? किन विशेष मुद्दों पर ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुझे उनका उल्लेख करने दीजिए। वह विशेष मुद्दा यह है कि उस दिन जब प्रश्न उठाया गया था कि श्रीमान बोनट की सूचना का स्रोत क्या है कि यह अफवाह फैली है कि प्रधान मंत्री... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस पर दोबारा चर्चा कर रहे हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा। महोदय... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है कि उस सभा में इस चर्चा के लिए अनुमति न दी गई हो। इस पर 6 से 7 घन्टे के लगभग चर्चा हुई थी। यदि आप हर रोज इसी मुद्दे को ही उठाते रहेंगे तो क्या आप यह समझते हैं कि आप विदेश मंत्रालय अथवा वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं करना चाहते। क्या आप यह सोचते हैं कि यहां पर और कोई भी विषय नहीं है जिस पर आप कुछ भी चर्चा नहीं करने चाहते? क्या आप यह सोचते हैं कि बड़े नीतिगत मामलों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ? यह सब क्या है ? क्या यह ऐसे ही होता रहेगा ? यदि इस दृष्टिकोण पर चर्चा के लिए अनुमति नहीं दी गई थी तो आप कह सकते थे कि चर्चा बंद की जानी चाहिए । लेकिन हमने इस पर चर्चा करते रहे । आपने समय मांगा । इसके लिए समय दिया गया । आपने चर्चा भी की । क्या आप यह सोचते हैं कि संसद को हर रोज केवल इसी कार्य-व्यवहार में ही लीन रहना चाहिए और अन्य कोई विषय न उठाया जाए ? आप लोगों का इरादा क्या है ? कृपया मुझे इससे अवगत कराएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपसे सहमत हूं । मैं दूसरी बात करना चाहता हूं । **(व्यवधान)** मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री एस निजलिंगप्पा (दोड्डबल्लापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने के लिए एक मिनट का समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे प्वाइंट पर बोलने का समय दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मैं इसी प्वांइट पर कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जानबूझकर बोफोर्स को दबाने की साजिश चल रही है। जो ताकत बोफोर्स को दबाना चाहती है, वह कौन सी ताकत है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बड़े ही आदर के साथ उस प्रक्रिया को सभा के विचारार्थ रख रहा हूं जिसका हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है जोकि मैंने इस सभा के अध्यक्षपीठ अधिकारी होने के नाते अपनी कल्पनाओं से तैयार की हो। यह तो ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम सभी को मानना चाहिए। आप लोगों की भलाई के लिए मैं इस पर कुछ और विस्तार से भी बताना चाहूंगा ताकि आप लोग सभा की इस कार्यवाही को चलाने में तथा अन्य कार्य व्यवहार में मेरी और सभा की सहायता कर सके।

आप किस तरह की चर्चा की मांग कर रहे हैं। यहां तो आप कुछेक लोगों पर दोषारोपण कर रहे हैं। आप लोग प्रधान मंत्री पर दोष लगा रहे हैं। आप भली-भांति जानते हैं कि यदि इस सभा में किसी भी सदस्य पर दोषारोपण करने का प्रयास किया जाता है, तो हम ऐसे किसी भी प्रयास को अनुमति नहीं देते। सभी सदस्यों का सम्मान और आदर का उतना ही महत्व है जितना कि नेता के सम्मान का आप लोगों की भलाई के लिए मैं इसे पढ़ देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : देश के सम्मान का क्या होगा? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता भी लूंगा। सबसे पहले हमें हमेशा के लिए यह समझ लेना चाहिए कि इस तरह के मुद्दों पर किस तरह से चर्चा की जानी चाहिए। मैं 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' के उद्धरण रख रहा हूं :

> "नियम के अंतर्गत, किसी भी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपण स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो, जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।
>
> किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या ऐसे ही आरोप लगाना संसदीय चर्चा अनुशासन के नियमों के विपरीत है और उस अवस्था में स्थिति और भी खराब हो जाती है कि जब कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं जो कि अपने बचाव के लिए . . . में उपस्थित न हो सके।"
> सके।"
>
> . .और यह बात यहां लागू होती।

मैं उद्धृत करता हूं :—

> "इस सभा को इस तरह का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए जहां कि व्यक्तियों के चरित्र और आचरण पर प्रहार किया जाए क्योंकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, उसके पास इस सभा में दिए गए भाषण के विरुद्ध कोई उपाय नहीं था। लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए सामान्यतः यह आवश्यक है कि सदस्यगण स्वयं संयत रहें और केवल ऐसी अत्यावश्यक अवस्था में ही आरोप लगाएं, जबकि विषय सार्वजनिक हित का हो। ऐसी अवस्था में भी यह आवश्यक है कि

संबंधित मंत्री को उचित अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह मामले की जांच कर सकें और यदि आवश्यक हो तो संबंधित व्यक्ति की ओर से सफाई भी प्रस्तुत कर सके ।''

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इससे किस चीज का संबंध है ! **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं । इसमें आगे कहा गया है :

''समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए आरोप की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सूचना देने वाला सदस्य अध्यक्ष को इस आशय के ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता कि आरोप किन्हीं ठोस तथ्यों पर आधारित है। यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य अथवा मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाता है और आरोपित सदस्य/मंत्री इसका प्रतिवाद करता है, तो आरोप लगाने वाले सदस्य को सामान्यतः ऐसे प्रतिवाद को उस अवस्था में मान लेना चाहिए जबकि वह लगाए गए आरोपों के प्रति आश्वस्त न हों, और उनके लिए पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार न हों.....।''

इसलिए सदस्य द्वारा अध्यक्ष को सामान्य सूचना देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है ।

''इस सभा में आरोप लगाने से पूर्व, इस प्रयोजनार्थ, यह आवश्यक है कि सदस्य अध्यक्ष को और संबंधित मंत्री को आरोप के विवरण संबंधी पर्याप्त अग्रिम सूचना दे.....।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको यह बात समझनी होगी ।

''यदि लगाए गए आरोपों के विवरण स्पष्ट रूप से रखे जाते हैं और अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा, जिन्हें कि सदस्य प्रमाणित कर सकें, समर्थित होते हैं, और आरोप लगाने वाला सदस्य सभा में आरोप लगाने से पूर्व स्वयं पूछताछ के बाद इस बारे में संतुष्ट हो जाता है कि आरोप निराधार नहीं हैं, और आरोपों की सत्यता की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार है तथा सदस्य आरोपों को ठोस सिद्ध करने के लिए तैयार होता है.....।''

मैं आपकी अधीरता समझता हूं; आप लोगों की भलाई के लिए मैं केवल चार ही पंक्तियां और पढूंगा ।

''अध्यक्षपीठ ने समय-समय पर सदस्यों को यही कहा है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध दोष लगाने वाले सदस्य को दोष लगाने से पूर्व तथ्यों के सही होने की पुष्टि कर लेनी चाहिए और संसद सदस्य होने के नाते उसे अपने दायित्व को समझ लेना चाहिए । यदि किसी सदस्य के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि उसने किसी ऐसे ढंग से कार्य किया है जोकि संसद की मर्यादा के संगत नहीं है अथवा संसद सदस्य के नाते उससे जिस स्तर की आशा की जाती है, उसके अनुरूप

नहीं है, तो उसके आचरण से संबंधित प्रस्ताव पर सभा में चर्चा किए जाने की अनुमति दी जा सकती है।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री ने एक स्टेटमेन्ट में कहा है कि उनके नाम को उसमें घसीटा गया है.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनका नाम भी लिया गया है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो स्पष्टीकरण चाहते हैं.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

यह बोफोर्स का मामला दबा हुआ है, वह बोफोर्स के मामले में क्या करना चाहते हैं.... (व्यवधान) ....प्रधान मंत्री ने अपने स्टेटमेन्ट में कहा है कि उनके नाम को उसमें घसीटा गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह सदन की ड्यूटी है कि .....(व्यवधान)..... आज जनसत्ता में, इण्डियन एक्सप्रेस में जो निकला है, उसमें यह साबित हो गया है कि कोई न कोई ताकत इसमें काम कर रही है.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य सदस्यों को भी अपनी बात कहने का समय दें। ऐसा नहीं है कि आप को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अनुमति न मिली हो, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आपको अनुमति दी गई थी और यदि आपने मेरे द्वारा पढ़ी गई पंक्तियों पर ध्यान दिया है तो आपका सर्वप्रथम कर्त्तव्य है कि अपने आप को इस बारे में संतुष्ट कर लें कि यह सही है। पहले आपको लगाए गए आरोपों के बारे में स्वयं को मुक्त करना होगा और केवल तभी आप ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में एक करोड़ से अधिक जैन समाज के प्रतिनिधियों की ओर से राजघाट पर हैदराबाद के गोलीकाण्ड को लेकर धरना दिया जा रहा है। इस गोलीकाण्ड के कारण से केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं, सारे भारत में असंतोष है। हमारे पार्लियामैण्टरी अफेयर्स मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आजाद ने दो दिन पहले कहा था कि इसके बारे में जानकारी करके सदन को बताया जाएगा.....

अध्यक्ष महोदय, सारे देश के अंदर इस गोली काण्ड के कारण सब जगह पर आन्दोलन हो रहा है। हुआ यह है कि जहां दोषी अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए और जिन व्यक्तियों ने गोलियां नहीं चलाईं उनके खिलाफ मुकद्दमे चलाए गए, वे वापिस लिए जाने चाहिए। इस बात की जांच एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा कराई जा रही है और जैन समाज के जलूस के द्वारा जो उपद्रव किया गया, उसके बारे में बात कही है। अध्यक्ष महोदय, यह

वास्तव में, एडिंग-इन्सल्ट-टू-इंजरी, जले पर नमक छिड़कने के बराबर है । जहां जैन समाज के जलूस के ऊपर गोलियां चलाई गईं, जो केवल भगवान महावीर की जय और पशु हत्या बंद हो—का नारा लगा रहे थे । वहां इस बात की जांच की जा रही है कि जैन समाज के लोगों ने क्या उपद्रव किया था, क्या हिंसा की ।

इसके बारे में गृह मंत्री जी से डैप्युटेशन मिला था और गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था कि जानकारी कराएंगे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई जानकारी नहीं कराई । यह प्रश्न आन्ध्र प्रदेश का है, जहां से हमारे प्रधान मंत्री जी आते हैं । इस वजह से सारे भारत के अंदर असंतोष है । कल संसद के बाहर पांच सौ लोगों का प्रदर्शन होने वाला है, जिस में सारे भारत के जैन समाज के प्रतिनिधि यहां आ रहे हैं । अहिंसा के पुजारियों पर इस प्रकार घातक हमला किया जाए, अमानवीय और असंवैधानिक हमला किया जाए, उचित नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा श्री गुलाम नबी आजाद, मंत्री महोदय ने कहा था कि इसके बारे में स्टेटमेंट देंगे, तो वह क्यों नहीं दिया गया है । इसके साथ ही इस की जांच सीटिंग जज से कराई जाए । जो मुकदमे बनाए गए हैं, उनको वापिस लिया जाए । रात्रि के तीसरे पहर जैन मंदिर में जाकर जूते पहनकर और डण्डे लेकर वहां पर हमला किया गया । ऐसा जिन्होंने किया है, उनको निलम्बित किया जाए और सख्त कार्यवाही की जाए । ....(व्यवधान)....

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जो गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है, वह हम सुन नहीं पाए हैं । वे कब जवाब देने वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि एक वीक के अंदर ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : एक सप्ताह तो हो गया । पांच दिन तो हो गए हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांन्ति चटर्जी : हमने सूचना दे रखी है। कृपया हमें भी अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह बताएं कि आपने कौन से नियमों के अंतर्गत सूचना दी है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सूचना शून्य-काल के नियमाधीन दी गई है । कृपया हमारे साथ भी सहयोग करें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालयोगी जी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल वही बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल की जाएगी जोकि श्री बालयोगी जी कहेंगे ।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी (अमालापुरम) : धन्यवाद, महोदय । विगत कई दिनों से मैंने इस बात को उठाने की सूचना दे रखी है और कम से कम, अब तो मुझे अवसर मिल ही गया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने ही हित को इस सभा पर नहीं थोप सकते ।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी : महोदय, काकीनाड़ा नगर में गैस पर आधारित बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों ने छोटे किसानों से लगभग 600 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है। उन्होंने इस भूमि के विकास पर तथा अन्य संरचनागत क्रियाकलापों पर 6 करोड़ रुपए के लगभग राशि खर्च भी कर दी है। एन.टी.पी.सी. का कार्यालय भी वहां पर स्थापित हो चुका है और उसमें स्टाफ भी कार्यरत है। अब मुझे यह पता चला है कि एन.टी.पी.सी. इस परियोजना को छोटे-मोटे कारणों से काकीनाड़ा से कहीं और स्थापित करने की सोच रहा है। इसका एक कारण यह है कि इस स्थान से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोरिंगा जिले में एक मगरमच्छ उद्यान लगभग 15 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था जहां पर इस समय न तो कोई मगरमच्छ है और न ही कोई उद्यान। एन.टी.पी.सी. के अधिकारी यह महसूस करते हैं कि काकीनाड़ा में परियोजना की स्थापना से कोरिंगा जिले का मगरमच्छ उद्यान नष्ट हो जाएगा।

दूसरा कारण पर्यावरणीय अवरोध का है। इस बात में भी एन.टी.पी.सी. के अधिकारी एक भूल कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने काकीनाड़ा में एन.टी.पी.सी. के परिसर में दो बड़े उर्वरक संयंत्रों की स्वीकृति दी है और इनमें से एक संयंत्र ने तो काम करना आरम्भ भी कर दिया है और दूसरे के जून, 1992 में काम आरम्भ करने की उम्मीद है। इसलिए इस आधार पर भी एन.टी.पी.सी. के तर्क का कोई आधार नहीं है।

हाल ही में भारत सरकार के ऊर्जा सचिव ने काकीनाड़ा में परियोजना स्थल का दौरा किया था और वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस बारे में अनुरोध भी किया है कि गैस पर आधारित एन.टी.पी.सी. का इस योजना को काकीनाड़ा से किसी दूसरे स्थान पर न ले जाया जाए।

वह परियोजना के स्थान निर्धारण और उक्त परियोजना के निर्माण के लिए उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट हैं। लोगों ने उन्हें यह भी बताया था कि कोरिंग गांव में स्थित मगरमच्छ अभयवन पर इस प्रस्तावित परियोजना का कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग उक्त परियोजना के लिए गैस की सप्लाई करने को भी तैयार है।

उक्त तथ्यों को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री, विद्युत मंत्री और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस चरण पर गैस पर आधारित परियोजना को काकीनाड़ा से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण न करें और उक्त परियोजना के शीघ्रता से पूरा होने और निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि आबंटित कराएं। अन्यथा कुछ स्वैच्छिक संगठन और पूर्व गोदावरी जिले के लोग परिहार्य आन्दोलन आरम्भ कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि भिलाई नगर और दुर्ग में गत पांच दिनों से ऐसा लग रहा है कि वहां युद्ध के कारण से पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। वहां लगभग पांच हजार झुग्गी-झोंपड़ियों को लगातार जलाया जा रहा है। किसी को भी एक मिनट के लिए अपना सामान उठाने नहीं दिया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि जो बुलडोजर वहां चल रहा है, वह कभी आगे जाता है और कभी पीछे आता है तो उसके कारण मनोज नाम के 20 साल के लड़के की दबकर मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के दुर्ग के प्रभारी मंत्री ने वहां जाकर अधिकारियों से कहा है कि अगर सब मकानों को नहीं जलाओगे तब तक मैं तुम्हें देखना गवारा नहीं करूंगा। इसलिए अधिकारी किसी बात को नहीं सुन रहे हैं। कल 47 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। आज सवेरे भिलाई और दुर्ग के कई समूहों में किसान-

मजदूर आकर गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर के कार्यालय का घेराव किया हुआ है। भिलाई शहर में ऐसा लग रहा है कि गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। जिनको पट्टे मिले हुए हैं उनके भी मकान गिराये जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : माननीय सदस्य बार-बार यह मामला उठा रहे हैं, जबकि यह पहले ही समाप्त कर दिया गया था ।

श्री बन्दूलाल चन्द्राकर : कलेक्टर के एलान से झुग्गी-झोंपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भिलाई में लोग रात को, दिन को सो नहीं पा रहे हैं। मेरी मांग है कि वहां एक शिष्ट मंडल भेजा जाये और इस पूरे मामले की जांच करवाई जाये। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुझे बोलने का मौका दिया जाये, मेरे क्षेत्र की घटना है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, आपको भी समय दूंगा।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला औद्योगिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ जिला है। यहां की पूरी आबादी कृषि कार्य पर ही निर्भर है, पर आबादी के लिहाज से यहां प्रति व्यक्ति जोत की जमीन बहुत ही कम है। परिणामस्वरूप लोग पेट पालने के लिए रोजी की तलाश में दर-दर भटकते हैं।

जनता के सतत संघर्ष एवम् मांग के बाद केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिए पटेल आयोग का गठन किया गया । पर उसकी संस्तुतियों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया जिससे गाजीपुर जनपद की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बदतर होती गई ।

अत: हमारी सरकार से मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश खासतौर से गाजीपुर की बदतर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वहां सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में एक रेलवे कोच फैक्टरी की स्थापना की जाए। उसके लिए गाजीपुर में रेलवे लाइन के किनारे पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध है।

श्री रामधीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाओं में अंग्रेजी की प्रत्येक स्तर पर अनिवार्यता समाप्त करके भारतीय भाषाओं को उसका पूर्ण विकल्प बनाने सम्बन्धित 18 जनवरी, 1968 को भारतीय संसद द्वारा पारित...।

भाषा नीति संसदीय संकल्प को लागू करने की प्रक्रिया सुझाने हेतु 26 मई, 1989 को गठित प्रो. सतीश चन्द्र विशेषज्ञ समिति द्वारा 11 मई, 1990 को प्रस्तुत रिपोर्ट को 16 अगस्त, 1990 को सरकार ने सदन में भारतीय भाषाओं के पक्ष में स्वीकार करने के साथ शीघ्र लागू करने की घोषणा की थी परन्तु रिपोर्ट के संसदीय पटल पर प्रस्तुत होने से पूर्व 3 जून, 1991 को अंग्रेजी की वकालत करते हुए अखबारों में प्रकाशित हो जाने से रिपोर्ट के संसदीय संकल्प के अनुरूप होने अथवा नहीं होने की स्थिति अनिश्चित एवं प्रश्नांकित है। इस संदिग्ध अवस्था में संसदीय संकल्प लागू करने हेतु सर्वप्रथम रिपोर्ट को संसद पटल पर प्रस्तुत करके उसकी संसदीय संकल्प के अनुरूप होने अथवा न होने की पुष्टि की जाए। तत्पश्चात् इसको सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया जाए और रिपोर्ट के संसदीय संकल्प के अनुरूप होने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग को तत्काल इसे लागू करने के आदेश जारी किए जाएं अन्यथा रिपोर्ट के संसदीय संकल्प के विपरीत होने की दशा में संसद को एक विधेयक लाकर संसदीय संकल्प लागू करने के लिए अधिनियम बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई करें जिससे भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित प्रतिभाओं को संसद द्वारा प्रदत्त न्यायोचित दावों/हितों को पूर्ण किया जा सके। पिछली नवीं लोकसभा में इन्हीं मांगों को लेकर दर्शक दीर्घा से ऊपर से यहां शोर मचाया गया था। आज 1400 के करीब दिन होने को आ रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सामने नौजवान धरना लगाए हुए हैं। भारतीय भाषाओं का आखिर कब सम्मान होगा। हिन्दुस्तान को आजाद हुए 45 साल हो गए, आज तक हम भारतीय भाषाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अंग्रेजों की दास्ता से तो मुक्ति पा गए लेकिन अंग्रेजी के गुलाम आज तक बने हुए हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण सवाल पर विचार किया जाना जरूरी है और इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि सात दिनों के अन्दर यह कार्य हो जाएगा। सात दिनों से अभिप्राय क्या आज से अथवा 24 तारीख से है?

अध्यक्ष महोदय : वह एक स्पष्टीकरण चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : सात दिनों से अभिप्राय आज से है। जब मैं कहता हूं कि सात दिनों के अन्दर तब इसका अभिप्राय यह है कि दो अथवा तीन दिनों में यह कार्य किया जा सकता है। . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह क्या है? क्या आज से लेकर सात दिनों तक है? वे केवल संदेह को और बढ़ा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप सात दिनों का समय क्यों मांग रहे हैं? इसे कल ही क्यों नहीं किया जा सकता? मेरे विचार से प्रधान मंत्री जी कल आएंगे। . . . **(व्यवधान)** . . .

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व एवं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है जहां मैं 26 तारीख को गया हुआ था। जो डैम बन रहा है, वहां पर विस्थापितों की समस्या के संबंध में बिहार और केन्द्र सरकार से बराबर अवगत कराता आया हूं। परन्तु फिर भी बिहार सरकार और केन्द्र सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। यद्यपि मेरे पत्र के उत्तर में विस्थापितों की समस्या को हल करने के लिए आश्वासन दोनों गवर्नमेन्ट ने दिया है परन्तु वहां पर 120 गांव के विस्थापितों की समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है, न उनको मुआवजा ही दिया गया है। इसी तरह से पिछले वर्ष कई गांव पानी में डूब गये थे चूंकि दूसरी जगह नहीं जा पाये थे, इसलिए 26 तारीख को मैंने आदित्यपुर के प्रशासक जो विकास भवन में रहते हैं, लिखा कि इस परियोजना के विस्थापितों की समस्या के बारे में वार्ता करना चाहता हूं। उन्होंने पत्र से स्वीकृति भी दे दी और 27 तारीख को जब उनसे बात करने गया तो 15 मिनट तक बाहर मुझे गेट पर रोके रखा। मैंने कहा कि मैं सांसद हूं और उनसे बात करना चाहता हूं। मेरे साथ विस्थापित परिवार के दस लोग और थे परन्तु 15 मिनट सीढ़ी पर खड़ा रहा लेकिन मुझे अन्दर नहीं जाने दिया और कहा कि आदेश आएगा तो अंदर जाने दिया जाएगा। इस तरह से हमको अपमानित किया गया। बाहर 400 लोग थे वे नारेबाजी कर रहे थे तो पुलिस के गार्ड्स और पदाधिकारी ने उन विस्थापित परिवारों से कहा कि ये भिखमंगे आये हैं, चिल्लाते हैं, उन भिखमंगों को चिल्लाने से भीख नहीं मिलेगी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों के घर-द्वार उजड़ गये हैं,

जिनकी जमीन चली गयी है वे अपने अधिकार के लिए जाते हैं तो उनको भिखमंगा कहा जाता है, अपमानित किया जाता है, इससे बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकती है। इसलिए कोयल-कारों में जो दिक्कतें हो रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उन परिवारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है कि उनको नौकरी नहीं दी जाती है, न उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको आने-जाने की सुविधा नहीं है, उनके लिए पीने के पानी की सुविधा नहीं है। एक पुनर्वास स्थान बताया गया है जहां मंत्री या वी.आई.पी. लोग जाते हैं और दिखाया जाता है कि हम विस्थापित लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं मगर अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सदन की एक कमेटी बनाकर वहां के विस्थापित परिवारों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है इसकी जांच हो और मैं चाहूंगा कि जिन पदाधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार किया है और जिन पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकार लोगों को भिखमंगा कहा है, इसकी जांच हो और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो नहीं तो बाध्य होकर उन लोगों को जन आन्दोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा चाहे इसका परिणाम जो भी हो। इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राम टहल चौधरी ने जो सवाल उठाया है वह बहुत गंभीर सवाल है और प्रशासकों के द्वारा इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है और संसद सदस्य के साथ भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया और उनको 15 मिनट तक बाहर खड़ा रहने के बाद भिखमंगा कहा गया जो विस्थापित लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रशासक उनसे नहीं मिले। मैं इस घटना की निन्दा करता हूं और राम टहल चौधरी जी ने जो सवाल उठाया है विस्थापित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने के बारे में, मैं पूर्ण रूप से उसका समर्थन करता हूं। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अयोध्या विवाद के संबंध में एन.आई.सी. की स्टैण्डिंग कमेटी की एक टीम श्री बोम्मई की अध्यक्षता में वहां गई थी और वह टीम वहां से लौटकर आई और उन्होंने गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश की है, लेकिन हम लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं है कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गृह मंत्री को जो रिपोर्ट दी गई है उसको सदन के पटल पर रखा जाए जिससे सदन को भी उसके बारे में जानकारी हो सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बोम्मई साहब से मिल लें।

श्री राम विलास पासवान : वे नहीं दे सकते। जो कमेटी है, उसकी मर्यादा है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सरकार को निर्देश दें और पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर भी यहां पर बैठे हैं। तमाम दल के संसद सदस्य चाहेंगे चूंकि एक पार्टी की नहीं, तमाम पार्टी के लोग उसमें थे। इसलिए सब चाहेंगे कि रिपोर्ट में क्या है जिससे कि हम लोगों को भी कोई सूचना मिल सके। यह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। . . . (**व्यवधान**) . . .

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मेरी मांग है कि सभा के हित में सभापटल पर रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। . . . (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : गृह मंत्री ने इसकी घोषणा सभा में की थी। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट सभापटल पर रखी जाए। . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान ने जो कुछ कहा है, मैंने उसे समझ लिया है। आपको उनकी बात की वकालत करने की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हम जानते हैं कि इस समिति ने तीन दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दी है। . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए यह आवश्यक क्यों है?

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : तीन दिन पहले समिति ने गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट दे दी है । संसद सदस्यों को भी यह रिपोर्ट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। . . . **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, यह एक विचित्र प्रक्रिया है। जहां तक हमें याद है, माननीय गृह मंत्री ने ही राष्ट्रीय एकता परिषद और कुछ संसद सदस्यों के शिष्टमंडल के वहां पर जाने पर प्रस्ताव रखा था । उन्होंने उसका अनुमोदन किया था और पहल की थी । यहां पर उपस्थित कुछ मित्रों ने इस पर आपत्ति की थी। परन्तु उस पर अमल कर दिया गया। इस समय वे वहां पर जाकर वापस भी आ चुके हैं और अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। परन्तु इस सभा के सदस्यों को रिपोर्ट के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। कम से कम इसके लिए कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री ने कुछ तकनीकी बातों का सहारा लेते हुए कहा है कि इसे सभापटल पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह सरकारी रिपोर्ट नहीं है। यह कोई समाधान नहीं है। इस सभा के सदस्यों को रिपोर्ट के बारे में जानकारी अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए । हमें उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? यह बताया जाए। उसके लिए क्या विधि अपनाई जा रही है ? . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, जब मैं खड़ा हूं तब आप कृपया बैठ जाइए। कल केवल कार्य-मंत्रणा समिति में इस मामले को उठाया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि सदन में भी इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए। रिपोर्ट के बारे में मैं यह कहूंगा कि यदि कुछ तकनीकी बारीकियां हैं भी तो इस बारे में क्या किया जा सकता है। हम गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने के लिए कुछ समय देंगे और वह फिर हमें बाद में बता दें। परन्तु हमने राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों के दौरे इत्यादि के बारे में चर्चा करने का निर्णय किया है। परन्तु अब इस समय इस मामले को नहीं उठाया जाये। सभी इस बात से सहमत थे।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सदस्य को रिपोर्ट के बारे में जानने का पूरा हक है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मुझे भी अपना पाइन्ट कहने दीजिए । . . . **(व्यवधान)** . . . आप सबको कहने देते हैं । . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : आपको समय दिया जाएगा तो फिर मैं सबको दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : समिति ने सभापटल पर रिपोर्ट को रखने की सिफारिश की थी ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि मैंने आपको नियम 369 के अंतर्गत नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, एक इश्यू पर आप बोलने के बाद ।

[अनुवाद]

आपने बहुत स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष उस मुद्दे को रखा था और हमने इसे मान लिया है। हमने चर्चा के बारे में कोई गुंजायश नहीं छोड़ी है । अन्य सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं । उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा सबमीशन यही है कि आपने अभी जो कुछ कहा, आप पहले मेरा सबमीशन सुन लीजिये । मैंने आपको नियम 369 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। मेरा सबमीशन यही है कि वहां पर बी. जे. पी. का भी एक शिष्टमंडल गया था, 15 सदस्यीय शिष्टमंडल । उसने जो रिपोर्ट दी है, उसे मैंने आपके सचिवालय को नियम 369 के अंतर्गत दे दी है । आपने जैसा कहा, डिस्कशन आप करिए लेकिन मेरा निवेदन है कि जो बी. जे. पी. का डेलीगेशन गया था, उसकी रिपोर्ट को भी आप डिस्कस कराएं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि एक ही मुद्दे पर सात आठ सदस्य बोलना चाहते हैं तब हम दूसरे सदस्यों के साथ न्याय कैसे करें ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से सभा किसी एक दल विशेष की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दे सकती ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ठीक यही कहना चाहता हूं ।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अलग क्यों गये । डेलीगेशन में क्यों नहीं गये । फिर आप कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट को भी डिस्कस करने का मौका दिया जाये, हमारी रिपोर्ट को भी यहां रखा जाये, डिस्कस की जाये, यह कैसे सम्भव है । आप अलग क्यों गये ।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : हमारे डेलीगेशन में 15 आदमी गये थे । वह रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी डिस्कस करना चाहिये ।

श्री मदन लाल खुराना : आप भी जाईये, आपकी टीम भी जाये, हमें क्या एतराज है ।

(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : जो बी. जे. पी. का डेलीगेशन गया था, उसकी रिपोर्ट भी सदन में रखी जानी चाहिये, वे भी आनरेबल मैम्बर्स थे । मैं समझता हूं कि इस

तरह डिस्टॉर्शन आफ फैक्टस किया जा रहा है । वह रिपोर्ट भी साथ-साथ डिस्कस होनी जरूरी है । (व्यवधान)

श्री संयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि हमने होम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट पेश कर दी है मैं यह नहीं कहता कि वह पार्लियामेन्टरी टीम थी लेकिन आफिशियली स्पौन्सर्ड टीम वह थी । आपने इजाजत दी थी, उस वक्त भी कहा था कि इस मसले पर यहां बहस होगी । (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : आपकी रिपोर्ट रखने से पहले, हमारी रिपोर्ट भी सदन में रखी जानी चाहिये और उस पर भी बहस होनी चाहिये ।

[अनुवाद]

श्री वासुदेव आचार्य : गृह मंत्री ने घोषणा की थी और समिति ने सभापटल पर रिपोर्ट को रखने की सिफारिश की है । सभापटल पर इसे क्यों नहीं रखा जा रहा है ? जब तक सदस्यों को रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करार्ई जाती, तब तक उस पर लाभदायक चर्चा कैसे हो सकती है ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हम बहस के लिये तैयार हैं, हमारी रिपोर्ट पर भी डिस्कशन होना चाहिये ।

श्री संयद शाहाबुद्दीन : दोनों टीमों का मुकाबला नहीं हो सकता, इनकी रिपोर्ट का और हमारी रिपोर्ट का भी मुकाबला नहीं हो सकता । इनकी प्राईवेट टीम थी, हमारी आफिशियली स्पौन्सर्ड टीम थी ।

श्री मदन लाल खुराना : आप सरकारी आदमी कब से हो गये । हमारी जनता की टीम गयी थी, उसकी भी इम्पोर्टेंस है । (व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : वह आपकी पार्टी की टीम थी जब कि हम लोगों की सरकारी टीम थी । आप सरकारी टीम में क्यों नहीं गये । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, सभा में की गई कुछ चर्चा के आधार पर जिसमें गृह मंत्री ने कुछ टिप्पणियां और हस्तक्षेप किया था, एक समिति भेजने का निर्णय सभा में लिया गया था । यदि मैं इसे एक संसदीय शिष्टमंडल कहूंगा, श्री दाजपेयी इस पर आपत्ति करेंगे। यह संसद सदस्यों का शिष्टमंडल था । सभी दलों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था । मुझे विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उसमें शामिल होने का स्वागत करेंगे । इस बारे में भी आमंत्रण भेजा गया था । उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया । भा. ज. पा. को छोड़कर सभी दलों के उसमें सदस्य उपस्थित थे । यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे राजभर्ग का एक मामला समझा जाये । यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसे सामान्यतः राज्य का विषय कहा जाता है परन्तु स्थिति को देखते हुए, इस बारे में उठाए गए प्रश्नों को देखते हुए, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संसद सदस्यों ने वहां पर जाने का निर्णय लिया गया और सरकार ने उसमें भाग लिया । इस समय गृह मंत्री ने कहा था कि केवल संसद सदस्य ही नहीं बल्कि अपने निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों को भी इसमें भाग लेना चाहिए । वे भी गये थे । अतः सरकार इस मामले को इस रूप में नहीं ले सकती कि यह केवल एक राजभर्ग का ही मामला है और उन कुछ संसद सदस्यों का निजीतौर पर किया गया प्रयास था जिन्होंने वहां जाने का निर्णय किया था ।

जैसा कि हमने समाचार-पत्रों में देखा है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है । इस प्रकार के मामले में जनता में ज्यादा अटकलबाजी लगेगी कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया है तब कि कि संसद सदस्यों को वह रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती। यदि हमको रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं दी जायेगी तब यह समझा जायेगा कि हमारे अनुमोदन के बिना ही हमारी सहमति समझ ली गई है । हालांकि सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार ही सदस्य वहां गये थे । जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मण्डल का संबंध है, कोई भी दल अपनी टीम वहां भेज सकता था । वहां पर उनकी अपनी सरकार है और मुझे विश्वास है कि वहां पर उनका स्वागत किया गया, वे वहां गए । इसलिए कोई भी दल अपना प्रतिनिधि-मण्डल वहां भेज सकता है । उसकी राष्ट्रीय एकता परिषद और संसद सदस्यों के साथ वहां गए प्रतिनिधिमण्डल से तुलना कैसे की जा सकती है ।

अतः इस विषय पर प्रभावी चर्चा और वहां पर व्याप्त स्थिति को ठीक से समझने के लिए तथा सदस्यों के दिमाग में इस बारे में जो शंकाएं हैं कि दास्तव में वहां क्या हो रहा है को जानने के लिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उस रिपोर्ट को तत्काल सभा पटल पर रखे । यह तकनीकी प्रश्न नहीं है । ऐसे मुद्दे को मात्र तकनीकी मामले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए । यह मेरा अनुरोध है ।

[हिन्दी]

अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, आज मैं सबेरे गृह मंत्री जी से मिला था । जो प्रतिनिधिमंडल अयोध्या गया था, उसकी रिपोर्ट किस रूप में सदन में आएगी, मुझे पता था कि बिजनैस एडवायजरी कमेटी में आपकी अध्यक्षता में यह फैसला हो चुका है कि हम सारे मामले पर इस सदन में बहस करेंगे, लेकिन बहस के लिए जरूरी है कि जो प्रतिनिधि मण्डल गया था, उसका दर्जा कुछ भी हो, पार्लियामेन्ट के सदस्य गए थे, अलग-अलग दल के सदस्य गए थे, एन. आई. सी. का भी उसमें प्रतिनिधित्व था, उनकी जो रिपोर्ट है, वह चर्चा के लिए आनी चाहिए । हमारी तरफ से आपत्ति नहीं है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं ।

गृह मंत्री जी ने एक कठिनाई बताई कि मैं टैक्नीकली एग्जामिन कर रहा हूं क्योंकि इस पर आपत्ति हो सकती है । सवाल केवल एक रिपोर्ट का नहीं है । क्या भविष्य में भी इस प्रकार से अगर जांच के लिए प्रतिनिधि मण्डल भेजे जाएं, तो उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए, यह गृह मंत्री जी एग्जामिन कर रहे हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं एक पोलिटिकल प्राणी हूं । उन्हें सरकार चलानी है और आज प्रतिपक्ष में जो हम कह रहे हैं, वह कल सरकार में आने के बाद हम पर भी लागू होगा, इस बात को हम ध्यान में रखें । **(व्यवधान)** मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं । हमारी तो कोई उम्मीद नहीं है ।

अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि उस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद करवा रहे हैं और हिन्दी अनुवाद कराने में थोड़ा समय लगेगा । अब अगर किसी को रिपोर्ट देखने की बहुत जल्दी है तो बोम्मई साहब से ले सकते हैं । **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : बोम्मई साहब से क्यों लेंगे, सरकार से लेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आप सरकार से ले लें । मगर मैं एक बात जरूर चाहूंगा कि जो हमारा प्रतिनिधि मण्डल गया था, चर्चा के समय उसकी रिपोर्ट भी सामने रहे, यह बहुत जरूरी है । **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : हम रिपोर्ट की एक-एक कापी सब को देंगे ।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह आश्चर्य की बात है कि किसी दल विशेष द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा करने की मांग की जा रही है । उस रिपोर्ट पर उनके दल की बैठक में चर्चा की जा सकती है सदन में नहीं । क्या कोई भी दल कोई भी प्रतिनिधि-मण्डल भेज सकता है? क्या इस पर चर्चा करना सदन की जिम्मेदारी है? किस नियम के तहत दल की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की जा सकती है? महोदय इसमें एक अंतर है । महोदय मैं आपके माध्यम से उनसे यह आग्रह करता हूं कि जो वे कह रहे हैं वे उसे समझें । संसद के निर्णय से यह समिति वहां गई । . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य सदस्यों को अपनी बात कहने दीजिए । यह मुद्दा केवल यहीं पर समाप्त होना चाहिए । श्री वाजपेयी ने जो कुछ कहा ठीक वही सूचना मुझे गृह मंत्री से मिली है । मैं इसमें जरा भी कसर नहीं रखना चाहता हूं । जब हम इस मुद्दे पर आ गए हैं तो हमें इसका समाधान भी ढूंढना होगा । इस मुद्दे को अब नहीं उठाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमको कैसे पता चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा । किसी ने हां नहीं कहा, किसी ने न नहीं कहा, आप ऐसे ही क्यों कहलवा रहे हैं । जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा ।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, अभी सूचना आई है कि चांदनी चौक में एक बम फटा है। 30 लोग मलबे में दबे हुए हैं, एक आदमी की लाश निकली है । यह बम साढ़े दस बजे फटा है । मंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली में जो बम फट रहे हैं उसके बारे में स्टेटमेन्ट दी जाएगी । अभी तक स्टेटमेन्ट नहीं दी गई है । यह पांचवां बम है जो चांदनी चौक में फट चुका है । यह बड़ा गंभीर मामला है । . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : आप जीरो आवर में चार बार उठकर खड़े हो गए हैं । आप बैठ जाइए, मैंने सुन लिया है । . . . (**व्यवधान**) . . . खंडेलवाल जी, आप बैठ जाइए, मैं आपको बुलाऊंगा । नीतिश कुमार जी, आप 4-5 बार खड़े हो गए हैं जैसे जीरो आवर आपका ही है । यह सही नहीं है ।

श्री नीतीश कुमार (बाद) : सदन का समय बचाने के लिए मेरा सुझाव है कि दिल्ली के चुनाव जल्दी करवा दिए जाएं ताकि खुराना जी बार-बार न उठें । . . . (**व्यवधान**) . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, मैं नहीं जानता हूं कि यह जानकारी सही है या नहीं । श्री खुराना कहते हैं कि बम विस्फोट हुआ है और 30 लोग मलबे में दबे हुए हैं तथा मलबे से एक शव निकाला जा चुका है । हमें यह जानना चाहिए कि स्थिति क्या है और वास्तव में हुआ क्या है ।

श्री गुलामनबी आजाद : महोदय, मैं पता करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री ताराचंद खंडेलवाल (चांदनी चौक) : 23 तारीख से 26 तारीख तक मेरी ही घनी आबादी वाले क्षेत्र में चार बम काण्ड हुए हैं—पहला पहाड़गंज में, दूसरा लाल किले के सामने, तीसरा

जामा मस्जिद के पास । यहां कई बार प्रश्न उठाए गए । मुझे लगता है कि इस सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है । मैंने पहले भी कहा था कि रैड एलर्ट कहने का क्या मतलब होता है । आज जो बम काण्ड हुआ है वह इतना भयंकर है कि तीन बिल्डिंग नए बाजार के कोने में मीनी कोठा के पास गिर गई हैं । खुराना जी ने अभी सूचना दी । मेरे पास जो सूचना आई है, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पार्लियामेंट में आने के बाद यह मालूम हुआ, मैंने टेलीफोन पर जो सूचना प्राप्त की है, 50 लोगों से अधिक वहां मर चुके हैं । (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी एक बात सुनिए । ऐसे मामले में यह अच्छा है कि गवर्नमेंट से इनफार्मेशन आने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री ताराचंद खंडेलवाल : अगर गृह मंत्री कानून-व्यवस्था को नहीं संभाल सकते, पंजाब के आतंकवादी दिल्ली में डेरा डालकर बैठ गए हैं, मेरे क्षेत्र के दंगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उनका नैतिक कर्तव्य है कि वे इस्तीफा दे दें ।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : महोदय, मैं सरकार का विशेष रूप से कपड़ा एवं श्रम मंत्री का, ध्यान पश्चिम बंगाल में जूट मिल कामगारों की 50 दिन तक चली हड़ताल के बाद की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

जैसा कि आप जानते हैं कि एक समझौता हुआ था । समझौते के बाद प्रबंधन के अधिकांश लोग समझौते से पीछे हट गए हैं । वे समझौते के अनेक खंडों को लागू नहीं कर रहे हैं । वे बढ़ी हुई मजदूरी का उचित रूप से भुगतान नहीं कर रहे हैं । वे कामगारों पर अतिरिक्त कार्य करने के लिए दबाव डाल रहे हैं । वे समझौते और कामगारों के विरुद्ध अनेक निर्णय ले रहे हैं । 50 दिन तक चली हड़ताल के बाद कामगारों में व्यापक रोष व्याप्त हो गया है । आज वे एक घंटे की हड़ताल कर रहे हैं । उसके बाद वे फिर हड़ताल करेंगे । यह गंभीर स्थिति होगी । कामगारों और राष्ट्र को पहले ही भारी नुकसान हो चुका है ।

मैं संबंधित मंत्री महोदय से इस मामले को भारतीय जूट मिल एसोसिएशन के साथ उठाने का आग्रह करता हूं । राष्ट्रीय जूट विनिर्माण कम्पनियां समझौते को बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं कर रही हैं । इसलिए मंत्री महोदय को इस मामले को राष्ट्रीय जूट विनिर्माण कम्पनियों के साथ भी उठाना चाहिए ताकि वे भी कामगारों के साथ एक समझौता कर सकें ।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि कपड़ा मंत्री और श्रम मंत्री भारतीय जूट मिल एसोसिएशन के साथ इस मामले को उठाएं ताकि पश्चिम बंगाल में जूट मिलों में इस समझौते को अक्षरशः और उत्साह से कार्यान्वित किया जा सके ।

मैं यह भी मांग करता हूं कि कपड़ा मंत्री और श्रम मंत्री इस विषय पर एक वक्तव्य दें ।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, जहां देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है वहां गुजरात के भी अधिकतर जिलों में सूखा पड़ा है। परिणामस्वरूप गांवों के अंदर किसानों को पशु-धन के लिए चारा नहीं मिलता है । कच्छ के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है वहां

के पशु भी अहमदाबाद में लाए गए हैं। वहां चारा खत्म हो गया है। पशुओं को किलो के हिसाब से चारा दिया जाता है जो कि उनके लिए बहुत कम होता है। इससे पशु-धन मर रहा है। किसानों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और न ही पशुओं को यह उपलब्ध है। जब इसकी मांग की गई तो कहा गया कि पशुओं को पानी की सुविधा देना उसके बस की बात नहीं है। परिणामस्वरूप वहां लोग पशुओं को तिलक लगा कर ऐसे ही भगवान भरोसे बाहर छोड़ देते हैं। सूखे के समय पहले जगह-जगह पर राहत शिविर लगाए जाते थे, लेकिन उनका अभी तक कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। गुजरात के किसान, मजदूर और गरीब लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए अपने गांव छोड़कर शहर की ओर आने लगे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि गुजरात के अहमदाबाद जिले के विरम गांव, धंधूका, मांडल और धघड़ा इत्यादि को विशेष मदद दी जाए जिससे पशु-धन बचाया जा सके और किसानों को राहत मिल सके।

1.00 म. प.

[अनुवाद]

श्रीमती बिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार, विशेष रूप से कृषि मंत्री का ध्यान सिक्किम के दक्षिणी जिले में व्याप्त सूखे की स्थिति की ओर आकर्षित करती हूं। सूखे के कारण दक्षिणी सिक्किम में लोगों के भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी सिक्किम में एक अलग तरह की प्राकृतिक आपदा आई है और वह यह है कि ओलों से खाद्यान्नों और नकदी फसलों सहित सभी फसलें नष्ट हो गई हैं। यह मौसम सिक्किम में संतरे और इलायची की फूल खिलने और फल लगने का है। वहां सब कुछ नष्ट हो गया है।

साधारणतः सिक्किम के इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से संतरों और इलायची पर निर्भर है। अतः वह लोग पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए हैं। मैं केन्द्रीय सरकार विशेष रूप से कृषि मंत्री से पुरजोर आग्रह करती हूं कि वह उन लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार को सहायता दें जो प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित हुए हैं और उन्हें भूखों मरने की स्थिति से बचाए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केंद्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गंभीर सवाल के प्रति आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अच्छा है कि अभी कुरियन साहब यहां बैठे हैं। कम्पनीज एक्ट के तहत जो आडिट किया गया था, उसके चलते 10 कम्पनियां ऐसी पकड़ी गई हैं जो कि प्रोफिटियरिंग कर रही थीं और तीन कम्पनियों ने इम्पोर्ट लाइसेन्स के बारे में गड़बड़ की है। मैं आपके समक्ष और सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि प्रोफिटियरिंग का साधारण शिकार तो उपभोक्ता, देश के नागरिक और देशवासी होते हैं। मैं दंग रह जाता हूं कि 1991 से उद्योग मंत्रालय को कम्पनीय अफेयर्स डिपार्टमेंट के जरिए यह बताया गया है कि इस तरह की 10 कम्पनियां हैं, जो कि प्रोफिटियरिंग और दूसरे एब्यूज के बारे में पकड़ी गई हैं लेकिन 1991 से उद्योग मंत्रालय को कहने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बुनियादी सवाल उठा रहा हूं कि भारत सरकार के कम्पनी अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम यह है कि जो कम्पनियां कानून के खिलाफ काम करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार से जब वह कहते हैं तो सरकार उस पर चुप्पी साधती है और कोई कार्रवाई नहीं होती है इसलिए मैं इस चीज को आपके सामने कहना चाहता हूं कि कम्पनीज एक्ट के तहत् आडिट होने के बाद इस तरह की फाइण्डिंग्स के बारे में सरकार को कम्पनी अफेयर्स डिपार्टमेंन्ट की ओर से जो दिया गया है, उसके बारे में तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन 10 कम्पनियों में ज्यादातर सीमेन्ट, पैट्रोकैमिकल्स सिन्थेटिक फाइबर इण्डस्ट्रीज से संबंधित हैं और तीन कम्पनियां हैं जो [अनुवाद] उन्हें भेषज उद्योग के लिए आयातित कच्ची सामग्री का शीघ्रता से पैसा कमाने के लिए दुरुपयोग करते हुए पाया गया है।

[हिन्दी]

6 सीमेन्ट फैक्टरीज का तो मैं नाम गिनाना चाहता हूं। वह हैं, ए.सी.सी. सीमेन्ट आफ टाटांज, दूसरी है जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज, तीसरी है मद्रास सीमेन्ट, चौथी है सौराष्ट्र सीमेन्ट, पांचवीं है श्री सीमेन्ट और छठी है सागर सीमेन्ट। यह सारी जो 6 कम्पनियों का नाम मैंने गिनाया, यह सब कम्पनीज एक्ट के तहत गलतियां और गैर-कानूनी काम के सिलसिले में पकड़ी गई हैं और यह सारी जानकारी कम्पनी अफेयर्स डिपार्टमेंन्ट की ओर से बाकायदा लिखित रूप में इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट को दी गई हैं और हमारे इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

मैं इस चीज को आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि प्रोफिटियरिंग का मतलब यह होता है कि इन कम्पनियों ने कन्ज्यूमर की कास्ट पर प्रोफिटियरिंग की है और सारे लोगों की जरूरतों की चीजों पर यह कम्पनियां काम कर रही हैं लेकिन अभी तक सरकार इस पर चुप्पी साधे है।

इसी तरह इण्डिया [अनुवाद] आयल कारपोरेशन को अधिक मुनाफा कमाने का दोषी पाया गया है। वह गिनाया गया है कि किन-किन चीजों पर प्रोफिट किया है और जो सरकार को, मंत्रालय को मालूम है इसलिए मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि जो फार्मेस्यूटिकल इण्डस्ट्रीज हैं, उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि फार्मेस्यूटिकल इण्डस्ट्रीज जो पकड़ी गई हैं, वह हैं--ल्यूपिन लैबोरेट्रीज, सैण्डोज इण्डिया [अनुवाद] को आदानों का क्लोरामफेनिकोल आदि के लिए दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है।

[हिन्दी]

उसने किस-किस इनपुट्स में मिसयूज किया है, वह दिया है और उसके बाद तीसरी कम्पनी है, ई. मर्क. इण्डिया [अनुवाद] विटामिन 'ई' के लिए आदानों का दुरुपयोग कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों में फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट, कामर्स डिपार्टमेन्ट और केमीकल्स मिनिस्ट्री, यह सब इस बारे में उनको कहते हैं कि यह सब गलतियां कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके जरिए यहां बैठे इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि 1991 से जब उनको पता

है कि यह सब कम्पनियां प्रोफिटियरिंग कर रही हैं और रा मैटीरियल को लेकर बेच रही हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में भी कुछ खुलासा करें, करियन साहब ।

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : इंजीनियर्स प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी विभिन्न निर्माण स्थलों पर 27-3-92 से हड़ताल पर हैं, वे इंजीनियर्स प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की मांगों पर दिए गए आश्वासनों पर औपचारिक एवं सोद्देश्य बातचीत करने की मांग कर रहे हैं । इतने दिनों की हड़ताल के बाद भी प्रबंध मण्डल इस बात के लिए तैयार नहीं है तथा कर्मचारियों की छंटनी करने, उनकी सेवाएं समाप्त करने और हड़ताली कर्मचारियों का दुर्गापुर स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है, यदि हड़ताल का तत्काल समाधान नहीं किया जाता है तो इससे दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विविधीकरण का कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित होगा ।

अतः मैं माननीय श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा विवाद का समाधान करें, तथा यह सुनिश्चित करें कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विविधीकरण के कार्यक्रम को नुकसान न हो । . . . **(व्यवधान)** . . .

[1·11 म. प.]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री शोक नागेश्वर राव बाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मैंने पूर्व सूचना दी है, कृपया मुझे अनुमति दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूर्यनारायण यादव कल से अति उत्तेजित हैं, वह बहुत गुस्से में हैं, उन्हें शान्त करने के लिए हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 14-4-1992, बुधवार को लक्ष्मीनगर पुस्ता पुराने शिव मंदिर के पास लगभग 50-60 लोगों के घर जला दिए गए हैं । उन लोगों ने हर जगह इस के बारे में जानकारी दी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोई राहत कार्य नहीं किया गया है और कोई जांच तक नहीं की गई है। उन लोगों का कोई सामान नहीं बचा है। सारे घर जल कर राख हो गए हैं। उन लोगों की जान-माल और सारी चीजों का नुकसान हो गया है। गृह मंत्री जी को पत्र भी लिखा, लेकिन अभी तक उस की जांच नहीं हुई। उन लोगों को राहत सामग्री नहीं दी गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र उन लोगों को राहत दिलाई जाए और जिन लोगों के घर जले हैं, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करें।

[1.12 म. प.]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1991 का प्रतिवेदन--संघ सरकार (वाणिज्यिक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1991 का (1991 का संख्या 6) संघ सरकार (वाणिज्यिक)--हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई। दौलए संख्या एल.टी.-1864/92]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1991 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इलेक्ट्रोनिकी विभाग की वर्ष 1992-93 की विस्तृत अनुदानों की मांगों से संबंधित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से मैं निम्न-लिखित सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--

(एक) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1992, जो 30 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1992, जो 30 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए । दौलए सं. एल.टी.-1865/92]

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--

(एक) केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। दौलए संख्या एल.टी.-1866/92]

(4) इलेक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। दीखिए संख्या एल.टी.-1867/92]

(5) (एक) इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान तथा विकास केन्द्र तिरुअन्नतपुरम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान तथा विकास केन्द्र तिरुअन्नतपुरम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। दीखिए संख्या एल.टी.-1868/92]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा कयर बोर्ड, कोचीं का 1 अप्रैल, 1991 से 30 सितम्बर 1991 तक की अवधि का छःमाही प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 249 (इ)/18क/आई.डी. आर.ए./92 जो 30 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स लिली बिस्कुट कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली डालें मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध अधिग्रहण की अवधि का विस्तार 31 मार्च, 1993 तक करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 250(इ)/18कक/आई. डी.आर.ए./92 जो 30 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स अपोलो जिप्पर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध अधिग्रहण की अवधि का विस्तार 31 मार्च, 1993 तक करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । दीखिए संख्या एल. टी. 1869/92]

(3) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अंतर्गत कयर बोर्ड, कोचीं के 1 अप्रैल, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 तक की अवधि के छमाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । दीखिए संख्या एल.टी. 1870/92]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) :

मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1871/92]

संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) :

मैं संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1872/92]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : श्री पी. के. थुंगन की ओर से, मैं हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.1873/92]

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घोटावार) :

मैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रसूति प्रसुविधा (खनिज और सर्कस) संशोधन नियम, 1992, जो 15 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 65 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1874/92]

[1.15 म. प.]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री पी. पी. कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[1·15½ म. प.]

लोक लेखा समिति

उन्नीसवां, इक्कीसवां, तेइसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (1988-89) से अधिक व्यय तथा स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (1987-88) से अधिक व्यय सम्बन्धी ग्यारहवां प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) संबंधी की गई कार्यवाही के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(दो) 1988 के बजट में मानव निर्मित रेशों और यार्न के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट का मूल्यों पर प्रभाव सम्बन्धी 156वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(तीन) परियोजना आयात सम्बन्धी तेइसवां प्रतिवेदन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—गलत वर्गीकरण के कारण कम शुल्क लगाया जाना—प्रिंकली हीट पाउडर—एक सौंदर्य प्रसाधन सम्बन्धी चौबीसवां प्रतिवेदन।

1·16 म. प.

प्राक्कलन समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी प्राक्कलन समिति के 66वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्राक्कलन समिति (नौवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[1·16½ म. प.]

याचिका समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं याचिका समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[1.17 म. प.]

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा 28 अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 28 अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[1.17½ म. प.]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जालना में 2000 लाइनों का नया इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज तुरन्त आरम्भ किये जाने की आवश्यकता

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : जालना शहर में छः महीने पहले क्रास बार टेलिफोन एक्सचेंज की पुरानी प्रणाली आरंभ की गयी थी लेकिन वह अब कार्य नहीं कर रही है। सारे टेलिफोन या तो खराब पड़े हुए हैं या हर टेलिफोन करने पर डायल टोन के लिए 4-5 मिनट का समय लग जाता है। इस तरह से पूरे जालना में समूची टेलिफोन व्यवस्था खराब है। जालना महाराष्ट्र का वाणिज्यिक केन्द्र है और टेलीफोनों के ठीक तरह से कार्य न करने के कारण लोगों में बड़ा असंतोष है। जालना का सांसद होने के नाते मैंने मंत्री जी से कई बार पुरानी प्रणाली के स्थान पर 2000 लाइनों वाली नयी इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली शुरू करने का अनुरोध किया है। जब तक क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज की पुरानी प्रणाली के स्थान पर नयी इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली आरम्भ नहीं की जाती, तब तक यह प्रणाली ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगी। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह जालना में 2000 लाइनों वाले एक नये इलैक्ट्रोनिक टेलिफोन एक्सचेंज के लिए तत्काल स्वीकृति दे और उसे आरम्भ करें।

(दो) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के किसानों और युवकों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों का समय से वितरण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का एक प्रमुख कृषि प्रधान जिला है, जहां अनुसूचित जातियों का बाहुल्य है। यहां के हरिजन किसान अधिकांश चयनित परिवारों की परिभाषा में आते हैं। इस क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है और अन्य बैंक की कई शाखाएं भी हैं परन्तु इनके द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में

समय पर ऋण नहीं दिए जाने से किसानों को कोई लाभ प्राप्ति नहीं होती है। समय पर ऋण नहीं दिए जाने से कृषि उपज की क्षति ही नहीं अपितु कम उपज से राष्ट्रीय उत्पादन को हानि होती है, जबकि केन्द्रीय एवम् राज्य सरकार इस मामले में कृषकों की हिमायती है और वे ग्रामीण कृषि विकास के लिए कृतसंकल्प है।

व्यवसाई एवम् उद्योगों के जो ऋण दिये जाते है, उनके मुकाबले में कृषि उत्पादन/विकास में कम ऋण स्वीकृत किए जाते है, डी.आई.आर. के अंतर्गत बहुत ही कम ऋण दिए जाने से कृषक समुदाय उचित ढंग से लाभान्वित नहीं हो पाता।

मूलधन पर चक्रवर्ती सूद वसूल किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को दिये जाने वाले ऋण वितरण बैंकों द्वारा नीतियों और नियमों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता है। अनुसूचित जाति के बेरोजगारों की स्थिति मेरे जिले में गम्भीर रूप धारण किये हुए है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में बढ़ती हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्न कदम उठाये जाएं :—

1. चयनित परिवारों को अविलम्ब ऋण स्वीकृत कर भुगतान कराया जाये।
2. डी.आई.आर. के अंतर्गत अधिक लोगों को ऋण वितरण किए जाए ।
3. बेरोजगार हरिजन युवकों को रोजगार देने की योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण किए जाएं।

(3) आन्ध्र प्रदेश के राजमपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाना पकाने की गैस की और अधिक एजेन्सियां दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. प्रताप राव (राजमपेट) : राजमपेट कस्बे की जनसंख्या 40 हजार है लेकिन वहां खाना पकाने की गैस की नई एजेन्सी नहीं दी गई है। पूरे राजमपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल दो कस्बों अर्थात् मडनापल्ले और रायचोटे में गैस एजेन्सियां दी गई हैं। रायचोटे में अभी हाल ही में एजेन्सी दी गई है यह उचित नहीं है, कि समूचे राजमपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या लगभग 11 लाख है, में केवल दो कस्बे ही खाना पकाने की गैस का इस्तेमाल करेंगे ।

इस समय लोग खाना पकाने के लिए बिजली के उपकरणों का प्रयोग कर रहे है और वहां बार-बार बिजली चली जाती है । बिजली भी बहुत कम वोल्टेज पर आता है और कुछ घंटे ही बिजली आती है । कम वोल्टेज के कारण खाना पकाने में कठिनाई होती है। छोटे परिवार के लिए भी मिट्टी के तेल की सप्लाई अपर्याप्त है । इसलिए लोग बाध्य होकर चंदन की लकड़ी ईंधन के काम में लाते हैं । इस प्रकार जंगलों के नष्ट हो जाने के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा तथा कठिनाइयां पैदा होंगी ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करे कि राजमपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक गैस एजेन्सियां खोली जाएं ।

(4) कुछ रेलगाड़ियों को गुजरात में पोरबंदर तथा ओरवां तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के पश्चिमी किनारा पर जामनगर शहर बसा है जिसकी वजह से जामनगर शहर और जिले की लंबी लाईन (लांग डिस्टैंस) का सिर्फ एक ट्रेन हापा-जम्मू तवी हफ्ते में सिर्फ एक दफा मिलती है। देश के अन्य भागों की लंबे अंतर वाली एक भी ट्रेन जामनगर को मिलती नहीं है।

जामनगर शहर औद्योगिक शहर है। देश में सबसे ज्यादा पीतल उद्योग के छोटे-मोटे पैंतालीस कारखाने हैं और देश भर में पीतल के आईटम्स की मार्किट है। इसके लिए हजारों बिजनैस मैन को देश भर में जाना पड़ता है।

जामनगर से पोरबंदर रेलवे लाईन है। पोरबंदर महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। इसलिए पर्यटक पोरबंदर तक जाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और जामनगर में नेवी डिफेंस तथा एयर फोर्स सेना की तीनों विंग हैं। जवानों और उनके परिवार को मिलाकर करीब एक लाख पच्चीस हजार फैमली मैम्बर हो जाते हैं उनमें से 80% से ज्यादा गुजरात के बाहर के हैं और साल में एक दफा एक लाख लोग देश के अन्य प्रान्तों में आता-जाते हैं। देश का सबसे बड़ा यात्रा स्थान द्वारिका है। एक साल में दो से तीन लाख यात्री भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने द्वारिका जाते हैं।

जामनगर जिले में सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं। जहां लाखों टन माल की लदाई-उतराई होती है और कांडला पोर्ट ट्रस्ट खाडीनार बंदरगाह पर लाखों टन क्रूड तेल का आयात होता है। इसलिए केन्द्र सरकार से निवेदन है कि भोपाल ट्रेन को पोरबंदर तक और त्रिवेन्द्रम ट्रेन को ओरवां तक बढ़ाना चाहिए। ये दोनों ट्रेन राजकोट तक हैं।

(5) खेलों के लिए अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजभूषण शरण सिंह (गोण्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया भर में खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन भारत में खेलों के लिए इस साल के बजट में वस्तुतः 23 प्रतिशत की कमी की गयी है। वर्ष 1992-93 के खेलों के लिए 41 करोड़, 36 लाख रुपए की बजट का प्रावधान किया गया है। अतः इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में पदक जीतना स्वप्न मात्र होगा। सरकार की खेल संबंधी नीति भी अस्पष्ट है। यह वर्ष ओलम्पिक वर्ष है। सरकार की दूरगामी खेल नीति नहीं है। यदि सरकार के पास खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है तो उसे निजी क्षेत्र को खेलों के मामले में प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की ही मदद के अभाव में खेलों को हानि उठानी पड़ रही है। सरकार को यदि इस वर्ष ओलम्पिक में कोई पदक जीतना है तो उसे इस वर्ष खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक राशि का प्रावधान करना होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, संपूर्ण देश में विद्युत उत्पादन की कमी से विकास का कार्य ठप्प सा हो गया है, वहीं केन्द्र सरकार की उपेक्षा से देश के अत्यंत पिछड़े तथा निर्धन राज्य उत्तर प्रदेश के जिहार की हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो गांवों के विद्युतीकरण की गति दिनोंदिन कम होती जा रही है जिससे गांव तो अंधेरे

में हैं ही, उद्योग-धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं । बराबर विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी है । देश के सर्वाधिक पिछड़े एवं घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल स्थित विल्दरा रोड, जनपद-बलिया में वर्ष 1988 से थर्मल पावर की परियोजना विचाराधीन पड़ी है । इसी सत्र में मेरे प्रश्न एवं ऊर्जा राज्य मंत्री के पत्र द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश से संशोधित परियोजना प्राप्त होते ही उसे अगली योजना में समाहित कर दिया जाएगा । किन्तु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से आम जनता में चिंता व्याप्त हो गई है ।

अतः केन्द्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि 1988 से विचाराधीन थर्मल पावर की परियोजना जनहित में तत्काल विल्परा रोड, जनपद बलिया में स्थापित किया जाए तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के विद्युतविहीन गांवों का भी विद्युतीकरण किया जाए ।

(7) आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में भारतीय कपास निगम के और अधिक खरीद केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी (आदिलाबाद) : आन्ध्र प्रदेश का आदिलाबाद जिला कपास उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और अधिकांश किसान, जोकि आदिवासी और अनुसूचित जातियों के हैं, इस को खेती पर निर्भर करते हैं । इन किसानों को जो कपास का बीज उपलब्ध किया जाता है वह घटिया किस्म का होता है जिसके परिणामस्वरूप इन किसानों को हानि होती है । कपास उत्पादकों से कपास की खरीददारी के लिए भारतीय कपास निगम द्वारा चलाए जा रहे क्रय केन्द्र कपास उत्पादन क्षेत्र की तुलना में बहुत कम हैं । इसकी वजह से बिचौलिए और व्यापारी कपास उत्पादकों का दोहन करते हैं जिन पर बिचौलियों द्वारा अपना माल नुकसान उठाकर बेचने के लिए दबाव डाला जाता है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आदिलाबाद जिले में कपास के लिए और अधिक खरीद केन्द्र खोलने पर विशेष रूप से ध्यान दें तथा कपास उत्पादकों को अच्छी किस्म के बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करें ।

(8) वानिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में वानिकी विश्वविद्यालय खुले हुए काफी अरसा हो गया है और इसमें हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । इन में बहुत से ऐसे छात्र हैं, जिन्हें राष्ट्रपति एवं कृषि मंत्री, भारत सरकार द्वारा डाक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की गई हैं और इस संबंध में वहां डिग्रियां बंटवाने के लिए आयोजन होते रहे हैं । छात्रों में इस बात की भारी प्रसन्नता था कि उन्हें ये डिग्रियां प्राप्त करके उच्चाधिकारी पदों पर वानिकी में नौकरियां प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा । परन्तु बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्हें अभी तक रोजगार प्राप्त नहीं हैं । कुछ छात्रों का भविष्य अंधकारमय बनता जा रहा है जिससे उनमें असंतोष की भावना पैदा हो रही है । भारत सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि केन्द्र शासित प्रदेशों में या भारत सरकार में इन्हें अधिकारियों की नौकरियों में नियुक्त किया जाए ताकि इनके माता-पिता, जिन्होंने इनको उच्च शिक्षा प्रदान करने में जो खर्च किया, इससे लाभान्वित हो सकें ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.30 म. प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है ।

1.30 म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म. प. तक के लिए स्थगित हुई ।

2.36 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.36 म. प. पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

श्रम मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे । अब माननीय श्रम मंत्री उत्तर देंगे ।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सी. ए. संगमा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है और मूल्यवान सुझाव दिए हैं मैं उनका आभारी हूं ।

शुरू में ही मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न के संबंध में हर बात का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि इसका विषय बहुत व्यापक है और यदि मैं सभी उठायी गयी बातों का उत्तर दूं तो मैं समझता हूं कि कम से कम दो या तीन घंटे लगेंगे । मैं बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा । मैं उन मुख्य मुद्दों को लूंगा जो हमारे देश में श्रमिक वर्ग से संबद्ध हैं ।

महोदय, 1991 की जनगणना के मुताबिक आज हमारे यहां देश में 3160 लाख श्रमिक हैं । उनमें से 66 लाख शहरी क्षेत्र में हैं और 2500 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । प्रो. काप्से सहित कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है कि हम उन श्रमिकों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में हैं । यह भी कहा गया है कि हमारी श्रम शक्ति का 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 10 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में है । संगठित क्षेत्र में हमारे यहां 316 लाख श्रमिक हैं और असंगठित क्षेत्र में 2850 लाख श्रमिक हैं । इन 2850 लाख श्रमिकों में कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, महिला श्रमिक, बाल श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, विद्युत करघा श्रमिक, बीड़ी श्रमिक आदि शामिल हैं । 316 लाख संगठित श्रमिकों में से लगभग 250 लाख मान्यता प्राप्त केन्द्रीय मजदूर यूनियन संगठनों के सदस्य हैं । हमारे यहां देश में 70,000 से भी अधिक यूनियनें हैं जो कि 250 लाख श्रमिकों के हितों की वकालत करती हैं । अब चूंकि 2850 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र से हैं । अतः उनकी आवाज

ज्यादातर सुनी नहीं जाती है । अतः मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि हमें अपने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं असंगठित श्रम की थोड़ी देर बाद बात करूंगा । मैं संगठित श्रम से आरम्भ करता हूं ।

जहां तक संगठित क्षेत्र का सवाल है मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में औद्योगिक संबंधों की स्थिति में निरन्तर प्रगति हुई है क्योंकि श्रम दिवसों की हानि भी लगातार कम हुई है । मैं ज्यादा आंकड़े उद्धृत नहीं करूंगा। 1987 में 353.6 लाख श्रम दिवसों की हानि हुई थी, 1988 में यह घट कर 339.4 लाख श्रम दिवस रही; 1989 में यह और घट कर 326.6 श्रम दिवस रह गयी; 1990 में यह घट कर 240.0 श्रम दिवस तक आ गयी और 1991 में अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक यह आंकड़ा घट कर 157.3 लाख श्रम दिवस रह गया है । अतः मैं इस अवसर पर अपने श्रमिकों को बधाई दूंगा जिन्होंने अच्छे औद्योगिक संबंधों वाली स्थिति लाने में काफी कुछ योगदान दिया है ।

यह सब कहकर मैं उस बात को ध्यान से नहीं हटाऊंगा जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने सतर्क किया है । इस सभा के अंदर ही नहीं बल्कि सभा के बाहर भी यह आशंका बहुत बलवती हो रही है कि यद्यपि इस समय औद्योगिक संबंध स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन आशंका यह है कि नयी औद्योगिक नीति की वजह से यह स्थिति बिगड़ेगी । मैं व्यक्तिगत रूप से इस विचार का समर्थन नहीं करता हूं । भारत सरकार ने कई मंचों पर, वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने स्वयं यह बात बहुत स्पष्ट की है कि नयी औद्योगिक नीति श्रमिक वर्ग के हितों पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगी और सरकार श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है ।

प्रधान मंत्री ने उद्योग मंत्रालय के वाद-विवाद पर, जिसमें नयी औद्योगिक नीति पर चर्चा हुई थी, इस सभा में 28-8-1991 को उत्तर देते हुए बहुत स्पष्ट आश्वासन दिया था जो कि इस प्रकार है :—

> "मैं यह बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे यह छंटनी नीति हो या कोई अन्य नीति हो हम श्रमिकों के हितों का हनन नहीं होने देंगे । इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता ।"

मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री इससे कोई और स्पष्ट वक्तव्य दे सकते थे ।

मैं 24 जुलाई, 1991 को दिए वित्त मंत्री के बजट भाषण की थोड़ी देर में बात करूंगा । यदि हम औद्योगिक नीति संबंधी दस्तावेज पर गौर करें तो पाएंगे कि इसमें श्रमिक वर्ग के प्रति सरकार की नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है । मैं इस प्रासंगिक हिस्से को पढ़ता हूं । मैं उद्धृत करता हूं :—

> "सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी और कल्याण पर ध्यान देगी तथा उन्हें अनुपलभ्य प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के बारे में निपटने के लिए पूरी तरह तैयार करेगी। सरकार का विचार है कि समाज का कोई भी छोटा वर्ग विकास के फल को अपने तक ही सीमित रख कर श्रमिकों को पीड़ित होने के लिए नहीं छोड़ सकता है । श्रमिकों को प्रगति और समृद्धि में समान हकदार बनाया जाएगा ।"

अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि नयी औद्योगिक नीति से श्रमिक वर्ग को नुकसान होगा । मैं एक बार फिर इस सभा को तथा आपके जरिए श्रमिक वर्ग को स्पष्ट आश्वासन देना

चाहता हूं कि हम श्रमिक वर्ग को सुरक्षा प्रदान करेंगे और उनके कल्याण में लगे रहेंगे। अब चूंकि कई वर्गों द्वारा कुछ आशंकाएं व्यक्त की गयी हैं। अतः सरकार ने श्रमिक वर्ग पर नयी औद्योगिक नीति के प्रभाव पर गौर करने के लिए एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित करने का फैसला किया है। मैं श्रमिकों के प्रतिनिधियों से 17-11-1991 को मिला हूं और उस दिन मजदूर संघों के नेताओं ने स्वयं कहा दिया था कि इस देश की आर्थिक समस्याओं के प्रति उनका बहुत सकारात्मक रवैया रहेगा। उस दिन हमने फैसला किया था कि इस विशेष त्रिपक्षीय समिति की पहली बैठक नवम्बर में कभी भी रखी जाएगी और तदनुसार हम मुम्बई में 17 नवम्बर, 1991 को मिले। मुम्बई की यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक विशेष में हम कुछ नतीजों पर पहुंचे जो कि नयी औद्योगिक नीति के प्रति श्रमिक वर्ग की संख्या से संबद्ध हैं। मैं उस विशेष त्रिपक्षीय समिति की बैठक का कार्यवाही वृतान्त और निष्कर्ष नहीं पढ़ूंगा; मैं केवल एक या दो प्रासंगिक हिस्से उद्धृत करूंगा। इसमें कहां गया है कि :—

> "विशेष त्रिपक्षीय समिति सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत है कि देश बहुत ही बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश के सम्मुख मुख्य समस्याएं बेरोजगारी, गरीबी और ऊंची कीमतों की है। राष्ट्र को इस संकट से उबारने के लिए प्रबंध मंडल मजदूर संघों और श्रमिकों सहित सभी वर्गों के मिल कर प्रयास करने की आवश्यकता है।
>
> समिति इस बात से सहमत थी कि उद्योग का आधुनिकीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है। श्रमिक पक्ष इससे सहमत है कि श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी तकनीकी कुशलता के स्तर को बढ़ाया जाए और श्रमिकों को पुनः काम पर लगाया जाए। लेकिन श्रमिकों को आधुनिकीकरण के नाम पर रोजगार से न निकाला जाए।"

यह विशेष त्रिपक्षीय समिति का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें कहा गया है :—

> "यह समिति मानती है कि इस देश में आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए कुछ नया कदम उठाना होगा और समिति चाहती है कि श्रमजीवी वर्ग और श्रमिक संगठन के नेताओं सहित लोगों के सभी वर्ग इसमें सक्रिय रूप से सहयोग दें और भाग लें और यह इस बात को भी मानती है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो आधुनिकीकरण जरूरी है।"

श्रमिक संगठन नेताओं ने कहा है कि वे आधुनिकीकरण के विरुद्ध नहीं हैं। बल्कि आधुनिकीकरण तो एक निरन्तर प्रक्रिया होनी चाहिए। श्रमिक संगठन के नेता भी मानते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तहत् मौजूदा कामगारों को प्रशिक्षित और पुनः प्रशिक्षित करना होगा और इसके बाद उन्हें पुनः काम पर लगाना होगा। यही सरकार की नीति है कि हम नहीं चाहते कि कामगारों को उनकी नौकरी से हटाया जाए। सरकार की यह नीति कभी नहीं रही और यह कभी हो भी नहीं सकती। कोई भी सरकार ऐसी नीति नहीं अपनाएगी जो लोगों के कष्ट बढ़ाए, उन्हें दुखी करे। इसलिए कामगारों को हटाने की हमारी को मंशा नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे उद्योगों को आधुनिक बनाना है और इस प्रक्रिया में हमारे कामगारों की कुशलता के स्तर को ऊंचा करना है और फिर इन लोगों को पुनः काम देना है। मैं इस देश के श्रमिक संगठन नेताओं का बहुत आभारी हूं, उन्होंने इन सभी पहलुओं को स्वीकार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर एक धारणा बनाई जा रही है क्योंकि हमारे कुछ मित्र कभी-कभी भावनाओं से प्रभावित होकर बोलते हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे मित्र इस नीति के बहुत विरुद्ध हैं। महोदय, तथ्य इसके एकदम विपरीत हैं। मेरे पास माननीय सदस्य श्री हरधन राय का एक पत्र है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की श्रमिक संगठन नेताओं के साथ हुई बैठक की कार्यवाही मेरे पास भेजी है। इसमें विभिन्न राजनैतिक दलों के अनेक विधायक मौजूद थे। इसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री ने की थी। इस बैठक में कोल इण्डिया के क्षेत्र के संबंध में उन्होंने माना है कि कोयला क्षेत्र में श्रमिकों की अधिकता है और इस अतिरिक्त श्रमिक शक्ति को पुनः काम पर लगाना है। एक समय था जब कामगार एक मेज से दूसरी मेज पर भी जाने को तैयार नहीं थे। एक समय था जब कामगार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात सोचते भी नहीं थे। लेकिन आज यह स्थिति नहीं है। मैं यह तथ्य इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे कामगार भी मानसिक तौर पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार हैं। इस सामंजस्य से अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, इस देश की उन्नति होती है तो हमारे कामगार सहयोग के लिए तैयार हैं।

मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और वहां के नेताओं का बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा है कि नई खानों को शुरू करने के लिए कामगारों की भर्ती करते समय कम से कम 30 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगार युवाओं में से भर्ती की जाए और शेष 70 प्रतिशत ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के अतिरिक्त कामगारों में से लिए जाएं। इससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया एक मिनट रुकें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस निर्णय को ई. सी. एल. में लागू किया जा रहा है। क्योंकि ई.सी.एल. इस निर्णय को लागू नहीं कर रहा है। वे इस मापदण्ड को नहीं जानते कि दो एकड़ अधिग्रहीत भूमि के लिए एक रोजगार दिया जाए। वे इसका अनुपालन नहीं कर रहे। वे इस फार्मूले को भी लागू नहीं कर रहे कि 30 प्रतिशत भर्ती स्थानीय लोगों और भूमि देने वालों में से की जाए। सम्भवतः या तो ये हिदायतें आपके मंत्रालय से ई.सी.एल. को नहीं भेजी गई हैं या फिर कोई अन्य कारण है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच की जाए ताकि नई परियोजनाएं शुरू करते समय इसे लागू किया जा सके क्योंकि मुझे अपने निर्वाचन में कठिनाई हो रही है। अनेक नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

श्री पी. ए. संगमा : मैं इस बारे में आपसे अलग से चर्चा करूंगा। मैं यहां पर स्थानीय रोजगार की बात नहीं कर रहा बल्कि मौजूदा खानों में अतिरिक्त श्रम शक्ति को मानने का मुद्दा है और समस्या यह है कि उनका क्या किया जाए। एक समय था जब अतिरिक्त श्रम शक्ति को अन्य खानों में भेजने की अनुमति नहीं थी।

आज यह स्थिति नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : हां। अब वहां यह स्थिति नहीं है।

श्री पी. ए. संगमा : मैं यही बात कह रहा हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब 70 प्रतिशत अतिरिक्त श्रम शक्ति को पुनः काम पर लगाया जा सकता है। यह स्वागत योग्य कदम है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। अगर समाज के सभी वर्गों और सभी सरकारों से ऐसा सहयोग मिला और यदि केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों में निकट सहयोग रहा तो मैं नहीं समझता कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते।

जहां तक विशेष त्रिपक्षीय समिति के अन्य पहलुओं का संबंध है, विशेष त्रिपक्षीय समिति ने कुछ मार्ग निदेश और सिद्धान्त तय किए हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में विशेष रूप से रूग्ण उद्योगों से निपटने के लिए विशेष त्रिपक्षीय समिति ने निर्णय लिया है कि त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियां गठित की जाएं और ये औद्योगिक समितियां प्रत्येक सरकारी क्षेत्र की इकाई की समस्याओं की जांच करें और इसी के अनुसार हमने अर्थव्यवस्था के छः क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां गठित की हैं। ये हैं—इंजीनियरिंग, रसायन और उर्वरक, कपड़ा उद्योग, पटसन, बिजली बोर्ड और सड़क परिवहन निगम। ये सभी समितियां मेरी अध्यक्षता में हैं। इन सभी औद्योगिक समितियों की बैठक करने का मुझे समुचित समय नहीं मिला है। लेकिन आज तक मैंने तीन बैठकें की हैं। मैंने 21 फरवरी, 1992 को कपड़ा उद्योग पर बैठक की थी और इस महीने 3 तारीख को पटसन उद्योग पर बैठक की थी। मैंने इस महीने की 21 तारीख को रसायन और उर्वरक उद्योग से बैठक की। मैं इस पुनीत सभा को बताना चाहूंगा कि इन सभी बैठकों में तथा संबंधित विभिन्न श्रमिक संगठन नेताओं से मेरी वार्ता में वे बहुत सहयोगी रहे। एक बैठक में श्रमिक संगठन नेताओं की मांग थी कि अगर कुछ क्षेत्रों में सरकार एक विशेष इकाई को नहीं चलाना चाहती है और श्रमिक स्वयं श्रमिक सहकारिता के तहत इसका अधिग्रहण करना चाहते हैं तो क्या सरकार इसे देने को इच्छुक है और क्या सरकार सभी ऋणों और देयताओं को बट्टे खाते डालने को तैयार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बांसपुर) : कार्यचालन पूंजी के बारे में क्या कहना है?

श्री पी. ए. संगमा : निश्चित रूप से हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। वित्त मंत्री मौजूद थे। इसलिए हम सहमत हुए हैं कि अगर कामगार सहकारी आधार पर किसी रूग्ण इकाई को लेना चाहते हैं तो इसे अनुमति दे दी जाए। अगर सरकार इनकी विगत देयताओं और घाटे को बट्टे खाते डाल दे तो वे अधिग्रहण करने को तैयार हैं। कामगारों की सहकारिता का यह प्रयोग अच्छा साबित हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हमारी सैंट्रल जूट मिल है जिसे कामगारों की सहकारी समिति द्वारा चलाया जा रहा है और एक घाटे वाली मिल से यह एक लाभ कमाने वाली मिल बन गई है। इसलिए कामगार इसे चला सकते हैं और यह साबित हो चुका है। मैं यह नहीं कह रहा कि इसे उन पर थोपा जाएगा।

महोदय, कुछ मुद्दे उठाए गए हैं कि अगर सरकार रूग्ण इकाईयों को पुनः चालू करने की इतनी इच्छुक है तो सरकारी क्षेत्र की इकाईयों को बी.आई.एफ.आर. के पास क्यों भेजा जा रहा है? मेरे विचार से यह उचित मुद्दा है। शर्त यह है कि जब एक बार एक रूग्ण इकाई का मामला बी.आई.एफ.आर. को प्रेषित कर दिया जाता है तो यह कोई वित्तीय सहायता पाने की हकदार नहीं है और यह ऋण पाने की हकदार भी नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। हमने विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की और श्रम मंत्री के रूप में मेरा निजी मत है कि जब एक इकाई को बी.आई.एफ.आर. को प्रेषित कर देने के बाद भी वित्तीय सहायता नहीं रोकी जाए क्योंकि बी.आई.एफ.आर. अपना निष्कर्ष निकालने में बहुत समय लेता है। देश में एक मत यह है कि एक बार एक इकाई को बी.आई.एफ.आर. को प्रेषित करने के बाद वह इकाई स्वतः ही बन्द हो जाएगी। ऐसी स्थिति नहीं है। मेरे पास इस संबंध में आंकड़े हैं। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को भी एक बार सभा को यह सूचित करने का अवसर मिला था।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप पश्चिम बंगाल से सदस्यों के साथ हुई बैठक को स्मरण करेंगे? यह निर्णय लिया गया था कि बी.आई.एफ.आर. को प्रेषित करने से पहले पश्चिम बंगाल से संसद सदस्यों के साथ इकाई-वार चर्चा की जाएगी। लेकिन इस चर्चा के बगैर ही कुछ इकाईयां पहले ही बी. आई. एफ. आर. को प्रेषित की जा चुकी हैं।

श्री पी. ए. संगमा : यूनिटवार सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रबन्धकों को मेरे द्वारा बैठक में भाग लेने के 15 दिनों के भीतर सम्बन्धित दस्तावेज कामगारों को देने को कहा गया है तथा ढाई महीनों में कामगार वैकल्पिक तथा व्यवहारिक सुझाव दे देंगे। यह प्रक्रिया सभी स्तरों पर जारी है। वास्तव में श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित परामर्शदात्री समिति में संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को यह सुझाव दिया है कि परामर्श दात्री समिति की संसदीय उप-समिति का गठन किया जाना चाहिए तथा उसे भी इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। हमने ऐसा ही किया है। श्रम उप-मंत्री की अध्यक्षता में यह समिति पहले ही दो बार इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर चुकी है। इस प्रकार यूनिटवार जांच जारी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मेरे विचार में आप इन दोनों प्रक्रियाओं को साथ-साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे। मैं केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा बल्कि सामान्य तौर पर इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। एक तरफ तो जांच का कार्य त्रिपक्षीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा इसके साथ-साथ उसे बी.आई.एफ.आर. को भी भेजा जायेगा। क्या प्रबन्धकों को यह हिदायत दी गई है कि त्रिपक्षीय समिति द्वारा जांच पूरी कर लेने से पहले वे स्वयं अपने मामलों को बी.आई.एफ.आर. को न सौंपें?

3.00 म. प.

अगर त्रिपक्षीय समिति समाधान ढूंढने में असफल रहती है तो दूसरा प्रश्न पैदा होता है। परन्तु त्रिपक्षीय समिति द्वारा अपना कार्य पूरा कर लेने से पहले ही बहुत से प्रबन्धक अपने मामले सीधे ही बी.आई.एफ.आर. को भेज रहे हैं।

श्री पी. ए. संगमा : अगर किसी इकाई का मामला बी.आई.एफ.आर. को भेज भी दिया जाए तो भी वे त्रिपक्षीय समिति के विचारों को जाने बिना कोई अन्तिम निर्णय नहीं देंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (डमडम) : ऐसी स्थिति में उप इकाई लिए लघु-अवधि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई पैदा हो जाएगी।

श्री पी. ए. संगमा : मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं।

कल श्री शाहाबुद्दीन ने कहा था, "आपको मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा।" मैं वही कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : समस्या पैदा करके फिर उससे लड़ने की बजाय आप इसे बी.आई.एफ.आर. को भेजिए ही नहीं।

श्री पी. ए. संगमा : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बी.आई.एफ.आर. कोई अन्तिम निर्णय नहीं लेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप बी.आई.एफ.आर. को आदेश दे रहे हैं?

श्री पी. ए. संगमा : मूल प्रश्न यह है कि बी.आई.एफ.आर. को मामला सौंपने के पश्चात वे किसी प्रकार की सहायता अथवा ऋण के हकदार नहीं रहते। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : बी.आई.एफ.आर. एक संविधानिक संस्था है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा संचालित है। आपकी त्रिपक्षीय समिति के पास ऐसी कोई सांविधिक शक्ति नहीं है। यह एक अनौपचारिक प्रबन्ध है। इसलिए अगर बी.आई.

एफ.आर. को स्पष्ट रूप से किसी मामले को तब तक लेने के लिए न कहा जाए जब तक कि त्रिपक्षीय समिति उस पर अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपना कार्य जारी रखेंगे।

श्री पी. ए. संगमा : हम ऐसा ही करने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मेरे साथी श्री इन्द्रजीत द्वारा उठाए गए प्रश्न के अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई किसी इकाई का मामला बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया जाएगा, तो उक्त जांच के दौरान की अवधि में वह इकाई अपना व्यवसाय कैसे चलाएगी क्योंकि तब कोई भी उससे लेन-देन नहीं करेगा तथा उसे न तो कोई सुविधा प्रदान की जाएगी और न ही किसी प्रकार की कोई आपूर्ति ?

श्री पी. ए. संगमा : मैं आपसे सहमत हूं। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

3.03 म. प.

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : त्रिपक्षीय समिति द्वारा जांच पूरी होने तक क्या आप सभी मामलों को बी.आई.एफ.आर. से वापिस लेने जा रहे हैं?

श्री पी. ए. संगमा : कानूनी तौर पर सौंपे गये मामलों को वापस नहीं लिया जा सकता। परन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय देने पर रोक लगाई जा रही है। निर्णय तब तक नहीं लिए जाएंगे, जब तक इस सम्बन्ध में हमारे विचार उन्हें प्राप्त नहीं हो जाते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मंत्रालय आपके दृष्टिकोण से सहमत है? उद्योग मंत्री से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री पी. ए. संगमा : उद्योग मंत्रालय भी इस निर्णय में शामिल है। जब विशेष त्रिपक्षीय समिति ने बैठक की थी, तो इसमें उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री तथा सचिव, सार्वजनिक उद्यम ने भी भाग लिया था यही निर्णय हुआ था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि उद्योग मंत्री महोदय ने उदाहरणार्थ मुझे ब्रेडथ-ब्राइट जैसी प्रमुख इंजिनियरिंग इकाई के सम्बन्ध में लिखा है। जब कम्पनी को लाभकारी बनाने के लिए अन्य विकल्प ढूंढने तथा इस संबंध में चर्चा की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है, तो मंत्री महोदय अंतिम वाक्य में मुझे लिख रहे हैं :

"परन्तु फिर भी इस मामले को बी.आई.एफ.आर. के पास भेजना पड़ेगा।"

श्री पी. ए. संगमा : मेरे विचार में इसे अभी तक सौंपा नहीं गया है। यह जो एक विचारधारा बनी है कि अगर किसी इकाई का मामला बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया जाये तो वह स्वत: ही बंद हो जायेगी, सत्य पर आधारित नहीं है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री पी. ए. संगमा : अगर आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं बाद में देने के लिए तैयार हूं। परन्तु अभी मुझे जवाब देने दीजिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो नीति अपनाई गई है, उसमें विरोधाभास है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि अगर सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत कोई मामला बी.आई.एफ.आर. को सौंपा जाता है तो भी कोई अन्तिम आदेश अथवा निर्णय नहीं दिया जाएगा। परन्तु कानून के किस प्रावधान के अन्तर्गत ऐसा होगा? माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वे मंत्रिमण्डल में संघर्ष करेंगे। क्या यह जवाब देने का तरीका है? इसलिए इस विरोधाभास का निवारण होना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे हैं। क्या आप अपने नेता को भी बोलने की अनुमति नहीं देंगे?

श्री पी. ए. संगमा : बात यह है कि आप मेरी बात पूरी तरह सुन नहीं रहे हैं। आप बीच में ही व्यवधान डाल रहे हैं। आप मेरा दृष्टिकोण कैसे समझेंगे?

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : कृपया अपनी बात जारी रखिए। हम व्यवधान नहीं डालेंगे।

श्री पी. ए. संगमा : शुरू से अब तक बी.आई.एफ.आर. को 1596 मामले सौंपे गए। इनमें से पंजीकृत इकाईयां 1158 हैं। जिन मामलों पर विचार चल रहा है उनकी संख्या 438 है। जिन मामलों में पुनर्वास हेतु योजनाओं को बी. आई. एफ. आर. द्वारा स्वीकृत दे दी गई है, उनकी संख्या 235 है। जिन मामलों में पुनर्वास हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, उनकी संख्या 49 है। जिन मामलों में कम्पनियों को स्वयं अपने पुनर्वास के लिए कहा गया है, उनकी संख्या 129 है। 165 इकाईयों को बंद करने का निर्णय लिया गया। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सदस्यगण, कृपया आंकड़े देकर हाल मत सुनाइए। यह माननीय मंत्री महोदय के साथ अन्याय होगा अगर आप उनके भाषण के दौरान ऐसा करेंगे।

श्री पी. ए. संगमा : 413 इकाईयों के लिए बी.आई.एफ.आर. ने एक पुनर्वास योजना बनाई है।

इसलिए यह तर्क कि इकाई को बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया जाता है, उसका बंद हो जाना निश्चित है, प्रमाणित नहीं होता। इसलिए, हमारे लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है।

मैं उन मुद्दों पर संसद से चर्चा करूंगा जो कि माननीय सदस्यों ने उठाए हैं। औद्योगिक विवादों सम्बन्धी अधिनियम में परिवर्तन लाने में विलम्ब की माननीय सदस्यों ने काफी आलोचना की है। मेरे विचार में औद्योगिक विवादों सम्बन्धी अधिनियम में संशोधनों के इतिहास में सभी सदस्य अच्छी तरह वाकिफ हैं, इस संबंध में पिछली बार रामानुजम समिति की रिपोर्ट आई थी। 6 फरवरी 1992 को रामानुजम समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए श्रम मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें श्रम मंत्रियों की एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। 25 अप्रैल 1992 को उप-समिति की बैठक हुई उसमें कई मुद्दों पर मतभेद तथा मतैक्य था। मैं नहीं समझता कि यह कोई आसान कार्य है। परन्तु मुझे आशा है कि विभिन्न राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद, विशेष कर मंत्रियों की उप-समिति के विचार जानने के बाद सरकार इस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को अन्तिम रूप दे देगी।

एक और मुद्दा जिस पर काफी गंभीर चर्चा हुई वह कामगारों की प्रबन्धन में भागेदारी का है। श्री राम विलास पासवान यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उनकी इस विषय में काफी रुचि है। **(व्यवधान)**

यह 1976 की बात है जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस पार्टी ने एक संविधान संशोधन लाई और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अनुच्छेद 43 क जोड़ दिया। अतः आप यह नहीं कह सकते कि हम प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का विरोध करते हैं। हम श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी का समर्थन करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में ही यह उल्लिखित है कि इसे लागू करने की बाध्यता नहीं है।

श्री पी. ए. संगमा : औद्योगिक नीति में ही यह उल्लिखित है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। यही हमारी नीति है। मेरे छोटे भाई, श्री सोमनाथ चटर्जी ने प्रधान मंत्री के भाषण के दौरान जब हस्तक्षेप किया, प्रधान मंत्री ने कहा :—

"श्रमिकों का प्रबंधन में भागदारी को पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा।"

अतः हमारा यह स्पष्ट दृष्टिकोण है, हम श्रमिकों की भागीदारी का समर्थन करते हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप विधेयक क्यों नहीं लाते ?

श्री पी. ए. संगमा : मैं आपको यह बताता हूं कि हम विधेयक क्यों नहीं ला रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। मेरे विचार में श्री राम विलास पासवान द्वारा राज्य सभा में 30 मई, 1990 को विधेयक लाया गया था। इस विधेयक में करीब 89 संशोधन लाए गए और संसद की दूसरी सभा के माननीय सदस्यों के विचारों में इतना मतभेद है कि इसके कारण समय लग रहा है। मैं यह स्वीकार करता हूं। समय लग रहा है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम विधेयक नहीं लाने जा रहे हैं। कुछ संशोधनों में यह कहा गया है कि इसे संयुक्त समिति को सौंपा जाए, कुछ का कहना है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए और कुछ का यह कहना है कि इसे वापिस ले लिया जाए और एक नया व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाए। ये सभी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। हम इन सभी बातों की जांच कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको कितना समय लगेगा ?

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया बीच में न बोलें। यदि आप व्यवधान पैदा करना ही चाहते हैं तो आप अध्यक्ष पीठ के माध्यम से सभा को संबोधित करें।

(व्यवधान)

श्री पी. ए. संगमा : दूसरी बात कही गई।

श्री बसुदेव आचार्य : चूंकि आपने यह कहा है कि मुझे अध्यक्ष पीठ के माध्यम से संबोधित करना है तो मुझे एक बात कहनी है।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मुझे यह कहना पड़ेगा कि आप बिल्कुल बात नहीं मान रहे हैं। मैंने यह कहा है कि यदि आप अध्यक्ष पीठ के निर्देश का अनुपालन न करते हुए व्यवधान पैदा करना ही चाहते हैं तो आप अध्यक्ष पीठ के माध्यम से सभा को संबोधित करें और आपस में सीधे बातचीत न करें। मैं आपसे सहयोग का निवेदन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : सभापति महोदय, मंत्री जी को पूरा उत्तर दें। यदि माननीय सदस्य कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वह मांग सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें एक मौका दें। कृपया उनके प्रति न्याय करें। मुझे लगता है कि आप महानुभवा द्वारा प्रत्यक तीस सेकण्ड पर उनके विचारों का प्रवाह बलपूर्वक रोक दिया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अवरोध सरकार की नीतियों के कारण उत्पन्न होता है। वह स्वयं दुखी लग रहे हैं।

श्री पी. ए. संगमा : मैं इस संबंध में दुखी नहीं हूं। मैं आपके द्वारा उत्पन्न व्यवधान से दुखी हूं।

दूसरा मुद्दा श्रमजीवी पत्रकारों के लिए पेंशन की योजना के संबंध में बड़े जोरदार ढंग से उठाया गया था। मुझे तत्कालीन वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा अपने बजट भाषण में किए गए वायदे की जानकारी है। अब हमने उन श्रमजीवी पत्रकारों को जो भविष्य निधि जमा करते हैं, उनके लिए पेंशन की योजना को करीब-करीब अंतिम रूप दे दिया है। यह अंतिम चरण है। लेकिन अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व हम श्रमजीव पत्रकारों की एक बैठक बुलाना चाहते हैं। हम यह अंतिम निर्णय लेने से पूर्व करना चाहते हैं। लेकिन एक योजना तैयार की जा चुकी है। जहां तक संगठित क्षेत्र का संबंध है मैं यह कह सकता हूं। चर्चा मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर केन्द्रित रहा जिनकी संख्या 28.5 करोड़ है।

महोदय, भारत सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित की है। यह प्रश्न उठाया गया है कि उक्त आयोग की रिपोर्ट सरकार को 31 जुलाई को सौंप दी गयी है और आज तक उस बारे में कुछ नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आयोग की यह रिपोर्ट अत्यंत विस्तृत है। इसमें पूरा असंगठित मजदूर शामिल है। इसमें पूरा देश शामिल है। इस आयोग द्वारा 300 से अधिक सिफारिशें की हैं। इसमें ऐसे क्षेत्र हैं जहां केन्द्र सरकार को ही कार्रवाई करनी है—विभिन्न विभागों, श्रम मंत्रालय सहित, को भी कार्रवाई करनी है, ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसमें राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी है। लेकिन इस बीच मुझे यह भी कहना है कि ग्रामीण श्रमिक पर राष्ट्रीय आयोग के कुछ सिफारिशों पर देश में चर्चा हो चुकी है और उन पर श्रम मंत्रालय तथा भारत सरकार ने अपने निर्णय ले लिए हैं। अतः मैं उन क्षेत्रों का संक्षिप्त में उल्लेख करूंगा।

उदाहरणार्थ, ग्रामीण श्रमिक पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने ग्रामीण श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कहा है कि यह 20 रुपए होनी चाहिए और इसे वी. डी. ए. से जोड़ा जाना चाहिए। इसका प्रत्येक दो तीन वर्षों में पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और प्रत्येक छह माह पर मजदूरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर 6 फरवरी, 1992 को आयोजित श्रम मंत्रियों की बैठक में विचार-विमर्श हुआ और हमने बहुत हद तक ग्रामीण श्रम पर गठित राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और हमने यह निर्णय लिया है...

सभापति महोदय : मुझे यह कहते हुए खेद है कि आपने जो कुछ कहा उसमें कुछ विरोधी बातें हैं। इसे प्रत्येक दो या तीन वर्ष पर अथवा छह महीने में पुनरीक्षित किया जाएगा ? आपने दो बातें कही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक दो या तीन वर्ष में या पांच वर्ष में पुनरीक्षित की जाएगी।

श्री पी. ए. संगमा : मौलिक मजदूरी की प्रत्येक तीन वर्ष में पुनरीक्षा की जाएगी। अभी इसकी पुनरीक्षा प्रत्येक पांच वर्ष में की जा रही है। मौलिक पुनरीक्षण के आधार पर प्रत्येक छह माह में इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाएगा। यहां स्थिति है और जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है हमने इसे पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

इस आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि महिला क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया जाए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग वातानुकूलित यानों में यात्रा करते हैं वे सामान्य मजदूरों की तुलना में कहीं अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करते हैं। हम श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं और देय क्षतिपूर्ति की राशि जिस पर हम विचार कर रहे हैं वह कुछ मामलों में 100 प्रतिशत और कुछ मामलों में 100 प्रतिशत से अधिक भी हो सकती है। यह 100 प्रतिशत से कम नहीं होगी। उदाहरणार्थ, मृत्यु के मामले में जो अभी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है, वह 96,000 रुपया है और हम इसे बढ़ाकर 2,20,000 रुपए करने जा रहे हैं और स्थाई रूप से विकलांग के लिए 96,000 से बढ़ाकर 2,74,000 रुपया करने जा रहे हैं। जहां तक ग्रामीण श्रमिक पर राष्ट्रीय आयोग का संबंध है क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात होगी।

इस आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। इस पर दो विचार हैं। जहां तक कृषि श्रमिकों के कल्याण संरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा का संबंध है हम उस पर सहमत हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। इस पर सभी करीब-करीब एकमत हैं। यह राय दी गई है कि कृषि श्रमिकों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा को नियमित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाना होगा। मैं आशा करता हूं कि इसे अंतिम रूप देकर संसद के मानसून सत्र में हम एक कृषि मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए केन्द्रीय कानून बना लेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आपका तात्पर्य व्यापक विधेयक से है ?

श्री पी. ए. संगमा : हां, हम प्रारूप तैयार कर रहे हैं दो विधेयक अभी तक उपलब्ध हुए हैं, एक त्रिपुरा विधेयक है और दूसरा केरल विधेयक। हम उनसे कुछ अंश लेंगे। अब तक यह विधेयक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा तक सीमित रहेगा।

श्री वसुदेव आचार्य : निर्माण श्रमिकों का क्या होगा ?

श्री पी. ए. संगमा : हम निर्माण श्रमिकों के लिए एक विधेयक ला रहे हैं। हम केन्द्रीय ठेका मजदूर (विनियमन और समापन) अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में हर स्थिति में संशोधन होना, क्योंकि पांच वर्ष के बदले दो या तीन वर्ष में पुनरीक्षा की जाएगी।

बीड़ी मजदूरों के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। इस संबंध में मुझे एक घोषणा करनी है। सरकार ने उन बीड़ी मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रस्तुत की, जिन्हें भविष्य निधि योजना में शामिल नहीं किया गया है। नई योजना जिसे इस वर्ष एक अप्रैल से लागू किया गया है, उसके तहत् 14 लाख श्रमिक शामिल किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सामान्य मृत्यु की स्थिति में 3000 रुपए और दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में 6000 रुपए दिए जाएंगे। श्रमिकों को किसी तरह का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रीमियम का भुगतान पचास प्रतिशत सरकार द्वारा और पचास प्रतिशत जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

हमने यह एक नई योजना आरम्भ की है ... (व्यवधान) ...

श्री वसुदेव आचार्य : इस योजना में किन लोगों को शामिल किया जाएगा ?

श्री पी. ए. संगमा : इनमें उन बीड़ी कामगरों को शामिल किया जाएगा जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य निकायों द्वारा पहचान पत्र जारी किए हैं और उन्हें भविष्य निधि योजना में शामिल नहीं किया गया है । उनकी संख्या 14 लाख है ।

मैं योजना की एक प्रति माननीय सदस्य को दे दूंगा ताकि वह इसे सही ढंग से समझ सकें ।

बाल-श्रमिकों के बारे में अनेक बातें कही गई हैं । यह अत्यंत चिंता का विषय है । 1986-87 में जब मैं केन्द्रीय श्रम मंत्री था तब मैंने इस समस्या को उच्च प्राथमिकता के आधार पर लिया था । मैंने स्वयं अनेक स्थानों का दौरा किया। मैं शिवाकासी, वाराणसी, फिरोजाबाद फरीदाबाद और सूरत गया था । वास्तव में मैं उन सभी क्षेत्रों में गया था जहां बाल श्रमिक सबसे अधिक हैं । उसके आधार पर मैंने एक विधेयक पुनःस्थापित किया था । बाल श्रमिकों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति भी बनाई गई थी । लेकिन मैं यह बात मानता हूं कि यह अधिनियम लागू करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना है ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, एक मिनट । श्री सैफुद्दीन ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और हम समय-समय पर यह बात सुन चुके हैं तथा हमें इस बात पर दुख है कि हमने अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाई गई बाल-अधिकारों से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं । मैं नहीं जानता कि इस मामले पर निर्णय लेने के लिए कौन उत्तरदायी है । लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी छवि धूमिल हो रही है ।

श्री पी. ए. संगमा : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परिसंधि !

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बाल अधिकार लागू करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिज्ञा पत्र आदि । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है । क्या आपने इस पर कोई निर्णय लिया है ?

श्री पी. ए. संगमा : मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री राम कापसे (ठाणे) : मैंने बाल श्रमिकों तथा निष्पादन बजट और अनुदान मांगों में जो भिन्नता है उसका उल्लेख किया था । मैंने कुछ पृष्ठों का उल्लेख किया था कि आपके निष्पादन बजट और अनुदान मांगों में भिन्नता है । मैंने विस्तार से निष्पादन बजट के पृष्ठ संख्या 1507 और 43 का उल्लेख किया था जिसमें बाल श्रमिकों के बारे में कहा गया है ।

श्री पी. ए. संगमा : मूल मांग संख्या के बारे में पता नहीं है । लेकिन पृष्ठ 53 पर बाल श्रमिकों के लिए 2.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

हमारी अधिकांश बाल श्रमिक परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त-पोषित हैं ।

श्री राम कापसे : 1990-91 और 1991-92 में भी भिन्न-भिन्न प्रकार का उल्लेख किया गया है । इस बार बाल-श्रमिकों के बारे में केवल एक मांग है और पूरी पुस्तक में इन मांगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

श्री पी. ए. संगमा : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जहां तक बाल-श्रमिकों का संबंध है मैं इस ओर सबसे अधिक व्यक्तिगत ध्यान दूंगा क्योंकि इस विषय में मेरी गहन रुचि है ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : चाईल्ड लेबर के खिलाफ सभी लोग बोलते हैं । मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि हमारे यहां बैन करना संभव नहीं है । मैंने कई बार प्रयास किया, बस में रुक्के घेरकर रोने लग गए कि हमको मां-बाप ने बिगाड़ दिया है, खाने का उपाय नहीं है । आप जो बोल रहे हैं, अगर हिपोक्रेसी करनी हो तो कीजिए नहीं तो गंभीरता से विचार कीजिए ।

सभापति महोदय : आपने कोई क्लैरीफिकेशन मांगना है तो मंत्री जी के भाषण के बाद मांगिए ।

श्री भोगेन्द्र झा : अगर ये बैन करना पौसीबल समझते हैं तो स्कीम पेश करें हम लागू करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : मैंने जो कुछ कहा है उस बारे में मैं माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि कामगरों को पुनः प्रशिक्षण देने तथा पुनः रोजगार देने और स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने का कार्य भी है । महिलाओं के लिए रोजगार अवसर के बारे में काफी कुछ कहा गया है । हमने शिल्पियों तथा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए हैं । हमारे पास विश्व बैंक की परियोजना है जिसे 400 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया जाएगा तथा पूरे देश के 400 'आई. टी. आई.' को आधुनिक बनाया जाएगा । आठवीं योजना में हम केवल महिलाओं के लिए 100 आई. टी. आई. स्थापित कर रहे हैं । केवल महिलाओं के लिए ही हम तीन क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कालेज खोल रहे हैं । इसी प्रकार शिल्पी प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षु कार्यक्रम के अंतर्गत कामगरों को प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण देने के अनेक कार्यक्रम हैं । मैं सभा का समय बेकार नहीं करना चाहता ।

सभापति महोदय : क्या महिलाओं के लिए आई. टी. आई. को केन्द्र सरकार धन देगी अथवा राज्य सरकारें देंगी ?

श्री पी. ए. संगमा : इन्हें धन विश्व बैंक देगा । यह विश्व बैंक की परियोजना है ।

अंत में मैं रोजगार के मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं । अनेक माननीय सदस्यों ने इस समस्या पर बल दिया है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है । मैं नहीं समझता कि यह आसानी से सुलझा सकती है । सरकार को भी इसकी जानकारी है । प्रधान मंत्री ने मंत्रिमंडल की एक उप-समिति गठित की है कि शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं । इसकी अध्यक्षता योजना आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे और वित्त मंत्री तथा मैं भी इसके सदस्य हैं । इस समिति की पहली बैठक 6 जनवरी, 1992 को हुई थी । इसने योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति गठित की ।

उन्होंने 30-1-92, 24-2-92 और 3-3-92 को तीन बैठकें कीं। उनकी रिपोर्ट मंत्रि-मंडलीय उप-समिति को दे दी गई है। इस पर इस माह 27 तारीख को चर्चा हुई थी। मैं यह जरूर कहूंगा कि अधिकारियों के दल ने शिक्षित बेरोजगारी के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु उत्कृष्ट रिपोर्ट दी है।

जहां तक अन्य क्षेत्रों में बेरोजगारी का संबंध है योजना आयोग ने असम के मुख्य मंत्री श्री हितेश्वर सैकिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसका मैं भी सदस्य हूं। वह समिति बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करेगी तथा दूसरी समिति विशेषरूप से इस मुद्दे का अध्ययन करेगी।

यह कहा गया है कि अपने घोषणा पत्र में हमने एक वर्ष में दस मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देने का वायदा किया था और हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। अन्य वाद-विवादों, विशेषरूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान यह मुद्दा बार-बार उठाया गया। अनेक माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। माननीय प्रधान मंत्री ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। मैं केवल उसी बात को दोहरा रहा हूं जो प्रधान मंत्री ने कही थी क्योंकि इसमें लगभग सभी बातों का उत्तर दे दिया गया था। **(व्यवधान)**

> "रेल मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि 6000 कि. मी. से अधिक छोटी लाइनों को बड़ी लाइनें में बदल दिया जाएगा। यह एक गहन श्रम वाला कार्यक्रम है। यह गणना की गई है कि प्रत्येक किलोमीटर से 18 से 20 हजार श्रम दिन का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। यदि इस दर से हम 6,000 कि. मी. की गणना करें तब कोई भी हिसाब लगा सकता है कि इससे कितना होगा। योजना आयोग ने हमें रोजगार के आंकड़े दिए हैं। कृषि में 4.16 मिलियन, खनन 0.13 मिलियन, विनिर्माण—1.36 मिलियन, निर्माण—0.59 मिलियन, बिजली 0.03 मिलियन, परिवहन और संप्रेषण—0.29 मिलियन और अन्य सेवायें, प्रति वर्ष कुल 8.89 मिलियन होता है। हमने ऐसा ही घोषणा पत्र में वायदा किया था।"

इस मुद्दे का प्रधान मंत्री ने उत्तर दे दिया था। मैं माननीय सदस्यों को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार इस समस्या की ओर अधिक ध्यान दे रही है क्योंकि जब तक हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर लेते तब तक हम अन्य समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं और सभी सदस्यों से कटौती प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं श्री संगमा से अनुरोध करता हूं कि वह श्री वसुदेव आचार्य को अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे बातचीत करें तथा उनकी समस्याओं का समाधान करें। मैं उन्हें एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देता हूं। यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : श्रम मंत्री महोदय ने कहा है कि 6,000 कि. मी. छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाएगा। यह आठवीं योजना के अंतर्गत है। इससे एक वर्ष में एक करोड़ व्यक्तियों को रोजगार कैसे मिल सकता है। **(व्यवधान)**

श्री पी. ए. संगमा : जब मैं उत्तर दे रहा था तब आप खड़े होकर व्यवधान डाल रहे थे और आपने नहीं सुना। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्होंने विद्युत क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों पर बहुत ब्यौरेवार उत्तर दिया था।

श्री पी. ए. संगमा : मेरे उत्तर के एक पैरा में यह कहा गया है। आपके लाभ हेतु मैं इसे पुनः पढ़ता हूं। **(व्यवधान)** महोदय मैं प्रधान मंत्री के उत्तर को पुनः पढ़ूंगा। उन्होंने कहा :

> "योजना आयोग ने हमें रोजगार सम्बन्धी आंकड़े दिये हैं। कृषि : 4.16 मिलियन, खनन और खुदाई : 0.13 मिलियन, विनिर्माण : 1.36 मिलियन निर्माण : 0.59 मिलियन विद्युत : 0.03 मिलियन, परिवहन और संचार : 0.28 मिलियन तथा अन्य सेवाओं से प्रतिवर्ष कुल 8.89 मिलियन। यह दस नहीं बनता है। हमने चुनाव घोषणापत्र में लगभग इतना ही वायदा किया है।"

प्रधान मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी है। इसी कारण मैंने कहा कि मुझे विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। यह उत्तर है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री राम नाईक एक स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : जब श्री राम कापसे अनुचित श्रमिक व्यवहार पर अपने मुद्दों की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने ताज होटल के बारे में एक विशिष्ट शिकायत दी थी जिसमें एक वास्तविक संगठन की बजाय एक नकली श्रमिक संगठन को मान्यता दी हुई थी। सरकार ने अभियोजन की अनुमति दे दी है, लेकिन सभापति या निदेशक पर अभियोजन की अनुमति देने की बजाय प्रबन्धक पर अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई है। ऐसे मामले जहां पर अनुचित श्रमिक व्यवहार के वास्तविक मामले हैं, सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अध्यक्ष या निदेशक पर मुकदमा चलाए।

सभापति महोदय : श्री राम नाईक मैं नहीं समझता कि यह उचित प्रश्न है। वह श्रम मंत्रालय पर सामान्य वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन आप एक विशिष्ट मामला रख रहे हैं।

श्री पी. ए. संगमा : मैंने शुरू में कहा है कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी विशेष प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैंने यह भी कहा था कि मैं प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विशेष मुद्दों पर गौर करूंगा। जहां तक इस मामले का संबंध है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं निश्चित रूप से रिपोर्ट मांगूंगा।

सभापति महोदय : अगर कोई सदस्य अपने किसी भी कटौती प्रस्ताव को अलग से रखना नहीं चाहता तो मैं श्रम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान हेतु अब एक साथ रखूंगा।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2 और 3 को सभा में मतदान हेतु पृथक से रखा जाए।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 4 को सभा के मतदान हेतु पृथक से रखा जाए। कृपया मेरे कटौती प्रस्ताव 14 को भी पृथक से रखें।

सभापति महोदय : मैं अब श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 3 तक को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

जो इसके विरोध में हैं वे कृपया 'नहीं' कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं ।

सभापति महोदय : जो इसके पक्ष में हैं कृपया 'हां' कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'

सभापति महोदय : मेरे विचार से निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में रहा।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में है ।

श्री बसुदेव आचार्य : निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में है।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं ।

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपाय करने में असफलता ।

कि श्रम मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 57) को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने में असफलता ।

देश के युवकों में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या के समाधान के लिए कारगर उपाय करने में असफलता ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

[समय 3.43 म. प.

मत विभाजन संख्या : 15]

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
उराव, श्री ललित
कमल, श्री श्याम लाल
कापसे, श्री राम
खनोरिया, श्री डी. डी.
खन्डूरी, श्री भुवन चन्द्र
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
घनगरे, श्री आर. एम.
चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री चेतन पी. एस.
जसवंत सिंह, श्री
जायनल अबेदिन, श्री
झा, श्री भोगेन्द्र
डोम, डा. राम चन्द्र
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर
दास, श्री अनादि चरण
दुबे, श्रीमती सरोज
देशमुख, श्री अशोकराव आनंदराव
धूमाल, प्रो. प्रेम
नीतीश कुमार, श्री
पटनायक, श्री शियाजी
पाटीदार, श्री रामेश्वर (डारगोन)
पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण
पाल, श्री रूपचन्द
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री अनिल
बाला, डा. असीम
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मंजय लाल, श्री
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
महाजन, श्री सुमित्रा
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री चून चून प्रसाद
यादव, श्री शीपाल सिंह
राणा, श्री काशीराम

राम अवध श्री,
राय, श्री एम. रमन्ना
राय, डा. सुधीर
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रावत, श्री भगवान शंकर
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री भवानीलाल*
वर्मा, श्रीमती रीता
वेंकटेश्वरालु, श्री उमा रेड्डी
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
सरोदे, डा. गुणवन्त रामभाऊ
सिंह, श्री राम
सैयद, श्री शाहबुद्दीन
हुसैन, सैयद मसूदल

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी. (बैल्लोर)
अरुणाचलम्, श्री एम.
अहमद, श्री ई.
अहम्द, श्री कमालुद्दीन
इन्द्रजीत, श्री
इन्का लम्बा, श्री
इस्लाम, श्री नूरुल
उपाध्यक्ष, श्री स्वरूप (तेजपुर)
एन्थनी, श्री फ्रैंक
काम्बलें, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालियापेरुमल, श्री पी. पी.
काले, श्री शंकर राव
कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन (सलेम)
कुली, श्री दालिन
केवल सिंह श्री
कोनिथा, डा. विश्वनाथन
कौरो, श्री सुरेन्द्र सिंह
कोनाथाला, श्री रामकृष्ण
कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)

*गलती से पक्ष में मतदान किया

खां, श्री अय्यूब
खुर्शीद, श्री सलमान
गहलोत, श्री अशोक
गामीत, श्री छीतूभाई
गावीत, श्री माणिक राव होडल्या
गुंडेवार, श्री विलास राव
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.
चार्ल्स, श्री ए.
चिदम्बरम, श्री पी.
चौधरी, श्री के. बी. आर.
चोरे, श्री बापूहरि
जीवरत्नम, श्री आर.
झिकराम, श्री मोहनलाल
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन.
तंगाबालु, श्री के. वी.
थामस, प्रो. के. वी.
थोरट, श्री संदीपन भगवान
दादाहर, श्री गुरुचरण सिंह
दिघे, श्री शरद
देका, श्री प्रबीन
देव, श्री संतोष मोहन
देवी, महारानी बिभु कुमारी
देशमुख, श्री अनंतराव
नंदी, श्री येलेया
नायक, श्री जी. देवराय
नारायणन, श्री के. आर.
नारायणन, श्री पी. जी.
निकम, श्री गोविन्दराव
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल श्री हरिलाल ननजी

पवार, श्री शरद
पाटिल, श्री विजय एन.
पाटिल, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाणिग्रही, श्री बल्लभ
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू (खम्माम)
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के.
प्रभु झांत्यं, श्री हरीश नारायण
फारुक, श्री एम. ओ. एच.
बंसल, श्री पवन कुमार
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री प्रतापराव बी.
मरवनिआंग, श्री पीटर जी.
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा. आर.
मीणा, श्री भैरू लाल
मेघे, श्री दत्ता
यशपाल, श्री
राजेश्वरी, श्रीमती वासव
राम बाबू, श्री ए.जी.एस.
रावत, श्री प्रभुलाल
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री मुहासमुदम ज्ञानेन्द्र
वर्मा, कु. विमला
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी. एस.
विलियम्स, मे.ज.आर.जी.
शंकरानन्द, श्री बी.
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शिंदा, श्री डामू बरकू
श्रीधरण, श्री आर.
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सईद, श्री पी. एम.

साय, श्री ए. प्रताप
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादर
सुन्दरराज, श्री एन.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सोढ़ी, श्री मनकूराम
सोरन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :—

पक्ष में : 60

विपक्ष में : 102

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री वसुदेव आचार्य प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 14 को सभा के मतदान हेतु रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 14 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं श्रम मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखूंगा :

कटौती प्रस्ताव 4 से 8, 15, 16, 23, 61 से 79 तथा 97 से 114 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री जी. एम. सी. बालयोगी, सायमन भरांडी, राम नाइक तथा द्वारका नाथ दास ।

विपक्ष में : सर्वश्री भागेय गोवर्धन, श्री किरिप चालिहा, भवानी लाल वर्मा, अशोक आनन्द राव देशमुख, के. तुलसिएरेड्डी वान्डायार भू. विजयकुमार राजू, डा. फैयाजुल आजम ।

सभापति महोदय : अब मैं श्रम मंत्रालय से संबद्ध अनुदान मांगों को सभा के मतदान हेतु रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिए श्रम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	26 मार्च 1992 को सदन द्वारा, स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	2	3	4	5	6
श्रम मंत्रालय					
57	श्रम मंत्रालय	69,91,00,000	12,00,000	34,954,00,000	61,00,000

(दो) वाणिज्य मंत्रालय

सभापति महोदय : सभा अब वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12 पर चर्चा तथा मतदान करेगी, इस पर 6 बजे म. प. तक चर्चा की जा सकती है इसके बाद गिलोटीन होगा ।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं । केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 4 में वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों में अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1992-93 के लिए वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	26 मार्च, 1992 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	2	3	4	5	6
वाणिज्य मंत्रालय					
11	वाणिज्य विभाग	50193,00,000	45,32,00,000	14266,00,000	22666,00,000
12	पूर्ति विभाग	463,00,000		2313,00,000	

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, हम वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर विचार करने जा रहे हैं । आयात और निर्यात के संबंध में पहली बार सरकार की ओर से एक नई नीति यहां पर प्रस्तुत की गयी है और कहा गया है कि यह नई नीति हमारे व्यापार को एक नई दिशा देने वाली होगी, इसका एक नया दर्शन है और नए आयाम में इसका विचार किया गया है। पिछली सब नीतियों की बात को छोड़कर, जैसा पिछली नीतियों के बारे में रहा, कोई नीति दो वर्ष के लिये लागू रही, कभी कोई नीति तीन वर्ष के लिये लागू रही और जिसे तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था, वह भी दो वर्ष तक के लिए रही, लेकिन अब यह नई नीति 5 वर्ष के लिए बनायी गयी है । जैसा इस नीति से संबंधित दस्तावेजों में प्रारम्भ में ही कहा गया है--

[अनुवाद]

"स्थिर नीतियों की आवश्यकता को देखते हुए नई नीति की अवधि पांच वर्ष होगी अर्थात् पूरी आठवीं योजना की अवधि ।"

[हिन्दी]

इसमें आगे कहा गया है—

[अनुवाद]

"नई नीति की मौलिक विशेषता स्वतन्त्रता है । इसके अन्तर्गत लाइसेंस, मात्रा सम्बन्धी पाबंदियों और अन्य विनिमय और एच्छिक नियन्त्रण को काफी कम किया गया है । दो नकारात्मक सूचियों को छोड़कर सभी वस्तुओं का स्वतन्त्रतापूर्वक आयात और निर्यात किया जा सकता है । आयात और निर्यात की नाकारात्मक सूची कुछ वस्तुओं के आयात या निर्यात पर पाबन्दी लगाती है ।"

[हिन्दी]

इस नई नीति के संदर्भ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जिन बातों के संबंध में, हम अपनी ओर से, उसकी मांग करते रहे हैं। लेकिन इसमें कई बातें ऐसी हैं जिन बातों को सहज रूप में स्वीकार करना सम्भव नहीं है और आज यह उचित नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी का यह मत रहा है कि लाइसेंस, कोटा और परमिट पद्धति समाप्त हो और जितनी इसमें सहूलियत दी जा सके, वह दी जाए और उसी के अनुरूप इस पालिसी का निर्धारण हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले मंत्री महोदय यह आश्वस्त करने की कृपा करें कि जैसा पहले अन्यान्य नीतियों के बारे में हुआ है कि 3 वर्ष के लिए पालिसी बनाई और 2 वर्षों में समाप्त कर दी गई और नयी पालिसी आ गई, यह ठीक 5 वर्ष के लिए रहेगी और 5 वर्ष तक इस पर ठीक से अमल किया जाएगा। मैं ऐसा अनुभव करता हूं और सदन के माननीय सदस्य इस बारे में जानते हैं कि सरकार ने एक बार आ कर कहा कि हम रुपए का अवमूल्यन कर रहे हैं। सरकार को मजबूरी हो सकती थी, कुछ आर्थिक कठिनाइयां हो सकती थीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर दुबारा रुपए का अवमूल्यन किया गया। समझ में नहीं आया कि उसका क्या कारण था, उतनी आर्थिक मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन तीसरी बार फिर रुपए का अवमूल्यन हुआ, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस नीति दस्तावेज के बारे में जो ठीक विचार करके, जो बात कही गई है, उसका ठीक से अमल होगा और इसको पूरे समय तक आप लागू करेंगे?

अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि अब तक हमारा जो विदेश व्यापार था वह सीधा-सीधा यू.एस.एस.आर. पर अधिकतर आश्रित था। आज भी हम उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं और इस कारण मैं जानना चाहूंगा कि आखिर उसके साथ हमारा जो व्यापारिक सम्बन्ध है और जो हमारे अनुबन्ध हुए हैं, सरकार ने किए हैं या एक्सपोर्टर्स ने किए हुए हैं, वे अनुबन्ध उसी रूप में लागू हैं, क्योंकि रुपए और रूबल की जो विनिमय दर है, उसमें भी बहुत बड़ा अन्तर पड़ गया है। उसके कारण व्यापारिक अनुबंधों पर भी असर पड़ा है। मैं जानना चाहूंगा कि वह असर कितना है और आज स्थिति क्या है? यह मैं जानना चाहूंगा और इस कारण हमारी जो स्थिति बनी है और रशिया की स्थिति बनी है, उसके कारण हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ा है, जो हम लैदर गुड्स और दूसरी गुड्स वहां पर भेजा करते थे और सहज रूप में हमको जो एक बाजार उपलब्ध था, वह बाजार आज प्राप्त नहीं है, गड्ढे को भरने की दृष्टि से हमने कोई नया बाजार खोजा है या नया बाजार प्राप्त किया है, वे नये बाजार कौन से हो सकते हैं, यह बताएं। जैसा मैंने अभी बयान किया, जो एक्सपोर्टर्स के द्वारा अनुबन्ध किए गए थे, उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है?

आप यहां पर इस सम्बन्ध में कई बार चर्चा के दौरान कह चुके हैं कि हमारी नीतियों में खुलापन होना चाहिए और खुलापन इस प्रकार का होगा कि उससे सभी लाभान्वित होंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस नीति के फलस्वरूप कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप ऐसी उपभोक्ता सामग्री की जो लग्जरी की श्रेणी में है आयात को प्राथमिकता देते हुए इतनी प्राथमिकता दें दें कि हमारी सारी लग्जरी आयटम्स आयात की जाएं और हमारा जो घरेलू उत्पाद है, या देशी उत्पाद है, हमारा जो देशी उत्पादन है वह उससे प्रभावित हो, यह जो शंका प्रकट की गई है, यह निर्मूल नहीं है और मैं इस आयात नीति के खुलेपन के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस सम्भावना को निर्मूल करने की दृष्टि से उनके अपने

क्या तर्क है ? चाय, काफी, मसाले, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर गुड्स के निर्यात की क्या स्थिति है ? मैं सोच सकता हूं कि जहां पर तकनीक आयात करनी हो या ऐसी वस्तुओं का, चीजों का आयात करना हो, जिसके लिए निश्चित रूप से हम समर्थ नहीं हैं, वह तो समझ में आ सकता है, लेकिन अगर ऐसी सामग्री जो लग्जरी गुड्स हैं, उनको आयात करते रहें, ऐसी स्थिति रहे तो हमारे ऊपर निश्चितरूप से ठीक नहीं है । आयात-निर्यात ऐसा हो जिससे हम लाभान्वित हों ।

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उपभोक्ता वस्तुओं पर दबाव है । उपभोक्ता वस्तुओं पर नई निर्यात-आयात नीति में रोक लगाई गई है। वास्तविक स्थिति यह है कि उन पर पाबन्दी लगाई गई है । क्योंकि आपने इस बारे में दो बार कहा इसलिए मैंने व्यवधान डाला । उपभोक्ता वस्तुओं पर पाबन्दी है, हम उपभोक्ता वस्तुओं के आने की अनुमति नहीं दे रहे ।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं इसी संदर्भ में भी जानना चाहूंगा कि आपने नयी नीति के अन्तर्गत बहुत सारे जो कैनेलाइज्ड आइटम्स थे उनकी सीमाएं सीमित कर दी हैं । उस संदर्भ में एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी. का क्या रोल है । एम.एम. टी.सी. और एस. टी.सी. द्वारा जो आईटम आप मंगवाते थे या प्राप्त करते थे या जिसका आदान-प्रदान होता था, एक प्रकार से उनको मुक्त किया गया है ।

आपने यह बात भी की थी कि हम कटौती करेंगे अपने खर्चों के मामले में । वह कटौती किस सीमा तक की गई है । आपने कटौती के संबंध में जो बातें रखी हैं उसका कितना असर हुआ है और किस हद तक आप उसमें पहुंचे कितने खर्चे कम हुए हैं । क्या एस.टी.सी. का केवल मात्र यही काम बाकी रह गया है, जैसा आमतौर पर भी कहा जा रहा है कि एस.टी.सी. का कोई काम बाकी नहीं रहा है। यहां के जो दूतावास हैं उन दूतावासों में जाकर उनको गाड़ियां खरीदना और उनको फिर बाजार में बेचना, एस.टी.सी. का केवल मात्र अगर इतना ही काम है तो मैं समझता हूं कि इसकी रचना, उपयोगिता के बारे में फिर से विचार करने की कृपा करेंगे ।

यह बात ठीक है, अभी मंत्री जी ने बीच में अपनी बात कहते हुए उपभोक्ता वस्तु के बारे में कहा । लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो कैंज्यूमर गुड्स की श्रेणी में भले ही न आती हों पर आज वे लग्जरी आईटम्स के रूप में प्रयोग में आती हैं और उनका आयात आज भी हो रहा है, आप इसको इंकार नहीं कर सकते ।

जो नीति की बात कही गई है, इसको एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पालिसी तो कहा गया है लेकिन सारा जो स्ट्रैस है वह एक्सपोर्ट पर है और होना भी चाहिए । मैं जानना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट के मामले में क्या आपने राज्य सरकारों को कभी विश्वास में लिया है ? बहुत सारी राज्य सरकारें आगे आकर निर्यात संवर्धन की दिशा में आपका सहयोग करना चाहती हैं । विदेशी मुद्रा के बारे में राज्य सरकारों की स्थिति नगण्य है । क्या केन्द्र द्वारा कोई ऐसी स्थिति लाई जा सकती है कि यदि राज्य सरकारें एक्सपोर्ट के बारे में आगे आना चाहें तो आप उनको शत-प्रतिशत सहायता करके, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करें ताकि राज्य सरकारों को उसकी भागीदारी होगी ? इस प्रकार से आपको तो लाभ मिलेगा लेकिन राज्य सरकारों की

स्थिति भी अच्छी होगी । आज वे जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी और उनकी भागीदारी नहीं है अगर इस तरह से राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया तो निश्चित रूप से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वह विदेशी मुद्रा को बढ़ाने वाला होगा, विदेशी मुद्रा के ऋण भार को कम करने वाला होगा । उसके बारे में भी आप विचार करें । आप हर राज्य में निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना करें ।

नीति, दस्तावेज प्रशासनिक मामला और नीति निदेशक भी है । यह तो चीफ कन्ट्रोलर, एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया है । वे सारे नीति के बारे में निर्धारण करते हैं, इसके तहत दिए गए अधिकारों की कितनी लीगल वैलीडिटी है या नहीं है, आप इससे बेहतर जानते हैं लेकिन इसके बारे में कई बार संदेह रहा है और प्रश्न खड़े किए गए हैं । एक बात पुन: दोहराना चाहता हूं कि जिस भरोसे के आधार पर अपने अनुबंध किए थे निर्यातकों ने, क्या उनके अनुबंधों को पूरा करने में आप उनको संरक्षण दे रहे हैं या देंगे ? जिन एक्सपोर्ट हाउसेस ने अनुमति प्राप्त करके, प्रमाण-पत्र प्राप्त करके एक्सपोर्ट किए, पहले भले ही वह स्थिति रही हो ढाई करोड़, दो करोड़ की लेकिन आज तीन करोड़ की कर दी गई है, क्या जिन्होंने दो या ढाई करोड़ के आधार पर अपने अनुबंध किए थे, यदि आज आपने उसकी सीमा को बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया है, उसको वे कैसे पूरा कर पाएंगे? उसमें कुछ रिलैक्सेशन है या उनकी क्या स्थिति है । इस बारे में मैं जानना चाहूंगा । हमारे यहां उत्पादित हुई वस्तुओं के निर्यात की भारी संभावनाएं हैं, उनके बारे में डेवलपमेन्ट काउंसिल क्या कर रही है ?

4.00 म. प.

इसी नीति के संबंध में बात करते हुए कई बार डंकल प्रस्तावों के बारे में भी चर्चा हुई । मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन निश्चित रूप से हमारे व्यापार को प्रभावित करने वाली नीति पर कहीं न कहीं उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा । इसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा हुई है । डंकल प्रस्तावों के बारे में क्या स्थिति है, क्या हम उनको स्वीकार करने जा रहे हैं या नहीं, हम उनके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, किस सीमा तक हमने उनके बारे में चर्चा की है, हमारा उसके बारे में कोई निश्चित मत बना है या नहीं बना है ? मेरे पास एक 14 अप्रैल का 'राइटर' का न्यूज आइटम है जिसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "जिनेवा-विश्व व्यापार वार्ताकारों ने व्यापार वार्ताओं के गुरुत्व चक्र के बारे में सोमवार को निराशाजनक मूल्यांकन किया जोकि कृषि पर राजसहायता पर मतभेद के कारण अभी भी अवरुद्ध है, इन्हें 16 महीने बाद समाप्त हो जाना चाहिए था ।
>
> 108 देशों की वार्ता में प्रतिनिधियों को शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के मुखिया आर्थर डंकल ने बताया कि यह 'व्यापक धारणा' थी कि शुल्कों में कमी लाने और सेवाओं को उन्मुक्त व्यापार नियमों के तहत लाने संबंधी चर्चाएं अपनी "गति खो रही" हैं ।

[हिन्दी]

उसके बारे में क्या स्थिति है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं । यहां शंकाएं इस प्रकार की व्यक्त की गई हैं कि यदि हमने बिना किसी तरीके से विचार किए इनको स्वीकार किया तो हमारे यहां के स्वदेशी व्यापार पर उसका असर पड़ेगा और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से भी प्रभाव पड़ेगा ।

इस डंकल ड्राफ्ट के विभिन्न प्रावधानों का विरोध करने वाले कौन-कौन से देश हैं, वे इन प्रावधानों का विरोध क्यों कर रहे हैं। यदि अंततः अधिकांश देश डी. डी. पी. के विशिष्ट प्रावधानों के बारे में असहमत हों तो ऐसे में भारत कहां तक सहमत है उनको मानने या न मानने के लिए यह मैं जानना चाहूंगा 91 अन्य देशों के साथ सीधे व्यापार में क्या स्थिति होगी। 'गाट' के सदस्य के नाते हम कहां पर हैं।

डंकल के ट्रिप्स प्रावधानों के वे भाग अधिक सहज हैं जिनका संबंध कापीराइट संरक्षण पद्धतियों से है। इस विषय में भारत की वर्तमान पद्धति कापीराइट अधिनियम और ट्रेड मार्क अधिनियम डंकल के प्रस्तावों से बहुत भिन्न है। किन्तु ट्रिप्स के विवादास्पद भाग पेटेंटों के संरक्षण के बारे में है। भारत के वर्तमान नियमों में केवल प्रक्रिया संबंधी पेटेंट ही शामिल हैं। उत्पादन पेटेंट शामिल नहीं हैं। डंकल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से हमें इन दोनों को ही शामिल करना होगा या नहीं करना होगा यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा ? हमारी ट्रेड पालिसी दीर्घकालीन और सुनिश्चित होनी चाहिए।

इन डंकल प्रस्तावों पर जिस प्रकार से सरकार को चिंता करनी चाहिए, उतनी वह इस पर चिंता नहीं कर रही है। हमें गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को हमेशा महत्व देती रही है कि कोटा परमिट राज पद्धति समाप्त हो और मुक्त व्यापार की स्थिति हो। निर्यातोन्मुखी इकाइयों को आधारभूत ढांचे की आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। साथ ही आयात को इस तरह सुव्यवस्थित किया जाए कि विदेश से वे ही वस्तुएं खरीदी जाएं जो अति अनिवार्य हों। अगर व्यावसायिक क्षेत्र का उत्पादन आयातोन्मुखी होगा तो उसे अतिरिक्त दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। व्यापार संतुलन प्रवृत्ति इकाइयों के आधार पर बनाने की आवश्यकता है। निर्यात में श्रेष्ठता को विशेष मान्यता प्रदान की जाए। भारत से बाहर 100 देशों में बसे एक करोड़, 20 लाख भारतीय प्रति वर्ष लगभग एक सरब अमेरिकी डालर की बचत करते हैं। आकर्षक योजनाओं द्वारा इस राशि का 10 प्रतिशत देश में लाने की गंभीर कोशिशें की जाएं। इसके अतिरिक्त एन. आर. आई. द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के बारे में सरकार पूरा प्रयत्न करे। अनिवासीय भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा वह करे ताकि वे यहां पैसा लगा सकें। ऐसा एक वातावरण तैयार किया जाए।

जिस आधार पर हमने इसका समर्थन किया है, उस आधार पर मैं पुनः यह कहते हुए कि नई नीति है, नया प्रयोग है, लेकिन यदि पूरी ईमानदारी से इसके बारे में कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ सफलताएं मिलेंगी। और जो हमने शंकाएं यहां पर प्रस्तुत की हैं और जो प्रश्न मैंने उपस्थित किए हैं, बी. ओ. पी. के बारे में अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध के बारे में व डंकल प्रस्ताव पर उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय उत्तर देने की कृपा करेंगे।

इन शब्दों के साथ, जो मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उन कटौती प्रस्तावों का समर्थन करते हुए, वे कटौती प्रस्ताव आवश्यक हैं, व्यावहारिक हैं, माननीय मंत्री महोदय उन्हें स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, आज सुबह नया बाजार में जो बम काण्ड हुआ, मैं अभी वहां मौके पर से आया हूं, 40-50 लोगों के मरने की वहां संभावना है, लोग दबे हुए हैं। होम मिनिस्टर साहब भी मेरे साथ गए थे। क्या वह आज बयान देने वाले हैं?

सुबह उनसे ब्यान देने के लिए कहा गया था, मैंने सुबह भी यह प्रश्न उठाया था। इस बारे में निवेदन है कि आप गवर्नमेंण्ट से पूछें कि वह आज वक्तव्य देने वाले हैं या नहीं, क्योंकि वहां हालात बहुत खराब है। वहां से स्वीपर्स को ठेला गाड़ी में लाशों को ले जाया जा रहा है, राहत नाम की कोई चीज नहीं है वर्ना लोग बच सकते थे। आज तक दिल्ली के अंदर इतना बड़ा काण्ड नहीं हुआ, उसके बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा था, मेरा आपसे इतना निवेदन है कि इतना पूछ लीजिए कि आज वह वक्तव्य देने वाले हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे यकीन है कि यदि सुबह भी आपने यह प्रश्न उठाया था तो सरकार ने इस मामले पर अवश्य ही गौर किया होगा और जैसे ही स्थिति कुछ स्पष्ट हो जाती है मंत्री जी उस पर अपना वक्तव्य अवश्य देंगे। लेकिन खुराना जी जैसे कि आपने स्वयं भी कहा है, स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पायी है। इसलिए उन्होंने इस मामले पर अवश्य ही गौर किया होगा और वे इस पर कार्यवाही भी कर रहे होंगे और जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी, मैं भी सरकार को तथा माननीय अध्यक्ष महोदय को इस बारे में अवगत कराऊंगा कि सरकार को स्थिति की जानकारी मिलते ही, इस मुद्दे पर एक वक्तव्य अवश्य दिया जाना चाहिए।

अब श्री बी. अकबर पाशा अपनी बात रखेंगे।

श्री बी. अकबर पाशा (वेल्लोर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रगतिशील आर्थिक उपायों और प्रस्तुत संतुलित बजट का समर्थन करता हूं। यद्यपि यह बजट वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध है, तथापि वाणिज्य मंत्रालय का भी इससे काफी गहरा संबंध है और इस मंत्रालय ने इसके लिए काफी सहयोग किया है।

विगत दिसम्बर 1989 से जून 1991 के दो घातक वर्षों में, जब श्री वी. पी. सिंह सत्ता में थे, श्री राजीव गांधी जी के शासनकाल में जो विदेशी मुद्रा भंडार 6,000 करोड़ से घटकर 2500 करोड़ रुपए से भी कम हो गया जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी भारी सहायता ली गई थी। यह तो श्री पी. वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में और डा. मनमोहन सिंह जैसे कुशल मंत्रियों के सहयोग से चल रही वर्तमान सरकार ही है जिसने हमें अपमान और विनाश से बचा लिया है। अब रस समय श्री चन्द्र शेखर जी की सरकार ने जो सोना गिरवी रखा था, उसको छुड़वाने के बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 18000 करोड़ से भी कुछ अधिक है। श्री नरसिंह राव जी की सरकार की हर तरह से सराहना की जानी चाहिए।

मैं कुछ बातें और टिप्पणियां माननीय वाणिज्य मंत्री के विचारार्थ यहां रखना चाहूंगा :

> हालांकि उदार निर्यात नीति की चर्चा की जा रही है, फिर भी दो वस्तुओं में, रफ ग्रेनाइट और तैयार चमड़े को छोड़ दिया गया है और इन वस्तुओं के निर्यात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। दोनों वस्तुओं का दक्षिणी भारत में उत्पादन होता है, जहां से मैं यहां आया हूं और जैसा कि माननीय मंत्री जी 'रफ ग्रेनाइट' की बात करते रहे हैं, हमारे देश से 20,000 क्यूबिक फीट 'रफ ग्रेनाइट' का प्रत्येक माह निर्यात किया जाता है। यदि इन दोनों चीजों को पूरी तथा अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो इस उद्योग को 10,000 करोड़ रुपए की और पूंजी का निवेश करना होगा। इसके लिए 440 मेगावाट बिजली और अत्यधिक पानी की आवश्यकता होगी। पालिश किए हुए ग्रेनाइट को रखने के लिए 'वेक्यूम' मशीनों जैसी अति आधुनिक मशीनों की आवश्यकता

भी होगी । यदि आयात की अपेक्षाकृत अधिक विदेशी मुद्रा कमाने का इरादा है तो उसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना हमारे पास नहीं है । उन वस्तुओं को छोड़ देने और इन पर निर्यात शुल्क में कमी करने के मामले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए ।

तैयार चमड़े की बात करते हुए इस उद्योग में व्याप्त हालात की मुझे पूरी जानकारी है क्योंकि मैं चर्मकार संघ का अध्यक्ष रहा हूं और मैं एक चमड़ा प्रौद्योगिकीविद भी हूं ।

चर्मकार, विशेषकर तमिलनाडु में, मुख्यत: चमड़े का खाल के रूप में ई. आई. चर्म की तरह निर्यात करते थे और नीला चमड़ा रंगते थे । जैसे ही 70 के दशक के आरंभ के वर्षों में सरकार की नीति में बदलाव आया, 15 वर्षों में उन्होंने अपने उत्पादन को पूर्ण तैयार माल के रूप में बदल दिया । इसमें मशीनों पर अत्यधिक पूंजी निवेश हुआ जिनमें से अधिकतर मशीनें आयातित थीं । बाद में सरकार ने मूल्य संवर्धित वस्तुओं जैसा कि जूते, दस्ताने और वस्त्र आदि को प्रोत्साहन देने की नीति अपनायी और धीरे-धीरे तैयार चमड़ा निर्यात करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को बंद कर दिया । मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बेहद सराहनीय और उल्लेखनीय परिणाम सामने आए । पांच वर्षों में तैयार चमड़े का निर्यात 71 प्रतिशत से कम होकर 29 प्रतिशत रह गया और इसी अनुपात में चमड़ा उत्पादों का निर्यात 29 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत तक पहुंच गया । यह सब पांच वर्षों की अल्पावधि में ही हुआ जोकि मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत ही उल्लेखनीय कदम है । परिणामस्वरूप निर्यात मूल्य में भी काफी वृद्धि हुई है । 1990-91 में चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात से 2,600 करोड़ रुपए की आय हुई । यह राशि अवमूल्यन से पहले की है । गत वर्ष यह आय 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक थी ।

छोटे चर्मकारों को अपने तैयार चमड़े को मूल्य संवर्धित वस्तुओं में परिवर्तित करने में अपेक्षित और अधिक पूंजी निवेश संबंधी कठिनाई आड़े आती है लेकिन फिर भी वे इस परिवर्तन प्रक्रिया में लगे हैं और इसके लिए उन्हें समय चाहिए । 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क से उन छोटे चर्मकारों पर बहुत अधिक भार पड़ेगा जो पहले से ही कच्चे माल के बाजार में उत्पाद-निर्माताओं के साथ कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं । 10 प्रतिशत प्रस्तावित शुल्क को रहने दिया जाए ताकि छोटे चर्मकार भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकें अन्यथा बड़े व्यापारी, मेरा अभिप्राय है केवल बड़े चर्मकार और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां ही, जिन्होंने इस व्यवसाय को अपना लिया है, अपना अस्तित्व बनाए रखेंगी और छोटे चर्मकार पिछड़ जाएंगे ।

महोदय पूर्वी यूरोप को वस्तुओं का निर्यात करने वाले लोगों से मुझे इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह बात इस सभा में उठायी जाए कि आर. पी. एफ. को जो निर्यात किया जा रहा है, जी. सी. ए. की अपेक्षाकृत उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ।

गत वर्ष के बजट में प्रथम और तीन जुलाई 1991 को दो बार अवमूल्यन किया गया है और इसके साथ-साथ नकद मुआवजा सहायता तथा लाइसेंस के द्वारा जी. सी. ए. निर्यातों को भली-भांति सहायता प्रदान की गई। आर. पी. ए. निर्यातों के लिए नकद मुआवजा सहायता और लाइसेंस संबंधी सहायता, जो कि उन्हें तब तक मिल रही थी, वापिस ले ली गई और उन्हें अव-मूल्यन का भी कोई लाभ नहीं मिला । जी. सी. ए. और आर. पी. ए. दोनों के मामले में कच्चे माल की स्थिति एक जैसी ही है, कच्चे माल की प्रतिपूर्ति की कीमत एक जैसी है; श्रम पर आने

वाली लागत एक जैसी है, रसायनों की कीमत एक जैसी है और ऊपरी खर्चे भी एक समान है तथा वे एक जैसी परिस्थितियों में ही कार्य करते हैं ।

पुन: इस वर्ष के बजट में भी निर्यात की आंशिक परिवर्तनीयता, जो कि सरकारी विनिमय दर पर 40 प्रतिशत तथा निर्धारित बाजार मूल्य पर 60 प्रतिशत है, का भी आर. पी. ए. निर्यातों पर प्रभाव पड़ रहा है । मैंने विगत दिनों "दी इकोनोमिकस टाइम्स" में पढ़ा था कि जहां तक 22 फरवरी 1992 को रूसी गणराज्य के साथ किए गए समझौतों का प्रश्न है उनमें दोनों तरफ से बिल तथा लेन-देन अमरीकी डालर में किया जाएगा, आंशिक परिवर्तनीयता का लाभ पूर्वी यूरोपीय निर्यातों को भी दिया जाएगा ।

मैं सरकार की किसी भी उदार नीति और उपायों का स्वागत करता हूं लेकिन उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ।

मेरा यह अनुमान है कि यह भेदभाव रुपया-निर्यात को दबाने के लिए डाला गया था । वाणिज्य मंत्रालय की परामर्शदायी समिति की गत बैठक में, जिसमें संयोगवश मैं भी एक सदस्य था, माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि उन्होंने रुपया निर्यात को 25 प्रतिशत तक दबाना चाहा था लेकिन किसी प्रकार यह दबाव 50 प्रतिशत तक हो गया है । उन्होंने माह-वार आंकड़े भी रखे थे । विगत नौ महीनों में यह 50 प्रतिशत से भी अधिक रहा है । इससे आर. पी. ए. के चमड़ा निर्यातकों और चमड़ा उत्पाद निर्माताओं को भारी कठिनाई आड़े आयी है । वे इतनी जल्दी पश्चिम में स्थानान्तरित नहीं हो सकते । विपणन में एक अथवा दो वर्ष भी लग सकते हैं । इतने समय में ही कम्पनियां रुग्ण हो जाएंगी । यह एक श्रमेन्मुखी उद्योग है और इन कारखानों में ज्यादातर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा पद दलित वर्गों के लोग काम करते हैं और जहां तक जूता बनाने के कारखानों का संबंध है उनमें 80 से 90 प्रतिशत तक महिलायें काम करती हैं, जिनमें अधिकांश हरिजन हैं । मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को यह तो अधिकार प्राप्त है कि एक ही दिन में आर. पी. ए. निर्यातों को 50 प्रतिशत तक दबा सकते हैं लेकिन एक ही दिन में 600 करोड़ रुपए से 700 करोड़ रुपए तक का उत्पादन तैयार करना उनके लिए संभव नहीं है । कोई भी नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे यह उद्योग समाप्त हो जाए ।

मैं आपके विचारार्थ निम्नलिखित बातों के बारे में अनुरोध करना चाहूंगा :—

(1) देरी से हुई अदायगी पर ब्याज :—सत्कालीन रूस द्वारा निर्यातकों को 27 दिसम्बर 1991 से अदायगी नहीं की गई थी भले ही निर्यातकों के बैंकों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए थे। परिणामस्वरूप निर्यातकों को घोर वित्तीय हानि उठानी पड़ी जिसमें जर्मनी के रूप में भी ब्याज देना पड़ा । मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि निर्यातकों को जर्मनी के रूप में चुकाए गए ब्याज की आ चुका है । एक ऐसा कुछ दिनों तक निर्यातकों के संवर्धित लेखों में नहीं किया गया था ।

(2) सरकार ने निर्यातकों को विदेशी मुद्रा का 15 प्रतिशत अपने पास रखने की अनुमति दी थी । मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि निर्यातकों को

उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का 15 प्रतिशत की बजाय 30 प्रतिशत उनके अपने उपयोग के लिए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(3) मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि 15 प्रतिशत के विदेशी मुद्रा कर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इससे हवाला या अनाधिकृत विदेशी मुद्रा का संजाल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील आर्थिक उपायों का समर्थन करता हूं ।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"
[मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों को बन्द किए जाने की प्रक्रिया को रोकने में असफलता] (1)

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"
[व्यापार वार्ता संबंध में डंकेल प्रारूप को अस्वीकार करने में असफलता] (2)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं —

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"
[डंकेल प्रस्ताव को पूर्णत: अस्वीकार करने में असफलता] (3)

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"
[अमेरिका से गेहूं का आयात] (4)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"
[डंकेल प्रस्ताव, जो कि कृषि अनुसंधान तथा विदेश व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, को अस्वीकार करने की आवश्यकता] (13)

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"
[विलासिता की वस्तुओं तथा मशीनों के आयात को पूर्णत: रोके जाने की आवश्यकता] (14)

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"
[ऐसी वस्तुएं तथा मशीनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता, जो भारत बनाता है या बनाने की क्षमता रखता है] (15)

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"
[सूरत में आयात और निर्यात उप-मूल्य नियंत्रक का कार्यालय शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता] (20)

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[निर्यात नीति के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता] (26)

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[निर्यात नीति पर एक श्वेत-पत्र जारी करने की आवश्यकता] (27)

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[आयात-निर्यात नीति को लागू करने के लिए एक विशेष आश्वासन दिए जाने की आवश्यकता] (28)

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[निर्यातों में वृद्धि करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता] (29)

"कि वाणिज्य विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[देश की आयात और निर्यात नीति में कीमत पर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक दरों के अपनाए जाने की आवश्यकता] (30)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व बैंक ने अन्य देशों को अपनी व्यापार नीति में सुधार करने की सलाह दी है । अतः बजट में एक ही झटके में लगभग 2000 करोड़ रुपए, अर्थात् अपने राजकोष में लगभग 10 प्रतिशत की आयात शुल्क में कटौती कर दी गई है, और यह तो शुरूआत है । लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारे उद्योग इस सुधार के नाम पर इस गिरावट के सामने ठहर पाएंगे ?

राजा चेलिया रिपोर्ट से ऐसा संकेत मिला था कि आगामी दो या तीन वर्ष में सामान्य व्यापार में 50 प्रतिशत की कटौती होगी और 1999 तक इसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त कटौती होगी । अब हम यह देखें कि हमारी उद्योग की क्षमता कितनी है ? हमारे देश के कुल घरेलू उत्पादों के करीब चालीस प्रतिशत उत्पादों को बहुत ही उच्च संरक्षण मिलता है । वर्तमान में इन्हें 70 प्रतिशत के करीब संरक्षण दिया जाता है जबकि 56 प्रतिशत उत्पादों को मध्यम संरक्षण दिया जाता है । हमारे लगभग 33 प्रतिशत सकल निर्धारित पूंजी-निवेश उच्च संरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । अगर हम शीघ्रता से रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योगों को पुनर्गठित करने में सफल नहीं होते हैं तो हमारे लगभग 33 प्रतिशत उद्योग खतरे में पड़ जायेंगे ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में अगर हम आयात-निर्यात नीति का परीक्षण करें, तो आने वाले दिनों में जो कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ेगी, उसे समझ पायेंगे । जुलाई 1991 में पद-ग्रहण करने के बाद माननीय वाणिज्य मंत्री ने नई आयात-निर्यात नीति की रूपरेखा की घोषणा की थी। उन्होंने नकद क्षतिपूर्ति योजना को खत्म कर दिया और उच्च प्रीमियम के साथ एक्विज-स्क्रिप्स जिससे 30 प्रतिशत एफ.ओ.वी. के मूल्य तक एक्विज-स्क्रिप्स की सहायता से व्यापार किया जा सकता था उन्होंने अग्रिम लाइसेंस सूरत आयात-निर्यात व्यवस्था आदि की सहायता से व्यापार-प्रक्रिया को सरल बनाया । उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस नीति रूप-रेखा से भारत के कुल निर्यात में 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह वृद्धि डालर के सन्दर्भ में 9 प्रतिशत तक होगी यह सब उन्होंने पूर्वी यूरोपीय बाजार में व्याप्त संकट कालान्तर में सोवियत संघ और उस पूरे क्षेत्र का विघटन होने, विश्व-बाजार में अप्रत्याशित मंदी के दौर और घरेलू मुद्रास्फीति

की दर बहुत उच्च रहने के बावजूद किया । इन सबकी तस्वीर इनके सामने थी फिर भी इन्होंने निर्यात में 13 प्रतिशत की वृद्धि और डालर के संदर्भ में 9 प्रतिशत की घोषणा कर डाली । माननीय मंत्री ने कहा है कि विश्व व्यापार में भारत कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसकी उसमें सिर्फ 0.4 प्रतिशत की साझेदारी है । अतः हमारे व्यापार पर इन सब चीजों का अधिक असर नहीं पड़ेगा । इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन अवरुद्धपूर्ण घटनाओं के बावजूद ये इस उदारवादी व्यापार नीति की सहायता से 9 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद करते हैं ।

लेकिन इनका कार्य-निष्पादन कैसा रहा है ? पहली बार, वाणिज्य मंत्रालय के रिपोर्ट कुल निर्यात का उल्लेख नहीं हुआ है । इन्होंने जनता और देश को गुमराह करने के लिए चतुरतापूर्वक निर्यातों को जी. सी. ए. और आर. पी. ए. में बांट दिया है । इनका कहना है : "पूर्वी यूरोप में उत्पन्न गंभीर समस्याओं के कारण हमें व्यापार में गंभीर झटका लगा है । लेकिन इस प्रकार की बाधाओं के लक्षण जब आरम्भ में प्रकट होने लगे थे तब ये सो रहे थे । इन्होंने वैकल्पिक उपाय करने की पहल नहीं की । जब विपत्ति आ गई तब ये इसके पीछे शरण ले रहे हैं । इन्होंने उस समय क्यों नहीं सोचा कि कौन से कदम उठाने चाहिए और वे तत्काल इस संबंध में फैसला करने और बचावपूर्ण उपाय करने में चूक क्यों गए ? यह सब इन्हें अब बताना पड़ेगा ।

दूसरे, ये जी. सी. ए. निर्यात में डालर के संदर्भ में 6 प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं। लेकिन आर. पी. ए. निर्यात में 47 प्रतिशत से भी अधिक घाटा हो रहा है । अगर दोनों को मिलाकर देखें तो बहुत ज्यादा घाटा होगा । इस प्रकार, ये भ्रामक दलील देकर इस बात को क्यों छिपा रहे हैं ? छः प्रतिशत वृद्धि का आपका दावा भी गुमराह करने की एक कहानी है। क्या आप पांच वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े दे सकते हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी यह आंकड़े दें । रिपोर्ट में आपने कहा था कि वर्ष 1990-91 की अपेक्षा वर्ष 1991-92 में जी. सी. ए. में डालर के रूप में छः प्रतिशत की वृद्धि है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1989-90 की अपेक्षा वर्ष 1990-91 में अथवा वर्ष 1988-89 की अपेक्षा 1989-90 में जी. सी. ए. निर्यात की डालर के रूप में क्या दर थी । मेरी जानकारी के अनुसार पहले डालर के रूप में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि थी लेकिन अब आप छः प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं और एक महान उपलब्धि की बात कर रहे हैं । अतः यह आंकड़ों की हेराफेरी से गुमराह करने वाली बातें हैं । यह प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं ।

अब मैं मुख्य वस्तुओं के निर्यात का उल्लेख करूंगा । मणि, आभूषण तथा हीरे भारत के लिए प्रभावी निर्यात मदें हैं । लेकिन पिछले वर्ष डालर के रूप में इसकी वृद्धि दर भी कम ही हुई है । इन वस्तुओं को खरीदने वाले मुख्य देश अमरीका, जापान और पूर्वी देश हैं । इसलिए इन देशों में मंदी हमारी मणि तथा आभूषणों के निर्यात द्वारा कमाई में हानि होने के लिए जिम्मेवार है । चूंकि उन देशों में सुधार के कोई संकेत नहीं हैं इसलिए मुझे पूरी शंका है कि इन मदों के निर्यात में कोई अधिक वृद्धि नहीं होगी । यदि हम मुख्य निर्यात मदों द्वारा अधिक कमाई करने में असफल रहे तो हमारे व्यापार की कुल वृद्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है ।

भारत ने एक स्वतंत्र गणराज्य, संयुक्त राज्य अमरीका को अधूरे बने हुए जूते भेजने वाले मुख्य आपूर्तिकार के रूप में अपनी स्थिति को खो दिया है । वहां पर यह प्रचार किया जा रहा है कि भारतीय जूतों द्वारा उसके इस्तेमाल करने वाले को कैंसर होने का खतरा है । यदि इस स्थिति से अपने आपको न बचाया गया तो हम आगे भी बाजार में अपनी स्थिति को खो देंगे । श्री लंका को हमारे द्वारा चाय का निर्यात भी बंद हो गया है जिससे कमाई और भी कम हो गई है । यह कुछ गंभीर चिंता के मामले हैं ।

यहां पर फिर आपने एक बात छिपाई है । जैसा कि हमने मणि और आभूषणों के व्यापार में कमी देखी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जी. सी. ए. में छः प्रतिशत की वृद्धि के पीछे कृषि उत्पादों के निर्यात का योगदान है । आर्थिक समीक्षा में तथा अपनी रिपोर्ट में भी आपने कृषि उत्पादों में 'शून्य' वृद्धि तथा पिछले वर्ष उद्योग में -0.89 प्रतिशत की कमी का उल्लेख किया है । लेकिन कृषि में शून्य वृद्धि के बावजूद कृषि उत्पादों के निर्यात में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई थी ।

गंभीर सूखे के कारण वर्ष 1987-88 में कृषि विकास दर 0.89 प्रतिशत थी और वर्ष 1988-89 में 4 प्रतिशत थी । लेकिन इसके बावजूद यदि मैं ठीक कह रहा हूं तो कृषि उत्पादों का निर्यात कुल निर्यात के 15 से 24 प्रतिशत तक था । इसलिए उस वर्ष जी. सी. ए. निर्यात में डालर में आपकी वृद्धि आपके पारम्परिक निर्यात के कारण नहीं थी बल्कि कुछ सीमा तक कृषि उत्पादों के निर्यात के कारण थी । जब आप एक आम आदमी की आवश्यकताओं को नहीं समझते हैं और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की बजाय विदेशों में कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं जबकि आप अपने आन्तरिक बाजार में उसकी आपूर्ति करने में असफल हैं, तो यह भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मांग है । विकासशील पूंजीवादी देश यह चाहते हैं कि हम उन्हें निरन्तर कच्चे माल की आपूर्ति करते रहें । वे कुछ कृषि उत्पादों को लेंगे और हमें अपने औद्योगिक उत्पादों का आयात करने के लिए दबाव डालेंगे । संयुक्त राज्य अमरीका तथा पूर्वी देशों को हमें पिछड़ा हुआ रखने की यही नीति है और हम उस नीति पर गौर कर रहे हैं जोकि हमारे विकास लिए हानिकारक है । इसलिए आपकी व्यापार नीति गलत और कमजोर है ।

अब आपने अपनी नई व्यापार नीति तथा आयात-निर्यात नीति की घोषणा की है । हम समझते हैं कि लक्ष्य बदल गए हैं । अब आत्मनिर्भर होना आपका प्रमुख उद्देश्य नहीं है— अब इसे पांचवे स्थान पर रख दिया गया है और वह भी विदेशी व्यापार के लिए कार्य स्वरूप को दुबारा नियमित करने जैसी कुछ शर्तों के साथ । आत्मनिर्भर होना आपका प्रथम लक्ष्य नहीं है । यह आपका पांचवा उद्देश्य है ।

अब आप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भाषा बोल रहे हैं । आपका 'सार्वभौमिकीकरण', विश्व बाजार के साथ संबंध बनाना और बाजार मित्रता इत्यादि जैसे विषयों के प्रति आपका लगाव आपके दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रकट होता है । विदेशी एजेन्सियों, द्वारा बोली गई यह नई शब्दावली, डंकल तथा हिल्स आपके व्यापार के नए 'मंत्र' हैं । आप इस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं ।

अब प्रश्न यह है, कि सरकार ने अपनी पूर्व योजना को क्यों समाप्त कर दिया है । मैं कारण जानना चाहता हूं ।

काफी शोरगुल के साथ अपने आयात-निर्यात नियम की योजना घोषित की है। यहां तक कि सामान्य बजट पेश करने से तीन दिन पहले आपने परामर्शदात्री समिति की बैठक में बहुत जोर देकर कहा था कि आयात-निर्यात नियम बहुत सफल है और यह जारी रहेंगे। लेकिन तीन दिन के पश्चात् ही आपके वित्त मंत्री ने, उसे बजट से निकाल दिया। क्यों? आपने उसे इसलिए निकाला क्योंकि उससे इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। अब आपने आंशिक परिवर्तनीयता की घोषणा की है जो धीरे-धीरे पूर्णतः परिवर्तनीयता में बदल जाएगी और आपने नकारात्मक अथवा पुनःसंरचित आयात-निर्यात नीति की घोषणा की है। लेकिन आप यह उम्मीद कैसे करते हैं कि आपका निर्यात जी. सी. ए. में बढ़ जाएगा जबकि आपका एक मुख्य आयातक, अमरीका एक कठोर संरक्षण नीति लागू कर रहा है। उनकी नीति के कारण, मुख्य औद्योगिक देश भी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। अमरीका को कपड़े के निर्यात में भी आप निर्यात का पूरा लाभ कैसे उठाएंगे? अमरीका के चुनाव प्रचार में मुख्य मुद्दा अमरीका की अर्थव्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने का है। यहां तक कि जापान भी कपड़े के आयात पर रोक लगा रहा है। इसलिए आपकी उम्मीद काल्पनिक इच्छा पर आधारित है जो कि वर्ष के अंत में बेकार साबित हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष मानव विकास संबंधी रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए प्रकाशित एच. डी. आर. 1992 यह उल्लेख करता है कि जब विकासशील देश उदारता का तथा खुली अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो औद्योगिक देश अपनी आर्थिक नीतियों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। दस वर्ष पूर्व की अपेक्षा चौबीस ऐसे देशों में से बीस देश आज अधिक संरक्षित हैं। विकासशील देशों द्वारा सार्वभौमिक बाजार के अवसरों का खंडन करने के कारण, जो कि विदेशी सहायता राशि का दस गुणा है, रिपोर्ट में संभावित राशि का उल्लेख भी किया गया है।

इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सामरिक महत्व की व्यापार नीति क्या है। आप तदर्थता की ओर जा रहे हैं। जबकि अमरीका ने यह घोषित किया है कि उन्हें अपने निर्यात करने योग्य और आयात करने योग्य उत्पादों का तथा वर्तमान तथा संभावित बाजार का पता लगाना चाहिए तथा अपना व्यापार विस्तृत करने के लिए इन नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए तथा कठोर संरक्षण नियम लागू करने चाहिए, वे इसे अनुकूल व्यापार नीति कहते हैं। क्या इस संबंध में आपकी कोई नीति है? व्यापार को उदार बनाने की विचारधारा आपने अमरीका से ली है जबकि वे इसे समाप्त करके संरक्षणवाद को अपना रहे हैं।

इसलिए, आपका उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अनर्थकारी साबित होगा। भारत की अर्थ-व्यवस्था आयात प्रधान है। जब कभी भी आपने उदार दृष्टिकोण अपनाया है, आपको याद होगा कि नवें दशक में केवल आयात बढ़ा था और व्यापार घाटा बढ़ा था। अब प्रतिबंध हटाने की नीति से और नकारात्मक सूची को कम कर देने से आप हमारे बाजार में केवल विदेशी कचरे को ही इकट्ठा करेंगे और अंततः हमारा आयात बिल बढ़ जाएगा। हमारी सभी अपेक्षाएं झूठी साबित होंगी। पहले ही वाणिज्य सचिव कह चुके हैं कि माल जमा होने पर नियंत्रण करना आसान नहीं होगा। इसलिए हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं।

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप निर्यात के लिए आयात की बात कर रहे हैं। 'आयात को उदार बनाने के पीछे आपका एक मुख्य लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना है। लेकिन तथ्य अन्यथा कहते हैं। निजी क्षेत्र के आयात और निर्यात के बीच मामूली संबंध है। सीमाशुल्क कार्यालय की रिपोर्ट कहती है कि बड़े-बड़े आयातक भी विदेशी मुद्रा खोते हैं। दैनिक व्यापार रजिस्टर के आधार पर किया गया अध्ययन भी यह दर्शाता है कि प्रथम 4,455 आयातकों

में सिंघानिया, जे. के., टाटा, बिरला जैसे निजी क्षेत्र के 87 प्रतिशत भारतीय आयातक भी शामिल हैं। लेकिन निर्यात की सूची दर्शाती है कि छोटे-छोटे परचेणों का पूरे निर्यात में अधिक हिस्सा है। अनेक बड़ी कम्पनियां निर्यातकों की सूची में शामिल नहीं हैं। मुख्य निर्यात हीरा, कपड़ा, चमड़ा जैसे निम्न प्रौद्योगिक क्षेत्रों से होता है। मशीनरी का बहुत कम निर्यात होता है। यहां तक कि पटसन और कपड़ा भी अधिक मात्रा में निर्यात नहीं होता है। इसलिए निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयात को बढ़ाना तर्कसंगत प्रस्ताव नहीं है जैसा कि आप आज दलील दे रहे हैं। टाटा 85 प्रतिशत चमड़े का सामान निर्यात करते हैं न कि मशीनरी। इसके पश्चात् मोटरकार क्षेत्र को भी भारी आयात की अनुमति है, लेकिन उनका निर्यात कहां है? विद्युत उद्योग को भी भारी आयात करने की अनुमति है, जबकि उनका निर्यात न के बराबर है। वीडियोकान ने 88 करोड़ रुपए मूल्य के सामान का आयात किया है लेकिन उसने केवल 5.5 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया है। यह वास्तविकता है।

पिछले अनेक दशकों से हमारा देश केवल 70 प्रतिशत निर्यात कर सका है अथवा मारे आयात बिल से कम है।

विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी निरन्तर कम हो रही है। 1950 में भारत 16वां निर्यातक देश था लेकिन आज 43वें स्थान पर है। इससे पता चलता है कि हमारा आयात बिल सदैव ही हमारी निर्यात आय को खा जाता है जिसके कारण भारी व्यापार घाटा हो रहा है और भुगतान सन्तुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी तरफ आयात में तंगी को निर्यात में कमी का कारण माना जा रहा है जिसके कारण निर्यात-आय कम हो रही है और व्यापार घाटा हो रहा है। इस प्रकार अपनी व्यापार नीति के मामले में ही सरकार की गलत समझ के कारण यह कुचक्र सदैव कायम रहता है।

अब मैं खाद्य तेल के आयात को लेता हूं। हम अक्सर बहुत अधिक मात्रा में खाद्य तेल का आयात करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से तत्सम्बन्धी नीति जानना चाहता हूं। 1989-90 में हमने केवल 70,000 टन खाद्य तेल का आयात किया और इससे हमारी आवश्यकता पूरी हो गई। इसकी कमी से संबंधित कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन अधिकारियों का दावा है कि हमारे यहां एक मिलियन टन खाद्य तेल की कमी है। अगर ऐसा है तो हमने 1989 में कैसे किया था? इससे जाहिर होता है कि कमी को बढ़ाचढ़ा कर बताया गया है और इसका आन्तरिक बजार पर प्रभाव पड़ा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अनावश्यक खाद्य तेल आयात और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को हानि पहुंचाने में कुछ गड़बड़ है।

अवमूल्यन तथा आंशिक परिवर्तनीयता से और अधिक अवमूल्यन होगा। वित्त मंत्री ने चरणों में उदार मुद्रा दर व्यवस्था की घोषणा की है और आंशिक परिवर्तनीयता तो ऐसा कदम है जिससे अन्ततः पूर्ण परिवर्तनीयता हो जाएगी। लेकिन वास्तव में यह अवमूल्यन है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय स्थिति को स्पष्ट करें।

व्यापार और शुल्क संबंधी सामान्य समझौते के संबंध में सही नीति अपनाई जाए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि व्यापार और शुल्क संबंधी सामान्य समझौते पर कार्यवाही करते समय देश की आर्थिक सार्वभौमिकता को कायम रखा जाए और इसे विशेष रूप से व्यापार और शुल्क संबंधी सामान्य समझौते की वार्ता में विकसित पूंजीवादी देशों के सम्मुख समर्पित न किया जाए। वे किसी प्रकार भी ऐसा न करें जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय हित को खतरा हो।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि सरकार की नीति ठीक नीति नहीं है। यह अनेक मामलों में गुलत नीत का अनुपालन कर रही है। इसलिए मैं निर्यात-आयात नीति, व्यापार नीति तथा बजट प्रस्तावों का भी विरोध करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, इस वर्ष की विशेषता व्यापार नीति सुधार है। इस संबंध में यह प्रक्रिया संबंधी सुधार है जिसमें व्यापार प्रक्रियाओं, व्यवस्था का गैर-लाइसेंसीकरण करना तथा व्यापार प्रक्रिया पर पाबंदियां हटाना है और मुझे विश्वास है कि हम सभी इसका स्वागत करेंगे। इसलिए मैं स्वागत के शब्द से प्रारम्भ करता हूं।

मुझे सरकार द्वारा इस मामले पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का अभी भी इन्तजार है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट कब आ रही है।

मैं अपने कार्य क्षेत्र में व्यापार से सम्बद्ध रहा हूं। मैं विदेशों में वाणिज्यिक प्रतिनिधि रहा हूं। मैं कहूंगा कि जब अब अवमूल्यन और पुनःमूल्यन तथा पूरी व्यापार प्रक्रिया में परिवर्तन से निपट रहे हैं तब व्यापार आंकड़ों और सांख्यिकी में खेलना आसान होता है। एक तस्वीर बनाना और वास्तविकता से बहुत दूर एक भ्रम उत्पन्न करना बहुत आसान है। लेकिन मैं इस तथ्य के प्रति भी सजग हूं कि विश्व स्तर पर अनेक परिवर्तन हुए हैं और इस पर नियंत्रण करना निश्चित रूप से वाणिज्य मंत्री के सामर्थ्य में नहीं है। इसलिए भारतीय व्यापार पर इसके विपरीत प्रभाव के लिए निश्चित रूप से मैं मंत्री महोदय को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि वह यथासंभव सतर्कतापूर्वक हमारे हितों की रक्षा करेंगे।

मुझे आशा है कि हम जिस उदारीकरण का उल्लेख कर रहे हैं उसके तहत भारत गैर-आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और दूसरे दर्जे की वस्तुओं का भण्डारण स्थल नहीं बनेगा। मुझे विश्वास है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गुणवत्ता बनी रहे तथा विशेष आयात की जरूरत पर कुछ हद तक नियन्त्रण जारी रहे।

हमने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मैं निर्यात के लिए किसी राजसहायता देने का पक्षधर नहीं हूं। मैं इस तथ्य के प्रति पूर्णतः सजग हूं कि किस प्रकार से निर्यात पर राजसहायता का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन मैं निश्चित रूप से ऐसे प्रावधान का तर्क दूंगा कि निर्यातकों को हर मामले में बैंकिंग प्रणाली का पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए और वाणिज्य मंत्रालय का कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि निर्यातक को उचित ऋण सुविधा मिले और ऐसा सिर्फ उनके लिए नहीं है जो इस क्षेत्र में सुस्थापित हैं बल्कि उनके लिए भी हो जो इसमें प्रवेश का प्रयास कर रहे हैं। वह अपने साथी वित्त मंत्री को आवश्यक कार्यवाही के लिए बाध्य कर सकते हैं।

एक और मुद्दा है जिस पर उन्हें वित्त मंत्री से बात करने की आवश्यकता है और वह है निर्यात शुल्क का प्रश्न। मुझे बताया गया है कि निर्यात शुल्क में वृद्धि के कारण अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारी निर्यात क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं इस मुद्दे पर विस्तार से कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री वित्त मंत्रालय से परामर्श करके शुल्क वृद्धि के प्रत्येक मामले की समीक्षा करें और देखें कि विश्व बाजार में हमारी स्पर्धा पर निर्यात शुल्क लगने के कारण बुरा प्रभाव न पड़े।

व्यापार को उदार बनाने से एक और संभावना भी उत्पन्न होती है । व्यापार में अनेक खामियां हैं । ये खामियां सदैव ही रही हैं । व्यापार धोखेबाजों का एक परम्परागत क्रीडास्थल रहा है । मैं निर्यात के बीजक को कम करके दिखलाने और आयात के मूल्य को अधिक करके दिखलाने की प्रणाली को जानता हूं । मुझे आशा है कि इस मामले पर माननीय मंत्री सजग रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम स्तर पर या भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आयात या निर्यात के किसी भी व्यापार करार में कम करके बीजक न दर्शाया जाए और न ही मूल्य को अधिक करके दिखाया जाए ।

मैं गैर-सारणीबद्ध करने का भी स्वागत करता हूं विशेषकर ऐसे मदों के निर्यात में जो वास्तव में उपभोक्ता वस्तुएं नहीं हैं । मैं सदैव ही अचरज करता था कि अखबारी कागज का सरणीकरण क्यों किया गया । अगर देश के अंदर ही अच्छी गुणवत्ता का तथा पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज उपलब्ध होगा तो इससे स्वत: ही बाजार पर नियंत्रण होगा । मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस होता है कि सरणीकरण तथा मूल्य नियंत्रित करने के बार-बार किए गए यत्नों के बावजूद वास्तव में बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और आज देश में अखबारी कागज का मूल्य उतना ही अधिक है जितना कि एक वर्ष पूर्व था ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि उदारीकरण के इन उपायों का लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं विशेषकर यह लाभ न ले रहे छोटे उपभोक्ता को मिले ।

डी. जी. सी. आई. एस. की सांख्यिकी व्यवस्था के बारे में एक बात और है । मुझे यह जानकर खुशी है कि इस व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है । एक समय मैं यह मानता था कि अगर भारत सरकार में किसी विभाग को एकदम से समाप्त करने की आवश्यकता है तो वह वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी संबंधी महानिदेशालय है । आपको उनसे जो रिपोर्ट मिलती थी इनमें कम से कम एक या दो वर्ष की देरी होती थी । इसलिए संभवत: ऐतिहासिक उद्देश्य के अलावा उनसे कोई अन्य उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा । इसलिए मुझे आशा है कि एक बार एनको कम्प्यूटरीकृत कर देने से विदेश व्यापार के आंकड़े मंत्रालय, शिक्षाविदों तथा व्यापार और जनता को कम से कम महीनेवार उपलब्ध हो सकेंगे और किसी भी अवस्था में दो महीने से अधिक की देरी नहीं होगी ।

महोदय, वाणिज्य मंत्रालय को एक माननीय साथी द्वारा अभी बताए गए एक तथ्य पर विचार करना है । विश्व व्यापार में हमारा स्थान क्यों गिरता जा रहा है ? इसका यह अर्थ है कि विश्व व्यापार के विस्तार के अनुरूप हमारा व्यापार नहीं बढ़ रहा । वास्तव में एक बार, संभवत: मुझे आंकड़ा याद है, भारतीय व्यापार लगभग एक प्रतिशत होता था । तब एक समय आया जब यह 0.5 प्रतिशत रह गया । मेरे विचार से अब यह कुछ वर्षों में 0.3 प्रतिशत ही रह गया है ।

सभापति महोदय : कितना ? क्या यह 0.2 प्रतिशत है ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह कुल विश्व व्यापार का 0.3 प्रतिशत है । मेरे विचार से यह अब 0.3 प्रतिशत है ।

सभापति महोदय : मैं केवल जानकारी के लिए पूछ रहा हूं ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरी जानकारी के अनुसार यह कुल विश्व व्यापार का लगभग 0.3 प्रतिशत है। इसलिए यह चिंता का विषय है। इस चिंता के एक से अधिक कारण हैं, एक महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि जो देश कुल विश्व व्यापार का केवल 0.5 या 0.3 प्रतिशत व्यापार ही करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं पर कोई सार्थक प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है। इससे हमारा महत्व कम होता है। इससे विश्व मामलों में हमारी संभावित भूमिका कम होती है जो कि हम कुछ समय से अदा करते रहे हैं।

मैं यहां पर एक और पहलू का बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। हम क्या निर्यात करते हैं? आंकड़े हैं। आपको ये आंकड़े बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन हम कृषि उत्पाद निर्यात करते हैं; हम अयस्क और खनिज जैसे पुनः प्राप्त न होने वाले कच्चे माल का निर्यात करते हैं; हम अर्ध विनिर्मित तथा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करते हैं। ऐसी स्थिति में हमने अपेक्षा की थी कि हमारे विनिर्मित तथा अर्द्ध विनर्मित वस्तुओं के निर्यात का हिस्सा निरन्तर बढ़ता रहेगा। दुर्भाग्य से, हाल ही में इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसका यह अर्थ है कि औपनिवेशिक अवधि व्यापार की औपनिवेशिक पद्धति की ओर रुख हुआ है अर्थात् भारत पुनः उस काल में जा रहा है जब विश्व व्यापार में हमारी मुख्य भूमिका कच्चा माल और मुख्य वस्तुओं के पूर्तिकर्ता की होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से इसकी प्रतिवर्ष जांच होनी चाहिए और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे व्यापार में अर्द्ध-विनिर्मित तथा विनिर्मित वस्तुओं का अंश हमारा व्यापार बढ़ने के साथ-साथ कम न हो।

फिर, व्यापार में अंतर की समस्या है। माननीय मंत्री हमें सूचना की प्रणाली को रुपया अदायगी क्षेत्र और सामान्य मुद्रा क्षेत्र में बांटने के कारणों के बारे में स्पष्ट करेंगे। वह इस विषय को स्पष्ट करें। मैं वस्तु-विनिमय व्यापार द्वारा उत्पन्न विशेष समस्या को जानता हूं अथवा इसे रुपए द्वारा व्यापार भी कहा गया है और यह समाप्त हो चुका है। निःसंदेह हाल ही में सरकार ने यह व्यापार पुनः शुरू करने के लिए कदम उठाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह उस स्तर तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि इन विशेष समस्याओं के साथ-साथ विशेष सुविधाएं भी थीं। मुझे विश्वास नहीं है कि हमें ये विशेष सुविधाएं अभी भी मिलती रहेंगी। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें यह बताएं कि रुपया भुगतान क्षेत्र से सामान्य मुद्रा क्षेत्र में जाने के बारे में उनके क्या विचार हैं।

मुझे इस सभा में उनका दिया स्पष्टीकरण पूर्णतः याद है कि आयात कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि आयात को कम करने की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि यदि हम अपना आयात बिल देखें तब हम पाएंगे कि कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी भुगतान किया जाता है वह हमें करना होता है। हमें अपनी व्यापार नीति इस प्रकार बनानी होगी कि जिन वस्तुओं को हम निर्यात कर सकते हैं और जिन देशों को हम निर्यात कर सकते हैं उस ओर विशेष ध्यान दें। इसका अर्थ यह है कि हमें उन मदों की क्षमता का मदवार विश्लेषण करना होगा, जिनका निर्यात कम हो गया है और हमें उन बाजारों का भी विश्लेषण करना होगा, जहां हमारा निर्यात कम हो गया है। उन मदों के निर्यात और उन निर्यात बाजारों में हमारे अंश में गिरावट के कारणों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। हमें तत्काल ऐसा कुछ करना होगा कि यह प्रवृत्ति हमारे पक्ष में हो जाए।

मैं अपने देश के व्यापार की वर्तमान दिशा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमने तृतीय विश्व के साथ सहानुभूति दर्शाने तथा हमारे दक्षिण-एशिया के पड़ौसी देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए केवल दिखावटी कार्य किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम आंकड़े देखते हैं तब हम पाते हैं कि हम पुराने तरीके को ही अपना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री अपनी रिपोर्ट में हमें स्पष्ट रूप से यह बताएं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों के साथ हमारा व्यापार कैसा चल रहा है। तृतीय विश्व, जिसका हम स्वयं एक हिस्सा हैं, जिसके हित हमारे हित हैं उन देशों के साथ हमारा व्यापार कैसा है। हम दक्षिण-दक्षिण सहयोग की बात करते हैं हमने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन मेरा यह कहना है कि दक्षिण, हमारे पड़ौसी देशों के साथ हमारा व्यापार बहुत कम है। इसके कुछ कारण होंगे। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सार्क क्षेत्र, दक्षिण एशिया व दक्षिण के देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए इस मुद्दे पर विचार किया है, इस ओर पूर्ण ध्यान दिया है।

अब मैं व्यापार की शर्तों के संबंध में कुछ बताता हूं। मुझे रिपोर्ट के पृष्ठ 124 पर दिया गया चार्ट समझ नहीं आया है जिसमें एकक मूल्य के बारे में बताया जाना था लेकिन कुल मूल्य दिया गया है। निर्यात के एकक मूल्य के बारे में बताया जाना चाहिए। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि मुद्रा में कितना भी उतार-चढ़ाव हो, वास्तविक एकक मूल्य में कमी न आए। उस चार्ट में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हमारे आयात का इकाई मूल्य न बढ़े, अर्थात् जो देश हमारे व्यापार सहयोगी हैं और जो भारत को वस्तुएं निर्यात करते हैं, जिनके लिए हमने सभी दरवाजे खोल दिए हैं, वे हमें गुमराह नहीं कर पाए और उन मदों के मूल्य आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ आपसी समझौता होने के बावजूद भी इकाई लागत नहीं बढ़ जाए। अतः हमें इस प्रकार के एकाधिकार को रोकना है। इन दोनों मुद्दों के बारे में रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री के उत्तर में यह बात स्पष्ट होगी कि निर्यात का इकाई मूल्य क्या है चाहे निर्यात की मुख्य मदों का यह मूल्य बढ़ रहा है या कम हो रहा है और आयात की मुख्य मदों की इकाई लागत कितनी है।

मैं और एक-दो बातें कहना चाहता हूं। संयुक्त-उद्यमों के बारे में कहा गया है। विदेशों में ऐसे 245 एकक हैं जिनमें से 161 चल रहे हैं और 84 कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हमें यह नहीं बताया गया है कि चालू वर्ष के दौरान कितने कार्य करना शुरू कर देंगे, कितनों को शुरू किया जाएगा, वर्ष 1991-92 में कितने नए प्रस्ताव रखे गए थे और कितने पुराने प्रस्ताव थे जो 1991-92 में क्रियान्वित किए गए। उन 161 एककों की स्थिति के बारे में भी नहीं बताया गया है कि वे कितना धन अर्जित कर रहे हैं, इन एककों में हमने कितना निवेश किया है, हमारी कुल वार्षिक आय कितनी है और उससे देश को कितना लाभ और लाभांश मिलता है ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें इस बारे में बताएं।

इसी प्रकार परियोजना रिपोर्ट और सलाहकार सेवाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। हम सबके लिए एक ही जानकारी पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। हमें वर्ष दर वर्ष अपने कार्य का औचित्य बताना होगा और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हर वर्ष नए प्रयास करने होंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं 'गेट' वार्ता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने हस्ताक्षर करने से पहले सभा को जो आश्वासन दिया था उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमने मूल मुद्दों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था। मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमें प्रत्येक मुद्दे को एक-दूसरे से नहीं जोड़ना चाहिए ताकि प्रति प्रत्याक्रमण उपाय समाप्त हो सके। व्यापार, पेटेंट और निवेश का अपना तरीका है। यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सार्वभौमिक उदारीकरण के लिए कहता है तब हमें उससे यह पूछने का अधिकार है कि प्रौद्योगिकी और श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए उदारीकरण की नीति क्यों न अपनाई जाए। आर्थिक क्रियाकलापों में कच्चे माल, पूंजी प्रौद्योगिकी और श्रम शक्ति का उपयोग होता है। वे बहुत चालाक हैं। जो वस्तु वे निर्यात करना चाहते हैं उसके लिए वह कह देते हैं कि "अपने दरवाजे खोल दो" और जब हम विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं तब वे गैर-उदारीकरण की नीति अपना लेते हैं। सभापति महोदय क्या यह उचित है? अतः हमारे तर्क बहुत स्पष्ट होने चाहिएं, या तो आप इन सभी पहलुओं को एक-दूसरे से अलग कर लें या फिर ऐसी नीति अपनाएं जिसमें सब कुछ मुक्त हो। यदि पूंजी प्रदान करना इससे मुक्त है तब श्रम शक्ति और प्रौद्योगिकी को भी इससे मुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें 'अंकटाड' और 'ग्रुप 77' में हुई चर्चा के बारे में कुछ बताएं। यह हमारी आर्थिक कूटनीति के स्तंभ हैं। इन्हीं के माध्यम से हम शेष तृतीय विश्व के लिए सामूहिक मंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसा समय आ गया है कि हम 'अंकटाड' और 'ग्रुप 77' को अधिक गंभीरता से लें और बहुमत बनाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए डंकल मसौदे के बारे में पूरे तृतीय विश्व को एक आवाज से बोलना चाहिए कि हमारी आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रखने के लिए इसे लागू नहीं किया जाएगा।

चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि रहा हूं और मैं जानता हूं कि हमारे व्यापार मिशन उपयोगी भूमिका निभाते हैं। मैं आशा करता हूं कि स्थिति को आवश्यकतानुसार माननीय मंत्री समय-समय पर उनकी स्थिति और शक्ति की समीक्षा करेंगे। इस देश को जिसे अधिक प्रभावी, संसाधनपूर्ण, मितव्ययी और व्यापार सेवा की आवश्यकता है उसके लिए विदेश मंत्री के साथ मंत्री महोदय द्वारा बातचीत करने के लिए संसद उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है।

मुझे खेद है कि जिन मुद्दों का मैंने उल्लेख किया है उनका इस रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि मैं व्यापार संबंधों के प्रभारी माननीय मंत्री का सम्मान करता हूं लेकिन इस रिपोर्ट को देखते हुए मेरे पास अनुदान मांगों का विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। व्यापार नीति सुधार जो तीन विवरणों के रूप में दिए गए हैं—जुलाई, अगस्त और वर्तमान अप्रैल का विवरण—यह नई आर्थिक नीति का अभिन्न अंग है। इस नीति में अंतर्मुखी आयात नीति के स्थान पर बाह्यमुखी निर्यात नीति अपनाई गई है। निर्यात को बढ़ावा देने की नीति अपनाई जाएगी।

व्यापार नीति का उदारीकरण कर दिया गया है और प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर दिया गया है। अब नीति संबंधी नियमों के केवल सौ पृष्ठ हैं जबकि पहले आयात और

निर्यात नियमों के तीन या चार बड़े-बड़े संस्करण होते थे । अब यह बहुत साधारण दस्तावेज बन गया है । इसका सभी ने दलगत नीति से ऊपर उठकर स्वागत किया है ।

यह दीर्घकालिक नीति है । यह पांच वर्ष तक रहेगी । हमने विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के रूप में नया विधान बनाया है जो आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का स्थान लेगा । अब मुद्दे बदल गए हैं । अब विदेशी व्यापार के विकास पर बल दिया जा रहा है न कि व्यापार नियंत्रण पर ।

नीति में अनेक नई बातें हैं । केवल कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुएं आयात की जा सकती हैं । विशेषरूप से पुरानी पूंजीगत वस्तुओं सहित पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना अब आसान हो गया है । निर्यातकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं । शुल्क छूट योजना और अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत आयात को सुदृढ़ किया गया है । यह भी आश्वासन दिया गया है कि नीति में कम परिवर्तन किए जाएंगे । यह भी आश्वासन दिया गया है कि अधिसूचनाओं का तिमाही ब्यौरा दिया जाएगा, न कि पहले की तरह सैकड़ों अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी ।

पहले पर्याप्त असरणीकरण किया गया था और अब उस पद्धति को छोड़ दिया गया है । पिछले दो वर्षों में, पिछली सरकार के समय से ही, नए मुद्दे लाए गए हैं और यह सरकार उन्हें मूर्त कर रही है । नए व्यापार बोर्ड को पुनर्गठित किया गया है ।

5.00 म. प.

व्यापार और निवेश सम्बन्धित मामलों के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति है जो व्यापार सम्बन्धी सभी मामलों को देख रही है । हमने अन्तर्राष्ट्रीय सुमेलित व्यापार वर्गीकरण को पूर्ण रूप से अपना लिया है जिससे हमें विश्व अर्थव्यवस्था में अपने आप को एकीकृत करने में मदद मिलती है ।

विगत वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा से यह मालूम होता है कि व्यापार अन्तर में कमी मूल्य रूप से आयात पर अत्यधिक दबाव के कारण हुई है । इस सरकार के आने के पश्चात् आयात पर दबाव 25 प्रतिशत था । जब हम आर. पी. ए. क्षेत्र के साथ पूर्ण रूप से व्यापार सम्बन्धी विच्छेद पर विचार करते हैं तो यह तथ्य कि व्यापार अन्तर में कमी आयी थी, उल्लेखनीय है । आर. पी. ए. क्षेत्र के निर्यात में 42 प्रतिशत की गिरावट आयी थी । अनेको लोगों ने सोचा कि सी. जी. ए. क्षेत्र को किए जाने वाले निर्यात में कोई वृद्धि नहीं होगी । लेकिन सी. जी. ए. क्षेत्र के निर्यात में वृद्धि हुई यद्यपि यह वृद्धि 6 प्रतिशत ही हुई । यह आंकड़ा बहुत अधिक नहीं है लेकिन इस बात के संकेत मिले हैं कि आने वाले वर्षों में इसमें बहुत अधिक वृद्धि होगी । आयात पर अत्यधिक दबाव के कारण हमें इसका मूल्य चुकाना पड़ा था और यह मूल्य औद्योगिक विकास की दर में कमी के रूप में चुकाना पड़ा था । वास्तव में यह शून्य प्रतिशत हो गया था । अप्रैल 1990 से जनवरी 1991 के दौरान 1.62 बिलियन डालर की तुलना में व्यापार अन्तर अब 1.5 बिलियन डालर हो गया है । इस सरकार के सत्ता में आने से पूर्व पिछले दो वर्षों से व्याप्त अस्तव्यस्त आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की दृष्टि में इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानना होगा । व्यापार और आर्थिक नीति सम्बन्धी सबसे प्रमुख सुधार निर्यात राज सहायता को समाप्त करना है और उसके स्थान पर 'एक्जिम स्क्रीप' को लाना है जो कि अब स्वयं आगे रुपए को आंशिक

रूप से परिवर्तनीय करने की प्रणाली में बदल चुका है । उदारीवादी विनिमय दर व्यवस्था वास्तव में एक दोहरी विनिमय दर प्रणाली है जिससे कि अन्ततः रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता हो जाएगी । यह योजना स्वतः संतुलित है क्योंकि निर्यात के आधार पर आयात का भुगतान और इसे नियमित किया जाना है ।

पहली बार निर्यात के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया है । विश्व दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए, हमारी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तथा औद्योगिक लाइसेंसीकरण की प्राचीन व्यवस्था द्वारा बनाए गए संरक्षित एकाधिकृत बाजार के पहले वाले समय की तुलना में अत्यधिक प्रतिस्पर्धापूर्ण विश्व बाजार में मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं ।

''एक्विज स्कीप'' में एक बहुत बड़ा दोष है । यह विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय श्रमिकों के सेवा सम्बन्धी छूट में, पर्यटन आय में तथा परामर्श सम्बन्धी आय में व्यापार को शामिल नहीं करता है । आंशिक परिवर्तनीयता की प्रणाली में अब उसे शामिल कर लिया गया है ।

निर्यातकों में आंशिक परिवर्तनीयता के मुद्दे को ले कर कुछ आशंका व्याप्त है । कुछ लोगों ने यह समझा कि ''एक्विज स्कीप'' की प्रणाली को लगभग एक वर्ष तक चलने दिया जाना चाहिए । इस पी. सी. आर. प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि यह विदेशी निवेश किए जाने में सबसे बडी अड़चन को दूर करता है ।

8.03 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह विश्व समुदाय और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने में भारत की गंभीरता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को संकेत देता है ।

पी. सी. आर. मुद्दे के सम्बन्ध में मेरी एक सलाह है । अगस्त, 1991 के व्यापार नीति सम्बन्धी वक्तव्य, जिसके द्वारा एक्विज व्यवस्था लागू की गयी थी, में यह स्वीकार किया गया कि कुछ श्रेणियों की वस्तुओं को अतिरिक्त 'एक्विज' के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता है और ये वस्तुएं समुद्री उत्पाद, कृषि संबंधी वस्तुएं, इलेक्ट्रानिक के सामान, औषधियां, तथा उच्च प्रौद्योगिकी इंजिनियरिंग की वस्तुयें हैं । इन मदों की पात्रता 40 प्रतिशत पर 10 प्रतिशत अधिक थी । पी. सी. आर. की व्यवस्था इस भेदभाव को बिल्कुल समाप्त कर देती है । यदि अगस्त में हमने यह विचार किया है कि इन वस्तुओं के लिए अधिक पात्रता की आवश्यकता थी तो आगामी वर्ष अप्रैल में कैसे हम यह नहीं सोच- सकते हैं कि यह आवश्यक है ? मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इन वस्तुओं के निर्यात के लिए अवरोधन राशि को 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दिया जाए ।

अपने निर्यात को विश्वव्यापी बनाने तथा बढ़ाने के लिए हमें मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना है । मूलभूत सुविधाओं में हमें अपनी बन्दरगाहों के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना है । बन्दरगाहों पर अत्यधिक भीड़ होती है । उनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है । हमने कुछ कदम उठाए हैं लेकिन हमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है । बन्दरगाहों पर जहाज अत्यधिक समय तक लगभग दो से तीन सप्ताह तक खड़े रहते हैं । हमें माल लादने की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी । हमें अपने गोदामों में सुधार करना

होगा। हमें विपणन विकास और विदेशों में बाजार के सर्वेक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा और हमें निर्यात पैकिंग के सुधार तथा भारत और विदेशों में प्रदर्शनी लगाने की तकनीक पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण तथा व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा अच्छे ढंग से कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। दिल्ली में प्रदर्शनी लगाने के लिए भारतीय व्यापार प्राधिकरण के पास प्रगति मैदान में बहुत ही अच्छा परिसर है। इसी प्रकार के एक परिसर की आवश्यकता मुंबई में है, जो कि भारत की औद्योगिक और वित्तीय राजधानी है तथा दक्षिण भारत में बंगलोर में इसी प्रकार के एक अन्य परिसर की आवश्यकता है।

निर्यात पैकिंग बनाने के लिए इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग द्वारा अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है। उत्तर भारत, विशेष कर दिल्ली में आई. आई. पी. की शाखा खोलने की आवश्यकता है।

पूर्व के वक्ता ने आंकड़े एकत्रित किए जाने के संबंध में बहुत कुछ कहा है। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। आज की तीव्रगामी अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी एकत्रिकरण तथा व्यापार संबंधी आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी. जी. सी. आई. एस. द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले आंकड़ों में काफी भिन्नता है। यदि इनमें थोड़ी बहुत भिन्नता हो जो कि आंकड़े संबंधी मदों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण होता है, तो इसे माना जा सकता है। लेकिन यह भिन्नता तो तेजी से बढ़ती जा रही है। इस पर ध्यान देना होगा। विभिन्न क्षेत्रों के व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों की प्राप्ति में विलम्ब चिन्ता का एक अन्य विषय है। व्यापार सम्बन्धी मासिक विवरण की प्राप्ति में अभी भी 30 दिन लगते हैं। वस्तुओं और देशों के ब्यौरे प्राप्त होने में 9 सप्ताह तथा इनके विस्तृत विवरण प्राप्त होने में आठ महीने से एक वर्ष तक का समय लगता है। दैनिक व्यापार विवरणी कम्प्यूटरीकृत होते हैं लेकिन सभी प्रमुख सीमा शुल्क पत्तनों की एक कम्प्यूटरीकृत डेटा नेटवर्क द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि कलकत्ता में तुरन्त ही जानकारी प्राप्त हो सके। मैं जानता हूं कि कलकत्ता में एक वृहद कम्प्यूटर लगाया जा रहा है लेकिन सीमाशुल्क के छोटे कामले, ई. पी. जेड. तथा अन्य का भी कम्प्यूटरीकरण किए जाने की आवश्यकता है ताकि इन डी. टी. आर. आंकड़ों से सम्बन्धित टंपो के प्रेषण को टाला जा सके और यह वास्तव में अधुनिक प्रणाली बन जाए।

जहां तक व्यापारिक गुटों का संबंध है, भारत को अपने ही व्यापारिक गुट बनाने के लिए प्रयास करना होगा। हम 'साक' देश के सदस्य हैं। हमें 'साक' क्षेत्रों के भीतर भी सामान्य बाजार जैसी कुछ व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। मैं जानता हूं कि इसमें कठिनाई है। हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे मध्य राजनीतिक मतभेद हैं लेकिन हमें अपने पड़ोसियों के साथ राजनीतिक मतभेद दूर करने होंगे तथा एक क्षेत्रीय गुट, एक प्रकार का सामान्य बाजार बनाने का प्रयास करना होगा। पहले कदम के रूप में हमें संयुक्त उद्यम लगाने, प्रतिव्यापार की संभावनाओं का पता लगाना होगा और पाकिस्तान और बंगलादेश समेत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध बनाने होंगे। दक्षिण—दक्षिण व्यापार को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

सरकार को बड़े पैमाने पर प्रतिव्यापार करना चाहिए। आज 20 से 25 प्रतिशत विश्व व्यापार प्रतिव्यापार के रूप में होते हैं। यह एक अति विशिष्ट क्षेत्र है जिसके लिए विशेषज्ञ हमारे साथ नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हमें प्रतिव्यापार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक विशिष्ट एजेन्सी तैयार करनी होगी। सरकार पश्चिमी देशों की प्रमुख प्रतिव्यापार एजेन्सियों के साथ मिल कर कार्य करने की संभावनाओं का पता लगा सकती है। गैरपरम्परागत मदों को नए बाजार में आगे बढ़ाने और इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इसका पता लगाना होगा।

अत्यधिक सामान इकट्ठा हो जाने का भय है। हमें इससे स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी जिस बारे में हमारे सीमा शुल्क कानून में प्रावधान है। नए तथा दोष रहित विधान लाने पर विचार करना होगा।

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि एक राष्ट्र के रूप में विश्व व्यापार में हमारा प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा है। आज हमारा कुल व्यापार 0.5 प्रतिशत से भी कम है। विश्व शक्ति गुट आर्थिक व्यापार गुट पर ही आधारित है। व्यापार के कोटे शुल्क सम्बन्धी अवरोध, प्रतिकार करना, मन्दी, प्रतिकर तथा स्वैच्छिक नियंत्रण आज विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने के शस्त्र बन गए हैं। भारत या तो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ-साथ चलने की बात चुन सकता है या फिर हम अपनी अर्थव्यवस्था को अलग रखने, अपने आपको अलग रखने का निर्णय ले सकते हैं। विनम्रतापूर्वक मैं यह अनुरोध करूंगा कि विश्व अर्थव्यवस्था से परे रहना और अपनी अलग अर्थव्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। सूचना क्रान्ति, जो पूरे विश्व में फैल रही है, ने विश्व को एक सार्वभौमिक ग्राम का रूप दे दिया है और जैसा कि एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह टिप्पणी की थी कि इस सार्वभौमिक ग्राम में हम कहां अपने को छिपा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका अब मुक्त व्यापार की नहीं बल्कि उचित व्यापार की बात कर रहा है। उचित व्यापार का अर्थ भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्न है। संयुक्त राज्य अमरीका आज अकेला ही सैनिक दृष्टि से सर्वशक्तिशाली राष्ट्र है और अपने 400 बिलियन के व्यापार सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए इस एक ध्रुवीय वास्तविकता का उपयोग कर रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका तथा पूंजीवादी वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थायें भारत समेत तीसरे विश्व के देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे व्यापार की उनकी शर्तों को मान लें।

अपने हितों की रक्षा करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत करें तथा सकारात्मक व्यापार संतुलन बनाएं। यह सिर्फ निर्यात को बढ़ा कर ही किया जा सकता है न कि आयात पर दबाव डाल कर।

दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों में कृषि संबंधी अत्यधिक राज सहायता तथा वस्तुओं के घटते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात ही मात्र एक तरीका रह गया है।

यह ऋण बनाम लाभांश का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें विदेशी निवेश के रूप में लाभांश प्राप्त करना चाह रहे हैं और यदि हम विदेशी निवेश आमंत्रित करना चाहते हैं, बाजार में विदेशी तकनीकी लगाना चाहते हैं जो कि विदेशी निवेश के जरिए ही आएगी तो ये कदम बहुत ही आवश्यक है।

निष्कर्षतः व्यापार नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं : विदेशी व्यापार को विश्वव्यापी बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करना; अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करना; प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने तथा नियंत्रण कम करना । इस नीति द्वारा ये सभी उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं । हमें यह याद रखना चाहिए कि उदारीकरण की नीति आवश्यक है परन्तु विकास के लिए पर्याप्त नहीं है । इन उदार नीतियों को कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता है ।

अवसंरचनात्मक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार की नीतियों का समर्थन करता हूं और सभा से इन मांगों की सिफारिश करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, अभी वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर हम लोग बहस कर रहे हैं । अभी सरकार की ओर से और प्रचार माध्यमों से देश के अखबारों में मुख्यतः सरकारी दल, हमारे मुख्य विरोधी दल की ओर से भी यह आवाज आ रही है कि विदेश व्यापार में, आयात-निर्यात में उदार बनने की आवश्यकता है । अपने देश को विश्व अर्थ व्यवस्था, विश्व व्यापार व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाना है जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा—हम एक टाप बनकर न रह जाएं, ये सभी बातें अपने आप में कहीं न कहीं सही हैं । आज तक आजादी के बाद से यह बात कभी नहीं उठी कि हमारा देश एक व्यापारिक द्वीप बनकर रह जाए, दुनिया से अलग रह जाए, विश्व का हिस्सा न रहे । हमारी कुछ वास्तविकताएं हैं और उन कुछ मौलिक बातों पर वाणिज्य मंत्रालय और भारत सरकार को कुछ नीतिगत निर्णय करने हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, नीतिगत निर्णय करने में जो हमारे देश की स्थिति है, आज हम वह भारत नहीं, विकासशील हैं, मगर सिर्फ विकासशील नहीं हैं, अगर पूर्ण विकसित नहीं हैं, तो हम अर्ध विकसित देशों की श्रेणी में हैं । ऐसी हालत में विदेश-व्यापार हमारा इस क्षेत्र में साधक या बाधक हो सकता है। हमारी नीति के चलते, हम कौन सी नीति अपनाएं हमारे देश के औद्योगिक विकास में, हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन करने में साधन हों और वे कौन सी नीति होंगी, जो विश्व बाजार में आज जो संकट है, वह दूर हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ही अमरीका की वाणिज्य प्रतिनिधि कार्ला हिल्स ने जापान में, जापान के साथ अपनी लड़ाई को, शब्दों में, अलकर ऐलान किया है और जापान को उसने चेतावनी के शब्दों में, धमकी के शब्दों में कहा है कि जापान भी अपना बाजार खोले । जापान भी विदेशी मालों के लिए अपने उपभोक्ताओं को, जापानी उपभोक्ताओं की रुचि और स्वाद के लिए, उनको भी अवसर दे । तो अमरीका और जापान के लिए जब यह संकट पैदा हो रहा है, जहां अमरीका के राष्ट्रपति बुश ने जाकर अपील की और अपील जब सफल नहीं हुई, तो वे चेहरेबंद होकर गिर पड़े ।

वैसी हालत में एक तरफा बातें उठ रही हैं कि दरवाजा खोलो । दरवाजा भारत का बन्द कब था । जो दरवाजा खोलने की बातें हैं, ये कुछ ऐसी अलग की घंटी बजा रहे हैं । कहीं ऐसा न हो कि हम राष्ट्रीय स्वावलंबन की नीति को पूरी तरह त्याग दें, कहीं ऐसा न हो कि हमारे देश का जो विकसित उद्योग है, जो विकासशील

उद्योग है, उस पर ऐसी चोट पड़े कि वह फिर पीछे हटने को मजबूर हो जाए। जो खतरा सारी नीतियों के चलते पैदा हो गया है, उस खतरे के प्रति मैं आपके माध्यम से इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं। दुनिया के बाजार में मंदी की समस्या आ गई है। बाजार का संकट पैदा हो गया है इसलिए बहुत कुछ मामलों पर जापान और अमरीका का टकराव है, बहुत मामलों पर जापान और यूरोपीय समुदाय का टकराव है, विकासशील देशों से तो टकराव है ही। ऐसी स्थिति में हमारे वाणिज्य की नीति होगी, जो उस नीति का आधार होगा कि हम उन चीजों का ही आयात करें जो हमारे उद्योग को बढ़ाने में मूलगत आधार का काम करेंगे, हम उन्हीं चीजों का निर्यात करें जो निर्यात हमारे देश के विकास को बढ़ावा दे। अभी भी वे चीजें नहीं हो रही हैं। अभी भी हम कच्चा लोहा जापान व अन्य देशों को भेज रहे हैं। इस क्षमता को बढ़ाकर ऐसा न हो कि हम इस्पात बनाकर उसको करें। नीतिगत रूप में मैं चाहूंगा कि क्या ये साहस करेंगे कि हम अपने देश से कच्चे लोहे का निर्यात बंद कर देंगे और उसी का तैयार माल बाहर भेजेंगे।

अभ्रक जो बिहार में प्रचुरता में पाया जाता है, अभी भी कच्चा अभ्रक दुनिया के बाजार में भेजने वाले हम हैं। अभ्रक का उद्योग बहुत भारी उद्योग का सवाल नहीं होगा मगर अभ्रक उद्योग को बढ़ाकर नीति के रूप में क्या सरकार इसका ऐलान करने की हालत में है कि हम कच्चा अभ्रक बाहर नहीं भेजेंगे, उसका तैयार माल ही बाहर भेजेंगे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी सामर्थ्य के भीतर हैं, हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं और औपनिवेशिक बाजार का जो पुराना स्वरूप था उसको अभी तक ढोए जा रहे हैं।

इसी तरह आयात के मामले में कहा जा रहा है कि हमने दरवाजा खोल दिया। क्या यह आवश्यक है कि जो शान, शौक के सामान हैं, जो आवश्यक नहीं हैं, उनके लिए हम विदेशी मुद्रा खर्च करें? जो हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए उसको शान से कह रहे हैं कि हमने आयात की आजादी कर दी। अभी भी मैं चाहूंगा भारत सरकार सोचे, वाणिज्य मंत्री सोचें। पिछले साल विश्व के बाजार में हमारी यह साख नहीं रही और उस साख के अभाव में हमने अपना सोना यहां रखकर बंधक नहीं रखा, हमको विलायत भेजना पड़ा। मैं इसके आर्थिक पहलू को किनारे रखकर स्वाभिमान पर कैसी चोट पड़ी, उसकी बात कह रहा हूं। ऐसी हालत में क्या भारत सरकार यह साहस करेगी कि हम अनावश्यक वस्तु का आयात नहीं करेंगे? जो यंत्र, उपयंत्र, औद्योगिक सामान हमारे यहां बन रहे हैं, बन सकते हैं, हम उनका आयात नहीं करेंगे। हम राष्ट्रीय उत्पादन की ही वृद्धि करेंगे, उनको ही बढ़ाएंगे और जिनका हम तैयार माल यहां बना सकते हैं वह कच्चा माल भी बाहर नहीं भेजेंगे। हम बाहर भेजेंगे विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए, हम मंगाएंगे उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ऐसी स्थिति में जो मूल नीति है उसकी आवश्यकता है और विश्व के लिए भी यह आवश्यक है। हमारा पड़ोसी देशों में भी पिछड़ाव है। पिछड़ाव में हम उनके लिए भी सहायक हो सकते हैं।

नेपाल हमारा सहोदर देश है। उसके साथ बहुत से मामलों में स्वतंत्रता है, लेकिन अभी अगस्त-सितम्बर में भारत का बना हुआ कपड़ा, वह कपड़ा जो बाहर नेपाल में जाता है, यहां के चुंगी अधिकारियों की सहमति से जाता है, उस जाने हुए कपड़े को खुद बिहार की पुलिस ने रोक लिया, रिश्वत न देने की वजह से लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं चाहता हूं कि हमारे वाणिज्य मंत्री इस पर कुछ कदम उठायें।

एक खतरे की घंटी डंकल प्रस्तावों ने बजा दी है। जहां बहुत दिनों से गैट का वार्तालाप चल रहा है, हम पर डंकल प्रस्तावों के चलते, जिस को भारतीय अखबारों ने समझौते का प्रस्ताव कहा है, उससे गहरी चोट पड़ रही है। 1970 में पेटेंट ला बना था। मैं उस वक्त भी इस सदन में था जिस में प्रक्रिया के लिए पेटेंटी का प्रावधान था लेकिन हम पर अब दबाव डाला जा रहा है कि प्रक्रिया के लिए नहीं परिणाम के लिए उत्पादित सामान के लिए पेटेंटी करो। ऐसी हालत में जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिस में हम कुछ आगे बढ़े हैं, दवाइयों के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, नए बीजों के क्षेत्र में, नए पौधों के क्षेत्र में, नए जीवों के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, उन सब पर अंकुश लगने वाला है। इस तरह से वैज्ञानिक गुलामी का खतरा हमारे ऊपर है। हमारे वाणिज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बगैर संसद में आए हम उसे कबूल नहीं करेंगे लेकिन मेरी यह धारणा है कि अमरीका में जाकर हमारे विदेश सचिव को कार्ला हिल्स ने यह कहा कि भारत ने इसको लागू करना शुरू कर दिया है, बगैर करार किए हुए इन्होंने लागू करना शुरू कर दिया है जिस के मुताबिक कृषि क्षेत्र में वह अनुदान नहीं देंगे, बीज, खाद, बिजली, उर्वरक के लिए अनुदान नहीं देंगे, यह उनकी शर्त है। भारतीय खेती अमरीका की खेती की गुलाम बन जाए। अमरीका में अभी भी खेतों में लगी फसल जलाने के लिए अनुदान और मुआवजा दिया जाता है। हम फसल बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए अनुदान नहीं दे सकते हैं। हम सस्ता माल गांव में मुहैया कराने के लिए जन वितरण प्रणाली के अन्दर उसे नहीं दे सकते हैं। आपने उसको अंशतः लागू करना शुरू कर दिया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका जवाब दें और इस बात को साफ करें कि वह इस पर अड़ने को तैयार हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष जी, आज के इजारेदार 1929 वाले मंदी नहीं आने देंगे। वे सामान कम पैदा करके और उनका दाम बढ़ा करके उसे महंगा बेचेंगे, कम बेचेंगे। वह मंदी और महंगी एक साथ मिला कर हमारे माथे पर लादेंगे। यह खुली नीति के चलते, फाटक खोलने के नाम पर स्टैगफ्लेशन करके आयात की तरफ जायेंगे। मंदी और सुस्ती एक साथ चलेगी कि पैदावार घटाओ, फिर दाम बढ़ा कर मुनाफा बढ़ाओ, यह एक जन विरोधी नीति विश्व इजारेदारों की है। वह नीति हमारे माथे पर खुलकर आने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में मेरा खास करके आग्रह है कि रुपए का व्यापार कुछ देशों के साथ हमारा होता था और सोवियत संघ आज नहीं रहा। क्या भारत सरकार खास कर वाणिज्य मंत्रालय इस पर विचार करने को तैयार है। विदेशी मुद्रा का संक्रामक रोग उधर से या इधर से ऐसा आएगा कि जिस का इलाज हमें नहीं मिलेगा। हमारे रुपए की बात हो नहीं हो रही है। भारत भी 85 करोड़ का देश है। हमारा सहोदर देश बंगला देश भी है। वहां भी ताकत चलती है। विश्व में रुपए के चलते व्यापार हो, लेकिन नीति के रूप में इसको बढ़ाने का यथासम्भव प्रयास हम करेंगे या नहीं करेंगे।

या केवल डालर या पाउण्ड की गुलामी के रूप में हम रहेंगे। मैं फिर चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब देते वक्त इस बात को सोचकर जवाब दें कि 85 करोड़ के देश का रुपया केवल कागज नहीं है, हमारी आर्थिक नीति का वह एक साधक है और कुछ देशों के साथ जो गांधी जी ने कहा था, यह ठीक है कि आज सिर्फ पुरानी बातें नहीं चलेंगी लेकिन कुछ बातों का मूल्य है, बार्टर के रूप में। हमें अभी भी तेल मध्य पूर्व देशों से, अरब देशों से मंगाने की जरूरत है, अभी भी अरब देशों को हमसे खाने के

पदार्थ, चावल से लेकर अनेक चीजों को मंगाने की जरूरत है तो क्या इस मामले में केवल डालर के नाम पर नहीं, बार्टर के रूप में, आदान-प्रदान के रूप में ऐसे देशों से हम बात करेंगे और जो दबाव डंकेल का हम पर पड़ रहा है, जो 301 की धमकी अमेरिका हमको दे रहा है कि संसार में हमको बन्दी बना देगा....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा, आप पहले ही बहुत समय ले चुके हैं। दो और वक्ताओं को बोलना है और वे बेचैनी महसूस कर रहे हैं। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : ऐसी हालत में जो अमेरिका का दबाव है, मैं आग्रह करूंगा, उस दबाव का मुकाबला हम कर सकें, उसमें एक रीढ़ के रूप में चीन के साथ व्यापार का बहुत महत्व हो गया है। हिमालय के ऊपर होकर व्यापार, दर्रों से होकर व्यापार और समुद्र से होकर व्यापार, अगर भारत और चीन मिलकर बढ़े तो दुनिया के 125 अविकसित देशों पर जो संकट डंकेल के रूप में आ रहा है, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। स्वाभाविक हित में हम अमेरिका से भी, यूरोप से भी और जापान से, सबसे मिलकर व्यापार को बढ़ा सकते हैं व विश्व व्यापार का अंग बनने का सफल काम हम कर सकते हैं, गुलामी के रास्ते से बच सकते हैं। इसी चेतावनी के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अपने जवाब में इन नीतिगत विषयों का संतोषजनक जवाब देंगे।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी सांसदों ने डंकेल ड्राफ्ट, प्रस्तावों के बारे में बहुत कुछ बताया है और माननीय मंत्री जी ने भी यह आश्वासन हाउस में दिया है कि जिस देश को विश्वास में लिए कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी।

यह ऐसा प्रस्ताव है, ऐसा ड्राफ्ट है कि जिस ड्राफ्ट से इस देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के ऊपर गंभीर असर हो सकता है और इसीलिए जब हम वाणिज्य मंत्रालय की डिमाण्ड के ऊपर शहस कर रहे हैं तब ऐसी अपेक्षा जरूर यह गृह रखता है कि डंकेल ड्राफ्ट के बारे में मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे। क्योंकि, हमें डाउट है कि कहीं ऐसा न हो कि हाउस को कोन्फीडेन्स में लेने की बात हो और दूसरी ओर यह ड्राफ्ट के बारे में आगे कार्रवाई चालू हो। मेरा आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव के बारे में देश में एक भय छा रहा है उससे मुक्त करने के लिए वह आज बातें बताएं।

यहां पर हमारी नई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पालिसी, नई ट्रेड पालिसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया। जहां तक सिम्पलीफिकेशन या लिबलाइजेशन पालिसी का ताल्लुक है तब तक तो हम इससे सहमत हैं लेकिन पालिसी के बारे में कोई सटरनेस नीति होनी चाहिए....

हमने एक पालिसी को एडाप्ट किया, फिर उसको थोड़े ही महीनों में खत्म कर दिया, इससे हमारी इकोनोमी में अस्त-व्यस्तता पैदा हो जाती है। इस प्रकार हम जो परिणाम लाना चाहते हैं, वह नहीं ला पाते हैं। ट्रेड पालिसी डिक्लेयर हुई। इससे पहले हमने एग्जिम स्क्रिप्स इम्पलीमेन्ट किया, लेकिन बजट ने उसको खत्म कर दिया। इससे संबंधित आज भी वाणिज्य मंत्रालय में करोड़ों रुपए की फाइलें पड़ी हुई हैं। एग्जिम-स्क्रिप्स के आधार पर जो भी ट्रेड हुआ, उसके लिए गाइड लाइन्स देने की

बात थी, वह गाइड-लाइन्स भी अभी तक नहीं दी गई हैं। मेरा अनुरोध है कि इस के बारे में कोई ट्रेड पालिसी बनें। गाइडलाइन्स देने की बात थी, बैकलाग खत्म होगा, तो किस तरह से खत्म होगा और अगर यह खत्म नहीं होता है उससे बहुत भारी आर्थिक नुकसान देश को हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का सवाल है। हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि हम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश में इतनी इन्डस्ट्रीज हैं, इतने उद्योग हैं और उनकी इतनी पोटैंशियलिटी है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे डायमण्ड इण्डस्ट्री है, 1991-92 साल के दौरान 6,300 करोड़ रुपए का फारन-एक्सचेंज मिला है। अगर सरकार सुटेबिल-पालिसी बनाए, इन्सैंटिव दे, तो अरबों रुपया प्राप्त हो सकता है। सरकार बार-बार पालिसी चेंज करती है, कभी आर. बी. आई. करती है, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, इसलिए मुझे वहां की पूरी जानकारी है, तो उससे काफी नुकसान होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमें इस इन्डस्ट्री के पोटैंशियल को देखते हुए, उसका लाभ उठाना चाहिए।

इसी प्रकार हैंडी क्राफ्ट है, 1991-92 की एन्युअल रिपोर्ट है, उसमें ग्रोथ चार परसेंट, छः परसेंट बताई गई है। हैंडीक्राफ्ट इन्डस्ट्री से लाखों लोग रोजगार हासिल कर सकते हैं, इस ओर भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसे उद्योग से हमें जितना फारन एक्सचेंज मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो हैंडीक्राफ्ट है कारपैट का, उसमें यह छः सौ करोड़ रुपए, सात या साढ़े सात सौ करोड़ पर पहुंच गया है। इमिटेशन, ज्वैलरी और जरी, ऐसे उद्योग हैं, इनसे संबंधित माल को एक्सपोर्ट करके हम बहुत विदेशी मुद्रा हासिल कर सकते हैं। हमने इस बारे में भी कभी नहीं सोचा है। मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में ऐसी-ऐसी इन्डस्ट्रीज हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट की हो, चाहे स्माल इन्डस्ट्रीज हों, चाहे मीडियम इन्डस्ट्रीज हों, अगर हम इन इन्डस्ट्रीज के पोटैंशियल एक्सप्लायट करें, तो देश उससे बहुत सारी विदेशी मुद्रा हासिल कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव को स्वीकार करके आर्थिक प्रभु सत्ता को गिरवी रखने से कोई फायदा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए समय आपने बहुत कम दिया है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार ने विसकोस यार्न के लिए कह दिया कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से विसकोस यार्न के भाव इतने बढ़ गए हैं कि जो लुम्स बनाने वाले लाखों कारीगर हैं, वे बेकार हो गए हैं और इससे लाखों लोग बेकार बन गए। इसके बजाय अगर कपड़ा फारेन में एक्सपोर्ट करते या विसकोस यार्न बनाया गया होता तो रोजगारी मिलती और उन्हें फारेन एक्सचेंज मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में एक बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मैं सूरत से आता हूं और बहुत सारा दक्षिण गुजरात व्यापारिक क्षेत्र है। वहां कई सालों से चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट की मांग की जाती रही है। पिछली गवर्नमेन्ट ने, जो वहां के वाणिज्य मंत्री थे, बिना कोई एनाउन्समेन्ट किए एक आफिस बड़ौदा में खोलकर काम करना शुरू कर दिया लेकिन स्टाफ अहमदाबाद में बैठता है। इस प्रकार जो डिप्टी कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कार्यालय सूरत में खुलने

वाला था, किसी के दबाव में आकर बड़ौदा में शुरू कर दिया जबकि स्टाफ अहमदाबाद में बैठता है। कोई काम-काज नहीं होता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी पूरी छान-बीन करें कि किस साल जो हमारी डिमांड सालों से चली आ रही है, पूरा करेंगे। इस पर अपना कुछ आश्वासन दें या कुछ आगे कार्रवाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया क्षमा करेंगे क्योंकि इस बात के लिए समय .....

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : मैं तीन मिनट ही लूंगा **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मेरा नाम लिया गया है। मैं केवल तीन मिनट का समय ही लूंगा। अन्य माननीय सदस्यों ने उससे भी अधिक समय लिया है जोकि उनके लिए निर्धारित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी इसका गवाह हूं। पूरी सभा इसकी गवाह है।

श्री ई. अहमद : मैं इन सभी बातों में नहीं जाना चाहता। समयाभाव को ध्यान में रखते हुए मैं केवल तीन मिनट का समय ही लूंगा।

मैं इस मंत्रालय को अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं जो कि इस विषय के साथ बहुत ही कुशलता से निपट रहे हैं।

कतिपय निर्यात उद्योग ऐसे हैं जिन्हें कुछ सहायता दी जानी है। जहां तक रबड़ उद्योग का संबंध है, रबड़ के वृक्ष उगाने वालों को पुराने रबड़ के वृक्षों के बदले में नए वृक्ष लगाने के लिए इस मंत्रालय को और अधिक सहायता देनी चाहिए। उत्तम किस्म के नए पौधे वितरित किए जाने चाहिएं। रबड़ के लिए लाभकारी निम्नतम मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

जहां तक समुद्रीय योजना का संबंध है, समुद्रीय उत्पादों को तैयार करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इस उद्योग को सौ प्रतिशत परिवर्तनीयता की अनुमति दी जानी चाहिए।

काजू उद्योग से भी देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है और काजू गिरी के निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी सरकार को सौ प्रतिशत परिवर्तनीयता की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

चौथी बात यह है कि सरकार को खाड़ी क्षेत्रों जैसे देशों में भी निर्यात संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार द्वारा विशेष रूप से निर्देशित हमारे बहुत से उद्योगपति यूरोप और अमरीका में जाते होंगे अथवा नहीं भी जाते होंगे। निःसंदेह, निर्यात के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने ये सभी सुविधाएं और अवसर खाड़ी क्षेत्रों के लिए नहीं दिए हैं। इन क्षेत्रों के लिए ऐसे अवसर और सुविधाएं मिलने पर हम और भी अधिक निर्यात कर सकते हैं; सरकार ने इनकी उपेक्षा की है।

हमारा इतना अच्छा-व्यापार नहीं है। फिर भी इंजीनियरिंग उद्योग में अब भी, वे लोग मुख्यत: हमारे भारत देश पर ही निर्भर हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश मंत्रालय ने आशातीत कार्य नहीं किया है।

मैं इस सभा का अमूल्य समय नहीं लेना चाहता। लेकिन एक और विशेष बात यह है कि आयात के क्षेत्र में हम जो कुछ भी उदारीकरण करते हैं, निःसंदेह देश को उससे लाभ होगा; किन्तु अत्यधिक उदारीकरण, विशेषकर लघु उद्योगों के अत्यधिक उदारीकरण से हानि होती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने हमारे निर्यात में वृद्धि कर 6 प्रतिशत की विकास-दर दिखलायी है जबकि तथ्य यह है कि सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी रुपया अदायगी देशों में निर्यात की दर इससे भी कम रही है।

एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी को, देश के निर्यात को इतने अच्छे और कुशलता-जनक ढंग से निर्देशित करने के लिए बधाई ज्ञापन देता हूं।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि बहुत से सदस्य इस बात से असंतुष्ट हैं कि हमने वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर पूर्ण चर्चा नहीं की। मैं उनकी बात मानता हूं। मैं समझता हूं कि विगत दस महीनों में व्यापार नीति में जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्रालय के बाद वाणिज्य मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है जिसकी मांगों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन प्रातः 11.00 बजे से सायं 3.00 बजे के बीच गैर मुद्दों पर चर्चा केन्द्रित रहने से हमारी अधीरता और चिंता तब बढ़ जाती है जबकि .....

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : 11.00 बजे नहीं 12.00 बजे।

श्री पी. चिदम्बरम : कभी कभी प्रातः 11.00 बजे का समय निर्धारित रहने पर भी श्री बसुदेव आचार्य प्रातः 10.45 पर अपनी बात शुरू कर देते हैं। मुझे भय है कि मैंने जो दस अथवा बारह मिनट का समय लिया है, कोई भी सदस्य इस बात को न्याय-संगत नहीं बताएगा।

वास्तव में मैं अपने सामने के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, सी. पी. आई. और सी. पी. आई. (एम.) के वक्ताओं के विचारों को सुनने के लिए लालायित था। क्योंकि मुझे पता है कि व्यापार नीति पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखने हैं, और इस व्यापार नीति पर ये लोग जो कुछ विचार रखेंगे, इनके विचारों को सुनने से हर किसी को बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचेगा।

महोदय पद संभालने के केवल दस दिनों के बाद ही, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि व्यापार नीति में जो प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं, उनकी घोषणा की जाए। मैं एक तथ्य पर विशेष जोर देना चाहता हूं। हमारी नीति और नीतिगत परिवर्तन अवसरवादी नहीं हैं, और न ही इनके पीछे भारत से बाहर किसी का कोई हाथ है। यदि माननीय सदस्यगण कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उन्हें यह पता चलेगा कि हमने आर्थिक नीति संबंधी निर्देशों की रूप-रेखा इस घोषणा-पत्र में दे रखी है और वहीं बातें इस व्यापार-नीति में शामिल हैं। इसलिए भले ही हमें पद को संभाले

केवल दस दिन ही हुए थे, घोषणा-पत्र में दी गई नीतिगत बातों को ग्रहण करना और व्यापार नीति में परिवर्तनों की घोषणा करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। और हमारी यह नीति संकट के चंगुल से उबर कर आयी है। संकट घोर उपेक्षा के कारण पैदा हुआ था—मैं यहां तक कहूंगा कि यह एक आपराधिक उपेक्षा थी जो कि विगत 16 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था में कुप्रबंधन के कारण संकट का रूप धारण कर गई थी। देश में बी. ओ. पी. की समस्या थी, मुद्रा तरलता की समस्या और हम व्यतिक्रम के कगार पर पहुंच गए थे।

सरकार ने साहस, संकल्प और बुद्धिमत्ता के साथ इन संकटों का डटकर मुकाबला किया। हमने भारतीय रुपए का अवमूल्यन कर दिया और मैंने सोचा कि इस अवमूल्यन पर अवसर को हाथ से न गवाया जाए और अगले ही दिन मैंने व्यापार नीति में परिवर्तन संबंधी घोषणा कर दी। विगत दस महीनों में हमने जो कुछ भी किया है, वह सब जुलाई, 1991 के प्रारम्भ में निर्धारित किए गए निर्देशों की कार्यान्वयन ही है। व्यापार नीति के बारे में एक व्यापक विवरण 13 अगस्त को सभा पटल पर रखा गया था। दुर्भाग्यवश, उस पर चर्चा करने के लिए समय नहीं मिला।

महोदय, आज मैं सभी बातों का उत्तर देना चाहता हूं, परन्तु माननीय सदस्यों ने जो पांच अथवा छः मुद्दे उठाए हैं, उनका उत्तर तो मुझे देना ही है और मैं यह आशा करता हूं कि फिर किसी दिन किसी समय इस व्यापार नीति पर मैं सविस्तार भाषण दूंगा।

5.44 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सबसे पहले मैं इस देश के राजनैतिक दलों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने इस आशय का प्रश्न नहीं किया है कि व्यापार नीति में जो परिवर्तन घोषित किए गए हैं, उनका आधार क्या है। बात यह है कि भले ही हम इसे चाहें अथवा न चाहें और मुझे यह कहने में कभी भी संकोच नहीं हुआ कि जब मैं विदेश में गया था, भारत के तीन प्रमुख राजनैतिक दलों के बीच एक आम राय बनी थी कि व्यापार केवल स्वतंत्रता की परिस्थिति में ही विकसित हो सकता है।

मैं मानता हूं कि सी. पी. आई. और सी. पी. आई. (एम.) का इस बारे में अलग दृष्टिकोण है। मैं उस दृष्टिकोण को भी सुनने को तैयार हूं लेकिन आपका अलग दृष्टिकोण होना और मेरा अलग दृष्टिकोण होना यह अर्थ नहीं रखता कि हमें एक दूसरे के आचरण पर संदेह करना चाहिए। मैं केवल यही संकेत करना चाहता हूं कि साम्यवादी जिस नीति की वकालत करते हैं, उससे पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में अथवा तत्कालीन सोवियत संघ में कोई खुशहाली नहीं आयी, व्यापार विकसित नहीं हो सका और ये देश आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत नहीं हो सके। यह सही है कि एक समय ऐसा था, हमने भी यह विश्वास कर लिया था कि भारत के लिए भी यह आदर्श ठीक रहेगा, स्टेट-ट्रेडिंग ठीक रहेगा। लेकिन अनुभवों से हमें यह सीख मिली है कि स्टेट ट्रेडिंग ही व्यापार के लिए सर्वाधिक उत्तम मार्ग नहीं है। हम चर्चा जारी रख सकते हैं। लेकिन मैं सार्वजनिक तौर पर यह बताना चाहता हूं कि इसके पीछे एक व्यापक सहमति हुई है, भले ही इसके बारे में कभी भी खुलेआम न बताया गया हो,

इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल के अधिसंख्यक लोगों—कम से कम जनता दल के जिम्मेदार लोगों की—और कांग्रेस पार्टी तीनों की स्पष्ट सहमति रही है कि व्यापार स्वतंत्रता की प्रतिस्थिति में ही विकसित हो सकता है.... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : आप जनता दल को दो मोर्चों में विभाजित कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : इसका क्या अर्थ हुआ ? इसका अर्थ यह है कि हमें लाईसेंसों और नियंत्रणों को जिनसे व्यापार में बाधा पड़ती है, हटाना होगा। इसका यह अर्थ हुआ कि हमें उस नौकरशाही को दूर रखना होगा, जोकि व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए हमने विगत चालीस वर्षों से लगाई हुई है। इसका यह अर्थ हुआ कि हमें सभी विनियमों को हटाना होगा और विनियमों को हटा लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विनियमों को हटा लेना तो आसान है, लेकिन विनियंत्रकों का क्या किया जाए ? हमें विनियंत्रकों को बदलना होगा। उन्हें किसी अन्यत्र स्थान पर लगाना होगा। अपने विनियंत्रकों के लिए हमें बेहतर और अधिक उत्पादनकारी कार्य तलाशना होगा। और विगत दस महीनों में हमने ऐसा ही किया है।

अब इसके परिणाम क्या निकले हैं ? महोदय, भारत सहित प्रत्येक देश के व्यापार आंकड़ों से इस बात का पता चलता है कि आयात और निर्यात में बड़ा ही नाजुक संबंध है। इस अंतर-निर्भर जगत में ऐसा कोई भी देश नहीं है जोकि प्रत्येक चीज में आत्म-निर्भर हो। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई भी देश प्रत्येक चीज में आत्म-निर्भर नहीं हो सकता। आपको केवल उसी चीज का उत्पादन करना चाहिए, जिसका आप अच्छी प्रकार से उत्पादन कर सकें। और यदि आप किसी चीज का दक्षतापूर्वक उत्पादन नहीं कर सकते, यदि वह सामरिक क्षेत्र की चीज अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई चीज न हो तो उसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि उसे उस देश से प्राप्त कर लिया जाए जहां पर उसका अधिक दक्षतापूर्वक उत्पादन होता है। इसलिए जब तक आयात और निर्यात दोनों में ही वृद्धि न हो तो व्यापार विकसित नहीं हो सकता। काफी लंबे समय से हम उसी भ्रम में ही रहे हैं कि आयात का कोई विकल्प और आत्म-निर्भरता, यह दोनों बातें ही विकास की ओर ले जाती हैं। मैं सोचता हूं कि अब इस भ्रम का निवारण हो गया है। हमें इस निर्यात निराशावाद को त्यागना होगा। हमें यह विश्वास जगाना होगा कि यदि हम अधिक आयात करते हैं तो हम अधिक निर्यात भी कर सकेंगे। मैं पहले भी यह कहता आया हूं और एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि यदि हम अधिक खरीद करेंगे तो अधिक बेच सकेंगे। चीन का ही उदाहरण लीजिए। आठ-नौ वर्ष पूर्व भारत और चीन का निर्यात-स्तर एक जैसा था। आज भारत का निर्यात 18 बिलीयन डालर और चीन का निर्यात 60 बिलीयन डालर है। योजना आयोग का अनुमान है कि आगामी पांच वर्षों में भारत का निर्यात 13.6 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ेगा और इन पांच वर्षों में हमारा निर्यात लगभग 18 बिलीयन डालर से बढ़कर 35 बिलीयन डालर के लगभग हो जाएगा। चीन को ऐसी आशा है कि उनका निर्यात 60 बिलीयन डालर से 300 बिलीयन डालर तक बढ़ जाएगा। यह किस तरह से हो सकेगा ? यह इसके आयात भी 300 बिलीयन डालर तक बढ़ाने के कारण हो सकेगा। मुझे इस बात की तसल्ली है, हमारी सरकार को भी इस बात की तसल्ली है कि सकल घरेलू उत्पाद के घटकों के रूप में आयात और निर्यात दोनों का अनुपात 13 अथवा 14 प्रतिशत के वर्तमान निम्न स्तर जैसा ही नहीं रहना चाहिए। हमें 20 प्रतिशत और इससे भी बढ़कर 25 प्रतिशत अथवा 30 प्रतिशत तक पहुंचने की आवश्यकता है। इसलिए हमने बहुत से नियंत्रणों को, बहुत से लाइसेंसों को हटा दिया है और हमने मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया है। और

मुझे यकीन है कि यह सही नीति है यदि हम इस मार्ग पर अडिग रहते हैं तो इससे अच्छे परिणाम सामने आएंगे ।

1991-92 वर्ष के परिणाम क्या हैं ? महोदय, इस देश के औद्योगिक उत्पादन में 1990 के अगस्त माह में गिरावट आनी शुरू हो गयी थी । निर्यात की विकास दर मार्च 1991 में कम होने लगी थी । महोदय, मुझे यह बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि अगस्त 1990 और मार्च 1991 में देश का प्रबंधन किनके हाथ में था। चूंकि हमारी आस्तियां समाप्त हो चली थी, हमारे भंडार रिक्त हो चले थे, इनसे औद्योगिक विकास तथा निर्यात विकास दोनों पर ही बुरा असर पड़ा । जून 1991 में जो आर्थिक स्थिति हमें विरासत में मिली थी, उसमें उद्योग और निर्यात दोनों में ही मंदी आ चुकी थी । उस समय अपने आयात को काफी कम करने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं था । मैंने 'निष्ठुर' शब्द का प्रयोग समझ-बूझकर किया है । कभी भी भारत के इतिहास में और किसी भी विकासशील राष्ट्र के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्र को अपने आयात में डालर के सापेक्ष 21 प्रतिशत तक कमी करनी पड़ी हो । श्री राजीव गांधी शासन के पिछले चार सालों के दौरान आयात में डालर के सापेक्ष 11 प्रतिशत और निर्यात में 17 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई । वर्ष 1990-91 में निर्यात में डालर के सापेक्ष तो 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयात में मात्र 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी बात से सारी कहानी स्पष्ट हो जाती है । लेकिन हाल ही में बीते पिछले वर्ष में हमारे आयात में डालर के सापेक्ष 21 प्रतिशत की कमी की गई है और इसलिए व्यापार अर्थनीति के किसी भी सिद्धान्त और उपाय के अंतर्गत इस साल निर्यात में वृद्धि बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए । यही कारण है जैसा कि मैं विश्वास करता हूं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और हमने भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए इसका लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है । जिस वर्ष आयात-दर में 21 प्रतिशत की कमी की गई हो उस वर्ष निर्यात की लक्ष्य निर्धारित करना संभव भी नहीं है । अतः ऐसा आश्वासन भी नहीं दिया गया है कि सभी को निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करायी जाएगी । वर्ष के पहले ग्यारह महीनों में जिनका आंकड़ा हमारे पास है, उनसे स्पष्ट है कि सामान्य मुद्रा के क्षेत्रों में निर्यात में 6.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार में 1991 में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जर्मनी के निर्यात में 4.5 प्रतिशत की कमी आयी । अमेरिका, इंग्लैंड तथा जापान में मंदी चल रही है । जर्मनी, फ्रांस और इटली में भी इसमें कमी आयी है । तो भी पहले 11 महीनों में जी. सी. ए. देशों को की जाने वाली भारत के निर्यात में डालर के सापेक्ष 6.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अगर परिणाम के संदर्भ में देखें तो जी. सी. ए. देशों को की जाने वाली हमारी निर्यात में एक हजार मिलियन डालर की वृद्धि हुई है । आर. पी. ए. देशों के संबंध में जो कारण हैं, उनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि केवल साम्यवादी दलों के हमारे दोस्त ही अगर सोवियत संघ की एक रूबल में सहायता की होती तो हम इतनी बुरी तरह से प्रभावित नहीं होते । अभी तक हमारा निर्यात सोवियत संघ पर निर्भर रहा है । ऐसा करना अच्छा है या बुरा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और जिन्दगी की वास्तविकता है कि हम अपने निर्यात के लिए सोवियत संघ पर आश्रित हो गए थे । आर. पी. ए. निर्यात में डालर के सापेक्ष 44 प्रतिशत या रुपए के सापेक्ष 24 प्रतिशत की कमी आई है । परिणाम के संदर्भ में मैं सोचता हूं कि साल के अंत तक इसमें 1000 करोड़ रुपए तक कमी हो जाएगी। महोदय, हम क्या कर सकते हैं ? जी. सी. ए. में एक हजार मिलियन डालर की अतिरिक्त वृद्धि और आर. पी. ए. में एक हजार करोड़ रुपए की कमी हुई है । तो भी इसको संतुलित करने में जो शेष बचता है वह मैं सोचता हूं कि एक रिकार्ड है जिस पर हम उत्साहित तो

नहीं लेकिन संतुष्ट जरूर हो सकते हैं । मैंने यह बहुत सोच-समझकर कहा है । यह एक औसत वृद्धि है, हम यह नहीं कहते कि इसमें कौतुकपूर्ण वृद्धि हुई है । मैं इस अवसर पर भारतीय व्यापार, भारतीय उद्योग, भारतीय व्यवसाय खासकर भारतीय निर्यातकों को उनके द्वारा लचीलापन दिखाए जाने पर, निर्यात में रुपयों में भुगतान न करके सामान्य मुद्रा क्षेत्रों में इसे परिवर्तित करने का खतरा उठाने पर और इसमें 6.86 प्रतिशत की औसत वृद्धि को बनाए रखने पर बधाई देना चाहता हूं ।

हमने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार पर बहुत अधिक जोर दिया है । कुछ ही दिनों के बाद दक्षेस के सदस्य देशों की बैठक हो रही है और मैंने उन देशों के वाणिज्य मंत्रियों को पहले ही कह रखा है कि इन देशों के बीच कितना भी राजनीतिक मतभेद क्यों न हो दक्षेस एक शक्तिशाली आर्थिक गठबंधन बनेगा और इनमें व्यापार के संबंध में आनेवाली सारी बाधाओं को बहुत ही शीघ्रता से दूर किया जाएगा । अगर इन सात देशों के बीच आनेवाली सारी व्यापार बाधाएं हट जाती हैं और ये एक दूसरे के साथ आयात-निर्यात करते हैं . . . ।

श्री जसवंतसिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री का अभिभाषण बहुत ही खरा है और संभवतः उन्होंने हमारी आवश्यकताओं की बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की है तथा देश के व्यापार नीति के संबंध में निर्देशों को उन्होंने स्पष्ट किया है । मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं कि मैं माननीय मंत्री का उनके निपुणतापूर्वक और खुलेपन के साथ अपने दायित्व की ओर बढ़ने के खातिर अभिवादन और प्रशंसा करता हूं । लेकिन जब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दक्षेस देशों के संदर्भ में ही व्यापार बाधाओं को हटाने की बात करते हैं तो स्थिति कुछ असंतुलित सी हो जाती है क्योंकि वस्तुओं को देश के अंदर ही आने-जाने में कई बाधाएं हैं । इस संबंध में वह क्या कहना चाहेंगे क्योंकि अगर इन बाधाओं को अपने ही देश के अंदर दूर नहीं किया जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दक्षेस देशों के अंतर्गत इन्हें दूर करने की बात अच्छी नहीं लगती ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इस बात से पूर्णतया संतुष्ट हूं कि चुंगी को खत्म कर देना चाहिए । मैं कह चुका हूं कि चुंगी एक आपत्तिजनक कर है । ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत उन्नीसवीं सदी के अंत में इस कर को लगाया गया था । संविधान के अनुच्छेद 301 में कहा गया है कि व्यापार और वाणिज्य पूरे देश भर में मुक्त रहेगा । लेकिन कौन-सी राज्य सरकार मेरी इस बात को सुनना चाहेगी कि चुंगी हटा देनी चाहिए ? मैं कह चुका हूं कि चुंगी एक आपत्तिजनक कर है और मैं इस बात से सहमत हूं कि देश के अंतर्गत व्यापार में आनेवाली सभी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए । लेकिन यह एक दूसरा विषय है जिस पर हमें अंतर्राज्यीय परिषद् या राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में बहस करनी चाहिए (व्यवधान) चुंगी, मैं कह चुका हूं कि यह एक आपत्तिजनक कर है । प्रवेश-कर एक आपत्तिजनक शुल्क है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी प्रकार के कर खराब हैं लेकिन चुंगी को सभी रिपोर्ट में और सभी अर्थशास्त्रियों के द्वारा आपत्तिजनक शुल्क माना गया है । इसकी शुरुआत 1910 और 1920 के नगरपालिका अधिनियम के साथ हुई थी, जिसका 1990 में क्या महत्व रह गया है ? लेकिन यह एक दूसरा विषय है ।

हम दक्षेस पर अत्यधिक जोर देते हैं और हमारी इसके सदस्य देशों से अपील है कि हमें एक साथ चलकर व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना है जिससे कि मुक्त व्यापार के माध्यम से इन सात देशों में पारस्परिक संपन्नता और प्रगति सुनिश्चित की जा सके ।

1992-93 के लिए मेरे पास पांच-सूत्रीय कार्यक्रम है । 1992-93 में हमारा लक्ष्य नीति सुनिश्चित करना था जो कि हम कर चुके हैं ।

आयात-निर्यात नीति तो व्यापार नीति का एक भाग मात्र है । मेरे अनुसार व्यापार नीति के अंतर्गत निवेश, टेक्नोलाजी, नियोजन और उत्पादन जैसी सारी चीजें आती हैं । आयात-निर्यात तो इसका एक भाग मात्र है लेकिन यह है बहुत महत्वपूर्ण । मेरे पास व्यापार नीति या आयात-निर्यात नीति पर विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है । मुझे आशा है कि इसके लिए और भी अवसर आएंगे । इस संबंध में विवरण मौजूद है । लेकिन 1992-93 में अन्य चीजों के अलावा हम अपने नीति को संवारेंगे, इससे किसी प्रकार संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी बहुत ही मामूली फेर-बदल करेंगे, वह भी प्रत्येक चार महीनों में सिर्फ एक बार तथा नीति के स्थायित्व और मजबूती को बनाए रखेंगे । पहली मई को इसकी प्रक्रिया के संदर्भ में नए नियम की घोषणा करेंगे और आप देखेंगे कि मैं अपने कहे अनुसार प्रक्रिया को सरल, पारदर्शक और प्रशासनिक दृष्टि से सहज अपनाने योग्य बनाया है ।

1992-93 के लिए मेरे पास पांच-सूत्री कार्यक्रम है और मैं माननीय सदस्यों को यह लिखकर बताने के लिए आमंत्रित करता हूं कि इस पांच-सूत्री कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए ।

पहला, हमने 34 वस्तुओं की एक विशेष सूची बनायी है जिन्हें हम पन्द्रह मुख्य क्षेत्रों के चरम बिन्दु मानते हैं । संसद और राष्ट्र के समक्ष जुलाई तक इन 34 सामग्रियों के निर्यात में वृद्धि के संदर्भ में एक राष्ट्रीय योजना को रखने का मेरा ध्येय है, जिसमें मुझे आशा है कि हम 30 प्रतिशत तक परिमाणात्मक या मूल्यात्मक वृद्धि पा सकते हैं ।

मई के तीसरे सप्ताह में मेरे कार्यक्रम का दूसरा सूत्र है एक राष्ट्रीय गुणवत्ता सजगता कार्यक्रम को चलाना जिसके अंतर्गत सभी राज्यों, जिलों, जिनमें दो सौ या तीन सौ से अधिक कामगार वाले कारखानों और संयंत्रों में गुणवत्ता का संदेश प्रसारित किया जाएगा । बिना गुणवत्ता के भारतीय सामान यूरोप, अमरीका तथा जापान में बिक नहीं सकता है । हमें गुण-गुणवत्ता सजगता अभियान मई के तीसरे सप्ताह में शुरू किया जा रहा है और मैं सभी माननीय वक्ता पर जोर देना चाहिए और इस संबंध में हम कोई ढीलाई नहीं बरत सकते। एक राष्ट्रीय सदस्यों को उस अभियान में शामिल होने को आमंत्रित करता हूं खासकर जब वह अभियान उनके चुनाव-क्षेत्र में पहुंचे ।

तीसरे, मैं निर्यात करने वाले घरानों और अग्रणी औद्योगिक घरानों से बातचीत करना चाहता हूं । कई औद्योगिक घराने ऐसे हैं जो विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर रहे हैं । वे विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करते हैं । हमें इस तरह की परम्परा को खत्म करना होगा । मैंने उन्हें लिखा है और उनसे कहा है कि वे हमसे भेंट करें । हम उनमें से प्रत्येक के साथ बैठक करना चाहते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि वे निर्यातक घराना, व्यापारिक और औद्योगिक घराना निर्यात-वृद्धि में इंजन का कार्य करते हैं ।

6.00 प. ब.

चौथे, हमें टी. डी. ए. और टी. एफ. ए. आई. को पुनर्गठित करना है । एकीकृत संगठन को अब आई. टी. पी. ओ. के रूप में जाना जाता है । विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर कम से कम 40 से 50 देशों में जो कि हमारे वृहत बाजार हैं, अपनी विदेशी व्यापारिक

प्रस्तुतीकरण में पूर्णरूप से पुनर्गठन करने, विदेशी प्रचार में सुधार करने और अपने उत्पादों के विदेशों में बिक्री में वृद्धि करने के संबंध में एक विश्व-व्यापी प्रयास शुरू करने की आशा है। अंत में, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय को पुनर्गठित किया जा रहा है। हमें निर्यात के नियंत्रक की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि करने वाले की। उसके पद को डी.जी. एफ. टी. के नाम से पुनर्भाषित किया जाएगा। मैं प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के साथ कार्य करने के लिए एक राज्य निर्यात वृद्धि अधिकारी की नियुक्ति करना चाहता हूं और निर्यात कमिश्नरों और डी. जी. एफ. टी. के माध्यम से पूरे कार्य-पद्धति को पुनर्गठित करके नियंत्रण से लेकर वृद्धि तक परिवर्तन लाना चाहता हूं।

डंकल पर अलग से बहस होगी। इसलिए मैं उस पर समय नहीं लेना चाहता हूं।

मैं सोचता हूं कि इस वर्ष हमने तर्कसंगत रूप से कार्य किया है। हमारी नीति और दिशा सही है। हमें आपका समर्थन और सहयोग चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, अगर कोई सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव अलग से नहीं रखना चाहते तो वाणिज्य मंत्रालय से अनुदानों की मांगों से संबंधित सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : कृपया मेरा कटौती प्रस्ताव नं. 13, 14 और 15 अलग से मतदान के लिए रखें।

श्री हन्नान मोल्लाह : कृपया मेरा कटौती प्रस्ताव नं. 3 अलग से मतदान के लिए रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया मेरी कटौती प्रस्ताव नं. 1 और 2 अलग से मतदान के लिए रखें।

श्री काशीराम राणा : कृपया मेरा कटौती प्रस्ताव नं. 20 अलग से मतदान के लिए रखें।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1 और 2 सभा मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 और 2 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 13, 14 और 15 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 13, 14 और 15 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री काशीराम राणा द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 20 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 20 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 4 और 26 से 30 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के सतम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दिया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय आदि।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों की बकाया अनुदान मांगों को मतदान के लिए रखूंगा .

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में दर्शाई गई निम्नलिखित मंत्रालयों/सचिवालयों से संबंधित निम्नलिखित मांग संख्याओं के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 और 6

(2) नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 7 और 8

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(4) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15

(5) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 से 22

(6) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23

(7) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 से 27, 29, 30, 32 से 37

(8) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 39

(9) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 40 और 41

(10) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 से 46

(11) उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 से 54

(12) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 55 और 56

(13) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58 और 59

(14) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60

(15) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61

(16) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62

(17) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63

(18) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64 से 66

(19) विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67 से 68

(20) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70 से 72

(21) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73

(22) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74 से 76

(23) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77

(24) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78 से 80

(25) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81

(26) कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82

(27) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 83 और 84

(28) इलैक्ट्रानिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 85

(29) महासागर विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 86

(30) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 87

(31) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 88

(35) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित मांग संख्या 94

(33) उप-राष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 91

(34) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से संबंधित मांग संख्या 93

(35) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित मांग संख्या 94

(36) संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली से संबंधित मांग संख्या 95

(37) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप से संबंधित मांग संख्या 96

(38) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से संबंधित मांग संख्या 97

(39) संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव से संबंधित मांग संख्या 98

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिये रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय आदि से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग का नाम	26 मार्च 1992 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि		लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान मांगों की राशि	
	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4	5
रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
रसायन और पैट्रो–				
रसायन विभाग	341,00,000	402,00,000	1705,00,000	2010,00,000
उर्वरक विभाग	159870,00,000	2144,00,000	549352,00,000	10721,00,000
नागर विमानन मंत्रालय				
नागर विमानन मंत्रालय	957,00,000	470,00,000	4786,00,000	2355,00,000
पर्यटन विभाग	1298,00,000	276,00,000	6493,00,000	1380,00,000
कोयला मंत्रालय				
कोयला मंत्रालय	2833,00,000	12000,00,000	14164,00,000	60000,00,000
संचार मंत्रालय				
संचार मंत्रालय	156,00,000	—	778,00,000	—
डाक सेवायें	25978,00,000	1146,00,000	129894,00,000	5731,00,000
दूरसंचार सेवायें	88075,00,000	66983,00,000	440374,00,000	334916,00,000
रक्षा मंत्रालय				
रक्षा मंत्रालय	25046,00,000	1896,00,000	125230,00,000	9480,00,000
रक्षा पेंशनें	35328,00,000	—	176639,00,000	—
रक्षा सेवायें–				
थल सेना	148954,00,000	—	744769,00,000	—
रक्षा सेवायें				
नौ सेना	17001,00,000	—	85004,00,000	—

1	2	3	4	5
रक्षा सेवायें–				
वायु सेना	42108,00,000	—	210542,00,000	—
रक्षा आयुद्ध निर्माणियां	35281,00,000	—	4331,00,000	—
रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	192614,00,000	—	341475,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय				
पर्यावरण और वन मंत्रालय	5196,00,000	95,00,000	26162,00,000	474,00,000
वित्त मंत्रालय				
आर्थिक कार्य विभाग	7366,00,000	2332,00,000	36831,00,000	11663,00,000
करेंसी सिक्का निर्माण और स्टाम्प	6651,00,000	3006,00,000	33254,00,000	15035,00,000
वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	10208,00,000	543581,00,000	51978,00,000	355735,00,000
राज्य सरकारों को अन्तरण	94589,00,000	2416,00,000	472950,00,000	12084,00,000
सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार	—	3876,00,000	—	19382,00,000
व्यय विभाग	7630,00,000	55,00,000	38152,00,000	276,00,000
पेंशनें	1002,00,000	—	50013,00,000	—
लेखा परीक्षा	4860,00,000	—	24297,00,000	—
राजस्व विभाग	2426,00,000	25,00,000	5516,00,000	126,00,000
प्रत्यक्ष कर	4575,00,000	1500,00,000	22873,00,000	7500,00,000
अप्रत्यक्ष कर	7300,00,000	2331,00,000	36500,00,000	11659,00,000

1	2	3	4	5
खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय				
खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	552,00,000	111,00,000	3220,00,000	556,00,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय				
स्वास्थ्य विभाग	9537,00,000	2888,00,000	47685,00,000	14443,00,000
परिवार कल्याण विभाग	18329,00,000	3,00,000	91647,00,000	12,00,000
गृह मंत्रालय				
गृह मंत्रालय	5277,00,000	216,00,000	26387,00,000	1084,00,000
मंत्रिमण्डल	204,00,000	—	1020,00,000	—
पुलिस	33768,00,000	4573,00,000	168841,00,000	22864,00,000
गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	5219,00,000	2071,00,000	26096,00,000	10358,00,000
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	1654,00,000	971,00,000	8270,00,000	4858,00,000
उद्योग मंत्रालय				
औद्योगिक विकास विभाग	5272,00,000	32,00,000	26358,00,000	160,00,000
भारी उद्योग विभाग	622,00,000	4831,00,000	3109,00,000	24157,00,000
सरकारी उद्यम विभाग	24,00,000	—	120,00,000	—
लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	5365,00,000	3226,00,000	26822,00,000	16132,00,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	1720,00,000	445,00,000	8598,00,000	2227,00,000

1	2	3	4	5
प्रसारण सेवायें	15871,00,000	5950,00,000	79354,00,000	29753,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय				
विधि और न्याय	2383,00,000	—	11916,00,000	—
कम्पनी कार्य विभाग	183,00,000	1,00,000	912,00,000	—
खान मंत्रालय				
खान मंत्रालय	2184,00,000	713,00,000	10924,00,000	3567,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय				
संसदीय कार्य मंत्रालय	20,00,000	—	104,00,000	—
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	886,00,000	38,00,000	4430,00,000	187,00,000
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	870,00,000	5000,00,000	4348,00,000	25000,00,000
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
योजना	1457,00,000	167,00,000	7287,00,000	833,00,000
सांख्यिकी विभाग	854,00,000	15,00,000	5146,00,000	75,00,000
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	14,00,000	—	69,00,000	—
विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
विद्युत विभाग	7962,00,000	32766,00,000	39911,00,000	167428,00,000

1	2	3	4	5
गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	2074,00,000	76,00,000	10365,00,000	380,00,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4245,00,000	508,00,000	21293,00,000	2542,00,000
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4558,00,000	68,00,000	23058,00,000	342,00,000
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1280,00,000	—	6561,00,000	—
इस्पात मंत्रालय				
इस्पात विभाग	69,00,000	21468,00,000	342,00,000	13237,00,000
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय				
जल-भूतल परिवहन	531,00,000	950,00,000	2654,00,000	4751,00,000
सड़कें	6912,00,000	8809,00,000	34559,00,000	44045,00,000
पत्तन दीप-स्तम्भ और नौवहन	2182,00,000	3973,00,000	10909,00,000	19863,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय				
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	12211,00,000	2764,00,000	61053,00,000	13820,00,000
शहरी विकास मंत्रालय				
शहरी विकास और आवास	3735,00,000	3611,00,000	18672,00,000	18056,00,000
लोक निर्माण कार्य	4461,00,000	1652,00,000	22305,00,000	8262,00,000
लेखन सामग्री और मुद्रण	1990,00,000	35,00,000	9950,00,000	175,00,000

1	2	3	4	5
जल संसाधन मंत्रालय				
जल संसाधन मंत्रालय	5056,00,000	302,00,000	25280,00,000	1512,00,000
कल्याण मंत्रालय				
कल्याण मंत्रालय	7750,00,000	715,00,000	41668,00,000	3576,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग				
परमाणु ऊर्जा	8566,00,000	8234,00,000	42827,00,000	41169,00,000
न्यूक्लीय विद्युत योजनायें	6592,00,000	2567,00,000	32958,00,000	12833,00,000
इलैक्ट्रानिकी विभाग				
इलैक्ट्रानिकी विभाग	1314,00,000	128,00,000	8382,00,000	637,00,000
महासागर विकास विभाग				
महासागर विकास विभाग	677,00,000	126,00,000	3384,00,000	630,00,000
अन्तरिक्ष विभाग				
अन्तरिक्ष विभाग	7186,00,000	1314,00,000	35927,00,000	6569,00,000
संसद, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग				
लोक सभा	454,00,000	—	2272,00,000	
राज्य सभा	161,00,000	—	803,00,000	—
उपराष्ट्रपति का सचिवालय	5,00,000	—	25,00,000	—
(जिला विज्ञान संघटक वाले संघ राज्य क्षेत्र)				
दिल्ली	18833,00,000	14040,00,000	94166,00,000	70202,00,000

1	2	3	4	5
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3058,00,000	2583,00,000	15287,00,000	12912,00,000
दादरा और नागर हवेली	607,00,000	235,00,000	3035,00,000	1173,00,000
लक्षद्वीप	838,00,000	215,00,000	4188,00,000	1076,00,000
चण्डीगढ़	3610,00,000	904,00,000	18047,00,000	4518,00,000
दमन और दीव	437,00,000	206,00,000	2185,00,000	1028,00,000

6.10 प. प.

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1992*

अध्यक्ष महोदय : अब विनियोग विधेयक पुर:स्थापित किया जाए । डा. मनमोहन सिंह ।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय प्रस्ताव को विचारार्थ रख सकते हैं ।

---

*दिनांक 29-4-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की अनुमति से पुर:स्थापित/प्रस्तुत ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने दो लाख पैंतीस हजार करोड़ रुपए की मांगें मंजूर की हैं और उसमें से पैसा निकालने के लिए यह एप्रोप्रिएशन बिल आया है । मैं दो महत्वपूर्ण विषयों की ओर सरकार और प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

पहला विषय भावना के साथ जुड़ा हुआ है और वह विषय है, मेरे महानगर के नाम के साथ । मेरे महानगर का नाम "मुम्बई" है, गलती से उसे हिन्दी में "बम्बई" कहते हैं और अंग्रेजी में "बाम्बे" कहा जाता है । इस बात को पूरे दो साल हो गए हैं, जब यह बात मैंने पहली बार यहां सदन में उठाई थी । उस समय के हमारे लोक सभा के अध्यक्ष ने यह बात मान ली कि जब संविधान में हिन्दी में मुम्बई कहा है, तो यहां पर भी कामकाज में मुम्बई शब्द का प्रयोग होना चाहिए और उसी प्रकार का आदेश उन्होंने दो अप्रैल, 1990 को दे दिया । उस आदेश के बाद यहां पर जब आपकी ओर से काम चलता है तो हिन्दी में मुम्बई शब्द का प्रयोग होता है । बाद में मैंने राज्य सभा के सभापति जी से प्रार्थना की, उन्होंने भी यह बात मान ली और इलैक्शन कमीशन ने भी बात मान ली । लोक सभा मान लेती है, राज्य सभा मान लेती है, लेकिन हमारी सरकार नहीं मानती है । इसलिए मेरी मांग है कि जहां संविधान में मुम्बई शब्द का प्रयोग किया, तो सरकार को तुरन्त आदेश निकालना चाहिए कि जहां-जहां पर भी सरकार की ओर से हिन्दी में काम होती है, तो मुम्बई शब्द का प्रयोग होना चाहिए ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बात हिन्दी के बारे में है, उसी प्रकार की बात अंग्रेजी के बारे में भी है । आप जानते हैं कि आज हम अंग्रेजी में विचारों के गुलाम हो रहे हैं । उन विचारों से शब्दों के उच्चारण में लगता है कि हम गुलाम हो रहे हैं । मैं आपको बताना चाहूंगा, लंदन्स अफ्रीका से मिलकर आज दुनिया कहां जा रही है—ब्रह्मदेश, बर्मा का नाम म्यानमार हुआ, सिलोन का श्रीलंका लेनिनग्राड का सेंट-पिट्सबर्ग और पेकिंग का बेजिंग हुआ । आप सब जानते हैं, अपने ही देश में केरल का उदाहरण आपके सामने है । केरल में सत्तर शहरों के नाम .... **(व्यवधान)** ... अध्यक्ष जी, आप जानते हैं, कर्नाटक में भी और केरल में भी सत्तर शहरों के नाम आज तक अंग्रेजी में गलत ढंग से उपयोग किया जा रहा है । ये नाम केरल की सरकार ने बदले हैं, जैसे—त्रिवेन्द्रम का तिरूअनंतपुरम, क्विलान का कोल्लम, कोचीन का कोची, पालघाट का पलक्कड, त्रिचूर का त्रिशूर, आदि ।

और इसलिए जब मैंने केरल की सरकार को पत्र लिखा कि आपने कैसे किया ? हमारे महाराष्ट्र के दो पुराने मुख्यमंत्री यहां हैं, वे नहीं कर पाए तो केरल की सरकार ने कहा :—

[अनुवाद]

"इन एंग्लिकन भाषान्तरों का राज्य भाषा मलयालम में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया और वे एंग्लिकन उपनिवेशवाद बचे हुए अवशेष थे तथा इसीलिए हमने इसे बदला है ।"

[हिन्दी]

और इसलिए मेरी मांग है कि जो केरल की सरकार ने किया है, उसी प्रकार से भारत सरकार ने भी यहां जो बम्बई और बाम्बे किया है, वह बदलना चाहिए । इन्टरनेशनल फोरम में भी यह हुआ है ।

अंत में अभी अभी परसों ही ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री वी. के. गोकक का निधन हुआ । पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी मुम्बई आए थे तो अंग्रेजी में मुम्बई शब्द का प्रयोग किया गया, साहित्य के क्षेत्र में । तो इसलिए मेरी मांग है कि मुम्बई शब्द का प्रयोग हिन्दी और अंग्रेजी में दोनों जगह करने का फैसला तुरन्त सरकार को करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विषय यह है कि हमारे महाराष्ट्र में विधान सभा कांस्टीट्यन्सी में एक अच्छी पद्धति है और हर विधान सभा क्षेत्र के लिए 30 लाख रुपया अलग से निधि के तौर पर रखा जाता है और वहां जिला की नियोजन समिति है, डेवेलपमेन्ट कौंसिल है, वह तय करती है कि इस प्रकार के छोटे छोटे काम, छोटे रास्ते, छोटे ब्रिजेज बनाना है, छोटे बिजली के ट्रांसफार्मर बनाने हैं तो ऐसे कामों के लिए महाराष्ट्र में हर असेम्बली क्षेत्र में 30 लाख रुपया दिया जाता है ।

[अनुवाद]

मुम्बई नगर निगम पार्षद भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए दस लाख रुपए तक की योजनाओं का सुझाव दे सकता है ।

[हिन्दी]

यह काम महाराष्ट्र में सात साल से चल रहा है । उसके अनुसार यदि एक विधानसभा क्षेत्र में 30 लाख रुपया मिला तो 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए एक करोड़ अस्सी लाख रुपया यानि दो करोड़ रुपया हो गया । अब लोक सभा के 550 सदस्य हैं तो 1100 करोड़ रुपए इसलिए दिए जाएंगे कि जो छोटे छोटे काम हैं, वे एक एम. पी. सांसद करवा कर ले सकता है और यह बहुत बड़ा एमाउन्ट नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, यह हमने जो बजट मंजूर किया है वह बजट दो लाख 33 हजार 398 करोड़ रुपए का है । इसका 1100 करोड़ यानि 0.47 प्रतिशत आप मंजूर करेंगे तो सांसद अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे जो काम हैं, वे कर सकते हैं । इसलिए मेरी मांग है कि इस प्रकार का फैसला केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए जिससे गरीब लोगों के लिए छोटे छोटे संडास बनाना है, स्टेशन बनाना है, पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल

बनाना है तो इस प्रकार के काम करेंगे और इस प्रकार की योजना की कार्यवाही राज्य सरकार की तरफ से हो जाना चाहिए लेकिन यहां से पैसा मंजूर करना चाहिए ।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इसमें जो सुझाव दो करोड़ रुपए का दिया है, आपके पास पावर है, कुछ तो डायरेक्शन्ज दीजिए । हर राज्य में एम. एल. ए. को मिलता है, एम. पी. को भी मिले ....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, आपने नोटिस नहीं दिया है ....

श्री राम नाईक : मुझे इस बात का विश्वास है कि मैंने जो बात रखी है, वह पार्टी के मतभेदों को छोड़कर सब सदन मंजूर करेगा और सरकार को करना चाहिए, यही मेरी मांग है ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : पूरी सभा इस विचार का समर्थन करती है । वित्त मंत्री को इस पर सकारात्मक रूप से अनुक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ।

श्री अन्नारासु इरा (मध्य मद्रास) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से संबंधित तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । तथापि मैं इन मुद्दों को उठाना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं ।

महोदय, हमें मालूम है कि लिट्टे के प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन एक घोषित अपराधी है । मैं समझता हूं कि श्रीलंका की सरकार ने प्रभाकरन को पकड़वाने में हमारी सरकार के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया है । अतः मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि प्रभाकरन को पकड़ने और श्रीलंका से उसके प्रत्यर्पण के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ।

दूसरा मुद्दा जिसे मैं यहां पर उठाना चाहूंगा वह दिए गए बहुत थोड़े मुआवजे के बारे में है । श्री राजीव गांधी की हत्या के दौरान हुए बम विस्फोट में मारे गए लोगों के नजदीकी रिश्तेदारों और घायल लोगों को भी बहुत कम मुआवजा दिया गया था, राज्यपाल के शासन में तमिलनाडु सरकार द्वारा बहुत कम राशि दी गई थी । यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधान मंत्री के रूप में हमारे पास एक विद्वान राजनेता और निर्विवाद प्रधान मंत्री हैं । अतः मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह श्री राजीव गांधी की हत्या के दौरान मारे गए लोगों के नजदीकी रिश्तेदारों और घायलों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करें ।

एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है । हम जानते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश से आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है । हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी ने इस देश से आतंकवाद समाप्त करने के लिए कार्रवाई निश्चित की । दुर्भाग्यवश उसी आतंकवाद ने उनके जीवन को डस लिया । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी तीनों गोलियों के शिकार हुए । अतः उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रधान मंत्री के साथ-साथ गृह मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस घोषित करें ताकि आतंकवाद के सभी रूपों और इससे सभी आविर्भावों से दूर रहने के लिए जनता की राय जुटाई जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो मुद्दे बताए हैं क्या आप उन सब पर बोलना चाहेंगे ।

श्री अन्धारासु इरा : केवल एक प्रश्न है । यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है । दूरदर्शन पर घटिया किस्म के कार्यक्रम दिखाए जाने के कारण आज टेलीविजन के दर्शक स्टार टी वी, बी बी सी और एम टी एन टी वी के कार्यक्रमों को देखने लगे हैं । अतः हमें इन कार्यक्रमों को निश्चित रूप से विनियमित करना होगा अन्यथा हमारे लोग हमारे टेलीविजन कार्यक्रमों को भूल जाएंगे । अतः यह आवश्यक है कि टी. वी. को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाया जाए । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या टी. वी. को विनियमित करने के लिए किसी कानून पर विचार कर रहे हैं । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार देश में महत्वपूर्ण शहरों में निजी केबल टी. वी. एजेन्सियों को विनियमित करने के लिए किसी कानून पर विचार कर रही है । आगे मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं क्योंकि उर्दू भाषा हमारी मिश्रित संस्कृति का एक भाग है ।

अंत में, मैं माननीय कल्याण मंत्री से मंडल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में हुए विलंब पर प्रकाश डालने का आग्रह करूंगा । हम जानते हैं कि पिछले दो वर्षों से उच्चतम न्यायालय का निर्णय लंबित होने के कारण मंडल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं । अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आर्थिक सिद्धान्त को शामिल करने के बारे में संविधान में संशोधन करने के लिए कोई उपाय है ताकि मंडल आयोग की सिफारिशों को जल्दी से कार्यान्वित किया जा सके ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको नोटिस दिया था स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उससे संबंधित कुछ बातों को इस एप्रोप्रिएशन बिल की बहस के दौरान छेड़ने का, लेकिन उस पर जाने के पहले, मैं वित्त मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि बजट तो आपने पूरा पास कर लिया और कई मिनिस्ट्रीज पर इस बार बहस नहीं हुई सदन में, इसलिए मैं उनसे बुनकरों के बारे में प्रार्थना करना चाहता हूं । ये लोग हथकरघे पर काम करते हैं, कपड़ा बुनते हैं । उनके लिए इस साल के बजट में आपने पैसे का प्रावधान घटा दिया है । मैं चाहूंगा कि जो उनकी दयनीय स्थिति इस समय है समूचे देश के पैमाने पर और आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर, जो पिछले तीन महीनों से बुनकर लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, 100 से अधिक लोग वहां आत्महत्या करके मरे हैं, भूखमरी से जो मरे हैं, उनकी संख्या गिनना मुश्किल है । इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से विशेष तौर पर इस मामले में प्रार्थना कर रहा हूं कि उन बुनकरों के लिए, आपने जो बजट में यहां करोड़ों रुपए मंजूर करा लिए हैं, उसमें से कुछ पैसा निकालने का काम आप करें ।

अध्यक्ष जी, अब मैं उस विषय की ओर आता हूं, जो मैंने आपको नोटिस में कहा है । परसों इस सदन में सीक्योरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड को लेकर, जो स्टाक ब्रोकर्स की हड़ताल हुई थी, मैंने उस सवाल को यहां छेड़ा था । आज सुबह अटल जी ने उस बात को फिर से छेड़ा ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आज सवेरे ही कहा था कि हम इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में कल चर्चा करेंगे । आप इस मुद्दे को उठाएंगे और मंत्री जी इसका उत्तर देंगे और आपको उनसे प्रश्न पूछने का अवसर भी मिलेगा ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर आपका ऐसा आदेश होता है, कल सुबह के लिए आपने इसे रखा है तो ठीक है। यदि आप मुझे कल कहते हैं तो मैं कल उस पर बोलूंगा। मैंने इस संबंध में कालिंग अटैंशन नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पहले ही निर्धारित कर लिया है और आप एक विशिष्ट मुद्दे पर बोलेंगे। यदि आपका नाम उसमें है तो आप बोलिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपका नाम उसमें है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है। इसका सत्यापन करना होगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फिर मैं उस पर यहां विस्तार में नहीं बोलूंगा लेकिन वित्त मंत्री जी से इतनी प्रार्थना चाहूंगा कि इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से हमने बहस छेड़ने का प्रयास यहां किया था और परसों यहां सदन में, बहस छेड़ने का काम भी किया था। मैं वित्त मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि कल जब बहस होनी है, मैं कल उस पर बाकी चीजें कहूंगा, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगाने का काम किया है पिछले 6 महीनों में, आपकी तरफ से उनको एक संदेश जाना चाहिए। वह संदेश उनको यह जाना चाहिए कि आज जो स्टाक मार्केट का सारा खेल चल रहा है, इस खेल का, और जो कारखानों की असलियत है, उसका कोई संबंध नहीं है। यह केवल सट्टा बाजार है—यह बात आपने देश के उन गरीबों को, मैं यहां उन गरीबों को भी जोड़ रहा हूं जो महीने भर में डेढ़, दो या तीन हजार रुपए तनख्वाह पाते हैं और जिन्होंने अपने प्रोवीडेंट फण्ड से पैसा लेकर, उस पैसे को सट्टा खेलने में लगाया हुआ है, इस सोच के चलते कि वहां बड़ा भारी पैसा है। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि एक तो वे यह संदेश देने का काम करें। अगर उन्हें इस बारे में सबूत चाहिए, जो मैं कह रहा हूं इसमें कितना दम है, अगर इस बारे में उनको सबूत चाहिए तो मैं केवल एक ही कम्पनी का नाम आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। केवल एक ही कम्पनी का उदाहरण मैं आपको देता हूं, बाकी मैं कल बोलूंगा...(व्यवधान) आप क्यों मुझे तंग करते हो, मैं सुबह नहीं कह चुका हूं और जो कह चुका हूं, वह फिर नहीं कहूंगा। अध्यक्ष जी, मैं यहां एक ही कम्पनी का नाम लेता हूं।

अध्यक्ष जी, एक ही कम्पनी का नाम लेता हूं--मजदा इण्डस्ट्रियल, इस कम्पनी का शेयर 6 महीने पहले 5 रुपए 75 पैसे पर बिक रहा था। अभी 1 हजार 650 रुपए पर आया था, कल गिर गया। कल यहां तक गिर गया कि 1450 रुपए पर आ गया था वही अब 900 रुपए पर गिर कर आ गया है। यानी 750 रुपए कम हो गए। इस मजदा का 5.75 रुपए का 10 रुपए वाला शेयर आज 900 रुपए पर आ कर रुक गया। अब यह कम्पनी उस आदमी की है जिसको बड़ा सांड, बिग बुल माना जाता है, तो यह जो बड़ा सांड है (व्यवधान)

हमने किसी का नाम नहीं लिया है।

इसमें कितना धोखा है और गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी कैसे फंस रहा है और आपकी चुप्पी कैसे फंसा रही है, मैं कल सुबह तक इसके लिए इन्तजार करने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि देश के लोगों को इस सट्टे में फंसने से आगाह करने का काम करें। (व्यवधान)

2 करोड़ के लिए तो हमारा समर्थन है अगर उसको और बढ़ाया जा सके, तो बढ़ाया जाए। अगर सारे देश के लिए 2 करोड़ रुपए रखेंगे, तो बिहार के लिए 3 करोड़ रुपए रखें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं, एप्रोप्रिएशन बिल पर जब बोलना है, तो उसका नोटिस देना पड़ता है, पाइंट्स देने पड़ते हैं, स्पीकर की परमीशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर बैठकर चिट्ठी लिख कर भेज दें, तो ऐसा नहीं चलेगा।

भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, पटना आफिस में, सुनैन सिंह, एम. पी. को सी. बी. आई. के पटना दफ्तर में गिरफ्तार किया है.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, भोगेन्द्र झा जी, आप बैठ जाईए। आप हर वक्त अपनी बात हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मैंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : देखिए, पासवान जी, आप नए मैम्बर हैं। शायद आपको पता नहीं है कि एप्रोप्रिएशन बिल पर सबको बोलने नहीं दिया जाता है। इस पर बोलने के लिए आपको नोटिस देना पड़ता है, पाइंट्स देने पड़ते हैं, आपको स्पीकर से परमीशन लेनी पड़ती है। तब बोलने दिया जाता है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसलिए कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर हर सांसद इस प्रकार से बोलना शुरू कर देगा, तो यहां पर काम कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मैंने आपको नोटिस नहीं दिया है, लेकिन आपको इस सदन में अथाह पावर है। .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, अगर सारा काम डिस्क्रीशनरी पावर से चलेगा, मेरे और आपके मन की ही चलती रहेगी, तो काम कैसे होगा। रूल्स के अनुसार कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री छबी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं । आप नए मेम्बर हैं, इसलिए मैं आपको समझाकर बोल रहा हूं । आप समझने की कोशिश कीजिए । इस सदन का काम नियम से चलना चाहिए । अगर आपके और मेरे मन से चलना शुरू हो गया, तो यहां कुछ भी नहीं होगा । अगर आपको मालूम नहीं है, तो आपको जो बताया है, उसके अनुसार कीजिए ।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मेरे माननीय मित्र श्री राम नाईक ने बम्बई का नाम मुम्बई करने के बारे में मुद्दा उठाया है । उन्होंने केरल में कुछ कस्बों व शहरों के उदाहरण दिए हैं । मैंने रिकार्ड में दाखा है । वास्तव में यह प्रस्ताव 1938 में भेजा गया था । हमने राज्य सरकार से यह बताने का अनुरोध किया था कि क्या गांवों, कस्बों तथा शहरों के नाम बदलने के लिए 1953 में जारी सभी दिशा निर्देशों का अनुसरण किया गया था । केवल इस आधार पर कि कुछ लोग एक नाम विशेष को पसन्द नहीं करते या भाषा के आधार पर यदि नाम बदलना पड़ता है तो मेरे विचार से ऐसा प्रस्ताव कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । लेकिन केरल के मामले में मैंने देखा है कि यह उनके द्वारा नहीं किया गया है और इसीलिए सरकार नाम बदलने के लिए राजी नहीं हुई है । इसी तरह बम्बई के मामले में भी यह प्रस्ताव 1977 में आया था । उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बम्बई का नाम मुम्बई करने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई थी ।

मेरे मित्र श्री अन्वारास् ने स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के मामले से पीड़ित संतप्त परिवारों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के बारे में जो मुद्दा उठाया है इस मुआवजे का भुगतान राज्य सरकारों को करना है । अतः यह केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है ।

दूसरा मुद्दा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित करने के बारे में है उस पर सी. सी. पी. ए. में निश्चय ही सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और उसके बाद घोषणा की जाएगी ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैंने हिन्दी कांस्टीट्यूशन का उदाहरण दिया था । हिन्दी कांस्टीट्यूशन में मुम्बई लिखा हुआ है ।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : माननीय सदस्य श्री अन्वारास् द्वारा तीन मुद्दे उठाए गए हैं जो दूरदर्शन कार्यक्रमों को बेहतर बनाने तथा स्टार तथा अन्य नेटवर्क द्वारा आरम्भ प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं । हमने पहले ही बता दिया है कि जैसा कि मुझे दूरदर्शन अधिकारियों ने बताया है, दूरदर्शन द्वारा साफ्टवेयर अर्थात् कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि हम प्रतियोगिता में उतर सकें । जहां तक केबल टी. वी. के नियमन का संबंध है संशोधन का कानून पहले से ही विचाराधीन है । दूरसंचार विभाग, जो नोडल एजेन्सी है, ने हमें परसों ही सूचित किया है कि वे कानून तैयार कर रहे हैं और इसके तैयार होने पर हर एक को सूचित कर दिया जाएगा ।

जहां तक उर्दू भाषा को बढ़ावा देने का संबंध है, कुछ कदम उठाए गए हैं। उर्दू भाषा के बारे में पहला कदम लगभग छः महीने पहले उठाया गया था। यू. एन. ओ. को 25 लाख रुपए दिए गए थे जिससे कि उर्दू समाचार मूलतः उर्दू में तैयार किए जा सकें और यह न हो कि अंग्रेजी में लिखे जाकर बाद में उर्दू में उनका अनुवाद किया जाए। उसके लिए हमें यू. एन. आई. ने सूचित किया है कि इस बारे में तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने पहले से टैस्ट तथा अन्य जांच शुरू कर दी है जिससे कि समूचे देश में उर्दू में समाचार प्रसारित किए जा सकें। उन्होंने बताया है कि वे इसमें सफल हो गए हैं, और किसी दिन भी उर्दू में समाचारों का प्रसारण आरंभ कर दिया जायेगा। जहां तक उर्दू समाचारों का संबंध है हमने यह निर्णय लिया है कि 1 मई से दिल्ली दूरदर्शन केन्द्रों के दूसरे चैनल पर और हैदराबाद, लखनऊ तथा पटना के मुख्य चैनलों पर हम शाम के 7.45 पर पांच मिनट का उर्दू समाचार बुलेटिन शुरू करेंगे। विभिन्न समितियों द्वारा दी गई रिपोर्टों का यह आंशिक पालन है जो काफी अर्से से लम्बित है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं गुजराल समिति, और जाफरी समिति ने सिफारिशें की थी।

जहां तक उर्दू भाषा का संबंध है हमने यह उपाय किए हैं ... (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हम जानते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में लोक सभा सदस्यों की कैसी दुर्दशा है.... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : पहले हमें घाटा कम करने दीजिए, फिर हम उस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात सुन नहीं रहा हूं मैं कुछ और कह रहा हूं।

(व्यवधान)

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : महोदय, मैंने प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लघु निर्माण कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का श्री राम नाईक का सुझाव नोट कर लिया है। यद्यपि मेरी पूरी सहानुभूति उनके प्रस्ताव के साथ है परन्तु आज कठिनाई यह है कि देश में यह योजना प्रक्रिया व्यक्तिक आधार पर नहीं की जाती है। ... (व्यवधान)

महोदय, यदि वे मुझे अनुमति दें तो मैं कहूंगा (व्यवधान) मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर रहा हूं (व्यवधान) उन्हें अवश्य सुनना चाहिए (व्यवधान) योजना एक आधार पर नहीं की जाती। (व्यवधान) उनके सुझाव नोट कर लिए गए हैं (व्यवधान)

हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें बोलने तो दीजिए उनकी पूरी बात सुनने के बाद ही कुछ कहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच. आर. भारद्वाज : मैंने सदन के विचार नोट कर लिए हैं मैं उन्हें आश्वासन देता हूं .... (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें सुनिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनेंगे नहीं तो बोलने से क्या फायदा होगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच. आर. भारद्वाज : महोदय, मैंने सदन की मांग और माननीय सदस्यों के विचारों तथा सहानुभूति से शुरू किया था (व्यवधान) लेकिन मैं महसूस करता हूं कि एक आयोजना प्रक्रिया है जिसका पालन करना आवश्यक है (व्यवधान) ।

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : यह उचित होगा कि मंत्री जी की बात को सुना जाए और फिर अपीलीय अधिकारी भी तो हैं । (व्यवधान) कृपया उनकी बातें सुनिए ।

(व्यवधान)

श्री एच. आर. भारद्वाज : अब मैंने सुन लिया है, मैं अपीलीय अधिकारी को समूचे सदन की ओर से अपील करता हूं । (व्यवधान) मैं अपीलीय अधिकारी को माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत करूंगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी आपके प्रति सहानुभूति है लेकिन मैं कुछ समय बाद सहानुभूति व्यक्त करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए ।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दे सकता हूं ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाह रहा हूं कि एक अनोखी बात हुई है । पटना के केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक वारण्ट जारी किया है। मूल अधिकार के हनन के आरोप में श्री सूर्य नारायण यादव पर वारण्ट जारी किया है और दोहरा पुलिस जो उनके क्षेत्र में है, उनको आदेश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक गिरफ्तार करके पहली तारीख को मेरे सामने पटना में हाजिर करो,

[अनुवाद]

मूल अधिकारों के हनन के लिए "शब्दों" का इस्तेमाल किया गया है । कल 30 अप्रैल है। एक मई को उन्हें गिरफ्तार करके पटना में सी. बी. आई. अधिकारी के समक्ष हाजिर किया जाएगा ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय को सूचित किया जाना चाहिए ।

श्री भोगेन्द्र झा : उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया है । मैंने परसों गृह मंत्री को एक पत्र लिखा था । लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है ।

अतः सी. बी. आई. अधिकारी को एक आदेश तुरन्त भेजा जाना चाहिए कि वह गिरफ्तारी के वारण्ट को अमल में न लाएं बल्कि जिस अधिकारी ने वारण्ट जारी किया है उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए । आज 29 अप्रैल है और 30 अप्रैल तक उन्हें गिरफ्तार किया जाना है ।

दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान के अनुसार भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं । मैथिली भाषा के संबंध में 1921, 1931 आदि के दौरान जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित की जाती थी । उसे बंद कर दिया गया था । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह एम. पी. के संबंध में था इसलिए मैंने कह दिया । आप इसको आगे मत बढ़ाइए । ऐसा नहीं । आप जो एम. पी. के संबंध में बोल रहे थे, इसलिए मैंने एलाऊ किया । बाकी उसको लंबा मत कीजिए, दूसरे पर मत जाइए ।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा : यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं उसे जारी नहीं रख सकूंगा । लेकिन यथापूर्व स्थिति बनाए रखनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : सदन कल 30 अप्रैल बृहस्पतिवार को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होता है ।

6.48 म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 30 अप्रैल, 1992/10 वैशाख, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

पी०एल०एस०-48/12/41/92 (एन)

250

© 1992 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)

के नियम, 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित, 1993